6 May,1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17 पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 46 मंगलवार, 6 मई, 1986/16 वैशाख, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या :	928 से 934 और 936 से 938	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		23—216
ताराकित प्रश्न संख्या :	935 और 939 से 948	
तारांकित प्रश्न संख्या :	8903 से 9037 और 9039 से 9138	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		216—221
सभा की बैठकों से सदस्यों का अनुपस्थिति संबंधी समिति		221
कार्यवाही-सारांश		
रेल अभिसमय समिति		221—222
चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन		
विधेयक—पुरःस्थापित		222—223
(एक) अनुसंधान और विकास उपकर विधेयक		222—223
(दो) आय-कर (संशोधन) विधेयक		223
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक		223—229
राज्य सभा में किये गये संशोधनों पर विचार		
नियम 377 के अधीन मामले		229—234
(एक) त्रिवेन्द्रम स्थित दूरदर्शन केन्द्र से मलयालम में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये केरल में सभी दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता		229—230
श्री वी०एस० विजयराघवन		

किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(दो) बंगलौर और नीलमंगला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरी सड़क के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता श्री जी०एस० वसवराज	230
(तीन) तिरोरी तुमसार रोड यात्री गाड़ी को भंडारा टाउन तक बढ़ाने की आवश्यकता श्री केशवराव पारधी	230—231
(चार) उड़ीसा में दैतारी में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता श्री अनादिचरण दास	231
(पांच) पहाड़ी क्षेत्रों का विकास श्री ब्रह्म दत्त	232
(छः) उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की सप्लाई शीघ्र करवाने के लिये एल० पी०जी० सिलेंडरों के कोटे की सीमा एक हजार सिलेंडर प्रति डीलर करने की मांग श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	232—233
(सात) चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को राजस्थान में हरसौली रेलवे स्टेशन पर रोकने की मांग श्री राम सिंह यादव	233
(आठ) महानगरों से केरल के लिये सीधी रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग श्री के० मोहनदास	233—234
स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी (लिमिटेड उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक विचार करने के लिये प्रस्ताव	234—323
श्री भट्टम श्री राममूर्ति	235
श्री खुर्शीद आलम खां	237
श्री बसुदेव आचार्य	239
श्री प्रताप भानु शर्मा	241

विषय	पृष्ठ
श्री थम्पन थामस	243
श्री आर० अण्णानम्बी	245
श्री बनवारी लाल पुरोहित	246
श्री नारायण चौबे	248
श्री हरीश रावत	249
श्री सी०जंगा रेड्डी	250
श्री काली प्रसाद पांडेय	253
श्री दिलीप सिंह भूरिया	254
श्री गिरधारी लाल व्यास	254
श्री भद्रेश्वर तांती	255
श्री डी०बी० पाटिल	257
श्री डा० दत्ता सामन्त	257
श्री प्रकाश वी० पाटिल	259
श्री खुर्शीद आलम खां	260
बदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक खंड 2 से 33 तथा 1 पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री खुर्शीद आलम खां	265
श्री मुरली देवरा	272
राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी संकल्प	273—316
श्री पी०वी० नरसिंह राव	273
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति	274
श्री डी०पी० यादव	283
प्रो० नारायण चन्द पराशर	288
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	292
डा० सुधीर राय	296
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	300
श्री एस०बी० सिदनाल	304
श्री के० वी० शंकरगौडा	306
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	308
श्रीमती बसवराजेश्वरी	311

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 6 मई, 1986/16 वैशाख, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), "सदस्यों का अनुपस्थिति" **के स्थान पर** "सदस्यों की अनुपस्थिति" और पृष्ठ संख्या "221" **के स्थान पर** "220" **पढ़िये ।**

विषय सूची, पृष्ठ (i), नीचे से पंक्ति 7, "उच्चयम" **के स्थान पर** "उच्चतम" **पढ़िये ।**

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 15, "वदेशी" **के स्थान पर** "स्वदेशी" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 3, सबसे नीचे "...(व्यवधान)" **अन्तःस्थापित करिये ।**

पृष्ठ 7, पंक्ति 21, "(ख)" **के स्थान पर** "घ" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 27, नीचे से पंक्ति 8, अ०प्र० संख्या "954" **के स्थान पर** "944" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 28, पंक्ति 3, "(ख)" **के स्थान पर** "(घ)" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 29, पंक्ति 1, "इक्विनटी" **के स्थान पर** "ईक्विटी" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 30, नीचे से पंक्ति 10, अ०प्र० संख्या "8902" **के स्थान पर** "8903" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 32, पंक्ति 11, "बिजल घरों" **के स्थान पर** "बिजली घरों" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 33, नीचे से पंक्ति 10, "क्रयादेश" **के स्थान पर** "क्रयादेशों" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 36, नीचे से पंक्ति 8, "श्री एस० पलाकोंड्रायडू" **के स्थान पर** "श्री एस० बलाकोंड्रायुडू" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 40, पंक्ति 4, "श्री टी० बाल गाड" **के स्थान पर** "श्री टी० बाल गौड" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 42, पंक्ति 27, "श्री वैंजावाडा पापी रेड्डी" **के स्थान पर** "श्री वैंजावाडा पपी रेड्डी" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 48, पंक्ति 4, "(ख)" **के स्थान पर** "(ग)" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 51, पंक्ति 1, "स्थापिम" **के स्थान पर** "स्थापित" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 52, पंक्ति 13, "श्रीराम फंड" **के स्थान पर** "श्रीराम फूड" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 57, पंक्ति 10, "श्री एन० टीम्बी सिंह" **के स्थान पर** "श्री एन० टोम्बी सिंह" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 59, पंक्ति 7, अ०प्र० संख्या "8946" **के स्थान पर** "8949" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 69, नीचे से पंक्ति 9, "श्री तेजासिंह" **के स्थान पर** "श्री तेजा सिंह दर्दी" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 70, नीचे से पंक्ति 8, अ०प्र० संख्या "8694" **के स्थान पर** "8964" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 71, पंक्ति 8, अ०प्र० संख्या "8695" **के स्थान पर** "8965" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 71, पंक्ति 14, "डा०डी०सी०एन० रेड्डी" **के स्थान पर** "डा०डी०एन० रेड्डी" **पढ़िये ।**

पृष्ठ 89, पंक्ति 5, "परियोजना" के स्थान पर "परियोजनाओं" पढ़िये ।

पृष्ठ 89, पंक्ति 14, "(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 92, पंक्ति 15, "भूतपूर्व" के पश्चात् "फेरा" अन्तःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 95, पंक्ति 4, "प्रो०पी०जी० कुरियन" के स्थान पर "प्रो०पी०जे० कुरियन" पढ़िये ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 6, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 101, पंक्ति 7, "(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।

पृष्ठ 102, पंक्ति 9, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 103, पंक्ति 19, अ०प्र० संख्या "8999" के स्थान पर "8996" पढ़िये ।

पृष्ठ 124, नीचे से पंक्ति 11, "नेखा नीति" के स्थान पर "नवी नीति" पढ़िये ।

पृष्ठ 125, पंक्ति 10, "श्री पी० मानिक रेड्डी" के स्थान पर "श्री मानिक रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 128, पंक्ति 12, "कील इंडिया" के स्थान पर "कोल इंडिया" पढ़िये ।

पृष्ठ 130, नीचे से पंक्ति 12, "टेलीफोन देना" के स्थान पर "टेलीफोन सेवा" पढ़िये ।

पृष्ठ 135, पंक्ति 12, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 136, पंक्ति 12, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 137, नीचे से पंक्ति 11, "श्री बरीश रावत" के स्थान पर "श्री हरीश रावत" पढ़िये ।

पृष्ठ 142, पंक्ति 7, "वर्ष" के पहले "(क)" अन्तःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 143, पंक्ति 3, "श्री बज्वन्तराव गडाख पाटिल" के स्थान पर "श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 143, नीचे से पंक्ति 11, "श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल" के स्थान पर "श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 146, नीचे से पंक्ति 8, "ही मांग" के स्थान पर "की मांग" पढ़िये ।

पृष्ठ 151, पंक्ति 6, "वक्कम पुरुषोत्तम" के स्थान पर "श्री वक्कम पुरुषोत्तमन" पढ़िये ।

पृष्ठ 151, पंक्ति 9, "(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 157, पंक्ति 13 तथा नीचे से पंक्ति 8, और पृष्ठ 158, पंक्ति 2, "श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर" के स्थान पर "श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर" पढ़िये ।

पृष्ठ 173, नीचे से पंक्ति 8, "श्री के०बी० शंकर मौडू" के स्थान पर "श्री के०बी० शंकर गौड़" पढ़िये ।

पृष्ठ 174, नीचे से पंक्ति 9, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 179, पंक्ति 2, "श्री बी०पी० शंकर गौडा" के स्थान पर "श्री के०बी० शंकर गौड" पढ़िये ।

पृष्ठ 180, प्रथम पंक्ति, "श्रमिक" के स्थान पर "श्रमिकों" तथा पंक्ति 6 में "(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।

पृष्ठ 182, पंक्ति 17, "प्रदूशण" के स्थान पर "प्रदूषण" पढ़िये ।

पृष्ठ 184, पंक्ति 16, "जय प्रकाश अग्रवाल" से पहले "श्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 185, नीचे से पंक्ति 14, "(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 197, पंक्ति 10, "श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर" के स्थान पर "श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर" पढ़िये ।

पृष्ठ 206, नीचे से पंक्ति 4, अ०प्र० संख्या "9030" के स्थान पर "9130" पढ़िये ।

पृष्ठ 207, पंक्ति 12, "और (ख)" से पहले "(क)" अन्तःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 212, पंक्ति 15, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 212, नीचे से पंक्ति 6, "(च)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 212, पंक्ति 7, "(ङ)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये ।

पृष्ठ 213, पंक्ति 4, "(ज)" के स्थान पर "(छ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 213, पंक्ति 5, "कर्मचारियों की" के स्थान पर "कर्मचारियों का" पढ़िये ।

पृष्ठ 214, पंक्ति 11, "(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 215, नीचे से पंक्ति 14, "श्री वसुदेव आचार्य" के स्थान पर "श्री वसुदेव आचार्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 215, पाद-टिप्पण में "कार्यवाही-वृत्तान्त" से पहले तारा अंकित करिये ।

पृष्ठ 217, नीचे से पंक्ति 14, उपर्युक्त के पहले "(4)" के स्थान पर "(5)" पढ़िये ।

पृष्ठ 219, पंक्ति 4, उपर्युक्त से पहले "(3)" के स्थान पर "(4)" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, नीचे से पंक्ति 1, "(प्रस्तार स्वीकृत हुआ)" के स्थान पर "प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।" पढ़िये ।

पृष्ठ 223, पंक्ति 7, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये और पंक्ति 10, "प्रस्ताव स्वीकृत हुआ" के स्थान पर "प्रस्ताव स्वीकृत हुआ" पढ़िये ।

पृष्ठ 223, दूसरे पाद टिप्पण में, "1981" के स्थान पर "1986" पढ़िये ।

पृष्ठ 224, प्रथम पंक्ति, "अधिनियमम सूत्र" के स्थान पर "अधिनियमन सूत्र" पढ़िये ।

पृष्ठ 226, पंक्ति 7, "अध्यक्ष महोद" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 227, नीचे से पंक्ति 8, "श्री भागवत झा आजाद के स्थान पर "श्री भागवत झा आजाद" पढ़िये ।

पृष्ठ 228, पंक्ति 5, "श्री पी० कुलब गईवेलू" के स्थान पर "श्री पी० कुलतदईवेलू" पढ़िये ।

पृष्ठ 234, नीचे से पंक्ति 10, "कम्पनी के लिमिटेड" के स्थान पर "कम्पनी लिमिटेड" पढ़िये ।

पृष्ठ 238. नीचे से पंक्ति 8. "श्री रट्टम, श्रीरामूर्ति" के स्थान पर "श्री भट्टम श्री राममूर्ति" पढ़िये ।

पृष्ठ 250. नीचे से पंक्ति 3. "श्री जंगा रेड्डी" के स्थान पर "श्री सी० जंगा रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 265. पंक्ति 14. "अस्वीकृत हुआ" के स्थान पर "अस्वीकृत हुए" पढ़िये ।

पृष्ठ 268. नीचे से पंक्ति 7. "डी०वी० पाटिल" से पहले "श्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 279. नीचे से पंक्ति 9. " । अनुवाद ।" के स्थान पर "(अनुवाद)" पढ़िये ।

पृष्ठ 281. नीचे से पंक्ति 4. "निम्नलिखित किया जाये" के स्थान पर "निम्नलिखित अन्तःस्थापित पढ़िये ।

पृष्ठ 282. पंक्ति 14 व 18. "जोड़ जाये" के स्थान पर "जोड़ा जाये" पढ़िये ।

पृष्ठ 298. पंक्ति 10. "सभापमि" के स्थान पर "सभापति" पढ़िये ।

पृष्ठ 314. नीचे से पंक्ति 10. "आवश्यकताओं" के स्थान पर "आवश्यकताओं" पढ़िये ।

पृष्ठ 316. पंक्ति 4. "उन्नति" के स्थान पर "उन्नति" पढ़िये ।

पृष्ठ 316. अंतिम पंक्ति. "म०प० के स्थान पर म०पू०" पढ़िये ।

लोक सभा

मंगलवार, 6 मई, 1986/16 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जाग गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : सोया ही कौन है ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, ये पूछ रहे हैं कि कल शिवरात्रि थी या शाहबानो रात्रि थी ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों का नाम "स" से शुरू होता है, एक ही राशि है, नाम कुछ भी हो ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए०के० सेन) : ये बता रहे थे कि इनकी पत्नी ने पूछा कि रात को कहा थे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे से सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले गए, मैं सर्टीफाई कर देता ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केरल में वायनाड, इडुक्की और अल्लापड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन

*928. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल में वर्ष 1985-86 के अन्त में कितने सार्वजनिक टेलीफोन चल रहे थे और चालू वर्ष के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वायनाड, इडुक्की और अल्लापड़ी के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोनों की कमी को दूर करने के लिए वहां सार्वजनिक टेलीफोन लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के अन्त तक केरल में कुल 2813 सार्वजनिक टेलीफोन घर थे जिनमें से 46 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन थे। 1986-87 के दौरान लम्बी दूरी के टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां उचित और व्यवहारिक होता है स्थानीय टेलीफोन घर खोले जाते हैं।

(ख) केरल के कुल 546 षटभुजाकर क्षेत्रों में से केवल 8 में ही दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जानी बाकी हैं। इन आठ क्षेत्रों में से एक वाईनाड जिला है, 5 इडुक्की जिले में हैं तथा अत्तापादी (न कि अल्लापाड़ी जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है) में कोई क्षेत्र नहीं है। इनमें सातवीं योजना के दौरान दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

डा० के० जी० अदियोडी : वाईनाड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आग लगने की स्थिति में वे यथा शीघ्र संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। इन षटभुजाकर सेवाओं में से, एक भी षटभुजाकर दूरसंचार सेवा आदिवासी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र में सार्वजनिक टलीफोन लगाने पर विचार करेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि ये जिले—जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, आदिवासी जिले हैं और कुछ हद तक पिछड़े जिले हैं। हम वहां दूरसंचार की सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं पर इस साल की योजना में हम बहुत अधिक कार्य नहीं कर पायेंगे। वैसे हम अगले साल की योजना तैयार करते समय इस पर विचार करेंगे ?

डा० के० जी० अदियोडी : उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि 8 में दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जानी बाकी हैं। क्या आप ये सेवाएं आदिवासी क्षेत्रों में प्रदान किए जाने पर विचार करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा केरल उन भाग्यशाली राज्यों में से है जहां दूरसंचार सुविधाएं प्रर्याप्त हैं। मेरे द्वारा दिए आंकड़ों से यह स्पष्ट है। अन्य कुछ राज्यों की तुलना में 546 षटभुजाकार क्षेत्रों में से 98.5 में सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में 22.6% और बिहार में 24.3% में ही सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हम उससे ईर्ष्या नहीं करते। वे इसके पात्र हैं। एक प्रगतिशील राज्य है और दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। सदस्य को मैं यही आश्वासन दे सकता हूं कि अगले साल हम उनकी इच्छा को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिए तुलसीराम जी।

श्री वी० तुलसीराम : धन्यवाद। फीगर के हिसाब से जो मंत्रीं जी ने दी हैं, उससे तो लगता है कि केरल में अच्छे ही टेलीफोन इन्होंने लगवाए हैं। वहां के मैम्बर्स को पता होगा कि कितने कम हैं और कितने होने चाहिए। फीगर देखने से मेरे हिसाब से तो ठीक ही लगता है।

लेकिन थोड़ा स्वार्थ है। मैं आन्ध्र प्रदेश से आता हूं इसलिए अध्यक्ष जी की अनुमति से पूछता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी प्रान्तों में पहले कहीं लगाए हैं और अगर नहीं लगाए हैं तो क्या लगाने जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई स्कीम है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् केरल के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश भी उन खुशकिस्मत राज्यों में से है जहां पर टेलीकाम फैसीलिटी बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय एवरेज से कहीं ज्यादा है, 4991 हैक्सागन में से 90.4 प्रतिशत कवर किए जा चुके हैं। फिर भी कोशिश करेंगे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उनकी इच्छा पूरी की जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : केरल से विदेशों में की जाने वाली एस० टी० डी० या अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक काल की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि वहा के बहुत से लोग विदेशों में कार्यरत हैं। उन्हें इस बात से कठिनाई होती है कि केरल में कहीं भी, खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय तिरूवल्ला में सीधे टेलीफोन करने की सुविधा नहीं है। यहां से हम विदेशों से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि विदेशों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और विदेशी मुद्रा अर्जन को ध्यान में रखते हुए क्या निकट भविष्य में तिरूवल्ला में अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० सेवा में काफी विस्तार कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तक एस० टी० डी० सुविधा केवल चार महानगरों में उपलब्ध थी, पर पिछले कुछ ही महीनों में हमने सारे देश में 50 ऐसे केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। जहां तक केरल का संबंध है, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि केरल में अधिक से अधिक स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि उन्हें निस्सन्देह इसकी जरूरत है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऊषा जी बोलिए; गुजरात के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी मेरे क्षेत्र कच्छ और आदिवासी क्षेत्र में भी गए थे। उस समय वहां के एक आदिवासी सरपंच ने उनसे कहा कि आप आए हैं तो एक टैम्परेरी टेलीफोन लगाया गया है यह हमेशा के लिए हमें दीजिए। आदिवासी क्षेत्र तो बहुत पिछड़ा हुआ है और बार्डर एरिया है तो वहां फोन देने के लिए मंत्री जी कुछ करेंगे क्या।

श्री राम निवास मिर्धा : अगर माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे और जानकारी दें कि वह किस स्थान पर चाहती हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा एरिया सीकर भी बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको कब जोड़ रहे हो।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अपने क्षेत्र में ज्यादा टेलीफोन मत लगाइए । अन्यथा फोन पर ही लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी दूरी पर लगाऊंगा जहां कभी-कभी जाऊं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अयूब खां : स्नेह और विश्वसनीयता तो हृदय से उत्पन्न होती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ।

श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या यह विश्वास हमारे मन्त्री महोदय दिलायेंगे कि राजस्थान के झुन्झुनु और सीकर इलाके को एस० टी० डी० से मिला देंगे, अगर हां तो कब तक ।

अध्यक्ष महोदय : हमको आप पूरा आश्वस्त कीजिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : झुन्झुनु, सीकर का पड़ौसी जिला है, कुछ न कुछ करेंगे ही ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है ।

श्री राम निवास मिर्धा : अभी भीलवाड़ा जाकर एक नया एक्सचेंज प्रारम्भ करके आया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ये चाहे गैर-हाजिर हों, हम नहीं होते ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह की टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठकें

*929. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह की टेलीफोन सलाहकार समिति की पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई ;

(ख) यदि कोई बैठक नहीं हुई, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार सलाहकार समिति की एक बैठक 1983 में सम्पन्न हुई थी जिसकी कार्य अवधि 31-10-1984 को समाप्त हो गई।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन समितियों की बैठकें यथासम्भव 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मंत्री बहुत दयालु हैं और वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से अंदाज लगाया जा सकता है कि टेलीफोन विभाग किस तरह काम कर रहा है। समिति का कार्यकाल 31-10-1984 को समाप्त हो गया था। इसके बाद किन कारणों से इसका तत्काल पुनर्गठन नहीं किया गया? 1983 में हुई अन्तिम बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं और सरकार को भेजी गई सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है, क्योंकि दो साल बीत गए हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : समिति का कार्यकाल कब समाप्त हुआ, नए नाम कब मंगाए गए, नाम भेजने के लिए हमने लोक सभा सचिवालय को कब लिखा, आदि से संबंधित सभी तारीखें मेरे पास हैं। यह सही है कि इसमें काफी समय लगा है। अब नई समिति का गठन किया जा चुका है। इसकी पहली बैठक 16 मई को होगी। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि वित्तीय दिक्कतों के बावजूद हम टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए यथासम्भव प्रयास करेंगे।

मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे पास अंडमान में उपग्रह संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है क्योंकि अंडमान शेष देश से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए हमने सोचा कि शेष देश से अंडमान को जोड़ने के लिए यही सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली है।

श्री मनोरंजन भक्त : यद्यपि मंत्री महोदय ने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि समिति की क्या सिफारिशें हैं, फिर भी मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं।

पोर्ट ब्लेयर में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव था। पर मामले को बार-बार स्थगित किया जाता रहा। वह एस० टी० डी० कनेक्शन कब उपलब्ध कराएंगे? इसके अलावा, क्या वह सलाहकार समिति की नियमित बैठकें कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को अनुदेश देंगे, ताकि सरकार के ध्यान में यह लाया जा सके कि उस क्षेत्र में टेलिफोन के कार्यनिष्पादन के संबंध में लोगों का क्या मत है?

श्री राम निवास मिर्धा : हम अनुदेश जारी कर चुके हैं कि इस समिति की बैठक

यथासम्भव अधिक होनी चाहिए, कम से कम तीन माह में एक बार या पिछली समिति की जितनी बैठक होती थी उससे कहीं अधिक। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य समिति की बैठकों में हमें यह मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। पिछली बैठक के कार्यवाही के सरांश मेरे पास नहीं हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या सिफारिशें की गई हैं। जहां तक एस० टी० डी० सुविधाओं का संबंध है, इसे शुरू करने के लिए कतिपय पूर्वापेक्षाएं हैं। पहला तो यह है कि एक स्वचालित एक्सचेंज होना चाहिए और दूसरे, ट्रांसमिशन का कोई विश्वसनीय माध्यम होना चाहिए जैसाकि मैंने कहा हम उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : माननीय मंत्री बता रहे थे कि दूरसंचार सुविधाओं के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इन्सेट से जोड़ा जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीकी अन्तरिक्ष कार्यक्रम में विघ्न पड़ने के कारण क्या सरकार को इन्सेट 1 सी छोड़ने में परेशानी हो रही है ? अगर इन्सेट 1 सी काम नहीं कर सकता तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य स्थानों को इन्सेट के माध्यम से कैसे जोड़ा जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : चैलेंजर में हुई दुर्घटना से इन्सेट 1 सी संबंधी हमारे कार्यक्रम में बाधा आ गई है। इन्सेट 1 सी एक तरह से इन्सेट 1 बी का सहायक उपग्रह है और हम इसे अंतरिक्ष में ही स्थापित करना चाहते हैं, ताकि इन्सेट 1 बी के माध्यम से हमारी मौजूदा सेवा में स्थिरता आ सके और इन्सेट 1 सी के माध्यम से हमें और कनेक्शन मिल सकें। अंतरिक्ष विभाग इस मामले पर विचार करके यह पता लगा रहा है कि अंतरिक्ष में इन्सेट 1 सी को स्थापित करने के क्या वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हैं।

डीजल तेल के स्थान पर वनस्पति तेल का विकल्प

*930. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल डीजल तेल के सम्भावित विकल्प अथवा अनुपूरक पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की भावी योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) हालांकि कुछ देशों में किए गए प्रयोगात्मक अध्ययन की सूचना मिली है, डीजल के साथ वनस्पति तेलों के अभिमिश्रण को प्रयोग में लाने की तकनीक भारत के लिए व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यहां वनस्पति तेलों की कमी है और उनकी कीमतें अधिक हैं। अतः इस संबंध में कोई प्रयोग करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, भविष्य में इस बात की सम्भावना है कि डीजल तेल की

कीमतें बढ़ जाएं, वनस्पति तेल की स्थिति में सुधार आ जाएं और ऊर्जा-संकट की भी हर तरह से सम्भावना है तो हम इस संबंध में परीक्षण क्यों नहीं करते तथा इस समय दोनों की कीमतों में कितना अंतर है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास खाद्य तेल की पहले से ही कमी है और आप उन्हे ईंधन के रूप में जलाने की बात कर रहे हैं ।

श्री चंद्र शेखर सिंह : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि तकनीकी दृष्टि से यह व्यवहार्य है पर व्यावसायिक तौर पर नहीं । कुछ देशों में इसकी कीमत का हिसाब लगाया गया है और यह सात रुपए प्रति लिटर के आस-पास आई है । भारत में खाद्य तेलों की सप्लाई में जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता । इसलिए इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राजस्थान में तेल की खोज

*931. **श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कई स्थानों पर तेल की खोज हेतु परीक्षण किये गये हैं ; यदि हां, तो यह खोज कार्य कब से और किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है ;

(ख) क्या इन परीक्षणों पर अब तक 11.05 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और इसकी राशि खर्च किए जाने के परिणामस्वरूप केवल एक ही कुएं की खुदाई की गई है ; यदि हां, तो वह कुआ किस स्थान पर खोदा गया है और वहां तेल का कितना भंडार प्राप्त होने की आशा है ;

(ग) इतनी कम उपलब्धि पर इतना अधिक व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राजस्थान में तेल की खोज संबंधी भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) :एक विवरण—सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां । राजस्थान में अन्वेषण सर्वेक्षण 1954 में आरम्भ किया गया। खारोनेतार, बाखारी टिब्बा, विखराणयी, सुमरवालीतलायी, मनहेरा टिब्ब (बखरी टिब्बा), भुवाना, सादेवाला और घोटारु में कुएं खोदे गए हैं ।

(ख) जी, नहीं । 13 मार्च, 1986 तक कुल मिलाकर 19 कुएं खोदे गए हैं । सर्वेक्षण सहित अन्वेषण पर कुल 77 करोड़ रु० का व्यय हुआ । लगभग 1400 मिलियन घन मीटर गैस के भण्डारों का पता लगा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 1986-87 के दौरान लगभग 2800 लाइन कि० मी० के भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा 4 कुएं खोदने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में यूनियन पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 34 हजार करोड़ रुपए की मांग प्लानिंग कमीशन से की थी और उनका यह प्लान काटकर केवल 12800 करोड़ रुपए ही रखा गया है, यदि हां, तो इसके कारण राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि खर्च की जाएगी वह कितनी होगी और उससे राजस्थान क्या प्रभावित होगा या काम उसी गति से चलता रहेगा जिस गति से आज चल रहा है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के संबंध में ही सूचना देना बेहतर समझता हूं। जो कटौती हुई है, उसके बाद अभी राजस्थान में जो राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य हेतु खर्च की जाने वाली है उसका आकार 107.88 करोड़ है, लेकिन इस राशि से इसका पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर काम होने वाला है, क्योंकि काम का पैमाना वही रखा गया है जो इससे ज्यादा हमारे मन्त्रालय में काम के लिए आउट-ले था, वही काम का पैमाना रखा गया है और अब हम लोग इस आशा में हैं कि शायद बीच में राशि और उपलब्ध हो, लेकिन अभी आयल इंडिया और ओ० एन० जी० सी०, दोनों ने काफी बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है राजस्थान में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। आयल इंडिया की धनराशि में काफी कटौती हुई है, लेकिन वह फिर भी रिग्स चार्टर हायर करने पर विचार कर रहा है और सरकार के सामने उनका प्रपोजल आने वाला है।

ओ० एन० जी० सी० सातवीं पंचवर्षीय योजना में चार ग्रेविटी मैगनेटिक पार्टीज और पंद्रह सैस्मिक पार्टीज का उपयोग करने वाला है जिससे कि 24 वैल ड्रिल किए जाने वाले हैं और 60200 मीटर का ड्रिलिंग किया जाएगा।

इस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार काफी बड़ा है और राजस्थान में आइल एक्सप्लोरेशन के काम को हम लोग काफी इंटेंसिफाई करने का विचार कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, जो जवाब दिया है जो मैंने बातें कही थी उनको ढंग से इन्होंने नहीं रखा, छिपा दिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में एक्सप्लोरेशन के लिए कितना रुपया रखा है और कितना रुपया आप खर्च करेंगे, अब रुपए में कितनी कटौती होगी और कितने कुएं खोदे जायेंगे और कितना तेल मिलने की सम्भावना है, आपकी क्या योजना है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : तेल मिलने की सम्भावना के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने कितनी ग्रेविटीज पार्टीज, कितनी मीट्रेज कितने वैल इन सबकी डिटेल दी है। हमने बताया कि जो आउट ले है उसमें 107.88 करोड़ रुपये हैं, लेकिन इससे ज्यादा पैमाने पर हम

फिजीकल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस आशा में कि आगे चलकर योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय हमको अधिक धनराशि दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप और क्या पूछेंगे बुद्धिचन्द जी।

श्री बुद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह आयल इण्डिया लिमिटेड के बारे आपने जिक्र किया। जो अमाउन्ट रिग्स के लिए अलाट किया गया था और उसके लिए अमरीका से मशीनरी इम्पोर्ट की गई थी उसको रोककर आप सोच रहे हैं कि किराये पर लेकर कार्य करें। अगर इंपोर्ट करके मशीनरी आती तो हम ड्रिलिंग का कार्य ज्यादा कर सकते थे, अब इस कार्य में बाधा पहुंची है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिसमेक सर्वे हुआ था, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हमने बताया कि राशि में कटौती हुई इसलिए आयल इण्डिया ने रिग्स खरीदने का विचार छोड़ दिया, यह केवल यहां के अन्दर ही नहीं बल्कि देश के पैमाने पर जहां भी इस बात की सम्भावना है कि हम उपलब्ध धनराशि का बेहतर उपयोग चार्टर हायर के जरिये कर सकते हैं वहां इस विकल्प का लाभ उठाया जाएगा। हम चार्टर हायर कर रहे हैं और जैसलमेर और दूसरे एरिया में काम को करेंगे। थोड़ी सी देर हुई, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता मंजूर करने हेतु समय-सीमा बढ़ाना

*.932 **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मन्त्रालय ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए मिलने वाली पूंजी निवेश तथा परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए इस समय मिलने वाली पूंजी के लिए इस समय मिलने वाली पूंजीनिवेश तथा परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एन० अरुणाचलम) : (क) जी हां। केन्द्रीय निवेश राजसहायता और केन्द्रीय परिवहन राजसहायता की वर्तमान योजनाएं क्रमशः 31-3-1987 और 31-3-1990 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य श्रेणी "क" के पहाड़ी जिलों में स्थापित होने वाले इलेक्ट्रानिक उद्योगों के संबंध में केन्द्रीय निवेश राजसहायता की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1-4-1985 से 50 लाख रुपये कर दी गई है।

परिवहन राजसहायता को 50% की बजाय 1-4-1983 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की जो योजना अवधि है उसको बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है इनकी सहायता कार्य का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है, लेकिन बहुधा देखने में आता है कि इनका लाभ उन क्षेत्रों को ज्यादा मिल रहा है जो औद्योगिक दृष्टि से तो पिछड़े हुए हैं, जहां पहले से ही रेल लाइन पहुंच चुकी है, जहां पहले से ही इन्फास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है कुछ हद तक, इसको अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि तीन हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित हो उसके लिए सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की राशि का अनुपातिक रूप से प्रयोग हो, जहां आसपास रेल लाइन हो उस एरिया के, वहां तक वह रेल माइन पहुंचाई जाए और दूसरी जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है उसको 75 प्रतिशत से बढ़कर, 50 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों में उसको बढ़ाकर 90 प्रतिशत करेंगे ताकि उन क्षेत्रों में भी समान रूप से औद्योगिक विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : मैं महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। हम इन पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के पार्ट बी से प्रेरणा लेकर उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु इलेक्ट्रानिक और छोटे कल पुर्जों के अनुकूल है उन क्षेत्रों को इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए भविष्य के लिए आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जो एच० एम० टी० और बी० एच० ई० एल० जैसी कम्पनियां हैं उनको यह निर्देशित करने का कष्ट करेंगे कि भविष्य में होने वाले उद्योगों को ऐसे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में लगाएं?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : विकासशील तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्कताओं तथा एम० आर०टी०पी० तथा एफ०ई०आर०ए० कम्पनियों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है कि उक्त दोनों प्रकार की कम्पनियों को परिशिष्टतर उद्योग, जो छोटे पैमाने के उद्योग के लिए आरक्षित नहीं है, लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि श्रेणी 'ख' तथा 'ग' में स्थापित उद्योग को 25% उत्पाद का निर्यात अनिवार्य होगा तथा श्रेणी 'क' तथा उन जिलों में उद्योग खोलने पर, जहां पहले कोई उद्योग न हो, में उद्योग स्थापित करने पर निर्यात की शर्त नहीं होगी।

जहां कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, किसी उद्योग अथवा एकक को लगाते समय कुछ और बातों पर भी विचार करना पड़ता है।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : अनेक राज्यों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लाभ के शीघ्र निपटान के लिए उद्योग रहित जिलों की अपेक्षा उद्योग रहित ब्लॉक बनाने का सुझाव दिया था तथा सरकार यह बताती रही है कि मामले की जांच की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एम० अरुणाचलम : अंतर-मंत्रालीय समिति इसके पहलुओं पर विचार कर रही है और हमें आशा हैं कि छह माह के भीतर रिपोर्ट दे देगी। हमने योजना का विस्तार किया है।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : वे पिछले एक वर्ष से यही कह रहे हैं।

श्री भाऊ साहिब थोराट : पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। उन्होंने कुछ मानकों का सुझाव दिया है। हम उन मानकों के अनुसार निर्णय कर रहे हैं। जहां तक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का संबंध है, हम उन्हें शामिल नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, पिछड़े हुए क्षेत्र केवल पहाड़ी ही नहीं होते हैं, रेगिस्तारी क्षेत्र जो हैं वे भी अत्यधिक पिछड़े हुए होते हैं और खासतौर से राजस्थान का दो तिहाई भाग जो कि रेगिस्तानी है बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए क्या कोई विशेष मानदन्ड रखा है ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : मूल रूप से किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास राज्य का विषय है। जहां तक विशेष क्षेत्रों का संबंध है यदि माननीय सदस्या के दिमाग में कोई विचार है और वे उसे हमें लिख भेजें तो उनका विचार समिति को निर्णयार्थ भेज दिया जाएगा।

गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए विश्व बैंक से ऋण

*933. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पर आधारित तीन विद्युत संयंत्रों के लिए विश्व बैंक ने 485 मिलियन डालर लगभग 600 करोड़ रुपए) का ऋण स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत संयंत्रों का, जिनके लिए विश्व बैंक ने ऋण स्वीकार किया है, ब्यौरा क्या है, उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्रीय क्षेत्र में कवास, औरैया और अन्टा में संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। कवास और औरैया में प्रत्येक परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 600 मेगावाट है जबकि अन्टा परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 430 मेगावाट है। परियोजनाओं की अनुमानित लागतें 463 करोड़ रुपए, 524 करोड़ रुपए और 355 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक इस स्कीम के लिए 485 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए सहमत हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंह : चूंकि एच० बी० जे० पाइपलाइन मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इन परियोजनाओं में से कोई एक शूजा अथवा शामगढ़ में स्थापित करने पर विचार करेंगे क्योंकि मेरा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है और शूजा तथा शामगढ़ दोनों पिछड़े हुए जिले में हैं।

श्री बसन्त साठे : इन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था न कि ऐसे क्षेत्र की आवश्यकताओं अथवा पिछड़ेपन के आधार पर, जहां से पाइपलाइन गुजरती हों क्योंकि इस प्रकार तो देश का 95 प्रतिशत भाग पिछड़ा हुआ है और हमें प्रत्येक गांव में बिजलीघर बनाना पड़ेगा। अतः यह मानदंड नहीं था और वह क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित है। अतः हमने निर्णय किया है कि दो उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी को देखते हुए वहां लगाए जायेंगे तथा एक पश्चिमी क्षेत्र में। यह मानदण्ड था।

श्री महेन्द्र सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों स्थान कौन-कौन से राज्य में हैं। क्या आपने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित किया है, और यदि हां, तो क्या ?

श्री बसन्त साठे : कवास गुजरात में है, औरैया उत्तर प्रदेश में तथा अन्टा राजस्थान में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सत्य है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस उपलब्ध हैं और यदि हां, तो क्या सरकार वहां गैस पर आधारित संयंत्र लगाने पर विचार करेंगी ?

श्री बसन्त साठे : यदि यह व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य हो तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अब तक एन० टी० पी० सी० भाप उत्पन्न करने वाले टरबाइन प्रयोग कर रहा था। अब माननीय मंत्री ने बताया है कि गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें गैस टरबाइन की सप्लाई के बारे में कोई जानकारी है और इसकी सप्लाई का स्रोत क्या होगा तथा क्या ये टरबाइन बी०एच०ई०एल० ने बनानी शुरू की हैं अथवा हमें अन्य देशों से इनका निर्यात करना पड़ेगा ?

श्री वसंत साठे : जहां तक संभव होगा हम स्वदेशी गैर टरबाइन का प्रयोग करेंगे। किंतु हम कोई वचन नहीं दे सकते। हम ऐसी टरबाइन का प्रयोग करेंगे जो श्रेष्ठ हो, आर्थिक रूप से तथा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से देश के लिए उपयुक्त हो।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अभी यहां मंत्री जी ने गैस टरबाइन परियोजनाओं के संबंध में जो जानकारी दी, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत है बिजली के मामले में, और जब आप दूसरी जगहों में 600 मेगावाट के गैस पर आधारित संयंत्र लगाने जा रहे हैं तो राजस्थान के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जहां सिर्फ 430 मेगावाट का ही संयंत्र लगाया जा रहा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजस्थान के साथ इस तरह का डिफरैन्सियेशन क्यों किया जा रहा है और इसे देखते हुए क्या राजस्थान में एक और 430 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप के साथ चार सौ बीसी तो नहीं करी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जवाब 430 मेगावाट वाली परियोजना का जिक्र कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : वसंत जी बताईये, चार सौ बीसी नहीं चलेगी।

श्री वसंत साठे : राजस्थान से भला कौन चार सौ बीसी कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जरा ध्यान रखिएगा।

श्री वसंत साठे : जहां व्यास जी और डागा जी जैसे लोग रहते हों...

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय भी वहीं रहते हैं।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी तो इम्पोर्टिड हैं

अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में यह कहा कि यह प्रोजेक्ट कोई स्टेटवाईज नहीं हैं, रीजन-वाइज हैं, और नार्दन रीजन को तो दो प्रोजेक्ट 600 और 430 यानी 1030 मैगावाट के प्रोजेक्ट लिये जा रहे हैं जिसका लाभ राजस्थान को भी मिलने वाला है। इसलिये यह नहीं कहना चाहिये कि हमारी स्टेट को 430 वाला क्यों मिला, ज्यादा वाला क्यों नहीं मिला ? वैस्टर्न रीजन को तो एक ही मिला है 600 मेगावाट का और इसको 1000 मेगावाट का मिला है। इसमें सन्तुष्ट रहना चाहिये, सब रीजन को बराबर मिलेगा।

[अनुवाद]

खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादन

*934. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग में कितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य कितना था ;

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ; और

(घ) केवल में खादी तथा ग्रामोद्योग में वार्षिक कितना उत्पादन हुआ तथा उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों में उत्पादन और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या और उपलब्धियाँ (अनंतिम) नीचे दी गई हैं :—

उत्पादन	लक्ष्य (1985-86)	उपलब्धि (अनंतिम)
1. खादी		
(क) मात्रा (मिलियन वर्ग मीटरों में)	134.11	108.00
(ख) मूल्य (करोड़ रु० में)	217.12	182.00
2. ग्रामोद्योग		
(मूल्य करोड़ रु० में	925.00	910.00
योग	2142.12	1092.00

रोजगार	लक्ष्य (लाख व्यक्ति)	उपलब्धि (अनंतिम) (लाख व्यक्ति)
1. खादी	16.00	14.00
2. ग्रामोद्योग	24.10	25.00
योग	40.10	39.00

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान केरल के खादी तथा ग्रामोद्योगों के वार्षिक उत्पादन और

इनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे :—

	उत्पादन (लाख रु० में)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1. खादी	3.55	0·29
2. ग्रामोद्योग	34.47	2.46
योग	38.02	1.75

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रम सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। इस संदर्भ में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केरल राज्य में खादी तथा ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष आबंटन किया जायेगा क्योंकि केरल हमारे देश में औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ राज्य है।

(व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग का संबंध है, हम सभी राज्य में उनकी आवश्यकतानुसार समान धनराशि दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य बोर्डों द्वारा किया जा रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : जहां तक केरल का संबंध है वहां पर हथकरघा, काजू तथा नारियल जूट, तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण परम्परागत उद्योग हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश, ये उद्योग भली प्रकार नहीं चल रहे और हजारों गरीब कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं तथा अत्यन्त गरीबी में जीवन काट रहे हैं। इस संबंध में क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि सरकार का विचार केरल राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है।

श्री एम० अरुणाचलम : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे उद्योगों का जिक्र किया है खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केरल में 22 उद्योग चला रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जूट तथा काजू जैसे परम्परागत उद्योगों को पुनः शुरू करने का कोई विचार है ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक जूट का संबंध है, जूट बोर्ड इस संबंध में काम कर रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बम्बई के खादी एवं

ग्रामोद्योग एम्पोरियम ने उद्योग मंत्री को बार-बार यह शिकायत लिख भेजी है कि छूट की काफी धनराशि का केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाना बाकी है और क्या यह सही है कि इस समस्या का कुछ हद तक ही समाधान हुआ है कि और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा हैं कि सभी समस्यायें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाई जा सकती हैं यदि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी कमीशन में अपने संगठन का एक प्रतिनिधि भेज दे। यदि ऐसा है तो क्या यह सही नहीं है कि यह शर्त औचित्यपूर्ण नहीं हैं क्योंकि पहले कभी कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई गई थी और क्या वे यह शर्त हटाकर बिना किसी शर्त बकाया राशि का भुगतान करेंगे ?

श्री एम० अरुणाचलम : हमें बकाया राशि के बारे में खबर मिली है। हमने लगभग सभी शिकायतें दूर कर दी हैं। केवल एसोसिएशन को थोड़ी सी राशि का भुगतान करना बाकी है। वह समस्या भी सुलझा ली जाएगी। हमने अपने अधिकारियों को इस मुद्दे के संबध में विचार करके रसे शीघ्र सुलझाने के लिए कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने इस बात पर जोर दिया है कि उनके संगठन की ओर से खादी आयोग का एक प्रतिनिधि हो ? क्या आप यह शर्त हटायेंगे क्योंकि अनादरपूर्ण शर्त कभी नहीं लगाई गई। आप मशविरा करके बता दें।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह आवश्यक है।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : यह मामला माननीय सदस्य द्वारा हमारी जानकारी में पहली बार लाया गया है। हम निश्चय ही इस मामले की शीघ्र जांच करेंगे। यदि ऐसे संगठनों के लिए पूरे देश में कोई ऐसी पद्धति है और खादी आयोग का बोर्ड में प्रतिनिधि है तो सम्भवतः कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा केवल इसी संगठन के लिए किया गया है तो हम इसकी जांच करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि अनेक राज्यों में कुछ बोगस और बेनामी एकक हैं और वे एक ही परिवार के विभिन्न नामों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रमाण-पत्र लेकर राज-सहायता प्राप्त कर रहे हैं ? जब अनेक स्थानों पर जांच की गई तो यह पाया गया कि एकक थे ही नहीं। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है मैंने चेयरमैन के पास आठ मामले भेजे परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे ? एक व्यक्ति पाच एकक प्राप्त करने के लिए पांच नामों का प्रयोग कर रहा है। यह एक धोखाधड़ी है जो निरन्तर की जा रही है। क्या आप इसकी जांच करेंगे तथा उचित उपाय करेंगे ताकि ऐसा न हो ? मुर्शिदाबाद में अनेक ऐसे मामले हैं जहां आप पायेंगे कि प्रत्येक 30-40 एककों में केवल 1 या 2 एकक विद्यमान हैं और एक परिवार में 10 से 20 नामों पर एकक हैं और वे काफी बड़ी राशि, राजसहायता के रूप में ले रहे हैं ? क्या आप इसे रोकेंगे ?

श्री एम० अरुणाचलम : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने इस अंसगति की ओर हमारा ध्यान दिलाया। हम निश्चय ही अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

प्रत्येक जिले के लिए दो विकास केन्द्रों के लिए प्रस्ताव

*936. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार का देश के प्रत्येक जिले में दो विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी ;

(ग) इन केन्द्रों में जो आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन विकास केन्द्रों के कार्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

"उद्योग रहित जिलों" के एक या दो चुने हुए विकास केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने एक योजना घोषित की है । इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास की लागत का एक तिहाई भाग राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक "उद्योग रहित जिले" के वास्ते 2 करोड़ रुपये रखी गई है ।

केन्द्रीय सहायता के लिए अवस्थापना की निम्नलिखित मदें स्वीकार्य होंगी—सम्पर्क सड़कें, औद्योगिक जल आपूर्ति, गृह निर्माण, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि जैसी अन्य सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं, निस्रवण, व्ययन प्रणाली, बिजली के सब-स्टेशनों, नालियों, कलवर्टों, औद्योगिक गृह निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं जैसी सामूहिक उपयोग की सुविधाएं और इसकी इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा विकास केन्द्रों में आमतौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं ।

विकास केन्द्रों का कार्य "उद्योग रहित जिलों" में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरकों की भूमिका निभाना होगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मंत्री जी का जवाब काफी उत्साहवर्धक है पर ये सभी सुविधाएं आपने उद्योग रहित जिलों को ही दी हैं । देश के अधिकांश जिले उद्योग-रहित नहीं हैं अतः यह विकास केन्द्र के कुछ सीमित भागों में सीमित होंगे तथा 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े कई जिले इन विकास केन्द्रों का इन्तजार करते रहेंगे । अतः क्या निकट भविष्य में सभी जिलों को उद्योगरहित घोषित किया जायेगा ?

मेरा क्षेत्र बिहार राज्य का पूर्णिया जिला कब तक उद्योग रहित घोषित होगा और वहां पर केन्द्र कब तक बना दिये जायेंगे तथा उसमें केन्द्रीय सहायता कितनी होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्या ने पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में जो जिज्ञासा व्यक्त की है उसका मैं बहुत आदर करता हूं लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि सभी जिले एक साथ उद्योग-विहीन घोषित करना तथ्यों एवं वास्तविकता से परे होगा क्योंकि जिन जिलों में, जिन जनपदों में पहले से ही उद्योग लगे हुए हैं, उद्योगों का जाल बिछा है, उनको भी उद्योग-विहीन घोषित करना असम्भव सा होगा। हां, वह उद्योग-विहीन जनपद घोषित हो सकते हैं जहां वास्तव में कोई बड़ा उद्योग नहीं है।

पूर्णिया जिले के बारे में माननीया सदस्या ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में हम अवश्य राज्य सरकार से परामर्श करेंगे कि वहां पर औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में क्या हो सकता है।

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मन्त्री जी को सुझाव है कि सातवीं योजना में यह विकास केन्द्र प्रत्येक जिले में बनावें ताकि क्रमिक औद्योगिक विकास की किरण सभी पिछड़े हुए इलाकों को मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : हमने राज्य सरकार से उद्योगरहित जिलों में विकास केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में कितने जिलों में इस समय विकास केन्द्र काम कर रहे हैं और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, 'उद्योग रहित जिले' में विकास केन्द्र स्थापित होने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ रुपए दे रही है। केन्द्र सरकार को 2 करोड़ रुपए देने होंगे और आई० डी० बी० आई० को भी 2 करोड़ रुपए देने होंगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। देश में इन्डस्ट्रीयल, इम्बैलेंसेसको दूर करने के लिए सरकार ने कई वर्ष पहले एक शिवरमन कमेटी नियुक्त की थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जिले को यूनिट न मान कर ब्लाक को माना जाए। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था। जवाब मिला कि शीघ्र ही नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में उस प्रश्न को स्वीकृत करा लागू कर दिया जाएगा। देश में छः प्रकार के क्षेत्र हैं, हिल एरिया, ट्राइबल एरिया, सूखा क्षेत्र, साइक्लोनिक क्षेत्र और डैजर्ट एरिया, इनके जो ब्लाक लैवल हैं, वे अत्यन्त पिछड़े हुए हैं, इनका डेवलपमेंट किया जाए। क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे, शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट को लागू करके देश में जो इम्बैलेंसेस फैल रहा है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, शिवरमन कमेटी संस्तुति के बारे में जो माननीय सदस्य को जानकारी है, वह कदाचित सत्य से परे है। शिवरमन समिति ने यह संस्तुति नहीं की थी कि जनपद को आधार मानकर या किसी ब्लाक को, विकास खंड को आधार मानकर पिछड़ापन घोषित किया जाएगा उन्होंने विकास केन्द्रों की परिकल्पना की। इतनी दूरी का आधार नियत किया कि इतनी दूरी से आगे, विकास केन्द्र, ग्रोथ-सैन्टर्स विकसित किए जायें। ऐसा करने पर अनेक राज्यों में नाममात्र के विकास केन्द्र होते कई राज्यों ने उक्त संस्तुतियों का विरोध किया। इसलिए शासन ने अंतरिम आधार पर एक अन्य योजना स्वीकृत की, जिससे तीन प्रकार के जिले जनपद वर्गीकृत हुए— एक उद्योगहीन जिले, वे जो ए-श्रेणी में आते हैं और दूसरे वे जो बी-श्रेणी में आते हैं और तीसरे वे जो सी-श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार तीन पिछड़े क्षेत्रों का आधार बनाया गया। जिससे पहली बार उन जिलों को सहायता मिलने लगी। जहां पहले केवल बैंकों के माध्यम से ऋण मिलता था, केन्द्र से कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। कई राज्य इससे अतिरिक्त रूप से लाभान्वित हुए। जहां तक विकास खण्डों को पिछड़ा घोषित करने का प्रश्न है। अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि इस पर सुमैया समिति विचार कर रही है। छः मास में प्रतिवेदन अपेक्षित है। यह आशा की जाती है कि विकास खण्ड को पिछड़ापन केन्द्र मानने के आधार पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि 'उद्योग रहित जिला' घोषित करते समय दो राज्यों के बीच बड़ा असन्तुलन रखा जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 19 जिलों में एक ही जिले को 'उद्योग रहित जिला' घोषित किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनेक जिलों को 'उद्योग रहित जिले' घोषित किया गया है। यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सरकार का क्या कार्यशाही करने का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं नम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ यह बताना चाहता हूं कि इसमें पक्षपात नहीं किया गया है। केवल इन्हीं जिलों को 'उद्योग रहित जिला' घोषित किया गया है, जो वास्तव में ही 'उद्योग रहित जिले' हैं। राज्य सरकारों ने स्वयं ही इस बारे में तथ्य और आंकड़े दिये हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही किसी जिले को 'उद्योग रहित जिला' घोषित किया गया है।

ताप-विद्युत उत्पादन के लिए धनराशि

*937. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) क्या यह धनराशि आवश्यकता से कम है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान ताप विद्युत स्कीमों से 15,999 मेगावाट क्षमता जोड़ने के लिए अमोनुदित परिव्यय लगभग 9,347 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के बाद लाभ के लिए नये कार्यों, जल विद्युत, ताप विद्युत और न्यूक्लिय के लिए 4,155 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान किया गया है। किया गया आबंटन 1984-85 के मूल्यों पर क्षमता मे वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 7वीं पंचवर्षीय योजना में और क्षमता जोड़ने के लिए निर्धारित की गई राशि, और सातवीं योजना अवधि के बाद लाभ के लिए नये कार्यों के लिए निर्धारित राशि का जिक्र किया है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या एन०टी०पी०सी० की तापीय परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि सभी नई और चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है और क्या उड़ीसा में एन० टी० पी० सी० की नई तापीय परियोजना के लिए पर्याप्त धन दिया गया है, ताकि काम तेजी से शुरू किया जा सके।

श्री वसंत साठे : जी हां।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे अनूपूरक प्रश्न का उत्तर हां में दिया है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि कितना पैसा दिया गया है और क्या तापीय परियोजना को तलचर में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसे विश्व बैंक से सहायता मिल सके? यदि ऐसा है तो ऐसा कब तक किया जायेगा और उसका निर्माण कार्य क्रम क्या है तथा इसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

श्री वसंत साठे : इस बारे में पता लगाया जा रहा है और परियोजना कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू की जाएगी।

श्रीमती जयंती पटनायक : महोदय, यह अस्पष्ट उत्तर है।

श्री वसंत साठे : आपकी रुचि परियोजनाओं में है या उनके ब्यौरे जानने में?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दामोदर पांडे।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कुछ भी प्लान बना है, वह सब टार्गेट पूरा हो जाने के बावजूद देश में 10 हजार मेगावाट बिजली की क्षमता की कमी होगी। यह जानते हुए कि 10 हजार मेगावाट की कमी होगी, आप किस तरह का बिजली उत्पादन का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उस में शोर्टफाल रहता है। आसानी से बिजली पैदा हो सके, इसके लिए कौन सा माध्यम आप चुनना चाहते हैं और प्लान एलोकेशन के ऊपर आप किस तरह से साधन जुटा कर इस कमी को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।

श्री बसंत साठे : यह बात सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो हमारी योजना है, उसके मुताबिक करीबन 10 हजार मेगावाट की इंस्टाल्ड कैपिसिटी का पैप रहेगा। हमें जो साधन उपलब्ध हुए हैं जैसे नार्थ करनपुरा है, वहां हमने देखा है कि कोयला प्रचुर मात्रा में है और कोशिश हो रही है कि पानी उपलब्ध हो। यदि सारी बातें जम जाएं और साधन भी मुहय्या हो जाएं क्योंकि सबसे असली बात तो वही है, रिसोर्सेज यदि पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं देश के अन्दर या बाहर से भी, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रकल्प लगाने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़े सहज भाव से बताया है कि संसाधन परियोजनाओं के अनुपात में है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि किन संसाधनों की जरूरत है और वे कहां से आयेंगे, इसमें से केन्द्रीय सरकार कितने के लिए धन देने जा रही है और राज्यों से कितना धन मिल रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कई मामलों में राज्यों को संसाधन नहीं मिल पाते जिसके परिणामस्वरूप तापीय विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य पिछड़ जाता है। पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा हुआ है। क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कितने संसाधन देश में हैं, कितना केन्द्र से मिल रहा है और कितना राज्यों से तथा विदेशों से कितना आ रहा है। इस संदर्भ में, उस तापीय विद्युत केन्द्र की क्या स्थिति है जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विदेशों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से एक प्रस्ताव सोवियत रूस से मिला है ?

श्री बसंत साठे : क्या माननीय सदस्य की रुचि प्रश्न के अन्तिम भाग में अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वही मूल प्रश्न है।

श्री बसंत साठे : क्या वह प्रश्न के पहले भाग का उत्तर जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप उसका उत्तर सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री बसंत साठे : हमारे पास उत्पादन के ब्यौरे आदि हैं जो समय-समय पर दिए गए हैं तथा ये रिपोर्ट में दिए गए हैं। लेकिन जहां तक बकेश्वर परियोजना का संबंध है, इस बारे में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन देशों के क्या नाम हैं ?

श्री बसंत साठे : वह हम नहीं बता सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपकी रुचि संयंत्र के बारे में जानने की है या देश का नाम जानने की ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : दोनों में।

श्री शरत देव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने 7वीं योजना के दौरान उड़ीसा में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र की स्वीकृति दे दी है। यदि हां, तो मैं

जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक की सहायता के लिए भेज दिया गया है। केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी धनराशि दी है और उन्हें विश्व बैंक से कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है और कब तक ?

श्री बसंत साठे : जहां तक तलचर परियोजना का संबंध है, इसे स्वीकृति मिल चुकी है और इस परियोजना के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में 457 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसके लिए विश्व बैंक से धनराशि लेने की पेशकश की जा रही है और हम विश्व बैंक के इस निर्णय का इन्तजार कर रहे हैं कि वह हमें कितनी धनराशि देगा।

समूचे पंजाब को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का सुझाव

*938. **श्री मेवा सिंह गिल :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि समूचे पंजाब को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पंजाब में अधिक उद्योगों की स्थापना करने से राज्य में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) : जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य में उद्योगों का विकास करना मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयास में योगदान देती है।

2. पंजाब के सभी जिलों में स्थापित एकक इस समय साथ-साथ चल रही राज्य और केन्द्रीय प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख तक की राजसहायता का लाभ उठा रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, 1 अप्रैल, 1983 से सरकार ने पंजाब के निम्नलिखित जिलों को केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ग "ख" और वर्ग "ग" में रखा गया है :—

वर्ग "ख"—15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के पात्र होशियारपुर, भटिण्डा और संगरूर।

वर्ग "ग" — 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रु० (एम० आर० टी० पी०/फैरा कम्पनियों को छोड़कर) की केन्द्रीय राजसहायता के पात्र फिरोजपुर और गुरदासपुर।

3. अमृतसर जिले में उपद्रव हो जाने के कारण उद्योगों पर बड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 1-4-19 .5 से यह निर्णय लिया गया है कि फिरोजपुर और गुरदासपुर जिलों को उपलब्ध विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन अमृतसर में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को भी एक विशेष मामले के रूप में उपलब्ध होगी। इन रियायतों, प्रोत्साहन आदि को 31-3-1987 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार वर्ग "ग" के जिलों और अमृतसर जिले के लिए 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 लाख रुपये और अन्य जिलों के लिए 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1: लाख रुपये की अतिरिक्त राजसहायता दे रही है।

4. पंजाब को निम्नलिखित संख्या में आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण
1983	45(18)	169(11)	95(51)
1984	44(17)	94(15)	62(25)
1985	57(14)	72(15)	68(25)
1986 (जन० फर०)	6(3)	9(2)	उपलब्ध नहीं

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं)

सरकार, आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों आदि की स्वीकृति में पंजाब राज्य को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं और राज्य को अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है।

5. शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 12,000 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में 12,212 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1985-86 का लक्ष्य बढ़ाकर 15,000 व्यक्ति कर दिया गया।

6. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए प्रोत्साहनों की विद्यमान योजना की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

श्री मेवा सिंह गिल : यह सब जानते हैं कि पंजाब में पिछले 3-4 वर्षों से अशान्ति के कारण, उद्योगों पर काफी बुरा असर पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां हुए

नुकसान की पूर्ति के लिए पूरे पंजाब को श्रेणी 'क' तथा 'ख' में रखकर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य घोषित करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : इस समय पूरे पंजाब को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना सम्भव नहीं है। हमें गर्व है कि पंजाब में अशांति के बावजूद लघु क्षेत्र तथा भारी उद्योग दोनों में उत्पादन में वृद्धि हुई है । तथापि, अमृतसर जिले को पिछड़ा जिला श्रेणी 'ग' में रखा गया है। राज्य सरकार अमृतसर जिले को 5 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता भी दे रही है। होशियारपुर, भटिंडा और संगरूर जिले पहले से ही 'श्रेणी ख' जिले होने के नाते केन्द्र से 15 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। फिरोजपुर और गुरदासपुर श्रेणी 'ग' जिले होने से 10 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इन परिस्थितियों में जो कुछ किया जा सकता है, वह किया जा रहा है। विशेष प्रबन्ध के अन्तर्गत पंजाब को कुछ परियोजनाएं भी दी गई हैं जैसे कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना की स्थापना, नार्थ जोन सेन्टर और अन्य परियोजनाओं की स्थापना।

— - ——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उड़ीसा में बच्चों को बेचा जाना

*935. **श्री कुंवर राम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा में कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा बच्चों को बेचे जाने और श्रमिकों तथा छोटे किसानों के शोषण संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए एक दो-सदस्यीय आयोग गठित किया था ;

(ख) क्या इस आयोग का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) उच्चतम न्यायालय ने, उसके समक्ष फाइल की गई एक रिट याचिका में 5 दिसम्बर, 1985 के अपने आदेश से, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से संबंधित आरोपों की जांच करने के लिए एक दो-सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। किंतु उच्चतम न्यायालय ने 28 जनवरी, 1986 के अपने पश्चात्वर्ती रोक आदेश से उक्त आदेश का क्रियान्वयन रोक दिया था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत बोकारो और करगली खानें

*939 .श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत बोकारो और करगली खानों में संकट की स्थिति है और इन खुली कोयला खानों में केवल कुछ ही महीनों तक खनन कार्य चलते रहने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन खानों के कर्मचारियों और मजदूरों को इससे कुप्रभावित होने से बचाने और उन्हें किन्हीं अन्य परियोजनाओं में रोजगार देने के उपाय करने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या इन खानों में खनन कार्य जारी रखने की योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और प्रारंभ में उस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 1982 में जरांग डीह-फुसरो रेलवे लाइन के दिशा-परिवर्तन कार्य पर रु० 15.93 करोड़ के निवेश से अनुमोदन कर दिया था। वर्ष 1987-88 में इस योजना के पूर्ण हो जाने पर, बोकारो ओपेनकास्ट खान का जीवनकाल बढ़ जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव का भी मूल्यांकन किया जा रहा है जो इस क्षेत्र में अधिक कोयला भंडार उपलब्ध कराने के लिए दामोदर नदी की धारा मोड़ने के बारे में है।

[अनुवाद]

मारुति कारों का निर्यात

*940. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार मारुति कारों का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं, जिनको उन कारों का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड मारुति कारों के निर्यात के लिए कुछ पूर्वी यूरोपीय तथा पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इस सम्बन्ध में कोई आंन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की निर्बाध सप्लाई

*941, श्री पी०आर० कुमारमंगलम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेष कर बिहार और उत्तर प्रदेश, में गर्मी के महीनों में बिजली

का संकट उत्पन्न होने की संभावना है, और यदि हां, तो इन राज्यों को बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है ; और

(ग) क्या इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए चालू संयंत्रों (प्लांट लोड फैक्टर) के बिजली उत्पादन कार्य में सुधार होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में आगामी महीनों में भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी हो सकती है। विद्युत की कमी को घटाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं ; निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना, चालू की गई नई यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करना, मौजूदा क्षमता का बेहतर समुपयोजन, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, पड़ौसी प्रणालियों से सहायता प्रदान करना और ऊर्जा संरक्षण और मांग को व्यवस्थित करने के उपाय करना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। सुधार कार्यों से स्थिति में कुछ हद तक सुधार होगा।

खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिलेंडर देने की सुविधा बहाल करना

*942. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिलेण्डर देने की सुविधा वापस ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रयोक्ताओं को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर खाली सिलेण्डरों के स्थान पर भरे हुए सिलेण्डर प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए उन्हें 15 से 20 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिण्लेडर देने की सुविधा को बहाल करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। संभावित सर्दियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने तथा देश के कुछ भागों में सप्लाई में बैकलाग उत्पन्न होने के कारण अक्टूबर, 1985 से दूसरा एल०पी०जी० सिलिंडर जारी करना अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया।

(ग) कभी-कभी कार्यचालन और परिवहन समस्याओं, मांग में मौसमी वृद्धि, नागरिक

उपद्रवों आदि जैसे कारणों से कुछ स्थानों पर एल०पी०जी० रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग उत्पन्न हो जाता है।

(घ) इसे कई स्थानों पर पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

पटना में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र

*943. **श्री सी०पी० ठाकुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना टेलीफोन केन्द्र को सुधारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) पटना में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पटना टेलीफोन प्रणाली की सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं। फिर भी सेवा में सुधार की हमेशा गुंजाइस रहती है। इसमें और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) जिन एक्सचेंज उपस्करों का कार्य काल समाप्त हो चुका है उन्हें उत्तरोत्तर बदलना।

(ii) रुटीन अनुरक्षण सख्त बनाया जा रहा है तथा कार्य निष्पादन में सुधार की दृष्टि से प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है।

(iii) केबिलों में जल प्रवेश रोकने के लिए जेलीभरे केबिलों का उत्तरोत्तर इस्तेमाल।

(iv) ओपन वायर एलाइन्मेंट के बदले ड्राप वायरों का प्रयोग।

(ख) यदि 200,000 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर का आयात पूरा हो जाएगा तो सातवीं योजना के अंत तक 10,000 लाइनों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की व्यवस्था कर दी जाएगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा "स्टीम टरबाइन्स" और "जेनरेटिंग ट्रान्सफार्मर्स" की सप्लाई

*954. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि और वर्ष 1985-86 दौरान के भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा देश में विभिन्न ताप और परमाणु बिजलीघरों को कुल कितने "स्टीम टरबाइन" और "जेनरेटिंग ट्रांसफार्मर" सप्लाई किये गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है घटिया किस्म के होने के कारण और निर्माण सम्बन्धी दोषों के कारण इनमें से कुछ उपकरण इन विद्युत एककों के चालू होने की प्रायमिक अवस्था में ही खराब हो गये थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इन बिजली-घरों के

अधिकारयों ने इस सम्बन्ध में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अपनी शिकायतें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और 1985-86 में बी०एच०ई०एल०, भोपाल ने 9 स्टीम टरबाइनों और 49 जेनरेटर ट्रांसफार्मरों का सम्भरण किया । ब्यौरा नीचे दिए जाते हैं :—

स्टीम टरबाइनें

परियोजना	संख्या और क्षमता
भिलाई	2x30 मे०वा०
सिक्का-1	1x120 मे०वा०
कोटा-3	1x210 मे०वा०
अनपाड़ा 1 2 तथा 3	3x210 मे०वा०
नरोरा 1 2 (न्यूक्लीअर)	2x236 मे०वा०

जेनरेटर ट्रांसफार्मर

ग्राहक	संख्या/कुल एम०वी०ए०
एन०टी०पी०सी०	13/2890
नेवली लिग्नाइट	3/750
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	1/125
उ०प्र० राज्य विद्युत निगम	1/250
राज्य बिजली बोर्ड	31/3885

2. यद्यपि ऊपर उल्लिखित कोई भी उपकरण खराब नहीं हुआ है लेकिन कुछ समस्याओं का पता चला था । ऊपर उल्लिखित 9 टरबाइनों में केवल भिलाई में दो टरबाइनों और अनपाड़ा में एक टरबाइन को चालू किया गया है ; अन्य टरबाइनों को अभी चालू किया जाना है । भिलाई में अन्तरात्मक विस्तार की समस्या देखी गई थी जो शुरू करने के समय और आवृत्ति के कारण थी। वाटर सीलिंग के स्थान पर ग्लैंड स्टीम सीलिंग को शुरू करके इसे हल किया गया था । आयातित मुख्य तेल पम्प के गियरों के संतोषजनक रूप से काम न करने की समस्या भी गियरों को बदल कर ठीक किया गया था ।

लघु क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय साम्य इक्विटी निधि

945 **श्री कृष्ण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र लिए एक राष्ट्रीय साम्य (ईक्विटी) निधि बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि का ब्यौरा तथा प्रयोजन क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार प्रस्ताव के सभी पहलू, सरकार के विचाराधीन हैं, जिनमें संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वैकल्पिक उपाय शामिल हैं।

पांचवर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम समाप्त करना

*946. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद ने एक संकल्प पारित करके जून, 1987 से पांचवर्षीय पूर्णकालीन विधि स्नातक पाठ्यक्रम समाप्त करने और पहले की तरह ही तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद की उक्त मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विनिश्चय किया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने इस आशय का संकल्प 10-11-1984 को पारित किया है कि विद्यमान तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसमें प्रातः कालीन और सायंकालीन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, के बिना भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रस्तावित पांचवर्षीय पाठ्यक्रम चलाना, विद्यार्थियों के हितसाधन कोई विधि-शिक्षा के प्रयोजन के लिए अहितकर है।

(ख) और (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय अभी तक निश्चित नहीं की है।

न्यायाधीशों के लिए समान वेतनमान

*947. **श्री सुरेश कुरुप** :
श्री जनक राज गुप्त :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को समान वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी संगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि समस्त देश में सभी राज्यों में समान पंक्ति या प्रवर्ग के न्यायिक अधिकारियों के समान वेतनमान, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें जिनके अंतर्गत ज्येष्ठता के नियम भी हैं, होने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियां और सेवा-शर्तों में सुधार करना प्रधानतः उनका कार्य है।

बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि

*948. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : सातवीं योजना अवधि के लिए बिहार राज्य से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग ने बिहार सरकार के लिए 181.71 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत 11.00 करोड़ रुपए, ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था से 77.23 करोड़ रुपये तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 93.48 करोड़ रुपये शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र का विद्युतीकरण करना, विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास करने, पारेषण और वितरण तथा ग्राम विद्युतीकरण आदि के लिए 1056 करोड़ रुपये के सातवीं योजना के समग्र आबंटन में शामिल है।

[अनुवाद]

मोटापा कम करने के लिए "हैल्थ' संबंधी सामग्री को बढ़ावा

8902. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उपभोक्ता संगठनों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि मोटापा कम करने के लिए बनाई गई कुछ "हैल्थ" सामग्री जैसे वेस्ट रैप, वाइब्रेटिंग बैल्ट और साउना सूट केवल धोखा मात्र है ;

(ख) क्या तुरन्त मोटापा कम करने के दावों को सही ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े हैं ; और

(ग) क्या इन सामग्रियों के इस्तेमाल से होने वाली हानि जैसे शरीर में निर्जलीकरण और गर्मी से बीमारी होने के प्रमाण मिले हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) मैं० बोडी रैप कम्पनी, बम्बई से दिनांक 10-9-1985 को टाइम्स आफ इंडिया (बम्बई संस्करण) में

वजन कम करने/मोटापा कम करने के संबंध में एक विज्ञापन जारी किया था। इस मामले में किसी भी उपभोक्ता संगठन ने, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायत नहीं की है। तथापि, व्यक्तिगत रूप से एक शिकायत दर्ज की गई थी। मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के विचाराधीन है।

कोल इंडिया लि० में कोयला उत्पादन में गिरावट

8904. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० में अप्रैल-दिसम्बर, 1984 की अवधि में हुये कोयले के उत्पादन की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान 2,00,000 टन से भी अधिक कोयला उत्पादन में गिरावट आई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कम्पनी के स्टाक रजिस्टरों में कोयले के भारी भंडार जमा दिखाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1985 को कोयले के भंडारों की वास्तविक स्थिति क्या थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 में कोयले का उत्पादन 89.13 मि० टन रहा जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1984 में यह 89.56 मि० टन था। यह उत्पादन कम होने का कारण यह था कि कोल इंडिया लि० का उत्पादन लक्ष्य 4 मि० टन कम कर दिया गया था और विशाल खान मुहाना स्टाकों के कारण उत्पादन का युक्तिकरण कर दिया गया था। प्रारम्भ में अधिक अनुपस्थिति की अत्यधिक प्रवृत्ति और बिजली सप्लाई में रुकावटों के कारण भी उत्पादन में कमी रही।

(ख) और (ग) दिनांक 31-12-1985 को कोल इंडिया लि० में कोयले का स्टाक 20.10 मि० टन था।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयला निकालने के लिए ठेका प्रणाली

8905. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के निरसा और कापासरा क्षेत्रों में बदयना, कापासरा, लखीमपुर और अन्य कोयला खानों में कोयला निकालने के लिए श्रमिकों और मशीनों सहित ठेकेदारों को लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1985 में कितना कोयला निकाला गया और ठेकेदारों को लगाया गया है ;

(ग) क्या कोयला निकालने के लिए ठेका प्रणाली समाप्त कर दी गई है और यह निषिद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयला निकालने के लिए ठेका प्रणाली अपनाने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कुछ खानों में अलग-अलग स्थित भंडारों में कार्य के लिए ठेकेदारों से किराये पर केवल भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनें ली जाती हैं, लेकिन ऊपरी मलबा और कोयला हटाने का वास्तविक कार्य कम्पनी के अपने श्रमिक ही करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ठेकेदारों द्वारा कोयले का खनन निषिद्ध कार्य श्रेणी में आता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गिरिडिह बिहार में बोकारों तथा चन्द्रपुरा ताप बिजल घरों का निर्माण कार्य पूरा होना

8906. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गिरिडिह जिले में बोकारों तथा चन्द्रपुरा ताप बिजली घरों ने काम करना आरम्भ कर दिया है और बोकारो ताप बिजली "ख" संयंत्र तथा तेनुघाट ताप बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम के बोकारो और चंद्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र क्रमशः 1953 और 1964 से प्रचालनाधीन हैं। दामोदर घाटी निगम के बोकारो "ख" ताप विद्युत संयंत्र (3×210 मेगावाट) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के यूनिट-1 को 24-3-86 को समकालित किया गया है। अद्यतन सूचनाओं के अनुसार यूनिट 2 और 3 को क्रमशः सितम्बर, 1987 और जनवरी, 1988 में पूरा करने का कार्यक्रम है। जहां तक तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र (2×210 मेगावाट) का संबंध है टर्न-की आधार पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और बिहार राज्य बिजली बोर्ड के बीच जनवरी, 1986 में एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अद्यतन अनुमान के अनुसार दो यूनिटों का क्रमशः 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए निविदा

8907. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेवेली

लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिये निविदा के बारे में 1 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4541 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस गैर-सरकारी भारतीय कम्पनी और उसकी विदेशी सहयोगी कम्पनी का नाम और ब्यौरा क्या है जिसे कन्वेयरों के लिये एक लघु आशय-पत्र जारी किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : भारतीय और गैर-भारतीय मूल के 2400 मि० मी० के 13.4 किलोमीटर कन्वेयरों और 2000 मि० मी० के 5 किलोमीटर कन्वेयरों के डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण और उसकी सप्लाई के लिए मे० एलेकान इन्जीनियरिंग कं०लि०, गुजरात को लघु आशय-पत्र जारी किया गया था। इस कम्पनी का पश्चिम जर्मनी के पी० एच० बी० वेजरहुट के साथ सहयोग-समझौता है।

सोडा ऐश का वितरण

8908. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ तथा अन्य लोगों से सोडा ऐश के प्राप्त करने के हकदार लोगों को सोडा ऐश के वितरण में अनियमिताएं किए जाने के संबंध में रासायनिक औद्योगिक यूनिट के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आल इण्डिया सिलिकेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार को सूचित किया था कि मैसर्स कैमिकल्स ने सोडा ऐश के आबंटन में पक्षपात दर्शाया है। तथापि, सम्बन्धित कम्पनी के अनुसार, निर्दिष्ट की गई विसंगतियां सोडा ऐश के वितरण के लिए जुलाई, 1985 में सरकार द्वारा जारी किये गये विस्तृत मार्गदर्शनों से पूर्व की अवधियों से संबंधित थी। इस स्थिति से उक्त एसोसिएशन को अवगत करा दिया गया है।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माताओं को टेंडर आमंत्रित किए बिना क्रयादेश का दिया जाना

8909. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के लिये खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माताओं को टेंडर आमंत्रित किए बिना क्रयादेश दिये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार क्रयादेश देने से सरकार को 1,50,000 रुपये की हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : क I) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

विभागेतर डाकघरों और शाखा डाकघरों को वापस न किया जाने वाला अंशदान जमा करने के लिए जारी किए गए नोटिस

8910. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्यमान कुछ डाकघरों/शाखा डाकघरों की वापसी न किये जाने वाले अंशदान निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा के बारे में नोटिस दिये गये हैं अन्यथा इसमें विभागेतर डाकघरों/शाखा डाकघरों को बन्द किये जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, के सर्किल वार आंकड़े क्या हैं और ऐसे डाकघरों द्वारा वापस न किए जाने वाला अंशदान कितनी धनराशि जमा कराई जानी है ;

(ग) क्या विभागेतर डाकघरों/शाखा डाकघरों को स्वीकृति करने के मानदण्ड अगस्त, 1978 में बदले गए थे और नये मानदंड लागू होने से पूर्व विभागेतर डाकघर/शाखा खोलने के लिए ऐसे कोई मानदंड नहीं थे, जिनके अन्तर्गत वापस न किये जाने वाले अंशदान की राशि का भुगतान करने की शर्त हो ;

(घ) यदि हां, तो क्या वापस न किये जाने वाले अंशदान की राशि जमा करने वाले ऐसे विभागेतर डाकघर/शाखा डाकघर अगस्त, 1978 के बाद स्वीकृत किये गये थे, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सर्किलवार उनमें से ऐसे कितने डाकघर अगस्त, 1978 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह सही है कि एन० आर० सी० आधार पर खोले गए डाकघरों के सम्बन्ध में गैरवापसी अंशदान की वसूली के लिए कुछ डाक सर्किलों को नोटिस जारी किए गए हैं। वैसे, ऐसे नोटिसों में अनिवार्य रूप से यह संकेत नहीं दिया जाता कि संबंधित डाकघरों को बद किया जाना है। नोटिस की शर्तें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

(ख) सर्किल-वार स्थिति संलग्न विवरण I में दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम सर्किल की जानकारी शामिल नहीं है। इन सर्किलों की जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए अगस्त, 1978 में नए मानदण्ड बनाए गए थे। वैसे, एन०आर०सी० आधार पर डाकघर खोलने की व्यवस्था पहले भी थी।

(घ) 1978 से पूर्व और उसके बाद भी एन०आर० सी० आधार पर डाकघर खोले गए हैं। वैसे, अधिकांश मामले 1978 से पहले की अवधि के हैं क्योंकि 1978 में नियमों में संशोधन किया

गया था जिनके अनुसार एन० आर० सी० आधार पर शाखा डाकघर केवल सामान्य हित के मामलों में ही खोले जा सकते हैं और वह भी राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा एन० आर० सी० का भुगतान करने पर खोले जा सकते हैं।

(ङ) अगस्त, 1978 से पहले खोले गए एन० आर० सी० डाकघरों की सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम सर्किलों की जानकारी शामिल नहीं है जो एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

एन०आर०सी० जमा करने के लिए जिन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं०	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की सं० जिन्हें एन० आर० सी० राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है	एन०आर०सी० की राशि
1.	आन्ध्र	38	27187.00
2.	बिहार	--	—
3.	दिल्ली	1	2434.04
4.	गुजरात	35	21438.14
5.	जम्मू और काश्मीर	429	496762.46
6.	केरल	—	—
7.	कर्नाटक	12	44229.64
8.	महाराष्ट्र	395	700468.00
9.	उड़ीसा	20	15591.44
10.	उत्तरपूर्वी	15	17880.55
11.	मद्रास	1	2952.12
12.	उत्तर प्रदेश	9	72105.51
13.	पश्चिम	14	11276.00
14.	राजस्थान	—	—

विवरण-II

अगस्त, 1978 से पहले खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या जिन्हें एन० आर० सी० जमा कराने के लिए नोटिस दिए गए थे

क्रम सं०	सर्किल का नाम	अगस्त, 1978 से पहले खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	बिहार	—
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	35
5.	जम्मू और काश्मीर	128
9.	केरल	—
7.	कर्नाटक	12
8.	उड़ीसा	20
9.	उत्तर-पूर्व	15
10.	मद्रास	1
11.	उत्तरप्रदेश	8
12.	पश्चिम बंगाल	14
13.	राजस्थान	—

आन्ध्र प्रदेश में कागज अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

8911. श्री एस० पलाकोंड्रायडु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज उद्योग में पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में कागज अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह राज्य कागज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और संस्थान स्थापित करने के लिए किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सेन्ट्रल पल्प एन्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून नाम का एक संस्थान लुगदी और कागज उद्योग के संबंध में अनुसंधान और विकास का कार्य पहले से ही कर रहा है। चूंकि यह संस्थान समूचे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया है अतः इस समय किसी अन्य राज्य/संघ क्षेत्र में इसी प्रकार दूसरा संस्थान स्थापित करने का कोई विचार नही हैं।

आन्ध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा-सूची

8912. **श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक दक्षिणी राज्य में 1 जनवरी, 1986 को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए कितने आवश्यक प्रतीक्षा सूची में थे ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के लिए बहुत समय से लंबित प्रतीक्षा सूची को कम/समाप्त करने हेतु वहां खाना पकाने की गैस के कनेकशन देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दक्षिण राज्यों में 1-1-1986 को एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	1,91,461
कर्नाटक	21,281
केरल	10,618
तमिलनाडु	32,158
पांडिचेरी	—

(ख) आन्ध्र प्रदेश सहित देश में नये एल० पी० जी के कनेक्शनों की रीलीज तेल उद्योग के वार्षिक पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है और इसका निर्धारित एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि, बाटलिंग क्षमता, परिवहन प्रबन्ध और अन्य इनफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में जो व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं उन्हें 1986-87 के दौरान नये कनक्शन रीलीज किए जाते रहेंगे।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० में दुर्घटना की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट

8913. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
डा० वी० वेंकटेश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि अक्टूबर, 1984 में नेवेली

लिग्नाइट कारपोरेशन लि० में हुई भयंकर दुर्घटना के दो संभावित कारणों अर्थात "मानवीय भूल" और "मशीनों की खराबी" में से किसके कारण यह दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति कब गठित की गई थी इसके निर्देश पद क्या थे और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सप्लाई किए गए "बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स" में कमियों को दुर्घटना का कारण मानने का निश्चित आधार था ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या उपयुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जागगी ; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क), (ख), (घ) और (ङ) अक्टूबर, 1974 में नेवेली में एक "बकेट व्हील एक्सकेवेटर दुर्घटना की जांच खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधिकारियों की एक समिति ने स्वतंत्र रूप से अलग-अलग की थी। सभी जांच रिपोर्टों से यह पता चला था कि दुर्घटना का कारण यह मानवीय भूल ही थी। एक्सकेवेटर के एक ग्रस्ट प्लेट पर से वेल्ड हटाते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी। मशीन की खराबी के संबंध में ऐसा लगता है कि मशीन की संरचनात्मक डिजाइन में कोई खराबी नहीं थी।

(ग), (च) और (छ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की समिति के अधिकारियों के नाम और समिति के जांच विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 1984 में प्रस्तुत की थी।

भविष्य में इस प्रकार के उपकरणों की खरीद के संविदाओं में ऐसे सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया जाएगा कि इन उपकरणों के डिजाइन की जांच की जाए तथा किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा इनका निरीक्षण किया जाए।

खान सुरक्षा महानिदेशालय ने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पांच अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया है और चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए जांच रिपोट की प्रतियां सभा-पटल पर नहीं रखी जा रही हैं।

विवरण

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन समिति के अधिकारियों के नाम :

1. श्री ए०के० सुब्रह्मणियन, निदेशक/खान
2. श्री एम०एस० मणि, महा प्रबंधक/खान II

3. श्री बी०आर० देसिकाचारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी

4. श्री के० षण्मुगावल, परामर्शदाता/औद्योगिक संबंध

समिति के विचार-विषय :

(क) दुर्घटना के कारणों और तथ्यों (मानवीय भूल सहित यदि कोई हो) की विस्तृत जांच करना और रिपोर्ट देना ।

(ख) क्षति की मात्रा की रिपोर्ट देना ।

(ग) मशीन को चालू करने में अपेक्षित समय और खर्च का अनुमान लगाना ।

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के सुरक्षात्मक उपायों का सुझाव देना ।

खनिज तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात

8914. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कुल कितना तथा पेट्रोलियम उत्पाद (अलग-अलग) का आयात किए जाने की आशा है ;

(ख) इन उत्पादों का मूल्य कितना होगा ;

(ग) क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्धारित मूल्य पर आयात के संबंध में विगत में कोई वायदा किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) तेल के मूल्यों में हाल ही में आई भारी गिरावट से भारत को किस हद तक लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1986-87 के दौरान 15.6 मिलियन टन क्रूड आयल और 3.7 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करने का अनुमान है ।

(ख) चूंकि तेल बाजार अभी भी अस्थिर है अतः इस स्थिति में पूरे वर्ष के लिए इन आयातों के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) गिरती हुई कीमतों का पूरा लाभ उठाया जा रहा है । अप्रैल से दिसम्बर, 198 5

की औसत लागत की तुलना में जनवरी से मार्च, 1986 के दौरान देश में खरीदे गए क्रूड तेलों की लागत करीब 230 करोड़ रु० कम आने का अनुमान है।

कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन लक्ष्य

8915. **श्री टी० दास मॉड** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना 1986-87 के दौरान कोयला उद्योग में कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है ;

(ख) 1986-87 के दौरान कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या कोयले की वितरण नीति में कोई सुधार किया जा रहा है, ताकि उन छोटे उपभोक्ताओं, जिन्हें वैगनों के आवंटन में प्राथमिकता नहीं मिल रही है की मांग/आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1986-87 के लिए कोयला क्षेत्र का योजना परिव्यय रु० 1350 करोड़ निश्चित किया गया है। प्रस्तावित निवेश का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		(रु० करोड़ में)
कोल इंडिया लि०	—	रु० 972.01
सिं० को० कं० लि०	—	रु० 105.59
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	—	रु० 265.40
अनुसंधान और विकास	—	रु० 7.00
	जोड़ :	रु० 1350.00

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए उत्पादन लक्ष्य :

		(मिलियन टनों में)
कोयला	—	166.8 मि० ट०
लिग्नाइट	—	7.4 मि० ट०

उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रस्ताव है। इनमें यह बातें शामिल हैं : आधारभूत सुविधाओं में सुधार, वर्तमान खानों का पुनर्गठन, नई खानें खोलना, जन-शक्ति की उत्पादकता में एवं मशीनों के उपयोग में सुधार, कोयला खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना।

(ग) छोटे उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मेसर्स कोल इंडिया लि० ने अपनी नीति को उदार बनाकर निर्दिष्ट कोलियरियों से 7 मिलियन टन कोयला बेचने का निश्चय किया है। इस नीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कोलियरियों से "पहले आओ-पहले पाओ" आधार पर एक बार में 500 मीट्रिक टन तक कोयला बिना किन्हीं कागजों के और किसी अभिकरण से प्रायोजन कराए बिना प्राप्त कर सकता है। परन्तु उपभोक्ताओं को सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन हेतु अपना स्वयं का प्रबन्ध करना होगा।

केरल में लघु औद्योगिक एककों में उत्पादन बन्द होना

8916. **डा० के० जी० अडियोडी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अधिकांश "लघु औद्योगिक एककों" में पिछले कई वर्षों विभिन्न कारणों से उत्पादन बन्द होने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या इन एककों को फिर से चालू करने के लिये सरकार का लघु उद्योगों का मूल्यांकन करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल राज्य सरकार को राज्य में मिनी औद्योगिक बस्तियों में स्थापित एककों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने मिनी औद्योगिक बस्तियों की समस्याओं का अध्ययन करने और उपचारात्मक अभ्युपायों का सुझाव देने के लिए राज्य के आयुक्त और सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड में अकुशल कार्मिकों को हटाया जाना

8917. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सात कंपनियों में अकुशल कार्मिकों को हटाने हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० में अधिकारियों की सेवा की आम शर्तों में अनुशासनिक आधार के अलावा भी नियुक्ति को तीन माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस के स्थान पर तीन महा का वेतन देकर समाप्त करने की व्यवस्था है। इस प्रावधान के अधीन कार्य दक्षता के आधार पर यदि किन्ही मामलों में कार्रवाई की गई है तो उनकी संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षित और अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम

8918. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार परिसीमन करने का विचार है कि आरक्षित और अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर उन निर्वाचन-क्षेत्रों के मामले में जो अधिक दशकों से आरक्षित हैं, परस्पर चक्रानुक्रम में आरक्षित और अनारक्षित रहें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग की निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन और किसी जिले या राज्य की किसी अन्य उपयुक्त प्रशासनिक इकाई के भीतर आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रमित किए जाने संबंधी सिफारिश, जिससे कि कोई स्थान कुछ अनुबंधित वर्षों से अधिक के लिए आरक्षित न रहे, विचाराधीन है। यह बताना संभव नहीं है कि इस बारे में अन्तिम विनिश्चय कब तक कर दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

8919. **श्री बैजावाड़ा पापी रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1983 से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कितने न्यायालय स्थापित किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय सरकार ने, आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 249.49 लाख रुपए के सहायता अनुदान से वर्ष 1985-86 के दौरान 46 न्यायालय-भवनों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1982-83 से 1984-85 तक 11 जिला न्यायालयों, 22 अधीनस्थ न्यायालयों, 42 मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालयों और 37 विशेष द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट-न्यायायों की स्थापना की गई है।

गुजरात में सूरत के निकट भाटपुर में एल० पी० जी० परियोजना

8920. **श्री सी० सम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत के निकट भाटपुर में प्रस्तावित एल० पी० जी० परियोजना स्थापित करने में विलंब होने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या भारत तेल निगम ने जिसने इस प्रयोजना के लिए गुजरात से 90 एकड़ भूमि खरीदी है, उस पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले भूमिहीन मजदूरों को हटा दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने उन भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सूरत के समीप हजीरा (भातपोर) में एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट के कार्यक्रम के अनुसार मार्च 1988 तक चालू किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) करीब 2 एकड़ भूमि (कुल करीब 92 एकड़ के क्षेत्र में से) अभी भी हालपाथी परिवार के पास है ।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य सरकार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए चुने हुए वैकल्पिक स्थल का विकास करने में लगी हुई है ।

मितसुबीशी पावर टिल्लर

8921. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उद्योग केन्द्र मितसुबीशी पावर टिल्लरों की खरीद के लिए आवेदनों पर सिफारिश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पावर टिल्लरों के कार्यकरण के बारे में गंभीर शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संश्लिष्ट धागे सिन्थेटिक फाइबर का उत्पादन

8922. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संश्लिष्ट धागे की उत्पादन क्षमता छः लाख टन से अधिक बनाने तथा मूल्यों को कम करने हेतु सरकार की क्या नीति है ताकि निर्धन व्यक्तियों के लिए कपड़ा बनाया जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सिंथेटिक फाइबर के उद्योग के सम्बन्ध में नई कपड़ा नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न परिकल्पना की गई है :—

1. सिंथेटिक फाइबरों/यार्न के उत्पादन के लिए नए एककों द्वारा क्षमता के सृजन तथा वर्तमान एककों द्वारा क्षमता के विकास को इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि उत्पादन की लागतों को कम करने के उद्देश्य से पैमाने की मितव्ययता प्राप्त की जा सके।

2. जन-निर्मित फाइबरों/यार्न पर तथा ऐसे फाइबर/यार्न के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त मध्यवर्तियों पर वित्तीय प्रभारों को उत्तरोत्तर इस ढंग से कम किया जाएगा कि बढ़े हुए स्वदेशी उत्पादन को सुविधापूर्वक खपाया जा सके ताकि सिंथेटिक एवं ब्लेंडिड फैब्रिको के निम्न मूल्य के रूप में लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके ; तथा

क्षमता को निर्मित करने की योजना सरकार द्वारा सिंथेटिक फाइबरों के लिए उदारीकृत लाइसेंसिंग की नीति में 24-9-1985 को घोषित की जा चुकी है। इस नीति के अनुसार, अल्पइष्टतम क्षमता वाले सभी वर्तमान एककों के व्यवहार्य आकार तक निम्न प्रकार विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी :—

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न	—	15,000 टन/वर्ष
नाइलोन फिलामेंट यार्न	—	12,000 टन/वर्ष
पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	—	30,000 टन/वर्ष
एक्रिलिक फाइबर	—	12,000 टन/वर्ष

नए ग्रास रूप संयंत्रों के लिए अनुमोदनों पर ऊपर निर्दिष्ट निम्नतम क्षमता के आधार पर गुणदोष के अनुरूप विचार किया जाता है।

उक्त नीति के तथा अनुमोदित अतिरिक्त क्षमताओं से कपड़ा उद्योग का किफायती मूल्यों पर सिंथेटिक फाइबर उपलब्ध होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने पहले ही 6 लाख टन से अधिक सिंथेटिक फाइबर/यार्न क्षमता को अनुमोदित कर दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में द्राक्षारमम के निकट तेल निकाला जाना

8923. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में द्राक्षरमम के निकट तेल निकालने/खोजने का काम शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस समय आंध्र प्रदेश में द्राक्षारम में एक कुआं खोद रहा है । 3300 मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2550 मी० तक की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है ।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले का उत्पादन

8924. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के लिए कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का कोई कार्रवाई करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 24 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था ।

(ख) जी, हां । वर्ष 1985-86 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में वास्तविक कोयला उत्पादन 24.03 मिलियन टन रहा ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

औषधीय जड़ी बूटियों का निर्यात

8925. **श्री मुरली धर माने** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय औषधीय जड़ी बूटियों की मांग में वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधीय जड़ी बूटियों का निर्यात अनुपातिक रूप से बढ़ गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन मदों के निर्यात ने

नम्न प्रकार वर्द्धमान प्रवृत्ति दर्शायी है :—

1982-83	—	21 करोड़ रुपए
1983-84	—	42 करोड़ रुपए
1984-85	—	79 करोड़ रुपए

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

8926. **श्री टी० बशीर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) केरल में किसी नई परियोजना के लिए विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिहार को पुनः खोलने का प्रस्ताव

8927. **श्री आनन्द सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) उपर्युक्त उद्योग बन्द किए जाने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (जिसमें लगभग 15000 कामगार काम कर रहे हैं) का उपक्रम को पुनः खोलने की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए एक जीव्यता अध्ययन हाल ही में एक दल द्वारा किया गया है जिसमें सम्बद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

जम्मू और कश्मीर में एल० पी० जी० के सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा में कम गैस

8928. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में एल० पी० जी० के गोदामों और विक्रय केन्द्रों पर छापे मारे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सिलेण्डरों में गैस कम पाई गई ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) अप्रैल 1986 में कुल एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की जम्मू और काश्मीर सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी । इन एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के कुछ एल०पी०जी० सिलिण्डर कम वजन के पाये गये और रिपोर्ट है कि उनमें से छः के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं ।

मिट्टी के तेल का आयात

8929. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के मिट्टी के तेल का आयात किया गया है ;

(ख) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राज-सहायता प्रदान की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का प्रयोग कम करने तथा इसके स्थान पर ईंधन अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के कुल आयात का मूल्य निम्न प्रकार हैं : —

वर्ष	मूल्य (रुपये/करोड़)
1982-83	595.89
1983-84	603.64
1984-85	844.77

(ख) मिट्टी के तेल की उपर्युक्त मात्रा से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्ध निम्न प्रकार है : —

वर्ष	वित्तीय सहायता की राशि (रुपये/करोड़)
1982-83	251
1983-84	263
1984-85	350

(ग) सरकार ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था के अभियानों के जरिए और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग के कार्यक्रमों के जरिए मिट्टी के तेल का बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि द्वारा प्रतिस्थापन करके ईंधन कुशल स्टोवों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

पुराने संयंत्र और मशीनों की आयु निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश

8930. **चौधरी सुन्दर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने संयंत्र और मशीनों की आयु निर्धारित करने के संबंध में तकनीकी विकास महानिदेशालय किन मानदण्डों का पालन करता है ;

(ख) क्या इस प्रकार की मंजूरी के लिए कोई दिशा-निर्देश है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पुराने संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए चालू नीति और मार्ग दर्शी सिद्धांत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निकाली गई हैंड बुक आफ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स 1985-88 के पैरा 196 में दिए गए हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

हॉप-यार्न का उत्पादन

8931. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हॉप-यार्न, नारियल रेशा उद्योग में निर्यात की एक प्रमुख मद है ;

(ख) क्या ब्राउन नारियल रेशा हॉप-यार्न के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ब्राउन रेशा हॉप-यार्न के उत्पादन के लिए प्रभावी कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) सफेद यार्न और ब्राउन यार्न दोनों का हॉप-यार्न के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, हॉप-यार्न के आयातक देश मशीन द्वारा स्विस्टेड नारियल रेशे को वरीयता देते हैं जिसे हाथ से बुने यार्न से मजबूत माना जाता है।

(ग) हॉप-यार्न सम्भावित निर्यातोन्मुख ब्राउन फाइबर उत्पादों में से एक हो सकता है। कयर बोर्ड द्वारा एक सुधरे हुए बुनाई के उपकरण को विकसित किया गया है जिसे मानव शक्ति अथवा बिजली द्वारा चलाया जा सकता है इसे अच्छी किस्म के नारियल रेशे और हॉप-यार्न के रूप में और अधिक उपयुक्त रेशे को बुनने के लिए चालू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश

8932. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है और उन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : 1-5-1986 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, 47 न्यायाधीश पदासीन थे, उनमें से 1 अनुसूचित जाति का था और अनुसूचित जनजाति का कोई भी नहीं था ।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल के डिपो रायगंज से हटाकर हल्दिया ले जाना

8933. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल के डिपो को पश्चिमी बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर से हटाकर हल्दिया ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । रायगंज स्थित आई० ओ० सी० और बी० पी० सी० के पी० ओ० एल० डिपुओं को माल्दा शहर (न कि हल्दिया शहर) में स्थानांतरित करना क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उनके विस्तार कार्य के मार्ग में अनेक बाधाएं आई हैं इसलिए आवश्यक हो गया है । माल्दा के डिपुओं द्वारा न केवल माल्दा जिले को बल्कि पश्चिमी दिनाजपुर जिले सहित पास के अन्य सभी जिलों को भी पी० ओ० एल० की मांग को पूरा करने की योजना बनाई गई हैं ।

पश्चिमी जर्मनी के उद्योगों का पश्चिम बंगाल में पूंजी निवेश करने के लिए इच्छुक होना

8934. **श्री आतोश चन्द्र सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1986 के बिजनेस स्टेन्डर्ड में "वेस्ट जर्मन इंडस्ट्रीज कीन टु इन्वेस्ट इन वेस्ट बंगाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता और मदद से नए औद्योगिक एककों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए पश्चिमी जर्मनी सरकार के प्रवक्ता द्वारा की गई घोषणा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाले पश्चिम बंगाल के उद्यमियों को सरकारी एजेंसियों द्वारा समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके आवेदनों पर समय पर अनुमति दी जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार की प्रौद्योगिक आयात सम्बन्धी नीति चयनात्मक है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है । फिर भी, प्रौद्योगिकी के स्रोत्रों के चुनाव का पहला अवसर भारतीय उद्यमियों को दिया जाता है । भारतीय उद्यमी प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोत्रों का पता लगाते हैं, प्रस्तावित विदेशी सहयोगों का तकनीकी आर्थिक विश्लेषण करते हैं और उस विदेशी सहयोग के प्रस्ताव का चुनाव करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलतम हों । सरकार प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस/स्वीकृतियां प्रदान करती है ।

(घ) और (ङ) उद्योग (विकास एवं विनियमन अधिनियम के विभिन्न औद्योगिक लाइसेंसों की मांग करने वाले पश्चिम बंगाल के उद्यमियों से सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता । निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृति देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और जहां कहीं सम्भव हो "वन विन्डो क्लियरेंस" (एक ही स्थान से स्वीकृति देने) की प्रणाली आरम्भ कर दी है । उद्यमियों की सहायार्थ एक उद्यमिता सहायता एक कभी स्थापित किया जा चुका है । पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल को दिए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1984	35	93
1985	68	51
1986 (जनवरी-फरवरी)	5	3

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

8935. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में आशय-पत्रों की स्वीकृति के लिए बिहार सरकार के उपक्रमों से प्राप्त हुए तीन आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है । जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले लेती लम्बित आवेदन पत्रों के ब्यौरे नहीं बताए जाते ।

उदीयमान उद्योगों के शेयरों का बाजार मूल्य

8936. **श्री श्री हरि राव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध और फार्मास्युटिकल्स उद्योगों को उदीयमान (सनराइज) उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें अधिक लाभ होने की सम्भावना रहती है और जिनमें पूंजी निवेश अत्याधिक लाभ-प्रद माना जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि नई राष्ट्रीय औषध नीति की घोषणा की प्रत्याशा में इन उदीयमान उद्योगों के शेयरों के बाजार मूल्य बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो शेयरों के मूल्य इस प्रकार वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औषध और भेषज उद्योग को "सनराइज" उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में लघु उद्योगों के लिए कोयले का कोटा

8937. **श्री चरणजीत सिंह वालिया** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में लघु उद्योगों के लिए कोयले का कितना कोटा है ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान पंजाब को कोयले का पूरा कोटा दिया गया है, यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान पंजाब को कोयले के कोटे में कितनी प्रतिशत कटौती की गई है ;

(ग) क्या यह कटौती सभी राज्यों के मामले में एक समान की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अंतर के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सभी राज्यों के लिए रेल संचलन का कोटा रेलवे द्वारा निश्चित किया जाता है। पंजाब के लघु उद्योगों के लिए भाप कोयले की रेलवे द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा चालू वर्ष के लिए 2.20 वैगन प्रति माह है। इसके अतिरिक्त सड़क द्वारा निर्दिष्ट स्रोतों से अथवा स्टाकयार्डों से, उपलब्धता के आधार पर, कोयले की सप्लाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब के भाप कोयले के उपभोक्ता अपनी रेल संचलन द्वारा मंजूर भाप कोयले की पूरी मात्रा का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 1986 के दौरान भाप कोयले की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अप्रयुक्त कोटे को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने वर्ष 1986 के लिए पंजाब सहित सभी राज्यों के कोटे की उपरी सीमा को कम कर दिया है। इस कमी का प्रतिशत प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है क्योंकि पिछले वर्ष में आयुक्त कोटा भी राज्यों में अलग-अलग था।

श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीज के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

8938. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सह निर्णय दिया है कि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कास्टिक क्लरीन संयंत्र से क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण हुई लोगों की मौत अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य उन लोगों पर भी इसी प्रकार की जिम्मेवारी निर्धारित की जायेगी जिनकी लापरवाही के कारण किसी न किसी रूप में ऐसी ही घातक दुर्घटनाएं होती है ;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया गया है और दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए खतरनाक उद्योगों का पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में विशिष्ट इलैक्ट्रानिकी एस्टेट, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्कों और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना

8939. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशिष्ट इलैक्ट्रानिकी एस्टेट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) दिल्ली की औद्योगिक योजना का और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के साथ इसके समन्वय संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में औद्योगिक विकास तथा अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के बारे में दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के प्राध्यापकों के साथ विचार-विमर्श किया है ।

(ख) दिल्ली की औद्योगिक योजना में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त/जटिल प्रकार के ऐसे उद्योगों के लिए उपलब्ध और भावी सुविधाओं के उपयोग पर बल दिया गया है जिनमें भूमि कम घिरेगी, बिजली की खपत कम होगी, उच्च मूल्य वर्णित वस्तुएं बन सकेंगी और वे प्रदूषण रहित और जोखिम रहित होंगे तथा जिनमें कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली को अधिकेन्द्र मानते हुए एक तीन-स्तरीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास हेतु एक मिली-जुली नीति तैयार करनी होगी ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को औद्योगिक स्थलों की नीलामी करने की प्रणाली को बन्द करने का सुझाव दिया है । लघु औद्योगिक एककों का पंजीकरण करने की नियमावली और प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है। प्रौद्योगिक का सुगमता से अंतरण करने के लिए औजार कक्ष एव प्रशिक्षण केन्द्र जैसे संस्थान स्थापित किए गए हैं । इस प्रकार के और आर्थिक संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई गई है । सामान्य (ब्लाक) ऋण योजना और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। विद्यमान औद्योगिक बस्तियों के अलावा, ऐसी और अधिक बस्तियां स्थापित करने संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक ढंग से किए जाने वाले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों या गैर-सरकारी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए स्व-रोजगार हेतु एक समिति का गठन किया गया है ।

[हिन्दी]

औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की भूमिका

8940. **श्री त्रिलोचन सिंह तुर :**

श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्विति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने और राज्य सरकारों पर प्रतिबन्धों को कम करने के बारे में विचार कर रही है

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविशिष्ट (24) और संघ सूची की प्रविशिष्ट (7) और (52) के अनुसार निर्धारित किया गया है जिन उद्योगों का इस प्रकार निर्धारण किया गया हैं वे ये हैं :

(1) रक्षा अथवा युद्ध के अनुशीलन के उद्देश्य के लिए संसद द्वारा कानूनन घोषित आवश्यक उद्योग संघ सूची की प्रविष्टि (7)

(2) ऐसे उद्योग, जिनका केन्द्र द्वारा नियंत्रण संसद द्वारा कानून जनहित में उचित घोषित किया गया है (संघ सूची की प्रविशिष्ट 25) और

(3) संघ सूची की प्रविष्टि (7) और (25) के उपबन्धों के अधीन अन्य उद्योग (राज्य सूची की प्रविशिष्ट : 24)

ऊपर उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार यह घोषणा की गई है कि यह जनहित में उचित है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को केन्द्र अपने नियंत्रण में ले ।

[अनुवाद]

कोयला पन-बिजली परियोजना के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से खरीदे गए जेनरेटर के संबंध में शिकायत

8941. **श्री हुसैन दलवई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला पन-बिजली परियोजना में दो या तीन जेनरेटर आमतौर पर हमेशा खराब रहते हैं ;

(ख) क्या कोयला पन-बिजली परियोजना ने ऐसी शिकायत की है कि प्रथम चरण के लिए आयातित जेनरेटर ठीक काम कर रहे हैं परन्तु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से खरीदे गये जेनरेटर संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली की कमी को दूर करने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 14 जेनरेटरों में से 1985-86 के दौरान 13 जेनरेटर सामान्यतः प्रचालनाधीन थे ।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चरण-3 के 4x80 मेगावाट के यूनिटों में कुछ समस्याएं पैदा हो गई थीं। इन यूनिटों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है और यह कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। दो यूनिटों का नवीकरण सम्बन्धी कार्य पहले ही किया जा चुका है और ये प्रचालनाधीन हैं। शेष दो यूनिटों के सम्बन्ध में नवीकरण कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किया जा है।

(ग) जब कभी भी आवश्यक होता है विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने पर विचार किया जाता है।

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का हस्तांतरण

8942. **श्री सोमजी भाई डामर:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के वितरण की कितनी एजेंसियों का अब तक हस्तांतरण किया गया है और यह किस आधार पर किया गया है;

(ख) हस्तांतरण के कितने आवेदन उनके मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या कुछ एजेंसियों का भिन्न आधार पर हस्तांतरण किया गया है, यदि हां, तो तत्समान आधार पर कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं तथा ये कितने समय से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इनमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह): (क) तेल विपणन कम्पनियों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरणशिपों/डीलरशिपों को स्थानांतरित करने के लिए किये गये अनुरोधों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अब तक आई०ओ०सी० ने ऐसे 26 मामलों में स्थानांतरण की अनुमति दी है।

(ख) और (ग) निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत ऐसा कोई अनुरोध मंत्रालय में लम्बित नहीं है और न पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से किसी एजेंसी के स्थान को बदला ही गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तुच्छ बातों के लिए मुकदमेबाजी पर निर्बन्धन लगाने के लिए किए गए उपाय

8943. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी विभाग प्रत्येक तुच्छ बात को न्यायालय में ले जाने में जल्दबाजी न करें, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) न्यायालयों का कार्यभार कम हो इसदृष्टि से सरकार द्वारा मुकदमे प्रारंभ किए जाने को निर्बन्धित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्योरा क्या है ;

(ग) उच्चतम न्यायलय में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामलों सहित सरकार ने कितने मामलों में अपील की है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के सभी सम्बद्ध संगठनों को तुच्छ बातों के लिए मुकदमे न करने की बाबत निर्देश देने की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत सरकार (कारबार आबंटन) नियम, 1961 के अधीन यह मंत्रालय विधिक मामलों पर, जिममें सभी न्यायालयों के समक्ष मुकदमों से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं, मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है। मुकदमा, विधिक सलाह के आधार पर ही आरंभ किया जाता है या उसमें कार्रवाई की जाती है। महत्वपूर्ण मामलों में भारत सरकार के विधि अधिकारियों की राय भी प्राप्त की जाती है। इसका उद्देश्य न्यायालयों पर कार्यभार को कम करना है।

(ग) उच्चतम न्यायालय में लंबित उन मामलों की बाबत जिनमें सरकार ने अपील की है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि द्वारा फाइल की गई अपीलों से यह मंत्रालय प्रशासनिक रूप से संबद्ध नहीं है।

(घ) विद्यमान परिपाटी के अधीन, संघ सरकार के सभी संबंधित संगठनों ने जिनके पास पर्याप्त धन हैं, विधिक सलाह और मुकदमों के लिए अपनी-अपनी व्यवस्था कर ली है। अन्य संबद्ध संगठन अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से, इस मंत्रालय से, सलाह प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के बीच या ऐसे उपक्रम और सरकार के बीच विवादों के संबंध में न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए भी अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैदराबाद एकक के लिए क्रयादेशों की कमी

8944. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय उर्वरक निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उपकरणों के लिए अनुचित विशिष्टियां निर्धारित कर रहे हैं और अच्छे उद्देश्यों से उदार बनाई गई आयात नीति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) क्या क्रयादेशों की कमी के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैदराबाद एकक को वस्तुतः संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकार के सभी उपक्रमों को यह निवेश देने का विचार है कि वे अपने उपकरणों के लिए, जो देश में बनाए जा रहे हैं ; उनका आयात करने के बजाय भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को क्रयादेश दें ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विशिष्टियां निर्धारित की जाती हैं।

(ख) प्राप्त किये गये निश्चित क्रयादेशों के आधार पर 1986-87 के दौरान बी०एच०ई० एल० हैदराबाद की तेलरिगों, कम्प्रेससं तथा औद्योगिक टी०जी० सैटों जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए क्षमता उपयोगिता लगभग 42% से 83% तक होने की सम्भावना है।

(ग) स्वदेशी क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना सरकार की नीति है। केवल चयनात्मक तथा गुणों के आधार पर आयात की अनुमति दी जाती है सम्पूर्ण परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

नियंत्रण समाप्त किया जाना

8945. **श्री एन० टीम्बी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार अनावश्यक नियंत्रण समाप्त करने की इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगों द्वारा कोई ऐसी मांग की गई है कि कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण से उद्योग के विकास में बाधा पहुंची हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के नियंत्रण समाप्त करने का है अथवा केवल उन क्षेत्रों में नियंत्रण समाप्त करने का विचार है जहां नियंत्रण अनुत्पादक साबित हो रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : औद्योगिक और लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का युक्तयुक्तिकरण करना और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है और इस बारे में विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। नीति और प्रक्रियाओं को और अधिक उदार बनाने सम्बन्धी अभ्युपायों पर विचार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। किन्तु, जैसा कि बताया गया है, सभी नियंत्रणों को वापिस लेने का कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार के लिये प्रोत्साहन देना

8946. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बनाए जा रहे नए 20 सूत्री कार्यक्रम की सीमा के अन्दर, गैर-सरकारी क्षेत्र को ऐसे अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है कि वे अपने उत्पादों के लिए

डीलर-शिप आदि की पेशकश करके शिक्षित और पात्र बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कार्यक्रम के उद्देश्यों के ज्यादा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम की पुनर्संरचना विचाराधीन है। कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिए जाने पर इसके ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे।

लोक उद्यम ब्यूरो को बन्द करने का प्रस्ताव

8947. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक उद्यम ब्यूरो को बन्द करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का कारणों सहित ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जगदलपुर जिले में सीमेंट एककों द्वारा प्रदूषण

8948. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के मुख्यालय के समीप जगदलपुर जिले में, स्थापित किये जाने वाले दो लघु सीमेंट संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण के खतरे की ओर दिया गया है ;

(ख) इन दोनों एककों को जगदलपुर के इतने समीप स्थापित करने की अनुमति कैसे दी गई और क्या सरकार को इन दो एककों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए दो फर्मों के पास 1984 में स्वीकृत किए गए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण हैं तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने इन फर्मों को, ये पंजीकरण मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर स्वीकृत किए थे। इन फर्मों को जारी किए गए पंजीकरण पत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्त भी दी गई है :

"वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की संतुष्टि के लिए पर्याप्त कदम उठाए जायेंगे। इसके अलावा, अधिष्ठापित किए जाने वाले प्रदूषण रोधी अभ्युपाय उस सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगे, जिसमें कि औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित है।"

मध्य प्रदेश प्रदूषण मंडल ने बताया है कि इन एककों को अनुमति पत्र जारी किए गए थे कि अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात कुछ शिकायतें मिली हैं तथा उन्होंने अनुमति पत्र में निर्धारित किए गये उत्सर्जन मानकों में शोधन कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि एककों के चालू हो जाने के बाद नियंत्रणकारी उपकरणों के उपयुक्त कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए अपेक्षित निरीक्षण किया जाएगा।

भारत और पौलैंड के बीच सहयोग

8946. **श्रीमती ऊषा चौधरी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भार[illegible] संयुक्त आयोग की इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-पौलैंड संयुक्त आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग आयोग का दसवां सत्र नई दिल्ली में 1-2 अप्रैल, 1986 को हुआ था। इस सत्र में आयोग ने वर्तमान सहयोग की पुनरीक्षा की और दोनों देशों के बीच कोयला खनन, विद्युत, वाणिज्य, उद्योग तथा विज्ञान और तकनालॉजी के क्षेत्र में भावी सहयोग की गुंजाइश पर विचार किया। संयुक्त आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. **कोयला खनन और विद्युत** : संयुक्त आयोग ने सतग्राम और पुटकी-बलिहारी भूमिगत परियोजनाओं में शाफ्ट पैंबस्ती की प्रगति की तथा मूनीडीह भूमिगत परियोजना में लांगवाल उपकरण के कार्य-निष्पादन की प्रगति की पुनरीक्षा की। पौलैंड में खानों के इलैक्ट्रोनिकीकरण की उन्नत तकनालॉजी के कारण भारतीय पक्ष ने ऐसी दो खानों और एक वाशरी का प्रस्ताव रखा जिनका पौलैंड की सहायता से पूरा इलैक्ट्रोनिकीकरण किया जाए। पौलैंड पक्ष ने समयबद्ध आधार पर यह कार्यक्रम शुरु करने के लिए अपनी सहमति दे दी। निम्नलिखित दो नए संविदाओं पर 1-4-1986 को हस्ताक्षर हुए :

(i) तीन मिलियन टन प्रतिवर्ष कोककर कोयले की क्षमता वाली मधुबंद-फुलारीटांड भूमिगत परियोजना के लिए पौलैंड के विशेषज्ञों द्वारा परियोजना रिपोर्ट बनाना।

(ii) भूमिगत खानों के पंजीकरण के लिए भारत के केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० तथा पौलैंड के कोमैग के बीच तकनीकी विनिमय।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में, पौलैंड पक्ष ने अनेक विद्युत परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए विशेष इच्छा जाहिर की। उन्होने उन वर्तमान बिजलीघरों के आधुनिकीकरण में सहयोग के लिए भी विशेष इच्छा जाहिर की जो पौलैंड के उपकरणों, संयंत्र और मशीनरी के साथ

मूलतः स्थापित किए गए थे। भारतीय पक्ष ने इन प्रस्तावों की स्वदेशी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की अपनी नीति के भीतर ही, जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की।

वाणिज्य : आयोग ने यह बात संतोष के साथ नोट की कि दोनों देशों के बीच व्यापार को वास्तविक अर्थों में 1990 तक दोगुना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस संबंध में आयात और निर्यात दोनों के ही सामानों में विविधता लाने की संभावना की भी जांच की गई। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हो गए कि तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम लगाने में सहयोग किया जाए।

विज्ञान और तकनालॉजी : आयोग ने यह बात संतोष के साथ नोट की कि 1986-88 की अवधि के लिए सहयोग के द्विपक्षी कार्यक्रम पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हो गए हैं। सहयोग के क्षेत्रों में यह शामिल हैं : खनन, कोयला, ताप बिजली जनरेटरों के लिए नियंत्रण प्रणाली. लिनसीड, तिलहन की संयंत्र खेती, मशीन औजार उद्योग, भवन निर्माण सामग्री, रसायन उद्योग, मानकीकरण और किस्म नियंत्रण, विज्ञान और तकनालॉजी सूचना, यंत्रीकरण, भविष्य विज्ञान और औषधि।

उद्योग : आयोग ने दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग पर विचार किया : अ-लौह धातु उद्योग, इलैक्ट्रानिकी, लोडरों, क्रेनों, कोयला खनन और वाशरी उपकरणों तथा हारवेस्टरों और अन्य कृषि औजारों का निर्माण तथा जलयान निर्माण। पौलैंड पक्ष ने भारतीय इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण में तथा हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतरी तांबा काम्प्लेक्स के विस्तार में सहयोग करने में रुचि दिखाई। भारतीय पक्ष ने रिफाम्पिसिन के उत्पादन के लिए तकनालॉजी के तबादले पर बल दिया।

इंजीनियरी उत्पादों के बदले मारुति कारें देना

8950. **श्री उत्तम राठोड़ :**
प्रो० के० के० तिवारी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड इंजीनियरी उत्पादों के बदले में कुछ देशों को अपनी कारें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के साथ किए गए करारों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी मारुति कारें सप्लाई की जायेंगी तथा उनके बदले में कौन से इंजीनियरी उत्पाद लिये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लि० मारुति कारों का निर्यात करने के लिए पूर्व यूरोपीय तथा पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इस सम्बन्ध में अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का खराब दौर

8951. **श्री चित्त महाता :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक उद्यम ब्यूरो ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खराब दौर से गुजरना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके मूल कारण क्या हैं, और

(ग) इस बारे में लोक उद्यम ब्यूरो के प्रमुख सुझाव क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभ/हानि

8952. **डा० ए० के० पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कारण सरकार को छठी पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है ;

(ख) क्या हानि को पूर्ति सामान्य जनता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में एकत्रित राजस्व से की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र की अकुशलता के लिये सामान्य जनता दंडित न हो; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ या उठाई गई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उद्यमों की संख्या	निवल लाभ (+)/ हानि (—)
1980-81	168	(—) 202.97
1981-82	188	(+) 445.92
1982-83	193	(+) 613.51
1983-84	201	(+) 240.14
1984-85	207	(+) 928.57

वित्तीय वर्ष 1985-86, हाल में ही समाप्त हुआ है तथा उद्यमों द्वारा उनके लेखों को अन्तिम रूप देने तथा उनकी लेखा परीक्षा कराने में कुछ और समय लगेगा। इसलिये 1985-86 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यम सरकार के विभाग नहीं हैं, परन्तु उनका कम्पनी अधिनियमों के अधीन पंजीकृत अथवा संसद के अधिनियमों के अधीन स्थापित पृथक कानूनी अस्तित्व है। इसलिये सामान्यतः जन-साधारण से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से समाहृत राजस्व में से इन उद्यमों की हानि को पूरा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। किन्तु, सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जैसे कि कार्य-निस्पादन का नियमित रूप से परिवीक्षण करना, जहां-कहीं व्यवहार्य समझा गया, उपयोगार्थ बिजली पैदा करने की व्यवस्था करना, संतोलक सुविधाओं की व्यवस्था करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन करना, उत्पाद-मिश्र में विविधता लाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलाना, विभिन्न लागत नियंत्रण तथा लागत घटाने के उपाय अपनानः और प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा सार्वजनिक अंशदान के माध्यम से पूंजी जुटाने का प्रस्ताव

8953. **श्री नारायण चौबे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक अंशदान के माध्यम से पूंजी जुटाने का है ; और

(ख) *यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?*

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय सार्वजनिक अभिदान के माध्यम से सामान्य शेयर पूंजी जुटाने से है। सरकार ने मारुति उद्योग लि० से एक ऐसा *प्रस्ताव प्राप्त किया है।*

(ख) कम्पनी की वर्तमान पूंजी संरचना के अनुसार मारुति उद्योग लि० के 26 प्रतिशत सामान्य शेयर जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी लि० के पास हैं, जिन्हें 5 वर्ष के भीतर 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का विकल्प है। शेष सामान्य शेयर भारत सरकार के पास हैं। मारुति उद्योग लि० ने पूंजी संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है :—

भारत सरकार	35%
सुजुकी मोटर कम्पनी	35%
सार्वजनिक/वित्तीय संस्थायें	30%

सरकार द्वारा मारुति उद्योग लि० से प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गोबर गैस केन्द्रों को प्रोत्साहन

8954. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक गोबर गैस केन्द्रों की स्थापना का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

8955. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल के विभिन्न जिलों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ; और

(ख) शेष लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल में 1985-86 के दौरान विभिन्न जिलों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची निपटाने की दृष्टि से व्यवहार्य होने पर वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार करने तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण

क्र० सं०	जिला	1985-86 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोनों की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम	1,542
2.	क्यूलोन	1,938
3.	ऐलेपी	1,344
4.	पाथानामथिट्टा	363
5.	कोट्टायम	1,343
6.	इदुकी	346
7.	एर्नाकुलक	2,650

1 2	3
8. त्रिचुर	1,454
9. पालघाट	1,416
10. मालापुरम	575
11. कालीकट	450
12. वेनाडू	250
13. कन्नानूर	2,216
14. कशारगोड	333
योग :	16,200

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक एवं तार कार्मचारियों के लिए क्वार्टर

8956. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कार्यरत डाक एवं तार विभाग में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का किन-किन स्थानों पर ऐसे क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है ;

(ग) क्या आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु आजमगढ़ के समाहर्ता से भूमि प्राप्त की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है और यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण I (डाक) और विवरण II (दूरसंचार) में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में उन स्थानों का नाम जहां पर सरकार डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने का विचार रखती है।

1. इलाहाबाद
2. लैंसडाउन
3. अल्मोड़ा
4. सहारनपुर
5. खेरी
6. प्रतापगढ़
7. हल्दवानी
8. ओरायी
9. कानपुर
10. अलीगढ़
11. नोएडा (गाजियाबाद)
12. वीरभद्रक (ऋषिकेश)
13. दिदिहट (पिथौरागढ़)
14 लखनऊ
11. बलिया
16. पौड़ी

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में उन स्थानों का नाम जहां पर सरकार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने का विचार रखती है।

1. आगरा
2. इलाहाबद
3. अल्मोडा
4. आजमगढ़
5. बड़ौत
6. बरेली
7. भदोई
8. बिजनौर
9. देहरादून
10. फैजाबाद
11. हल्दवानी
12. हमीरपुर
13. हाथरस
14. झांसी
15. काशगंज
16. खतौली
17. खुर्जा
18. लखीमपुर
19. लखनऊ
20. माऊनाथ भंजन
21. मिर्जापुर
22. मुजफ्फर नगर
23. नैनीताल
24. नोएडा
25. ओरायी
26. अतापगढ़
27. पिथौरागढ़
28. रामपुर
29. सहारनपुर
30. श्रीनगर (गढ़वाल)
31. सुल्तानपुर

[अनुवाद]

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडो का निर्यात

8957. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड उद्योग बिजली की बहुत खपत करने वाला एक उद्योग जिसमें एक टन ग्रेफाइट के उत्पाद के लिए 7000 यूनिट से भी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का निर्यात परोक्ष रूप से बिजली का निर्यात है ;

(ग) क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडो के रूप में इतनी भारी मात्रा की प्रतिपूर्ति के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडो के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा पर्याप्त है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडो के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है ताकि उद्योगों और किसानों के लिए बिजली की बचत की जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) यह सच है कि इलैक्ट्रोड विनिर्माण क्रियाकलाप अत्याधिक बिजली प्रधान है परन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इस्पात कास्टिक सोडा आदि की आवश्यकता को पूरा करता है । निर्यात तभी सम्भव होगा जब इलैक्ट्रोड उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी कीमतों पर अपने उत्पादों को दे सके और वह भी तब जब उसने पहले भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया हो इस समय ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मैसर्स प्रदेशीय इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० को पी० टी० ए० के लिए लाइसेंस

8958. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पी० टी० ए० के लिए एकमात्र लाइसेंस मैसर्स रिलाइन्स इंडस्ट्रीज लि० को दिया गया है और उनकी वास्तविक स्थापित क्षमता स्वीकृत क्षमता से बहुत अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उद्योग को मैसर्स प्रादेशीय इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० के साथ उत्तर प्रदेश में पी० टी०ए० परियोजना के लिए चुना जा रहा है जिससे ऐसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पर एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण पेट्रोरसायन के निर्माण में एकाधिकार कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) : इस समय मै० रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि० ही एकमात्र कम्पनी है जिसके पास 75,000 टन/वर्ष की क्षमता के साथ पी० टी० ए० का निर्माण करने के लिए लाइसेंस है। मै० रिलायन्स द्वारा पी० टी० ए० का उत्पादन अभी स्थिर नहीं हुआ।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त क्षेत्र में सलीमपुर में एक एरोमेटिक परिसर की स्थापना के लिए मै० प्रादेशीय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू० पी० लि० (पी० आई० सी० यू० पी०) को एक आशयपत्र दिया गया है।

पी० आई० सी० यू० पी० द्वारा साझेदार के चयन के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों में नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

8959. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1979 में प्रमुख उद्योगपतियों और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों की उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न स्तरों के किसी संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या के बारे में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से विवरण रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों और इनका कद्देश्यपूर्ण ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भूतपूर्व उद्योग मंत्री की प्रमुख उद्योगपतियों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उचित अंश प्रदान करने सम्बन्धी मामले पर विचार करने के लिए दिनांक 24-4-1979 को हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों में कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में सूचना देने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए और सरकार द्वारा इस सूचना को गोपनीय रखा जाना चाहिए।

इस निर्णय के अनुसरण में, पहली सार्वजनिक सूचना अगस्त, 1979 में जारी की गई थी जिसमें 1 जनवरी, 1979 तक के अपेक्षित आंकड़े मांगे गए थे। किन्तु, इस सूचना का कोई अधिक प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा क्योंकि इसके प्रत्युत्तर में केवल पांच विवरणियां ही प्राप्त हुई। अतः उस वर्ष कोई सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सका। तत्पश्चात्, जनवरी, 1981 में दूसरी

"सार्वजनिक सूचना" प्रकाशित की गई जिसमें 1 जनवरी, 1981 तक की सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। सूचना इकट्ठी करने में पुनः अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामान्यतः अपने कर्मचारियों की जाति के बारे में कोई कार्यालय-अभिलेख नहीं रखे हुए थे और क्योंकि विवरिणयां प्रस्तुत स्वैच्छिक था।

अपने निरन्तर प्रयासों से आर्थिक सलाहकार का कार्यालय 135 गैर-सरकारी उपक्रमों को उनके कर्मचारियों से अपेक्षित सूचना इकट्ठा करने के लिए आश्वस्त कर सका। इस प्रकार इकट्ठी की गई सूचना समग्र गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में पूर्णतः अपर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में ताप बिजली संयंत्र

8960. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने हेतु संयुक्त क्षेत्र मे ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कितने ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या चित्तौड़गढ़ जहां अनेक सीमेन्ट कारखाने स्थित हैं, में भी ऐसा ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) धौलपुर में संयुक्त क्षेत्र में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है, जिसमें चरण एक में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन से प्राप्त ज्ञापन

8961. **श्री बीरेन्द्र सिंह ऐंगती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विषयवस्तु क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सीमेंट का उत्पादन घट गया है और उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे गिरती जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (ख) और (ङ) बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन ने सीमेंट कारपोरेशन के प्रबन्धकों को 31-12-85 को मांगों की घोषणापत्र (चार्टर) प्रस्तुत किया था जिसमें 17 मांगे थीं और तीन वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति की जाने की मांग उनमें प्रमुख थी । इन मांगों के घोषणापत्र (चार्टर) की एक प्रति सरकार को भी भेज दी गई है । यह मामला मुख्य रूप से सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबन्धकों के हल करने के लिए है और वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बोकाजन यूनिट में नीचे दिए गये ब्यौरें के अनुसार बिजली के अभाव के कारण आई मामूली गिरावट को छोड़कर इस मामले को कारपोरेशन राज्य द्वारा बिजली बोर्ड के साथ उठाया गया । यूनिट में उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुरूप ही रही है ।

वर्ष	बोकाजन यूनिट का उत्पादन (लाख मी० टन)
1982-83	1.57
1983-84	1.68
1984-85	1.77
1985-86	1.73

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

8962. **श्री तेजा सिंह :**

श्री बलवन्त सिंह रामू वालिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने वर्ष 1985 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिए 1985-86 के दौरान 13535 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वास्तविक उत्पादन 12335 मिलियन यूनिट था।

(ग) लक्ष्य की उपलब्धि में कमी का मुख्य कारण था, ताप विद्युत यूनिटों में असूचीबद्ध बंदियां तथा जल विद्युत जलाशय में अन्तर्वाह कम होना।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित नवीकरण स्कीम के अन्तर्गत तीन ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य हाथ में लिए गए हैं। ओबरा में आग से क्षतिग्रस्त हुए यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए भी सहायता की गई थी।

[अनुवाद]

कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना में हुई प्रगति

8963. **श्री वृद्धि चन्द जैन :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन राज्यों में कुटुम्ब न्यायालयों में लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने में क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर०'भारद्वाज) : (क) जयपुर में एक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसने जनवरी, 1986 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) 1-5-86 तक जयपुर कुटुम्ब न्यायालय में 1241 मामले संस्थित किए गए हैं, जिनमें से 315 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

रायचूर ताप बिजली घर को क्षति

8694. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर ताप बिजली घर के 210 मेगावाट के पहले एकक को 18 मार्च, 1986 को हुई एक दुर्घटना के कारण क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं और कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) क्षतिग्रस्त एकक की मरम्मत में कितना समय लगने की सम्भावना है और इससे कितनी धनराशि की हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जब सुरंग के वातायन और मेन होल्स बन्द हो गए तो जल शीतलन टावर के

अन्तर्गम पर बटर फ्लाई वाल्व के अनजाने में बंद हो जाने के परिणामस्वरूप सुरंग की जल शीतलन प्रणाली में अधिक दबाव हो जाने के कारण दुर्घटना हुई। 4 सुरंगों में से तीन सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

(ग) सुरंगों की मरम्मत के पश्चात यूनिट-1 से मई, 1986 से विद्युत उत्पादन किए जाने की आशा है। यूनिट-1 और 2 के लिए सुरंगों की मरम्मत लागत इस समय 24 लाख रुपये आंकी गई है।

स्वीय विधियों को संहिताबद्ध करना

8695. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समान सिविल संहिता अंगीकार करने से पूर्व देश में विभिन्न धर्मावलम्बियों पर लागू होने वाली स्वीय विधियों को संहिताबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जी नहीं, इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

अनुचित व्यापारिक व्यवहार

8966. **डा० डी० सी० एन० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36(क) का उल्लंघन करने के लगभग 60 मामलों की जांच-पड़ताल कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रवर्तन में सीमित साधनों तथा जनशक्ति के कारण कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं/करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यावहार आयोग ने 1-4-1985 से 31-3-1986 की अवधि के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं के 61 मामलों में जांचें संस्थापित की हैं। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यावहार आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने में समर्थ बनाने के लिए जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है तो उचित कार्यवाही की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	प्रतिवादी/प्रतिवादियों के नाम	आरोप का स्वरूप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	मैसर्स गोल्ड माइन प्रेशर कुकर, दिल्ली	भ्रामक विज्ञापन जिसके अनुसार वितरक किसी कम्पनी के किसी भी पुराने कुकर के बदले नया प्रेशर कुकर। बदल सकेगा और उपहार ले सकेगा की अनुचित व्यापार प्रथा।	निपटा दिया
2.	मैं० इंडियन कम्युनिकेशन नेट वर्क लिमिटेड, नई दिल्ली	स्वीस प्रेशिसन इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की लागत और लगाने के खर्चों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देकर अनुचित व्यापार प्रथा।	यथोपरि
3.	मैं० वैश ब्रादर्स, नई दिल्ली	सिले वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री और 40% तक की छूट से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथा।	यथोपरि
4.	मैं० स्नो व्हाइट क्लेदियरर्स, नई दिल्ली	सिले वस्त्रों पर 50 %तक छूट देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा।	विचाराधीन
5.	मैं० वासुदेव ब्रादर्श नई दिल्ली (मैं० साड़ीरूम, नई दिल्ली	गार्डेन सिल्क साड़ियों की बिक्री पर 50 प्रतिशत तक छूट देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा।	यथेपरि

1	2	3	4
6.	मै० कपूर फैब्रिक्स, नई दिल्ली	वस्त्रों की बिक्री पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा	निपटा दिया
7.	मै० प्रियंका, कलकत्ता	आयोजित लकी ड्रा के विजेता को उनके द्वारा सुपर प्राईजेज देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
8.	मै० अशोका कारपेट्स, नई दिल्ली	कार्पेटों की विभिन्न ग्रेड की बिक्री पर 50 प्रतिशत तक छूट देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	निपटा दिया
9.	मै० बजाज इलेक्किल्स, बम्बई	अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये प्रतियोगिता आयोजित करने और इनाम देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
10.	मै० न्यू हाइट, बम्बई	अपनी सेवाओं की उपयोगिता के विषय में इसके द्वारा किए गए दावों के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
11.	मै० नेशनल प्रोडक्ट्स, बंगलौर	"नो योर बाम्बे सिटी फन्टेस्ट" नामक प्रतियोगिता का आयोजन और इनाम देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	निपटा दिया
12.	मै० राजन टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली	सूती सामग्री पर 51 प्रतिशत तक छूट के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
13.	मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया	अपने उत्पाद नेशनल सिनेमा कार्बन्स के लिए विशेष उपहार संगठन के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
14.	बाटा इंडिया लि०	बम्बल गमर प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-

1	2	3	4
15.	श्री रविन्द्र जिन्द, नई दिल्ली श्रीमती शशी चोधरी, नई दिल्ली श्री रवी कमल अग्रवाल, दिल्ली	शुद्ध सिल्क साड़ियों और अन्य सूती वस्त्रों पर 40% तक त्यौहार छूट देने सम्बन्धित अनुचित व्यापार प्रथा ।	निपटा दिया गया
16.	मै० हीरा सिल्क हाउस, हैदराबाद	अपने उत्पादों की बिक्री पर छूट देने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि
17.	मै० दायला नावेल्टीज, हैदराबाद मै० दयाल्स इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद मै० एच०एस० दयाल्स, हैदराबाद	-यथोपरि-	-यथोपरि-
18.	मै० मेको-ट्रानिक्स प्रा०लि०, मद्रास	बम्पर प्राइज प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
19.	मै० विजय इन्टरनेशनल प्रौडक्ट्स, दिल्ली मै० नरेन्द्र एंड कम्पनी, देहरादून	सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुज्ञप्ति के बगैर उत्पादों की बिक्री के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
20.	मै० मैकडावेल एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली	"थ्रिल मूवी बोनान्जा" नामक प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
21.	मै० शेरी लुइस स्लिमिंग सेन्टर प्रा० लि०, बम्बई मै० एन०जी०जी० इन्टरनेशनल इन्क, बम्बई	बिना किसी तरह के प्रभाव और बगैर दवा लिए एवं बिना व्यायाम के वजन कम करने सम्बन्धी अपने दावों के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन

1	2	3	4
	मै० शेरी लुइस स्लिपिंग सेन्टर प्रा० लि०, बम्बई मै० एन०जी० गोराडिया (इन्डिवीज्युअल केपेसिटी) बम्बई मै० केनबरा इन्वैस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई। मै० सेसनगिर ट्रेडिंग एंड इन्वैस्टमैंट कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई मै० मालदा इन्वैस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई मै० केम इन्वैस्टमैंट एण्ड ट्रेडिंग, कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई।		
22.	मै० इन्टर-शौप, नई दिल्ली	बिक्री छूट के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	विचाराधीन
23.	मै० रेडियम केमीकल्स वर्कस प्रा० लि०, नई दिल्ली	अपनी दवाओं के प्रभाव के विषय में लम्बा कद बनाने के दावों के भ्रामक विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	-यथोपरि-

1	2	3	4
24.	मै० बंगाल लैम्पस, कलकत्ता	25 वाट से 100 वाट तक के बल्बों के बिक्री के मामले में इनामी योजना के आयोजन के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	निपटा दिया
25.	मै० त्रिलोक चन्द्र महाजन, नई दिल्ली ।	सूती सामग्रियों की बिक्री पर छूट के सम्बन्ध में भ्रामक विज्ञापन ।	निपटा दिया
26.	मै० प्रीमियर इरीगेशन इक्यूपमैंट लि०, मै० प्रीमियर टयूब्स, सिकन्द्राबाद	ट्रेड मार्क स्टैंडर्ड के उपयोग में विषय में भ्रामक प्रतिवेदन ।	विचाराधीन
27.	मै० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज इण्डिया लि०, बम्बई	फेरेक्स के दो टिन की खरीद पर चमकदार स्टेनलैस स्टील की कटोरी के मुफ्त उपहार देने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
28.	मै० तिलक नगर डिस्टलरीज एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई मै० फिप्सन एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता मे० मैक-डावेल एण्ड कम्पनी लि०, मद्रास मै० हरबर्टसन लि० बम्बई	पेयों की आवश्यकताओं या उपयोगिताओं के सम्बन्ध में झूठा या भ्रामक अभिवेदन करने की अनुचित व्यापार प्रथा।	विचाराधीन

1	2	3	4
29.	मै० पार्ले पोडक्ट्स प्रा० लि०, बम्बई	"पोपिन्स स्पेल-ए-प्राइज' प्रतियोगिताओं के नाम की प्रतियोगिता के अभियोजन की अनुचित व्यापार प्रथा।	-यथोपरि-
30.	मै० फूड स्पेशल्टीज आफ इंडिया, लि० नई दिल्ली	अपने उत्पादों की खरीद पर 'कोल्ड काफी शेकर' का मुफ्त उपहार देने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	-यथोपरि-
31.	मै० नोवेक्स, नई दिल्ली	सूती वस्त्रों पर बिक्री छूट के आयोजन की अनुचित व्यापार प्रथा।	निपटा दिया
32.	मै० ओसवाल एग्रो मिल्स लि०, नई दिल्ली	"आशिष घर अपना सच सपना" प्रतियोगिता नामक प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	विचाराधीन
33.	मै० पीको० इलेक्ट्रिानिक्स लि०, कलकत्ता	अपने द्वारा बाजार में लाये टी० वी० सैटों पर "फिलिप्स" ट्रेड मार्कों के उपयोग के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	-यथोपरि-
34.	मै० म्यूजिक एंड वायस, दिल्ली	अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उपहार देने के संबंध अनुचित व्यापार प्रथा।	निपटा दिया
35.	मै० गणेश प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, कलकत्ता	गणेश सीरप एक आटो उपहार योजना नामक प्रतियोगिता आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	विचाराधीन

1	2	3	4
36.	मैं० ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०, बम्बई मैं० कैप्सूलेशन सर्विसेज लि०, बम्बई	दवाओं के विनिर्माण के विषय में अभिवेदन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
37.	मैं०डी०आई०एम० एस० ट्वन्टीथ सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली	किताबों पर बिक्री छूट के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
38.	मैं० गज्जाज कलेक्शन्स, बंगलौर	वस्त्रों पर बिक्री छूट के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	-यथोपरि-
39.	मैं० कोठारी केमिकल्स, कानपुर	"टैस्ट योर वे टु फोर्चून" नामक लाटरी योजना सम्पन्न करने की अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
40.	मैं० फूड स्पेशलटीज आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	मैंगी केचप की प्रतियोगिता के भार के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
41.	मैं० लखनपाल नैशनल लि०, बड़ौदा,	नोवीनो ब्रैटरीज के सहयोग के बारे में भ्रामक प्रतिवेदन ।	विचाराधीन
42.	मैं० नावोपान इंडिया लि०, हैदराबाद	अपने उत्पादों के बारे में किए गए दावों के सम्बन्ध में भ्रामक विज्ञापन ।	"
43.	खेतान इलेक्ट्रिकल्स लि०, कलकत्ता मैं० श्रीपति डिस्ट्रीब्यूटर्स लि०, नई दिल्ली	अपने पंखों की खरीद पर इनामों पर उपहार प्रदान करने के बारे में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"

1	2	3	4
	मै० सुशील इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली मै० ए०आर० इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली मै० संजय इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली मै० इन्दु इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली		
44.	मै० इंडिया बुक हाउस, बम्बई	मैन आफ ईयर नामक प्रतियोगिता सम्पन्न करने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा	विचाराधीन
45.	मै० एरोफूड प्रा० लि०, पान्डिचेरी	ट्रयू हाउसहोल्ड जैकपोट प्रतियोगिता नामक प्रतियोगिता सम्पन्न करने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	"
46.	मै० आई०टी०सी०, कलकत्ता	"एक दूसरे के लिए बने" नामक प्रतियोगिता सम्पन्न करने की अनुचित व्यापार प्रथा।	"
47.	मै० सुचिता इन्डस्ट्रीज, बंगलौर	टिन्नी केयर नेपीज नामक अपने उत्पादों के बारे में किए गए दावे के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा।	"
48.	मै० मीरा मैटल इन्डस्ट्रीज, बंबई	इनाम देने और प्रतियोगिता कराने की अनुचित व्यापार प्रथा।	"
49.	मै० जस्सा भाई शाह, बम्बई	विशेष वस्त्रों की बिक्री और कम दाम पर वस्तु प्रदान करने के आयोजन द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा।	"

1	2	3	4
50.	मै० ब्रिटीश फिजीकल लेबोरेट्रीज, बंगलौर	अपने इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित अपने सहयोग के बारे में भ्रामक प्रतिवेदन द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
51.	मै० अमित ट्रेडर्स, नई दिल्ली	प्रतियोगिता करने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
52.	मै० ब्रुक बाण्ड इंडिया लि०, कलकत्ता	ब्रुक बांड ग्रीन लेबल सिने स्टार्स प्रतियोगिता नामक प्रतियोगिता करने के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
53.	मै० विगस बीयर प्रा० लि०, नई दिल्ली	अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए लाटरी निकालने द्वारा इनाम देने की अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
54.	मै० के० एम० पी० आयल्स इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	लाखों के हैं आपके नाम प्रतियोगिता के आयोजन की अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
55.	मै० गोविन्द झा, नई दिल्ली	सूती सामानों पर बिक्री छूट आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
56.	मै० गुप्ता जी एंड कंपनी लि०	"भारतीय नीलामी योजना बिक्री" नामक बिक्री छूट के आयोजन की अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
57.	मै० ओरसन इलेक्ट्रोनिक्स लि०, बंबई	गलत ब्रांड नाम के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"

1	2	3	4
58.	मैं० विलटैक इंडिया लि०, बंगलौर	'विन ए प्राइज स्कीम' नामक के आयोजन की अनुचित व्यापार प्रथा ।	विचाराधीन
59.	मैं० कोचर आयल मिल्म लि०, दिल्ली	पकवान सौर प्राइज प्रतियोगिता नामक प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
60.	मैं० गिफ्ट इम्पोरियम, नई दिल्ली	अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इनाम देने से सम्बन्धित अनुचित व्यापार प्रथा ।	"
61.	मैं० आडियोट्रोनिक्स एंड बिजनेस सिस्टम प्रा० लि०, बंगलौर मैं० सिल्वर जोडियो सिस्टम प्रा० लि० बंगलौर	सिल्वर क्रोमोप्रिंट-ई-20 नामक घटिया उत्पादों की आपूर्ति की अनुचित व्यापार प्रथा।	"

ताप बिजली संयंत्रों में खराबियां

श्री 8967. श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि देश में ताप बिजली संयंत्रों में खराबियों का कारण उनके क्षमता आयोग में किस हद तक रुकावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और सरकार ने इन मामलों में क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां । मूल्यांकन से पता चलता है कि ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात मुख्य रूप से जबरन बन्दियों, आंशिक अनुपलब्धता और प्रणाली की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । ताप विद्युत केन्द्रों की पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई समीक्षाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की बन्दियों/अनुपलब्धताओं के वास्तविक मूल्य तथा इसकी तुलना में संयंत्र भार अनुपात का मूल्य नीचे दिए गए अनुसार है :—

विवरण	वर्ष		
	1983-84	1984-85	1985-86 अनन्तिम)
क्षमता (मेगावाट)	23825.5	56460	29259
विद्युत उत्पादन (यूनिट)	86535	98770	114120
नियोजित अनुरक्षण (%)	11.25	9.94	8.54
जबरन बन्दी (%)	24.07	24.19	17.86
प्रचालन उपलब्धता (%)	64.68	65.87	73.6
संयंत्र भार अनुपात (%)	47.9	50.1	52 4
कम भार तथा उत्पादन कम करने के कारण आंशिक अनुपलब्धता, गैर-समुपयोजन	16.78	15.77	21.2

संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं । उन उपायों में ये शामिल हैं : संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना, कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने और सुधार के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरा करना, केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित नवीकरण और आनुनिकीकरण स्कीम को क्रियान्वित करना ।

राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण वितरण हानियां

8968. **श्री आर० एस० माने :**
श्री सोमनाथ रथ :
श्री प्रकाश वी० पाटिल

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण तथा वितरण के दौरान हुई हानियां का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को इस प्रकार की हानि सबसे कम हुई है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड ने राज्य में पुराने विद्युत केन्द्रों के नवीनीकरण तथा रखरखाव हेतु तथा केन्द्रीय सहायता से संयंत्र भार अनुपात को सुधारने की योजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र को किस प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया गया है और उपलब्धियों के बारे में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और उनकी समयावधि क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 से 1984 85 के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत की पारेषण तथा वितरण हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के चार ताप-विद्युत केन्द्रों के लिए लगभग 29.6 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है ; जिसमें से 1985-86 के दौरान 2.79 करोड़ रुपए दिए गए। इस नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जिसे 3 से 4 वर्षों में पूरा किए जाने की आशा है, इस स्कीम में शामिल किए गए महाराष्ट्र के विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में लगभग 5% की वृद्धि होने की सम्भावना है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत जिसमें वे वाणिज्यक हानियां शामिल हैं जिनकी गणना नहीं की गई है (जैसे विद्युत की चोरी आदि)				
		1980-81	1981-82	1982-83	1984-85	1985-86*
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	19 32	21.31	21·46	20.92	20.00
2.	आंध्र प्रदेश	22.55	23·41	23.58	21.38	21.23

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	22.07	23.14	22.16	22.21	23.14
4.	गुजरात	19.78	19.93	20.82	21.68	24.19
5.	हरियाणा	22.63	19.76	19.27	19.58	21.81
6.	हिमाचल प्रदेश	19.34	17.30	19.05	18.78	21 04
7.	जम्मू और कश्मीर	48.05	44.69	40 26	40.38	36.00
8.	कर्नाटक	24.58	21.98	21.64	20.98	22.00
9.	केरल	14.86	15.16	20.56	28.25	25.00
10.	महाराष्ट्र	16.21	15.30	15.22	14.84	14.50
11.	मध्य प्रदेश	22.33	22.57	21.11	19.45	19.15
12.	मेघालय	9.08	8.04	7.07	6.10	7.20
13.	उड़ीसा	19 19	18 97	18.09	17.99	18.00
14.	पंजाब	19.58	19.95	19.77	17.03	16.98
15.	राजस्थान	26.59	25.40	26.15	25.29	25.25
16.	तमिलनाडु	19.12	18.51	18.53	18.75	18.36
17.	उत्तर प्रदेश	15.64	18.67	18.70	18.21	19.00
18.	पश्चिमी बंगाल	13.68	16.24	19.39	20.54	17.80

टिप्पणी (1) *अनन्तिम

(2) मेघालय के सम्बन्ध में कम पारेषण तथा वितरण हानि संबंधी आंकड़े, पड़ौसी राज्यों को एच० टी० स्तर पर काफी अधिक ऊर्जा की बिक्री किए जाने के कारण हैं।

असम में पेट्रोल केमीकल काम्प्लेक्स

8969. **श्री के०वी० शंकर नौड़ा** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या असम में शुद्ध और मिश्रत गैस के विस्तृत श्रोत्रों का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में एक और पेट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : असम राज्य में उपलब्ध गैस का उपयोग करने के लिए असम के एक पेट्रो-रसायन कंपलैक्स की स्थापना करने के बारे में असम सरकार के एक उपक्रम औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिसम्बर, 1984 में एक प्रस्ताव रखा गया था।

वर्ष 1986-87 के दौरान सभी जिलों में विकास केन्द्र

8970. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने क्षेत्रीय विकास में सन्तुलन लाने का निर्णय लिया है तथा घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी जिलों को विकास केन्द्रों के अन्तर्गत ले लिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तमिलनाडु में सरकार की घोषणा का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार ने केवल "उद्योग रहित जिलों" में पता लगाए गए एक अथवा दो विकास केन्द्रों में अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए एक योजना घोषित की है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अवस्थापनापरक विकास लागत के 1/3 के बराबर केन्द्रीय सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु० प्रति "उद्योग रहित जिलों" होगी।

(ख) चूंकि तमिलनाडु राज्य में कोई "उद्योग रहित जिला" नही है, अतः यह इस योजना के अन्तर्गत निहित नहीं है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए औद्योगिक विकास केन्द्र

8971. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने केवल "उद्योग रहित जिलों" में पता लगाए गए एक या दो विकास केन्द्रों में अवस्थापन संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अवस्थापना संबंधी विकास लागत के 1/3 के बराबर केन्द्रीय सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु० प्रति "उद्योग रहित जिला" होगी।

दस राज्यों ने चौंतीस "उद्योग रहित जिलों" में इकतालीस विकास केन्द्रों का पता लगाया है। विकास के केन्द्रों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है।

विवरण

"उद्योग रहित जिलों" में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृति विकास केन्द्र

राज्य/संघ शासित प्रदेश जिले का नाम	विकास केन्द्र
1	2
1. राजस्थान	
सिरोही	1. आबु रोड
	2. पिंडवाड़ा
जैसलमेर	3. पोखरण
	4. सानु रामगढ़
चुरू	5. चुरू
	6. रतनगढ़
बाड़मेर	7. बालोतरा
	8. बाड़मेर
2. उड़ीसा	
बालासोर	9. बालासोर
फलबानी	10. मगमुंडा
बोलंगीर	11. बोलंगीर
3. उत्तर प्रदेश	
बांदा	12. बारगढ़
जौनपुर	13. सतराहिया
जलोन	14. ओरी
फतहगढ़	15. मलवान
कानपुर देहात	16. जैनपुर
हमीरपुर	17. सुमेरपुर
सुल्तानपुर	18. टिकाड़िया
	19. त्रिसुंदा

1	2
4. कर्नाटक	
बिदर	20. बिदर
	21. हुमनाबाद
5. मध्य प्रदेश	
भिन्ड	22. मालानपुर
मंडला	23. मनहेरी
झबुआ	24. मेघनगर
धार	25. पिथामपुर
पन्ना	26. पुरेना
राजगढ़	27. पिल्लुखेड़ी
6. बिहार	
भोजपुर	28. अराह
खगेड़िया	29. खगेड़िया
पुर्णिया	30. पुर्णिया
7. महाराष्ट्र	
गढ़चिरौली	31. कोटगलनाबेगांव कम्पलेक्स
8. पश्चिम बंगाल	
जलपाईगुड़ी	32. रानीनगर
कूच बिहार	33. कूच बिहार
दार्जिलिंग	34. बागडोगरा
मालदा	35. मालदा
बांकुरा	36. बिष्णुपुर
9. त्रिपुरा	
पश्चिमी त्रिपुरा	37. सोकेरकोट
उत्तर त्रिपुरा	38. धर्मनगर
दक्षिणी त्रिपुरा	39. टकमाचैरा
10. नागालैंड	
टयुनसेंग	40. लौंगलैंग
	41. नोकनाम

उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क

8972. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत शुल्क की दर भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत शुल्क एक समान करने के लिये क्या कदम उठाए जायेंगे ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विद्युत शुल्क सबसे कम है ;

(घ) क्या अलग-अलग राज्य में उद्योगों के लिए विद्युत शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें होने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उद्योगों के लिए एक समान विद्युत शुल्क दर लागू करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) विद्युत टैरिफ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब और मेघालय में वसूली की अनुमानित औसत दरें अन्य राज्यों में प्रचलित दरों से अपेक्षाकृत कम हैं। विद्युत की कीमत उन पहलुओं में से एक है जो किसी उद्योग के उत्पादन की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। तथापि, विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार राज्य बिजली बोर्डों के पास है।

कोयले से तेल का उत्पादन

8973. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोयले से तेल के उत्पादन की कोई परियोजना शुरू करने की कोई योजना है ;

(ख) इस संबंध में जी०सी० घोष समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस संबंध में चक्रवर्ती समिति और सिद्धू समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) जे०सी० घोष समिति (1985) और चक्रवर्ती पैनेल (1977) ने कोयले से तरल ईंधन बनाने का प्रस्ताव किया था। संसाधनों की कमी के कारण एवं प्रस्तावों के अलाभकारी होने के कारण यह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किए जा सके। सिद्धू समिति (1984) ने कोयले को गैसीय एवं तरल ईंधन में बदलने की सिफारिशें की थीं। कोयला के नमूनों का उनके गैसीकरण की उपयुक्तता के लिए परीक्षण किया गया है। कोयले से संस्लिष्ट तेल के उत्पादन पर जून, 1988 में भारत सरकार को एक पूर्व-साध्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई गई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) के एक परामर्शदाता, संयुक्त

औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) और कोल इंडिया लि० द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में प्रति वर्ष मिलियन टन तरल उत्पादों के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली तकनालोजी और संयंत्र की अर्थव्यवस्था की जांच की गई है। सरकार ने अभी तक कोयले को तेल में बदलने की कोई योजना शुरू नहीं की है।

कर्नाटक की नई विद्युत परियोजना की मंजूरी

8974. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य की बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य में कुछ नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इन नई विद्युत परियोजनाओं के केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी अभी दी जानी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन नई विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) कर्नाटक में स्थापित की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) वर्ष 1985 में कर्नाटक से निम्नलिखित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं :—

क्रम सं०	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
(1)	बंगलौर में गैस टरबाइन	120	59.0
(2)	डीजल जेनरेटिंग सैट	77.7	50.8
(3)	मंगलौर	420	445.0
(4)	रायचूर विस्तार यूनिट-4	210	178.3 225.1 (संशोधित)
(5)	कटला और पालना डिवीजन स्कीम		8.13

क्रम सं० (1) और (2) पर दी गई स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई हैं और योजना आयोग के निवेश संबंधी अनुमोदन की प्रतीक्षा है ; ईंधन तेल की सप्लाई अभी सुनिश्चित की जानी है। क्रम सं० (3) और (4) पर दी गई स्कीमों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है तथा आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने तथा राज्य प्राधिकारियों से आवश्यक ब्यौरा प्राप्त हो जाने के बाद ही स्वीकृत की जा सकती हैं। क्रम० सं० (5) पर दी गई स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं और अन्तर्राज्यीय पहलुओं के हल हो जाने के बाद ही इसकी जांच को कार्य शुरू किया जा सकता है।

उड़ीसा में क्योंझर तथा मयूरभन्ज जिलों में कागज के कारखानों की स्थापना

8975. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर तथा मयूरभन्ज जिले कागज के कारखानों की स्थापना के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों जिलों में कागज के कारखानों की स्थापना की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये गये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जहां तक लकड़ी और बांस पर आधारित कागज संयंत्रों का संबंध है क्योंझर और मयूरभंज जिलों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा । यद्यपि इन दोनों ही जिलों में यनों वाले क्षेत्र हैं फिर भी कागज ग्रेड की लुगदी बनाने के लिए वहां की लकड़ी उपयुक्त नहीं है। मयूरभंज जिले में लकड़ी काटने पर भी प्रतिबंध है किन्तु सवाई घास जो मयूरभंज जिले के कुछ क्षेत्र में उगाई जाती है कागज की लुगदी के लिए एक सभव संसाधन है । इसके आधार पर मयूरभंज के ढरिया में मैसर्स कोणार्क पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम और अभिधान के अंतर्गत 15 मी०टन० प्रति दिन की क्षमता वाला एक कागज संयंत्र स्थापित किया गया है जिसने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इन दोनों जिलों में कागज संयंत्र स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है । कृषि अवशेषों छीजन और खोई से लिखाई, छपाई और लपेटने के कागज के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उद्यमी निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने पर इन वस्तुओं के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए मुक्त हैं ।

उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अभियान

8976. **श्री पी०एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने हेतु कुछ अभियान शुरू किए हैं ;

(ख) यदि हां, विभिन्न अभियानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना के इच्छुक लोगों के पास पहुंचने के तरीके क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । लघु उद्योग एककों की स्थापना हेतु कार्पोरेशन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उद्यमियों को शिक्षित करने ; तथा कार्पोरेशन की सिंगल पॉइन्ट रजिस्ट्रेशन (एक ही स्थान पर पंजीकरण) योजना के अंतर्गत कार्पोरेशन के पास लघु उद्योग एककों का पंजीकरण करा कर सरकारी खरीद कार्यक्रम से मिलने वाले नामों के बारे में सूचना देने के लिए यह कार्पोरेशन देश के विभिन्न भागों में उद्यमियों

के वास्ते प्रेरक अभियानों का संचालन करती है। उद्यमियों को कार्पोरेशन के आन्तरिक विपणन निर्यात तथा कच्ची सामग्री सहायता कार्यक्रम संबंधी विपणन सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

(ख) 1985-86 के दौरान चलाए गए अभियानों के ब्यौरे संलग्न विवरण दिये गये हैं।

(ग) आरंभ, स्थानीय समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन दिये जाते हैं। अभियान के दौरान लघु उद्योग की एसोसियेशनों/व्यापारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है तथा जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग सेवा संस्थान जैसे कार्यालयों को सम्बद्ध किया जाता है और विलम्ब से बचने के लिए किराया खरीद/सरकारी खरीद पंजीकरण हेतु वहीं पर आवेदन स्वीकार करने के प्रयास किये जाते हैं। इससे अलावा शाखा प्रबंधकों कोअपने स्तर पर अवेदन प्रक्रियायित करने के अधिकार भी दिये गये हैं। उद्देश्य यह है कि कार्पोरेशन की सेवाओं को रुचि रखने वाले उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएं।

विवरण

सिंगल पॉइन्ट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अधीन लघु उद्योग एककों के पंजीकरण हेतु उद्यमियों को प्रेरित करने और किराया खरीद सहायता देने के वास्ते नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर अभियान चलाए गए थे :—

पश्चिमी

1. औरंगाबाद
2. नासिक
3. जामपुर
4. ठाणे
5. रत्नगिरि
6. जाजनगर
7. सूरत
8. दुर्ग
9. सतना

पूर्वी

10. जमशेपुर
11. धनबाद
12. भागलपुर
13. समस्तीपुर
14. हावड़ा
15. दुर्गापुर
16. सिलीगुड़ी
17. सबलपुर
18. पुरी
19. रायगढ़
20. पोर्ट ब्लेयर

पूर्वोत्तर

21. अगरतल्ला
22. इम्फाल
23. गोहाटी
24. सिलचर
25. ऐजवल

उत्तरी	दक्षिणी
26. बहराइच	36. पाण्डिचेरी
27. कानपुर	37. बैंगलौर
28. रामपुर	38. कोयम्बतूर
29. हल्द्वानी	39. मद्रास
30. वाराणसी	40. विरुधुनगर
31. मेरठ	41. टेंकासी
32. रायबरेली	42. कोविलपेट्टी
33. जयपुर	43. त्रिची
34. अम्बाला कैन्ट	44. पालघाट
35. जम्मू	45. मालपुरम्
	46. त्रिचूर
	47. कालीकट
	48. हैदराबाद

औषध उद्योग में भूतपूर्व (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली) कंपनियां

8977. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग में उन कंपनियों की सं० कितनी है, जो पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आती थीं ; और

(ख) इन कंपनियों में से प्रत्येक में भारत को साधारण शेयर पूंजी का प्रतिशत क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1978 की औषध नीति घोषित होने से 21 औषध कम्पनियों द्वारा अपनी विदेशी साम्य पूंजी को कम किए जाने पर वे फेरा कम्पनियां नहीं रहीं ।

(ख) उपलब्धि की सीमा तक ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	विदेशी पूंजी की वर्तमान प्रतिशतत
1	2	3
1.	मै० एंगलो फ्रेंच	40
*2.	मै० इंडियन स्वरिंग	
*3.	मै० निकोलस आफ इंडिया	39.95

1	2	3
4.	मै० कार्टर वालेस	40
5.	मै० सी०ई० फुलफोर्ड	40
6.	मै० अवोट लेबोरेट्रीज	40
7.	मै० एसकेफ लि०	40
8.	मै० सुहरिड गिगि	शून्य
9.	मै० जोफरी मैनर्स	40
10.	मै० पार्के डेविस	40
11.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान	40
12.	मै० हिन्दुस्तान सीवा गिगि आफ इंडिया लि०	40
13.	मै० इंफार इंडिया लि०	40
14.	मै० मे एण्ड वेकर (आई) लि०	40
15.	मै० ग्लैक्सो लेबोरेटीज	40
16.	मै० हैक्स्ट फार्मास्युटिकल्स	40
17.	मै० वीफन्स इंडिया लि०	रेलीस में मिला दिया गया*
18.	मै० मेरिड	40
19.	मै० वुरोज वेलकम एण्ड कं०	40
20.	मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान	40
21.	मै० यू०-स्केनको	39.99

*मै० निकोलस लैब्स नामक कम्पनी में मिल गई है ।

महिलाओं से संबंधित विधियों का प्रकाशन

8978. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है, जिसमें सामाजिक न्याय संबंधी सभी विधियां, विशेषकर, महिलाओं से सम्बन्धित विधियां, समाविष्ट हों ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पुस्तक के कब तक प्रकाशित किए जाने की आशा है तथा इसे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होते ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। इन अधिनियमों की प्रतियों की जब कभी भी मांग होती है या जब वे संशोधित किए जाते हैं तब इनके पुनरीक्षित संस्करण भी समय-समय पर प्रकाशित किए जाते हैं इसके अतिरिक्त इन अधिनियमों को विषय-वार भारत संहिता में प्रकाशित किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के दूरसंचार विभाग के कार्यालयों में पदोन्नति के लिए रोस्टर प्रणाली

8979. **श्री ए० वे० वी० महेश्वर राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश दूर-संचार विभाग में अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के लिए रोस्टर प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के दूर संचार विभाग के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने प्रतिशत पदों को अभी तक भरा नहीं गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रोस्टर प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग के आंध्र प्रदेश सर्किल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अब तक न भरे गए पदों की प्रतिशतता क्रमशः शून्य और 3.40 है।

केरल के पालघाट जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8980. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल के पालघाट जिले में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) पालघाट जिले के ओंगाल्लूर में 25 लाइनों का छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज खोलने की योजना है। वैसे, ऐसे कुछ और एक्सचेंज खोलने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों तथा इसके लिए अपेक्षित मांग तथा एक्सचेंज यूनिटें

हों। थिरुवगपुरा, आदिपेरन्डा और पनानत्रा में भी 1985-86 में तीन छोटे आटोमेटिक एक्सचेन्ज खोल दिए गए हैं।

केरल के जिलों में टेलीप्रिंटर सुविधाएं

8981. **प्रो० पी० जी० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ऐसा कोई जिला है जहां इस समय टेलीप्रिंटर सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे जिलों में टेलीप्रिंटर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले जिनमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है

8982. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986 को उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित थे ;

(ख) उनमें से कितने मामले संघ सरकार द्वारा फाइल किए गए हैं और कितने राज्य सरकारों द्वारा ; तथा इनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने मामलों में संघ सरकार को पक्षकार बनाया गया है ; और

(घ) कितने मामलों में विभिन्न राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1-4-1986 को 39,943 नियमित सुनवाई के मामले 39,450 ग्रहण संबंधी मामले और 55,711 प्रकीर्ण मामले लंबित थे।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री, संघ सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा फाइल किए गए मामलों का या जहां संघ सरकार या राज्य सरकार एक पक्षकार बनाई जाती है पृथक अभिलेख नहीं रखती है।

निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहन

8983. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** :

श्री आर० एस० माने :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्रतिकूल विदेश व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले से निर्यात कर रहे उद्योगों का कार्य-निष्पादन क्या रहा है और यदि उनके उत्पादन में कोई गिरावट हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) निर्यात का संवर्धन करने की दृष्टि से, देश में चुने हुए क्षेत्रों में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों का गठन किया गया है। कांडला, बम्बई, कोचीन, मद्रास, फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उ० प्र०) में 6 प्रक्रिया क्षेत्र हैं। इसके अलावा, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए एक योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों में स्थापित एककों के मामलों में प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान की गई हैं ; निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों के एककों तथा सत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को प्रदान की गई सुविधाओं का उल्लेख क्रमशः आयात और निर्यात नीति (1985-88) के परिशिष्ट-15 और 23 में किया गया है।

पिछले चार वर्षों के दौरान कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रूज निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों के विद्यमान 2 एककों द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	कांडला फ्री ट्रेड जोन (करोड़ रु० में)	सांताक्रूज निर्यात परिशोधन जोन (करोड़ रु० में)
1982-83	142.44	54.37
1983-84	107.30	88.62
1984-85	238.75	95.83
1985-86	238.00	84.49

अन्य 4 निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 100% निर्यातोन्मुख एककों के मामले में, पिछले चार वर्षों के दौरान निर्यात-कार्य निष्पादन इस प्रकार है :—

1982-83	रु० 38.86 करोड़
1983-84	रु० 66.66 करोड़
1984-85	रु० 118.12 करोड़
1985-86	रु० 120.48 करोड़ (31-12-85 तक)

[हिन्दी]

राजस्थान में गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति

8984. **श्री शांति धारीवाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन गांवों की संख्या कितनी है जिनके ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए

राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) राजस्थान में 20,331 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए ऋण सहायता देने हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्कीमें स्वीकृत की हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा आक्सी टेट्रासाइकिलीन का उत्पादन

8985. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आक्सीटेट्रासाइकिलीन का उत्पादन कर रहा है ;

(ख) क्या आक्सीटेट्रासाइकिलीन से डोक्सीसाइकिलीन का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या आई०डी०पी०एल० को डोक्सीसाइकिलीन का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है ;

(घ) इस परियोजना के लिए आई०डी०पी० एल० द्वारा प्रतिष्ठापित संयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य कितना है ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० में प्रतिवर्ष इस औषधि का कितना उत्पादन हुआ ; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इस औषधि का देश में कुल कितना उत्पादन हुआ तथा कुल कितना आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुनाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) 31-3-85 का स्थिति के अनुसार आई० डी० पी० एल० के संयंत्र और मशीनरी का (शकल ब्लाक) निम्न प्रकार था ।

	लाख रु०
1. ओक्सीटेट्रासाइकिलीन	42.49
2. डोक्सीटेट्रासाइकिलीन	115.02

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आई० ड्री० पी० एल० का उत्पादन निम्न प्रकार था।

(टन में)

	1983-84	1984-85	1985-86
1. औक्सी टेट्रासाइकिलन एच० सी० एल०	20.9	49.1	58.60
2. औक्सीटेट्रासाइकिलन प्यौर बैस	—	0.1	—
3. डोक्सी साइकिलिन	—	—	—

(च) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान देश में औषध का कुल उत्पादन और आयात निम्न प्रकार थे।

	1982-83		1983-84		1984-85	
	उत्पादन	स्वदेशी	उत्पादन	स्वदेशी	उत्पादन	स्वदेशी
औक्सी टेट्रासाइकिलिन	119.57	40 95	104 99	23.03	135·60	3.37
डोक्सी साइकिलिन	3.08	1.81	1.66	0.030	4.32	0.005

नर्मदा सागर परियोजना में पन बिजली घर तथा ऊंचा बांध के निर्माण के लिए ठेका

8986. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वाकाशी नर्मदा सागर परियोजना पर एक पन बिजली घर तथा ऊंचा पक्का बांध बनाने के ठेके के लिए 23 विदेशी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या भारयीय कंपनियां यह काम करने में सक्षम नहीं हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय कम्पनियां काम करने के लिए सक्षम हैं।

देश में डाक घर

8987. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के कितने डाक घर हैं और प्रत्येक राज्य और महानगरों तथा नगर निगमों में उनकी कितनी संख्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में औसत रूप से कितने परिवारों और व्यक्तियों के लिए एक डाकघर है ;

(ग) छठी योजना के अन्त पर प्रत्येक राज्य, महानगर, नगर निगम में कितने डाकघर थे और सातवीं योजना के अन्त पर इन राज्यों और नगरों में कितने डाकघर होने का अनुमान है ;।

(घ) डाकघरों की संख्या में पांचवीं और छठी योजनाओं की संख्या से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ङ) ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में प्रत्येक डाकघर पर औसत कितनी आय और व्यय होता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) विभिन्न डाक सर्किलों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) पांचवीं योजना तथा छठी योजना में अन्त तक कि अवधियों के बीच देश में डाकघरों की संख्या में 10·60 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ङ) विभाग में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लेखे नहीं रखे जाते सामान्य आधार पर स्थिति यह है कि शहरी क्षेत्रों में किसी डाकघर द्वारा अर्जित राजस्व को कम से कम उसको चलाने पर पाने वाली लागत के बराबर होना चाहिए । सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक मामलों में डाकघर आर्थिक सहायता प्रदान करके खोले जाते हैं । यह आर्थिक सहायता डाकघर को चलाने पर आने वाली लागत के 75 प्रतिशत होती है । पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर को खोलने के मामलों में इस आर्थिक सहायता को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है ।

[हिन्दी]

टोंक राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए परीक्षण केन्द्र की स्थापना

8988. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में देशी तकनीक से निर्मित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए कौन सी जगह पर परीक्षण केन्द्र बनाने का विचार है तथा इसमें कितनी लाइनों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या राजस्थान के टोंक जिले में उद्देश्य से कोई सर्वेक्षण किया गया है और क्या सरकार का विचार टोंक जिले में इस देशी तकनीक का लाभ लोगों को देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

सोडियम सेलिसिलेट का मूल्य निर्धारण

8989 **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोडियम सेलिसिलेट का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका वर्षवार कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इसका मूल्य निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रति किलो ग्राम कितना मूल्य निर्धारित किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) सोडियम सेलिसिलेट के उत्पादन पर मेरे मन्त्रालय में निगरानी नहीं रखी जाती ।

(ग) और (घ) सोडियम सेलिसिलेट के लिए सरकार द्वारा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

दूरसंचार विभाग में इन्जीनियरों की पदोन्नति

8990. **श्री एम० महालिंगम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक इन्जीनियर (टी० ई० एस० "ख" वर्ग) के पद से डिवीजन इंजीनियर (आई० टी० एस० "क" वर्ग) के पदों पर कनिष्ठ इंजीनियर के पद से सहायक इंजीनियर (टी० ई० एस० "ख" वर्ग) पदोन्नति के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए गए सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जाता है और उन्हें 40 सूत्री रोस्टर प्वाइन्ट के अनुसार उपयुक्त स्थान पर नहीं रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महोदय, सहायक इंजीनियरों की मंडल इंजीनियरों के पद में और जूनियर इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के पद में पदोन्नति करने के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को चयन सूची में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाता है । 40 प्वाइंट रोस्टर केवल आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण करने के लिए है न कि चयन किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए ।

(ख) आमतौर से आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का चयन श्री नारमल जोन जो सामान्य श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होता है, के बजाए प्रत्याशित रिक्तियों के पाइव टाइम्स एक्सटैंडिड जोन में से किया जाता है । अतः ऐसे अधिकांश अधिकारियों को चयन सूची में सबसे नीचे रखा जाता है । पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का दूरसंचार विभाग में सख्ती से पालन किया जा रहा है ।

असम के जोगीघोपा क्षेत्र में पेपर मिल्स कम्प्लेक्स को पुनः खोलना

8991. **अताउर्रहमान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम समझौते में दिए गए आश्वासन के अनुसार जोगीघोपा क्षेत्र में पेपर मिल कम्प्लेक्स में मिल का फिर से खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जबरी छुट्टी किए गए कर्मचारी और श्रमिक कई वर्षों से गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि रखरखाव के अभाव में फैक्टरी और भवन उनके इर्द-गिर्द क्षेत्र बहुत ही जीर्ण हालत में है और हरे भरे पेड़ों के विकास के कारण जंगली जानवर अब फैक्टरी के भवनों में रहते हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वित्तीय संस्थान, असम तथा बिहार की राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के परामर्श से अशोक पेपर मिल्स को पुनः खोलने हेतु तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे कि इसे शीघ्र ही चालू किया जा सके।

(ख) सूचना मिली है कि मिल बन्द पड़ी होने के कारण कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

(ग) असम सरकार ने सूचित किया है कि जोगीघोपा में अशोक पेपर मिल्स के भवन के आसपास अत्याधिक मात्रा में पेड़ पौधे उग आए हैं जिन्हें धनाभाव के कारण साफ नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

वर्ष 1985-86 के दौरान घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रम

8992. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में चौरासी उपक्रमों को हुए 1305.15 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को शुद्ध घाटा हुआ ;

(ख) इन चौरासी उपक्रमों में से कितने उपक्रम उनकी आर्थिक क्षमता का अध्ययन करने के पश्चात् स्थापित किये गये थे;

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उनकी स्थिति का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सभी उपक्रमों को हुए कुल घाटे में से प्रत्येक उपक्रम को कितने प्रतिशत घाटा हुआ ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 1985-86 अभी समाप्त हुआ है और सरकारी उद्यमों को, उनके लेखों को संकलित करने तथा अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा ; इसलिए अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिकार में लिए गए एककों को छोड़कर, सामान्यतः केन्द्रीय उपक्रमों की स्थापना करने का निर्णय उनकी आर्थिक क्षमता का अध्ययन करने के पश्चात् ही लिया जाता है।

[अनुवाद]

गांव नेबसराय नई दिल्ली में बिजली के अतिरिक्त खम्बे

8993. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांव नेबसराय, नई दिल्ली में सड़कों पर बिजली के अतिरिक्त खम्बे लगाने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों का उक्त गांव में सड़कों पर कब तक बिजली के खम्बे लगाने का है जिससे उक्त गांव में सड़क दुर्घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं और अन्य अपराध न हों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गांव में सड़कों पर बिजली के अतिरिक्त खम्बे/पाइंट लगाने की स्कीम को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हाथ में लिया जा सकता है यदि उक्त स्कीम दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रायोजित की जाती है और इसका वित्त पोषण भी किया जाता है।

मानक विधि शब्दावली के शब्द-कोश

8994. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी राजभाषाओं में अथवा उनमें से किसी में कोई मानक विधि शब्दावली तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) विधायी विभाग का राजभाषा खंड, जहां तक संभव है, सभी राज भाषाओं में प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दावली तैयार और प्रकाशित करता आ रहा है। इस प्रकाशन का नाम 'विधि-शब्दावली' है। विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण, जिसमें लगभग 10,000 प्रविष्टियां थी का संकलनऔर प्रकाशन तत्कालीन राजभाषा (विधायी) आयोग ने 1970 में किया था। विधि शब्दावली का द्वितीय (पुनरीक्षित और परिवर्धित) संस्करण राजभाषा खंड ने 1973 में प्रकाशित किया था। तीसरा (पुनरीक्षित और परिवर्धित) संस्करण, जिसमें 37,000 प्रविष्टियां हैं, 1983 में प्रकाशित कियागया है।

'बहुभाषी संविधान शब्दावली' जिसमें 13 भाषाओं में विधि-शब्दों के पर्याय दिए गए हैं, इस वर्ष के आरम्भ में प्रकाशित की गई है।

असम में पनबिजली परियोजनाएं

8995. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम जल संसाधनों की दृष्टि से धनी है और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के उपयोग से सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन संभव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का असम में कुछ पनबिजली परियोजनाएं लगाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) ब्रह्मपुत्र बेसिन की कुल जल विद्युत क्षमता 60% भार अनुपात पर 34,950 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 350 मेगावाट असम राज्य में है।

(ख) असम और मेघालय की सीमा पर कोपिली जल विद्युत परियोजना (150 मेगवाट) को उत्तर-पूर्वी परिषद स्कीम के रूप में उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम के माध्यम से शुरु किया गया है। इसमें से खण्डोंग बिजली घर (50 मेगावाट) पहले से प्रचालनाधीन है और 50-50 मेगावाट की कोपिली बिजली घर की दो यूनिटें अक्टूबर, 1986 और दिसम्बर, 1986 में चालू किए जाने की सम्भावना है। असम राज्य बिजली बोर्ड ने कर्बी लांगपी (ऊपर स्टेज) (2 × 30 मेगावाट) पर एक परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

8999. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कितने उपक्रम कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन उपक्रमों की क्रमशः वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में घाटे और लाभ की स्थिति क्या थी ; और

(ग) इन परिस्थितियों में सुधार के लिये क्या विशेष कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग मंत्रालय के अधीन फिलहाल 26 केन्द्रीय सरकारी उद्यम कार्य कर रहे हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

(ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के आधार पर इन उद्यमों ने 1984-85 में 29.35 करोड़ रुपये तथा 1983-84 में 17.71 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया है।

वित्तीय वर्ष 1985-86 अभी-अभी समाप्त हुआ है, और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लेखे संकलित करने में कुछ और समय लगेगा। अतः वर्ष 1985-86 के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये किये गये उपाय उनकी विशिष्ट समस्याओं के अनुसार एक उद्यम में से दूसरे उद्यम भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु, सामान्यतः किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

—कार्य निष्पादन का आवधिक अन्तरालों पर सघन परिवीक्षण करना।

—प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना।

—संयंत्र तथा उपस्कर को आधुनिक बनाना।

—जहां कहीं आवश्यक जान पड़ने पर उत्पाद-मिश्र में विविधिता लाना।

—सन्तोलक सुविधाओं में पूंजी लगाने की व्यवस्था करना।

—संगठन के ढ़ाचे में परिवर्तन करना।

—कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलाना।

—सामूहिक योजनायें तैयार करना।

डिपाइरिडामोल के मूल्य

8997. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिपाइरिडामोल का देश में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न फर्मों के आयातित मूल्यों में 100 प्रतिशत से भी अधिक का अन्तर है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अलग अलग पार्टियों द्वारा किये गये आयातों की निगरानी नहीं की जाती। फार्मूलेशनों के मूल्य डिप्रीडामोल के कुल आयातों की भारित औसत अवतरित लागत पर आधारित होते हैं।

चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित पड़े आवेदन

8998. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में (श्रेणी-वार) टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क)

चंडीगढ़ से 31-3-86 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों (श्रेणी-वार) की कुल संख्या नीचे दी गई है :

ओ वाई टी	682
विशेष	852
सामान्य	9535
कुल	11069

(ख) 7वीं योजना के दौरान टेलीफोन प्रणाली में 10,000 लाइनें और बढ़ाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों के लिए 9000 नए कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे।

कोयला जलाने की विभिन्न टैक्नालाजी

8999. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला जलाने की विभिन्न अधिक कुशल टैक्नालोजी उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इन्हें उन सभी क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जायेगा जहां कोयला वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जलाया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोयला जलाने की परम्परागत प्रौद्योगिकी की तुलना में, निम्नलिखित अधिक सक्षम प्रौद्योगिकियां देश में ही उपलब्ध हैं :—

(i) तरलीकृत तल प्रदहन ।

(ii) विचूर्णित कोयला फायरिंग।

(iii) कोयला गैसीकरण और गैस का उपयोग ।

बड़े कोयला उपभोक्ताओं को कोयला जलावन की सक्षम प्रौद्योगिकी अपनाने की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करने के प्रयास जारी हैं। देश के अन्दर कुछ तरलीकृत तल प्रदहन ब्वायलर काम कर रहे हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं।

इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० द्वारा डोक्ससाइक्लीन का उत्पादन

9000. **कुमारी पुष्पा देवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, (आई०डी०पीएल०) डोक्सिसाइक्लिन जो कि एक अनिवार्य एन्टि-बायोटिक औषधि है, करने का उत्पादन करने में असमर्थ है;

(ख) यह भी सच है आई०डी०पी०एल० न इस औषधि के उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी पर विशाल धनराशि खर्च का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस औषधि के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है और अन्य औषधि कम्पनियां इन औषधियों का उत्पादन कर रही हैं ;

(घ) आई०डी०पी०एल० के इन औषधियों का उत्पादन करने में असमर्थ होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इसका उत्पादन न किये जाने के कारणों का पता करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (घ) और (ङ) आई०डी०पी०एस० ने डाक्सी साइक्लीन का उत्पादन 1979-80 में आरंभ किया, परन्तु 1982-83 में इसके उत्पादन को स्थगित कर दिया क्योंकि इसकी उत्पादन लागत प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक थी।

(ख) आई०डी०पी०एल० ने डाक्सीसाक्लीन के उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी पर 115.02 लाख रुपये का निवेश (31-3-1985 को सकल ब्लाक) किया है।

(ग) एक कम्पनी, अर्थात मैसर्स रेनवेक्सी लेबोरेटरीज देश में डाक्सीसोइक्लीन का उत्पादन कर रही है।

गंगा बेसिन में गैस के भण्डार

9001. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गंगा बेसिन में 20,000 फुट की गहराई पर प्राकृतिक गैस आयोग भंडारों की संभावनाओं पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अमरीका की हाल की परिकल्पनाओं का अध्ययन किया है, जिसमें बताया गया है कि 20,000 फुट गहराई पर भारी मात्रा में गैस के भंडार मिलने की संभावना है ; और

(घ) क्या इतनी गहराई पर तेल की खुदाई के लिये देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जहां आसार उपयुक्त होते हैं वहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का 20,000 फुट की गहराई तक खुदाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

मध्य प्रदेश में तेल की खोज

9002. **श्री सुभाष यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जहां 1984-85 और 1985-86 के दौरान तेल और गैस होने की संभावना का पता चला है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(ग) वहां गैस और तेल का कितना भण्डार होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) अभी तक मध्य प्रदेश में हाइड्रोकार्बनों की कोई प्राप्ति नहीं हुई है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उस क्षेत्र में अन्वेषण कर रहा है और 1985-86 के दौरान करीब 30 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं ।

उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देना

9003. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय ने 30 जनवरी, 1986 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 9 के द्वारा 23 उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है ;

(ख) क्या इंजीनियरिंग उत्पादन सामग्री "टूल रूम उत्पादों" के अन्तर्गत आती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो टूल रूम उत्पादों के अन्तर्गत आने वाली चीजों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना के एम० आर० टी० पी०/फैरा कंपनियों के लाइसेंसमुक्त किए गए उद्योगों को बाद में दिनांक 31-3-1986 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित कर दिया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) टूल रूम प्रोडक्ट्स के अन्तर्गत प्रेस टूल, सभी प्रकार के साँचे और खाँचे, जिगें और फिक्चर, विशेष निरीक्षण गैंज आदि आते हैं ।

गुजरात तेल शोधक कारखाने की डिस्टीलेशन यूनिटों की खामियां दूर करना

9004. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तेल शोधक कारखाने की कच्चे तेल की डिस्टीलेशन यूनिटों की क्षमता बढ़ाने के लिये उनकी खामियां को दूर किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो खामियां दूर करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(ग) कच्चे तेल की इन डिस्टीलेशन यूनिटों को स्थापित किया गया था और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी ; और

(घ) कितने मूल्य की मशीनों को बेकार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 28.5 करोड़ रुपए (ऊर्जा संरक्षण के लिए सुधार/प्रतिस्थापन सहित)।

(ग) रिफाइनरी में पर्यावरण के लिए 4 एककें क्रमशः 1965,1966,-1967 तथा 1978 में स्थापित की गई। इन पर कुल 1682.46 लाख रुपए खर्च किए गए।

(घ) एटमोस्फेयरिक एकक-III '(ए० यू०-III) में कम कार्यकुशलता वाली भट्टियों को उच्च दक्षता वाली भट्टियां लगाकर बदलना है। सारी ए०यू०-III की डेप्रिसिएटिए बुकवैल्यु केवल 8.64 लाख रुपए है। बदली जाने वाली इसकी भट्टियां की बुक वैल्यु बहुत कम होगी।

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का संशोधन

9005. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालम है कि औषध और चमत्कारिक उपचार आक्षेपण विज्ञापन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत रोगों का चमत्कारिक उपचार दो सप्ताह ही में विकास संतुष्ट न होने पर धन वापस आदि जैसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद औषध निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों का बढ़ाचढ़ाकर और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं का निरंतर शोषण जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कदाचार को रोकने हेतु वर्तमान कानून की और अधिक कठोर बनाने के लिए उसकी पुनरीक्षा करने का वाछनीयता पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है उस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह अधिनियम कथित चमत्कारिक स्वरूप वाले उपचारों के कुछ प्रयोजनों के लिए कुछ मामले में विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए औषधों के विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। इस समय अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सलबूटामोल के निर्माण के लिए लाइसेंस

9006. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सलबूटामोल, जिसकी इस समय कमी है, के उत्पादन हेतु लाइसेंस के लिए कोई आवेदन लम्बित पड़े हैं /अथवा नामंजूर कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अब इस औषध का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की इस औषधि को आयात किया गया और इस संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्र (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सलबुटामोल के उत्पादन के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस आवेदन/पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आयात के ब्यौरे मंथली स्टेटिक्स फार फारेन ट्रेड इन इंडिया, खण्ड 11 में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। उत्पादन को बढ़ाने और स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए, सलबुटामोल को गैर एम० आर० टी० पी०/गैर फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स के पूर्वी कुमारधुबी कोयला खान, कापसारा क्षेत्र के निकट खुले मुहाने की खान

9007. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स के पूर्वी कुमादुभी कोयला खान काप सारा क्षेत्र के निकट नानोत्तर गांव के पास की खुले मुहाने की खान में विस्फोटों के दौरान गांवों के ऊपर पत्थर फेंके जाने से खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान ग्रामीणों ने पत्थर गिरने से उनके मकानों को होने वाले नुकसान के संबंध में विरोध प्रकट किया है ;

(ग) क्या उड़ते हुए पत्थरों के गांवों में लोगों को लगने से उनकी जान जाने की भी संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कापसारा एरिया के अधीन ईस्ट कुमारधोबी कोलियरी के नजदीक नानोतर नाम का कोई गांव ऐसा लगता है कि नहीं है । संभवतमाननीय सदस्य "नामोहिर" नामकगांव का जिक्र कर रहे हैं कुमारधोबी ओपेनकास्ट खान के नजदीक स्थित हैं । एक ऐसी स्थिति आई थी जब यह निर्णय किया गया था कि बवैरी का विस्तार किया जाए जिसमें यह गांव भी खनन क्षेत्र में आ जाता, किन्तु गांव वाले अपनी रिहायशी जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए, यद्यपि उन्हें उनके मकानों के लिए वकल्पिक जमीन और मुआवजा भी देने का प्रस्ताव किया गया था। ऐसी हालत में इस गांव की ओर बवैरी का विस्तार नहीं किया गया ।

भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं में हुआ विलम्ब

9008. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 को भूमि अधिग्रहण के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोफील्ड्स लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं और खनन कार्य रुक गए हैं ;

(ख) इन रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश की कितनी धनराशि रुक गई है ;

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में परियोजनाओं को शुरु करने से भूमि अधिग्रहण का मामला तथा अन्य सभी मामले देरी के लिए कितने प्रतिशत जिम्मेदार हैं ;

(घ) क्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए, जिनका उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० दोनों में पांच-पांच परियोजनाओं के काम पर भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इसके अलावा, भारत कोकिंग कोल लि० में चार सेटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के काम की प्रगति भी रुकी पड़ी है ।

(ख) दिसम्बर, 1985 के अन्त तक, इन परियोजनाओं में 325 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था । यह परियोजनाएं जब पूरी हो जाएंगी तो इनमें कुल 17,708 की कुल जनशक्ति होगी ।

(ग) अनेक प्रमुख निर्माण कार्य तथा खनन की प्रगति पूरी तरह भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करती है । भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होने के कारण अब भूमि अधिग्रहण वह महत्वपूर्ण कार्य हो गया है जिसके अभाव में अन्य सभी कामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(घ) और (ङ) बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण समस्या को हल करने के लिए मंत्री स्तर पर बैठकें हुई हैं ।

मधु-मक्खी पालन के लिए प्रोत्साहन

9009. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों के परागण में मधु मक्खियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश में मधु-मक्खी पालन का संवर्धन करने के लिए कदम उठाने का है ;

(ख) यदि हां, तो मधु-मक्खी पालन का संवर्धन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां मधुमक्खी पालन अत्याधिक सफल रहा है और उन राज्यों में वर्ष 1985 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

खादी और ग्रामोद्योग आयोग मधुमक्खी पालने वाली कालोनियों को कृषि और बागवानी क्षेत्रों में बदलने व फसलों के परायण के लिए सहायता-अनुदान देता है। परागण सेवाओंकी सहायता के लिए मधुमक्खी पालकों को अपनी मधुमक्खी कालोनियों को बदलने के लिए मधुमक्खी कालोनी 15 रुपये सहायता अनुदान देने की एक विशेष सहायता योजना परिकल्पना की गई है।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों तथा मधुमक्खी पालन करने वाली सहकारी समितियों को मधुमक्खी पालन उद्योग का विकास करने के लिए रियायती वित्त तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है :

1. मधुमक्खी के लिए डिब्बों और शहद के निष्कर्षकों सहित मधुमक्खी के लिए उपकरणों का वितरण।

2. आधुनिक मधुमक्खी वाटिकाएं, मधुमक्खी नर्सरियों व प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करना।

3. मधुमक्खी के घरों का निर्माण।

4. मझौले और अर्द्ध-वाणिज्यिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए धनराशियों की व्यवस्था करना।

5. शैक्षिक संस्थानों में मधुमक्खी पालन उद्योग शुरू करना।

6. वर्गीकरणकृत (ग्रेडिड) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।

7. मधुमक्खी पालकों से शहद खरीदने के लिए संस्थानों/समितियों को कार्यशील पूंजी ऋण।

8. क्वालिटी नियंत्रण, परीक्षण सुविधाओं आदि के मामले में संस्थानों/समितियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

9. जनजातीय और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में उद्योग का विकास करने पर विशेष बल देना।

विवरण-II

वे राज्य जहां मधुमक्खी पालन अधिक सफल हैं—वर्ष 1984-85 के दौरान उत्पादित शहद की मात्रा और मूल्य

क्र० सं०	राज्यों का नाम	शहद	
		मात्रा (कि० ग्राम में)	मूल्य* (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	केरल	18,61,865	319.00

1 2	3	4
2. तमिलनाडु	12,56,816	214.00
3. कर्नाटक	6,61,254	113.00
4. उड़ीसा	3,56,783	60.00
5. प० बंगाल	3,03,223	51.55
6. असम	2,93,896	50.00
7. बिहार	1,71,203	29.00
8. आन्ध्र प्रदेश	1,39,286	23.68
9. मणीपुर	1,24,507	21.34
10. जम्मू और कश्मीर	71,266	12.12
11. महाराष्ट्र	55,872	9.50
12. अन्य राज्य	—	34.20

*निकटतम आंकड़े दिए गए हैं।

[हिन्दी]

मांड ताप-बिजलीघर को कोयले की सप्लाई

9010. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना मांड ताप-बिजलीघर को किसी कोयला खान से संबद्ध किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि मांड-कछार क्षेत्र में कोयला मिल जाये तो क्या इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर कोयला सप्लाई करने के लिए कोई प्रावधान किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ताप बिजली परियोजनाओं को कोयले के संयोजन का निश्चय "विद्युत हेतु कोष संयोजन समिति (दीर्घकालीन)" करती है। यह निश्चय तब किया जाता है जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से इस योजना को अनुमोदित कर दे तथा कोयला संयोजन के लिए योजना आयोग भी इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकृत कर दे। यद्यपि इस परियोजना को "सिद्धान्त रूप में" योजना आयोग ने स्वीकृत कर दिया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी इसका तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन होना बाकी है। अतः विशेष संयोजन समिति ने कोयला संयोजन के लिए इस परियोजना पर अभी विचार नहीं किया है।

[अनुवाद]

उद्योगों के लिए आर्थिक परिमाण हेतु मानदण्ड

9011. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री के० प्रधानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों के लिए आर्थिक परिमाण निर्धारित करने हेतु, मानदण्ड तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों में भविष्य में स्थापित किए जाने वाले एककों का न्यूनतम आर्थिक परिमाण निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की विस्तृत विशेषताएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जनवरी 1986 में घोषित क्षमता के पुनः पृष्टांकन की योजना के अंतर्गत, लाइसेंसीकृत क्षमता को उन उपक्रमों के सम्बन्ध में पुनः पृष्ठांकित किया जाता है जिन्होंने कुछ शर्तों के अधीन पिछले पांच वर्षों में किसी भी वर्ष के अधिकतम उत्पादन तथा उसके 33 1/3 प्रतिशत और उत्पादन के आधार पर 80 प्रतिशत या अधिक की क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया हो । उन मामले में जहां पुनः पृष्ठांकन द्वारा क्षमता वृद्धि की अनुमति के बाद भी कार्य संचालन के मानदण्ड न्यूनतम आर्थिक स्तरों से कम हो, ऐसे उपक्रम अपने कार्य संचालन के न्यूनतम आर्थिक स्तरों तक अपनी क्षमता को पृष्ठांकित करा सकते हैं । यथा प्रस्तावित क्षमता के पुनः पृष्ठांकन को सरल बनाने के लिए बताई गई क्षमता और सुझाये गए न्यूनतम आर्थिक स्तरों के साथ उद्योगों की एक सूची तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा आयात

9012. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बड़े पैमाने पर सैंकड़ों करोड़ रुपये की आयात करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में उपलब्ध मदों या देश में निर्माणाधीन मदों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग केवल इसे उपस्कर का आयात करता है जिनका विनिर्माण देश में नहीं होता हो या जिनका विनिर्माण अपर्याप्त मात्रा में होता है । प्रत्याशित आयात बहुत अधिक नहीं है और यह कुल परिव्यय का लगभग 15 प्रतिशत हो सकता है ।

(ग) जो मदें देश में उपलब्ध हैं या जिनका विनिर्माण देश में किया जा रहा है और अपेक्षित विनिर्देशन पूरा करते हैं उनका इस क्षेत्र में आबंटित संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

भविष्य में पी० टी० ए० के उपयोग के बारे में व्यवहार्य नीति

9013. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों की रिपोर्ट को देखते हुए भविष्य में पी०टी०ए० के उपयोग के बारे में व्यवहार्य नीति तैयार कर सकी है ; और

(ख) पी०टी०ए० के उपयोग के बारे में अपना भावी नीति तैयार करते समय सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि स्वदेशी निर्माताओं द्वारा विशेषकर सरकारी क्षेत्र में डी०एम०टी० की उत्पादन पी०टी०ए० का देश में अवतरण मूल्य से कम होना चाहिये जिससे कि डी०एम०टी० की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) स्वदेशी डी० एम० टी० क्षमता की इष्टतम उपयोगिता प्राप्त करने की दृष्टि से डी० एम० टी०/पी० टी० ए० आयात शुल्क को उपयुक्त रूप से समंजित किया गया है।

कोटकपूरा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

9014. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या संचार मंत्री कोटकपुरा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2182 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस एक्सचेंज के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1500 लाइनों के आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की परियोजना के लिए 1,52,27,00 रु० की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिए कार्य नक्शे तैयार किए जा रहे हैं । एक्सचेंज के लिए उपस्कर की 1987 में सप्लाई किए जाने की संभावना है।

(ग) भवन निर्माण के दिसम्बर, 1987 में शुरु हो जाने की संभावना है।

आन्ध्र प्रदेश से विदेशों को डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

9015. **श्री एस० पलाकी ड्रायुडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं का सुधार करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ख) आंध्र प्रदेश में ऐसी टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनका विकास किया जाएगा, किया जा चुका है और जहां से विदेशों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन घुमाने की सुविधा उपलब्ध होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार नेटवर्क को विभिन्न प्रणालियों पर व्यय किया जाता है जिनमें से कुछ दी गई क्षेत्रीय यूनिट को सीधे या पूर्णतः लाभ पहुंचाती हैं। जबकि अन्य प्रणालियों द्वारा एक से अधिक यूनिट को लाभ पहुंचता है। अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह संभव नहीं है कि आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए अलग से व्यय किया जाए।

(ख) इस समय नेल्लौर, रैनीगुंटा, तिरूपति, गुडूर तथा चित्तूर से 12 विदेशों के लिए सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के निम्नलिखित एक्सचेंजों में विदेशों के लिए सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की संभावना है।

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	क्रम सं०	स्टेशन का नाम
1.	अदिलाबाद	23.	लिंगमपल्ली
2.	अदोनी	24.	मेहबूबनगर
3.	अन्नतापुर	25.	मछलीपटनम
4.	अन्नाकापल्ली	26.	नालगोन्डा
5.	भीमावरम	27.	निजामाबाद
6.	कुड्डाप्पा	28.	नन्दयाल
7.	छिराला	29.	नन्दीगाम
8.	छिलाकालूरीपेट	30.	ओगोले
9.	डुग्गीराला	31.	प्रोदात्तूर
10.	ऐलुरू	32.	पट्नचेरू
11.	गुंटक्कल	33.	राजामुन्दरी
12.	गुंटूर	34.	संगारेड्डी
13.	गुडीवाडा	35	श्रीकाकुलम
14.	हैदराबाद	36.	तडेपल्लीगुडम
15.	हिन्दुपुर	37.	टनुकू
16.	हनुमंकोन्डा	38.	तेनाली
17.	इब्राहिमपट्टनम	39	टुनी
18.	खाम्माम	40.	विजयवाड़ा
19.	कोयागुदम	41.	विशाखापटनम्
20.	कूरनूल	42.	वारांगल
21.	कवेली	43.	पलेकोले
22.	काकीनाडा	44.	विजया नगरम

आन्ध्र प्रदेश के कुड्डप्पा जिले में नए मुख्य, शाखा तथा उप-डाकघरों की स्थापना

9016. **श्री एस० पलाकोड्डायुडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कुड्डप्पा जिले में मुख्य डाकघरों/शाखा डाकघरों तथा उप-डाकघरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कुड्डप्पा जिले में ऐसे और अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन डाकघरों के खोलने का प्रस्ताव है और किस तिथि तक इनमें काम शुरू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कुड्डापाह जिले में 4 प्रमुख डाकघर, 103 उप-डाकघर तथा 713 शाखा डाकघर हैं ।

(ख)जी नहीं । फिलहाल ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए आवंटन

9017. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस संयंत्रों के विकास हेतु अनुसंधान के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का यदि कोई है, तो ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल राज्य को कितना आवंटन किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बायोगैस संयंत्रों के लिए राजसहायता बढ़ाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं । तथापि यहां पर एक बायोगैस अनुसंधान एवं विकास समिति है जो बायोगैस के क्षेत्र में अनुधान एवं विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों के अनुमोदन पर पुनरीक्षण और विचार करती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रत्येक राज्य को बायोगैस कार्यक्रमों को इसके निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चलाने के लिए निधि दी गई है । वर्ष 1986-87 में केरल को कुल धनराशि देना लक्ष्य और निष्पादन पर निर्भर करेगा ।

(घ) जी नहीं ।

कच्चे तेल का उत्पादन

9018. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) 27.37 मिलियन मी० टन ।

(ख) 1985-86 के दौरान ओ० एन० जी० सी० का कच्चे तेल का उत्पादन का लक्ष्य 27.11 मिलियन मी० टन था जबकि वास्तविक औसत दैनिक उत्पादन 75301 मी० टन था ।

भारतीय निर्माता द्वारा हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजनाओ के लिए अपेक्षित पाइप लाइनों का निर्माण

9019. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिए ; पाइप लाइनों का निर्माण कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइनों के लिए अपेक्षित पाइप-लाइनों का निर्माण आरम्भ करने हेतु भारतीय फर्मों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राउढ़केला स्टील प्लांट (आर० एस०पी०) की स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की स्टील पाइपों का निर्माण करती है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है ।

(ख) आर०एस०पी० केवल स्पाइरली वेल्डिउ पाइपों का निर्माण करता है न कि यू०डी० ई० टाइप की स्टील पाइपों का जिनकी एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन के लिए आवश्यक होती है । राउढ़केला स्टील प्लांट को 18" डायमीटर की 22,200 मी० टन पाइपों के लिए आर्डर दिया गया है जिनकी इस परियोजना की आवश्यकता है ।

डाकघर बचत बैंक खातों में धोखाधड़ी के मामले

9020. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान डाकघर बचत बैंक

खातों की संख्या कितनी है और इन वर्षों के दौरान इन खातों में वर्ष-वार कितनी धनराशि जमा की गई है ;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान धोखा-धड़ी के कुछ मामलों का पता चला है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बचत, आवर्ती जमा, संचयी सावधी जमा तथा सावधिक जमा आदि सहित डाकघर बचत बैंक खातों की संख्या इस प्रकार है :—

1) 31-3-1984 को 658 लाख

2) 31-3-1985 को 719 लाख

3) 31-3-1986 तक की जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी । डाकघर बचत बैंक खातों में जमा राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष		राशि
1984-84		रु० 3739 करोड़
1984-85	—	रु० 4865 करोड़
1985-86	—	रु० 5192 करोड़ (अस्थाई)

(ख) और (ग) बचत बैंक धोख-धड़ी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष		मामलों की संख्या
1983-84	—	906
1984-85	—	1006
1985-86	—	809

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास

9021. **श्री सी० सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की दर क्या रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास में पूंजी निवेश किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन राज्यों के लिए औद्योगिक उत्पादन का कोई अलग सूचकांक नहीं रखता। फिर भी, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, नवीनतम उपलब्ध अवधि 1980-81 से 1982-83 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फैक्टरी क्षेत्र में उत्पादन का मूल्य और निवल जोड़ा गया मूल्य निम्नलिखित था :—

वर्ष	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु० में)	निवल जोड़ा गया मूल्य (करोड़ रु० में)
1980-81	3184.18	583.69
1981-82	3491.32	695.69
1982-83	4747.38	1015.85

(ख) और (ग) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा निकाले गए सरकारी उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 1981-1985 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र सरकार के उद्यमों में निवेश निम्नलिखित था :—

31 मार्च को		निवेश (करोड़ रु० में)
1981	—	988.08
1982	—	1208.17
1983	—	2137.08
1984	—	3086.90
1985	—	3983.12

"रूरल मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन्स" का निर्माण

9022. **श्रीमती यादुरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान "रूरल मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन्स" के निर्माण के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के गांव में संचार के विकास संबंधी क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभिन्न दिशाओं से सम्पर्क के लिए सुलभ ग्रामीण रेडियो उपस्कर स्वदेश में बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। ऐसे उपस्करों के निर्माण के लिए संचार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन इण्डियन टेलीफोन इण्ड-

स्ट्रीज ने, जापान की कम्पनी मैसर्स कोकुसाई इलेक्ट्रिक कम्पनी के साथ सहयोग करार किया है और वर्ष 1986-87 में ऐसे कुछ उपस्करों को बनाने की योजना है।

(ख) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में लगभग 1140 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते इसके लिए आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध हो जाए । अगर मांग आती है और इसके विभागीय मानदण्ड पूरे हो जाते हैं तो बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 4000 ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन और जोड़ने का प्रस्ताव है।

विद्युत परियोजनाएं चालू किए जाने में विलम्ब

9023. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं, जो अब तक चालू की जा चुकी हैं ;

(ख) उन विद्युत परियोजनाओं के चालू किए जाने की निर्धारित तारीख क्या थी ;

(ग) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब हुआ ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने उन बातों का पता लगाया है जिनके कारण उन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब हुआ ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान चालू की गई विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित उनका कार्यक्रम और करने की वास्तविक तारीख संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (च) वर्ष 1985-86 के दौरान कुछ यूनिटों को चालू करने में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं ; सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, सिविल कार्यों में विलम्ब, इलेक्ट्रोमेकेनिकल उपस्कर आदि के उत्थापन में विलम्ब।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान चालू की गई जल विद्युत, ताप और न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन यूनिटें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की निर्धारित तारीख	चालू करने/ रोल करने की वास्तविकी तारीख
1	2	3	4	5	6	7
	जल विद्युत					
1.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	1	33.5	04.85	27-4-1985
2.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	2	33.5	04.85	31-5-1985
3.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	3	33.5	05.85	19-5-1985
4.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	4	33.5	05.85	8-5-1985
5.	नांगशांग खोंग	मणिपुर	1	0.5	04.85	12-7-1985
6.	नांगशांग खोंग	मणिपुर	2	0.5	05.85	12-7-1985
7.	नांगशांग खोंग	मणिपुर	3	0.5	05.85	12-7-1985
8.	रेंगाली	उड़ीसा	1	5.00	07.85	27-8-1985
9.	रेंगाली	उड़ीसा	2	50.0	12.85	26-3-1985
10.	कालीनदी (सूपा)	कर्नाटक	1	50.0	08.85	30-8-1985
11.	कालीनदी (सूपा)	कर्नाटक	2	50.0	10.85	09-11-1985
12.	इदुक्की	केरल	1	130.0	09.85	30-10-1985
13.	इदुक्की	केरल	2	130.0	01.86	16-03-1986
14.	इदामलयार	केरल	1	37.5	07.85	15-7-1985 (रोल)
15.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	3	100.0	09.85	24-12-1985
16.	श्रीसैलम चरण-2	आंध्र प्रदेश	1	110.0	03.85	31-3-1986
17.	माही बजाज सागर	राजस्थान	1	25.0	07.85	22-01-1986
18.	माही बजाज सागर	राजस्थान	2	25.0	12.85	06-02-1986

1	2	3	4	5	6	7
19.	भण्डारधारा	महाराष्ट्र	1	10.0	03-86	27-3-1986
20.	पेंच	म०प्र०/महाराष्ट्र	1	80.0	01-86	14-3-1986 (रोल)
21.	सरवालार	तमिलनाडु	1	20 0	06-85	20-03-1986
22.	पश्चिमी यमुना नहर	हरियाणा	1	08.0	12-85	25-3-1986 (रोल)
ताप विद्युत						
1.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	3	210.0	05.85	3-5-1985
2.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	4	210.0	01.86	8-3-1986
3.	उरण गैस टरबाइन	महाराष्ट्र	7	108.0	07.85	17-6-1986
4.	-वही-	महाराष्ट्र	6	108.0	09.85	2-8-1985
5.	-वही-	महाराष्ट्र	5	108.0	11.85	10-10-1986
6.	-वही-	महाराष्ट्र	8	108.0	01.86	15-1-1986
7.	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	6	110.0	05.85	3-7-1985
8.	पानीपत	हरियाणा	3	110.0	06.85	1-11-1985
9.	कोलाघाट	पश्चिम बंगाल	2	210.0	10.89	16-12-1985
10.	पतरातू	बिहार	10	110.0	10.85	2-3-1986
11.	फरक्का	रा०ता०वि० निगम	1	210.0	08.82	1-1-1986
12.	रायचूर	कर्नाटक	2	210.0	01.86	2-3-1986
13.	वानकबोरी	गुजरात	4	210.0	12.85	9-3-1986
14.	कोरबा	मध्य प्रदेश	4	210.0	12.85	13-3-1986
15.	मुजफ्फरपुर	बिहार	2	110.0	03.86	17-3-1986
16.	बोकारो "ख"	दा०घा०नि	1	210.0	10.86	24-3-1986
17.	नेवेली दूसरा माइन कट	नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन	3	210.0	01.86	29-3-1986
18.	अन्पारा	उत्तर प्रदेश	1	210.0	12.85	24-3-1986
19.	बारामूरा गैसटर्बा०	त्रिपुरा	1	5.0	11.85	31-3-1986 (रोल)
न्यूक्लीय						
1.	कलपक्कम*	तमिलनाडु	2	235.0	03.85	20-9-1986

*वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए अनुसार।

उड़ीसा में चल "मोबाइल" टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

9024. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हालैंड से कितने चल (मोबाइल) टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात किया गया है और इनमें से प्रत्येक एक्सचेंजों की लाइन क्षमता कितनी है और इन पर कितनी पूंजी परिव्यय हुआ है ;

(ख) इनके परिचलन का तरीका क्या है ;

(ग) क्या इनमें से कोई एक्सचेंज उड़ीसा में भी लगाया जाएगा, यदि हां, तो कहां ; और

(घ) यदि नहीं, तो उड़ीसा में ऐसा एक्सचेंज न लगाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अब तक हालैंड से कंटेनर में 25 ट्रांसपोर्टेबल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज आयात किए गए हैं। इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता और पूंजीगत व्यय सहित उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	स्वीकृत पूंजीगत राशि
1	2	3	4
1.	सिरसा (हरियाणा)	2000	1,42,29,000
2.	गुड़गांव (हरियाणा)	3000	2,41,42,100
3.	खन्ना (पंजाब)	2000	1,54,56,200
4.	अबोहर (पंजाब)	2000	1,57,94,200
5	श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	3000	3,62,00,900
6.	बेवार (राजस्थान)	2000	1,51,23,000
7.	पालिमारवाड़ (राजस्थान)	3000	2,40,42,400
8.	अलवर (राजस्थान)	3000	2,24,92,300
9	वेरावल (गुजरात)	2000	1,28,66,300
10.	गांधी धाम (गुजरात)	2000	1,51,33,800
11.	मेहसाना (गुजरात)	3000	2,23,92,000
12.	पोरबंदर (गुजरात)	3000	2,33,60,900
13.	गांधीनगर (गुजरात)	3000	5,58,69,400

1 2	3	4
14. कुरनुरु (आन्ध्र प्रदेश)	2000	1,36,09,000
15. चंगनाचेरी (केरल)	2000	1,43,64,200
16. उदिपि (कर्नाटक)	2000	1,41,75,900
17. गुलवर्गा (कर्नाटक)	2000	1,38,75,700
18. करूर (तमिलनाडु)	3000	2,10,55,200
19. मारगांव (महाराष्ट्र)	3000	2,16,55,300
20. कालमबोली (महाराष्ट्र)	2000	2,44,61,100
21. गया (बिहार)	3000	2,42,68,700
22. इम्फाल (मणिपुर)	2000	1,32,94,500
23. डिबरूगढ़ (असम)	2000	1,37,49,895
24. तीनसुकिया (असम)	2000	1,39,00,865
25. जोड़हाट (असम)	2000	1,44,79,638

(ख) ये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज एनालाग टाइप के हैं, जिनमें प्रचालन की कार्यक्रम प्रणाली स्टोर की जाती है ; ये कंटेनरों में बंद होते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उड़ीसा में संस्थापना के लिए इस टाइप के किसी भी एक्सचेंज का आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेते समय आयात किए गए आकार के किसी भी एक्सचेंज के आबंटन के लिए, उड़ीसा के किसी भी स्थल को उपयुक्त नहीं पाया गया ।

कृषि में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर लेवी नीति

9025. **श्री० के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी०बी०के० राव की अध्यक्षता में वर्ष 1981 में गठित समिति ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं,

(ख) कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर लेवी नीति के संबंध में इन प्रतिदेवदनों में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति ने निम्न चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

1. प्लास्टिकल्चर की स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट ।

2. देश के विभिन्न भागों में 22 प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्र स्थापित करने पर रिपोर्ट ।

3. प्लास्टिक प्रयोग करने वाले फल एवं सब्जी पैकेजिंग पर रिपोर्ट ।

4. प्लास्टिकल्चर प्रौद्योगिकी, प्रयोग, विकास की गुंजाइश एवं परिप्रेक्ष्य योजना 2000 ए० डी० पर अन्तिम रिपोर्ट ।

(ख) और (ग) कृषि में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण, जल प्रबंध एवं संबंद्ध क्षेत्रों के संबंध में, समिति ने सिफारिश की है कि जो किसान प्लास्टिक ट्यूब, फिल्म एवं अन्य मदों का प्रयोग करते हुए प्लास्टिकल्चर विनियोग अपनाने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय रियायतें देने के लिए उपयुक्त पद्धति विकसित की जाए। सरकार ने समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है ।

दूरसंचार कार्यवाही योजना तैयार करना

9026. **श्री पी० मानिक रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी दूरसंचार कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इसका उद्देश्य प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोनों की उपलब्धता के मामले में भारत को सन् 2001 तक ब्रिटेन, जापान और कोरिया जैसे अन्य देशों के समान बनाना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि लन्दन, न्यूयार्क और टोक्यों में, प्रत्येक में 40 लाख टेलीफोनों की तुलना में संपूर्ण देश में लगभग 30 लाख टेलीफोन हैं ।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां । वर्ष 1986-87 में दूरसंचार सेवाओं के विकास तथा सुधार संबंधी लक्ष्य योजना में शामिल हैं। योजना के कुछ मुख्य मुद्दे निम्न प्रकार हैं :—

(1) नेट स्विचल क्षमता चालू करना ।	2.8 लाख लाइनें
(2) न्यू नेट टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था ।	2.2 लाख लाइनें
(3) न्यू टेलेक्स क्षमता चालू करना ।	3,000 लाइनें
(4) स्थानीय प्रणालियों में दोष दरों में सुधार ।	10-5 प्रतिशत
(5) टेलेक्स प्रणाली की दोष दरों में सुधार ।	10-15 प्रतिशत

(ख) जी नहीं।

(ग) 31-3-86 की स्थिति के अनुसार देश में कुछ चालू लाइनों की संख्या 31.66 लाख थी जबकि लंदन, न्यूयार्क और टोकियो में 1-1-22 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 59.16,57.51 और 60.62 लाख लाइनें थीं।

बिहार कोयला खानों में भूमिगत आग

9027. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कोयला खानों के श्रमिक नेताओं में अब अस्थायी शांति संपर्क हो गई है ;

(ख) क्या इससे कोयला खानों में उत्पादन मे वृद्धि होगी और सरकार को अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) क्या कुछ खानों में भूमिगत आग में अभी भी वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास अथवा उधार ली गई प्रौद्योगिकी के माध्यम से घाटे को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच किस प्रकार के संबंध हैं या संबंधों की क्या स्थिति है इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में तनाव को छोड़कर, कोयला उद्योग में कुल मिलाकर औद्योगिक शांति है । यह बात बिहार कोयला क्षेत्र के संबंध में भी सही है।

(ख) औद्योगिक शांति और सौहार्दपूर्ण श्रमिक संबंध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने में निश्चय ही सहायक होते है।

(ग) और (घ) देश में भूमिगत कोयला खानों में इस समय 84 सक्रिय अग्नि-स्थल होने की सूचना है। इनमें से 65 पर काबू पाने और उन्हें बुझाने के लिए परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। बाकी अग्नि-स्थलों से निपटने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम द्वारा गिरिडीह, बिहार में बिजली के सब-स्टेशन का निर्माण

9028. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने गिरीडीह शहर (बिहार) में लगभग 6-7 साल पहले बिजली के सब स्टेशन का निर्माण आरम्भ किया था ;

(ख) क्या इस सब-स्टेशन का आधा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कार्य स्थगित किया गया था ;

(ग) निर्माण कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं और किसके आदेश से यह निर्माण कार्य स्थगित किया गया था और इस पर कुछ कितना खर्च हुआ ;

(घ) क्या इस सब-स्टेशन का निर्माण गिरीडीह शहर की बिजली की मांग को पूर करने के लिए किया जा रहा था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय शहर की बिजली की मांग किस प्रकार पूरा की जातीं है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । कार्य-स्थल के कार्यालय तथा स्टोर बैरकों का निर्माण-कार्य आरम्भ होने के बाद ही कार्य रोका गया गया था ।

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा उप-केन्द्र का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था क्योंकि बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पहले सूचित किया गया था कि 1973-74 तक गिरिडीह पर उनकी मांग 8 5 एम०वी०ए० होगी जिसमें आगे वृद्धि होने की आशा है । तत्पश्चात 1987 में कार्य रोक देना पड़ा क्योंकि बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गिरीडीह पर विद्युत की मांग कम करके 6 एम० वी०ए० कर दी गई थी तथा इसमें बढ़ौतरी का कोई प्रस्ताव नहीं था । यह मांग बिहार राज्य बिजली बोर्ड के 33 के०वी० उप-केन्द्र को पोषित करके आसानी से पूरी की जा सकती थी तथा इसके लिए नए उप-केन्द्र की आवश्यकता नहीं थीं । दामोदर घाटी निगम द्वारा पहले किए गए निर्माण-कार्यों पर 14.83 लाख रूपये व्यय किए गए थे ।

(घ) जी, हां । गिरीडीह में उप-केन्द्र पर कार्य, उपभोक्ता (बिहार राज्य बिजली बोर्ड) द्वारा पहले सूचित की गई विद्युत की बढ़ी हुई मांग को दूरा करने के लिए आरम्भ किया गया था ।

(ङ) गिरीडीह में विद्युत की मांग की पूर्ति बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जा रही है । गिरीडीह में बिहार बोर्ड के वर्तमान 33 के०वी० उप-केन्द्र का पोषण दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उद्योगों को कोयले का आबंटन

9029. **श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विभिन्न उद्योगों को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ कितना आबंटन किया गया तथा उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस जिले में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किये गये कोयला विक्रेताओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० ने उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले के लिए उद्योगों में इस्तेमाल हेतु सड़क से निम्नलिखित मात्रा आबंटित की थी :—

(1) 1983-84 262 टन

(2) 1984-85 517 टन

जिन उद्योगों को कोयला आबंटित किया गया था उनके नाम नीचे दिए गए है :—

(1) टैक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन

(2) संत कबीर सहकारी कताई मिल्स लि०

(3) पूर्वांचल स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स लि०

(4) सोडा-फिल ग्लास वर्क्स

(5) संजय पेपर कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०

(6) पी०बी०के० पेपर्स

(ख) कील इंडिया लि० जिलों में कोई कोयला विक्रेता नियुक्त नहीं करता।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट, लिमिटेड केरल द्वारा बुझा चूना पत्थर की खरीद

9030. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड केरल में हाल में मैसर्स सतना स्टोन चण्ड लाइम कम्पनी सतना से कुछ मात्रा में बुझा चूना पत्थर की खरीद की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त फर्म से बुझा चूना पत्थर की खरीद किसी मांग पत्र अथवा क्रयादेश के बिना की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने 16-9-85 को मध्य प्रदेश में स्थित मैसर्स सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी को बुझा, चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए एक परीक्षण आदेश दिया था, चूंकि स्थानीय स्रोतों से आपूर्तियां बहुत कम हुई थीं जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी और चूने का भण्डार भी समाप्त हो गया था। परीक्षण आदेश वैगन लोड में धीरे-धीरे आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में चूने की आपूर्ति में मदद करने और प्रतिस्पर्धा पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया था। मैसर्स सतना स्टोन लाइम कम्पनी ने वैध परीक्षण आदेश के मुकाबले 27 वैगन अर्थात् 649 मी० टन चूने की आपूर्ति की है।

बिहार में डाक घरों तथा रेलवे डाक छंटाई अनुभागों का बन्द किया जाना

9031. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार पोस्टल सर्किल में अनेक डाकघरों तथा रेलवे डाक छंटाई अनुभागों को मनमाने ढंग से बन्द कर दिया गया है,

(ख) क्या बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के प्रस्ताव मांगे गए थे, परन्तु नए डाकघर नहीं खोले जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाकघरों को मनमाने ढंग से बन्द नहीं किया जा रहा है। जहां तक रेल डाक सेवा छंटाई अनुभागों का संबंध है, नीति संबंधी मामलों के रूप में ऐसे सभी अनुभागों को न केवल बिहार में बल्कि अन्य सर्किलों में भी पारगमन अनुभागों (अर्थात् वे अनुभाग जो डाक की जंटाई करते हैं) में बदल दिया जाता है।

जहां तक डाकघरों का संबंध है बिहार में कुल 610 शहरी डाकघरों में से 6 डाकघरों को निर्धारित विभागीय मानदण्ड पूरा न करने के कारण बन्द किया गया है। यह मामूली सी कटौती है।

(ख) और (ग) जी हां। सभी सर्किलों से प्रस्ताव मंगाए गए थे ताकि जनजाति क्षेत्रों में डाक का भविष्य में विस्तार करने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

पदों के सृजन पर लगी पाबंदी और डाक सेवाओं में बढ़ते हुए घाटे जैसे अन्य कारणों से इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित लोगों की क्षतिपूर्ति

9032. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के कारण क्षतिपूर्ति के अधिकारी व्यक्तियों की अंतिम रूप से सूची तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ;

(ग) उन सभी व्यक्तियों द्वारा कुल कितनी क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्रार्थनापत्रों की जांच करने का है अथवा उन्हें यूनियन कारबाईड के निर्णय पर छोड़ने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए गए दावा निदेशालय को अब

तक भोपाल गैस त्रासदी के आहतों से मुआवजे के लिए 4,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन-पत्रों की राज्य दावा निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायधीश को दावों को प्राप्त करने, निपटाने और भुगतान करने के लिए भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण और प्रक्रिया) योजना, 1985 के अधीन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित करना

9033. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दस वर्ष पहले स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की कांस्य प्रतिमा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद में स्थापित करने हेतु बनवाई गई थी और इस प्रयोजन हेतु सड़क के किनारे चबूतरे आदि का निर्माण भी किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रतिमा अब तक स्थापित नहीं की गई और यह गोदाम में पड़ी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रतिमा के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है।

पारवोरिम रेस्तरां में अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग टेलीफोन देना

9034. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग ने पोरवोरिम रेस्तरां में, जहां से 6 अप्रैल, 1986 की रात को चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार किया गया था, गुप्त रूप से एक "सुपरएफीशियेंट अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग टेलिफोन सेवा प्रदान की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता तथापि पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया है।

पोरविरम (पंजिम) में 31-1-1986 से एस०टी०डी० सुविधा वाले सभी टेलीफोनों में अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग सेवा उपलब्ध है। जैसा कि कहा गया है किरियो रेस्तरां में कोई विशेष सेवा प्रदान नहीं की गई थी। इस रेस्तरां में एक सीधी लाइन तथा एक सार्वजनिक टेलीफोन

है तथा इन दोनों टेलफोनों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल की जा सकती है । सीधी लाइन से कुछ विशेष देशों के लिए सीधा डायल किया जा सकता है तथा अन्य देशों के लिए टेलीफोन कालें पंजिम के अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंज में आपरेटर के माध्यम से मिलाई जा सकती हैं। सार्वजनिक टेलीफोन से अंतर्राष्ट्रीय कालें पंजिम स्थित अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंज के माध्यम से ही मिलाई जा सकती हैं।

विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अधिनियमन

9035. श्री एन० डेनिस क्या : विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों के प्रगतिशील वर्ग ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि वह बाल-विवाह रोकने, विवाह आयु बढ़ाने तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के लिए देश के सभी नागरिकों पर लागू होने वाले विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अधिनियमन करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एन० पार० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक विवाह योग्य आयु बढ़ाने का प्रश्न है, बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का 1978 में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार विवाह योग्य आयु बढ़ा कर, पुरुष के मामले में 21 वर्ष और नारी के मामले में 18 वर्ष कर दी गई थी। जहां तक विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का संबंध है, सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है। देश में व्याप्त निरक्षरता को और अन्य समस्याओं को जो जनजाति क्षेत्रों तथा अल्प-संख्यक समुदायों की विवाह विधियों और रूढ़ियों में उत्पन्न होंगी, ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी विधान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना कठिन होगा।

डाक तथा तार विभागों में कार्य कुशलता में ह्रास की प्रवृत्ति और जन सेवाओं में कटौती

9036. श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक और दूरसंचार विभागों में कार्य कुशलता में ह्रास की प्रवृत्ति होने और शुल्क में निरंन्तर वृद्धि होने के बावजूद निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाओं में कटौती किये जाने के कारण हैं ;

(एक) टेलीफोन नम्बर 176 की विशेष सेवा की समाप्ति ;

(दो) साधारणतारों को बुकिंग के समय में कटौती ;

(तीन) डाक के समय और लेटर बक्स से डाक निकालने की बारम्बारता में कटौती ;

(चार) महानगरों में रविवारों और छुट्टियों के दिनों में डाकघरों की सुविधा की समाप्ति ;

(पांच) रेल डाक सेवा कार्यलयों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के कारण डाक छंटाई में विलम्ब ;

(छ) डाकघरों में पत्रों के पंजीकरण की और मनीआर्डरों की बुकिंग की और तारघरों में तारों की बुकिंग की प्रतियां न रखी जाना, जिससे जनता को शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई होती है ; और

(सात) टेलीफोन के बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में समाचार पत्रों में अधि सूचना जारी करने के साथ ही टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए जाना जबकि उपभोक्ताओं को ये बिल समय पर नहीं पहुंचते हैं ; और

(ख) सेवाओं की बेहतर बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि दूरसंचार विभाग की कार्य-क्षमता में कमी आई है। जनता को बेहतर और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग ने महानगरों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में अनेक स्थानीय एक्सचेंज के अलावा ट्रंक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज भी स्थापित किए हैं। को-एक्सिअल, माइक्रोवेव और उपग्रह के जरिये बेहतर और अधिक विश्वसनीय संचारण माध्मय प्रदान किए गए है।

यह भी कहना ठीक नहीं है कि डाक विभाग की कार्य-क्षमता में कमी आई है। हमने लाइव मेल की संचारण प्रक्रिया को मानीटरिंग करने के लिए व्यापक प्रबंध किए है जिससे 1985 के दौरान डाक संचारण प्रणाली में सुधार आया है। 1982-83 की तुलना में 1983-84 के दौरान शिकायतों में 5.7 प्रतिशत की कमी आई और डाक परियात में वृद्धि होने बावजूद 1984-85 इसमें 2.8 प्रतिशत की और कमी आई।

यह कहना भी उचित नहीं है कि डाक दरों में निरंतर वृद्धि हुई है। अधिकांश डाक साधारण होती है जिसमें लगभग एक चौथाई पोस्टकार्ड होते हैं और पोस्टकार्ड की कीमत मई 1974 से 15 पैसे ही बनी हुई है। जहां तक अंतर्देशीय पत्रों, पत्रों और बुक-पोस्ट जैसी मुख्य डाक मदों का संबंध है, इनकी दरों में भी जून 1982 से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(i) विशेष सूचना सेवा 176 द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जाया करती थी।

फिल्म, नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम की जानकारी।

खेल मदों के परिणाम।

बस सेवाओं के समय सहित, सड़क, रेल और हवाई यातायात के समय की जानकारी।

टेलीफोन/तार और डाक दरों की जानकारी।

परीक्षाओं के परिणाम।

स्थानीय हित में कोई अन्य जानकारी।

चूंकि प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन केन्द्र, रेलवे और एअर लाइनों आदि द्वारा भी यह जानकारी दी जाती है जो इसे अधिक प्रमाणित और सही होती है तथा ये एजेंसियां शीघ्र ही ऐसी

जानकारी दे देती है। इसलिए दूरसंचार बोर्ड ने विशेष सूचना सेवा को अर्थात 176 सेवा को निर्णय लिया।

(ii) एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति अर्थात दूरसंचार समिति की सिफारिशों के आधार पर 1-7-1984 से 1700-0700 घंटों के बीच सामान्य तारों की बुकिंग पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन यह प्रतिबंध निजी व्यक्तिगत श्रेणी के तारों पर लागू नहीं है जिससे सामान्य व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ा है। निजी व्यक्तिगत श्रेणी के तारों को उन तारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनमें मृत्यु की जानकारी देने वाले, गंभीर बिमारी, दुर्घटना, संबंधियों को बुलाना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों आदि पर आने अथवा जाने की सूचना, रोजगार के लिए आवेदन या रोजगार प्रस्ताव सहित साक्षात्कार के लिए बुलाना तथा परीक्षा परिणामों की जानकारी देना जैसी सूचनाएं शामिल होती हैं। प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य तार संचारण प्रणाली को संतुलित रखना था ताकि एक सहज परियात प्रणाली प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और कार्य-क्षमता में सुधार हो सके। इन प्रतिबंधों से तार सेवाओं की कार्य-क्षमता में काफी हद तक सुधार हुआ है। और इसलिए इन प्रतिबंधों की पुन-रीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iii) लेटर-बक्स से डाक निकालने की प्रक्रिया में ने तो फ्रीक्वेंसी और नहीं घंटों के आधार पर डाक निकासी में कटौती करने के सामान्यतः कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। डाक निकासी की संख्या और निकासी के घंटों को रेलवे इंडियन एयर लाइन्स, बस सेवाओं आदि जैसे यातायात के साधनों तथा लेटर बक्स में डाली गई डाक सामग्री की मात्रा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधन करना होता है।

(iv) जिन महानगरों में रविवार और छुट्टियों के दिनों डाकघरों में काम होता है वहां इस सुविधा को समाप्त नहीं किया गया।

(v) छंटाई कार्यालय कम करने से डाक में विलंब नहीं हुआ है। छंटाई कार्यालयों का स्थान आंतरिक व्यवस्थाओं और डाक लाने ले जाने वाले विभिन्न वाहनों के आने के समय पर आधारित होता है। छंटाई कार्यालयों में स्टाफ की मंजूरी देने के मानक दंडों में परिवर्तन नहीं किया गया है।

(vi) मनीआर्डर बुक करने की रसीद की कार्यालय प्रति रखी जाती है। जहां तक मशीन द्वारा बुक किए गए मनीआर्डरों का सम्बन्ध है यह जानकारी अन्य रूप में रखी जाती है। रजिस्टर्ड पत्रों की रसीद की कार्यालय प्रति को रखने की प्रणाली समाप्त करने से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि किसी रजिस्टर्ड पत्र को और आगे भेजने पर उसका पूरा ब्यौरा रखना होता है और शिकायतकर्ता को हमेशा रसीद की अपनी प्रति ही प्रस्तुत करनी होती है।

तारघरों में रसीद बुकों की प्रतियां रहती है। केन्द्रीय तारघरों और विभागीय तारघरों में यह रसीदें दोहरे रूप में बनाई जाती हैं और संयुक्त डाक-तार घरों में ऐसी रसीदों की तीन प्रतियां बनाई जाती हैं। केन्द्रीय तारघर और विभागीय तारघर इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रेशन मशीनों का उपयोग करते हैं। इन मशीनों से जो व्यक्ति तार बुक करता है उसे ब्यौरेवार जानकारी के साथ रसीद दी जाती है और इसके अलावा पूरे दिन जो लेन-देन होता है उसकी एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिए भी उपलब्ध हो जाती है।

(vii) टेलीफोन बिल दो महीनों में एक बार जारी किए जाते हैं, जो प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में निर्धारित बिलिंग साइकिल के अनुसार निश्चित तारीखों को जारी किए जाते हैं। उपभोगताओं की जानकारी के लिए टेलीफोन डाइरेक्टरी में भी बिलिंग चार्ट छापा जाता है। उपभोगताओं को यह बिल सामान्य डाक द्वारा भेजे जाते हैं और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि बिल उपभोक्ता के पास न पहुंच पाते हों। इसका कारण बिल का डाक पारगमन में गुम हो जाना अथवा उपभोक्ता के पते में परिवर्तन आदि हो सकता है। ऐसे मामले में उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित लेखा अधिकारी (टी० आर०) से बिल की दूसरी प्रति ले लें। इन बिलों का भुगतान बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर करना होता है। कुछ स्थानों में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं, जिसका आशय केवल यही होता है कि बिलों का समय पर भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं का भी कुछ दायित्व है। टेलीफोन काटने से पहले उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने निर्धारित तारीख तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया हैं, टेलीफोन द्वारा भी सूचना दी जाती है। उन उपभोगताओं को रजिस्टर्ड डाक से लिखित अनुस्मारक भेजे जाते हैं, जिन्होंने 3 रुपये सामान्य शुल्क पर रजिस्टर्ड अनुस्मारक भेजने का विकल्प दिया हो भुगतान करने लिए हर प्रकार के अनुस्मारक जारी करने की तारीख से 7 दिन का समय और दिया जाता है। इस अवधि के दौरान यदि उपभोक्ता को बिल न मिला हो तो वह जसकी दूसरी प्रति निःशुल्क प्राप्त कर भुगतान कर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता को बिल जारी करने और बिलांक का भुगतान समय पर करने के बारे में जानकारी देने के सभी प्रयास किए जाते हैं ताकि उनका टेलीफोन कनेक्शन न कट सकें।

(ख) दूरसंचार सेवाओं पर सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारी कदम उठाए जाते हैं। सेवाओं में सुधार करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है।

डाक विभाग ने शिकायत संगठन का विस्तार किया है और प्रचालन पद्धति तथा कार्य-क्षमता दोनों की निरंतर पुनरीक्षा की जा रही है। शिकायतों में आई कमी और डाक प्रचालन क्षमता में हुई वृद्धि से यह पता चलता है कि सेवाओं में निरंतर सुधार होता रहेगा। विभाग डाक प्रणाली में कम्प्यूटरों के अलावा आधुनिक यांत्रिक उपकरण भी शामिल कर रहा है।

औषध निर्माताओं के प्रतिनिधियों द्वारा चिकित्सकों को दिए जाने वाली औषधियों के नमूने

9037. **श्री मूल चन्दडागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध निर्माताओं के प्रतिनिधियों द्वारा चिकित्सकों को दिये जाने वाले औषधियों के नमूनों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस शीर्षस्थ निर्माताओं में से प्रत्येक द्वारा प्रति वर्ष (एक) औषधियों के दिये गये नमूनों की कुल संख्या और (दो) दिये गए नमूनों के अनुमानित मूल्य सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन निर्माताओं ने उक्त अवधि के दौरान चिकित्सकों को भेंट और उपहार देने पर कुल कितनी राशि व्यय की ;

(ग) क्या चिकित्सकों को औषधियों के नमूने तथा भेंट और उपहार देने के संबंध में कोई नियम है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) औषध निर्माताओं के गतिविधियों द्वारा डाक्टरों को दिये गये दवाइयों के उपहार तथा नमूनों के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा चलाए जा रहे ताप/पन विद्युत केन्द्र

9039. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार इस समय राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम और राष्ट्रीय पन-विद्युत निगम के माध्यम से पृथक-पृथक कितने और पन-विद्युत केन्द्र चला रही है ;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ग) इन विद्युत केन्द्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(घ) इस समय इन विद्युत केन्द्रों की कितनी राशि उपभोक्ताओं की ओर बकाया है और इसके बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सिंगरौली, कोरबा और रामागुण्डम स्थित ताप विद्युत केन्द्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस समय वाणिज्यिक प्रचालन में हैं तथा निगम बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की प्रबन्ध व्यवस्था भी कर रहा है । दो जल विद्युत केन्द्र, नामशः बैरा स्यूल और लोकतक, इस समय राष्ट्रीय विद्युत जल निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

(ख) सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों सहित, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के इन केन्द्रों में कुल पूंजी निवेश लगभग 1674 करोड़ रुपये है, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में निवेश लगभग 251 करोड़ रुपए है, जबकि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में निवेश लगभग 279 करोड़ रुपये है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लभों/हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राष्ट्रीय ताप विद्युत निमग		राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
	स्वयं के केन्द्र (लाभ)	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (हानि)	लाभ
1983-84	45.96	26.67	3.09
1984-85	87.54	50.39	8.94
1985-86	53.44 (अनन्तिम)	74.06 (अनन्तिम)	5.20 (अनन्तिम)

(ग) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत केन्द्रों, बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र और राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम के केन्द्रों के संबंध में उपभोक्ताओं की ओर बकाया धनराशि क्रमशः लगभग 595 करोड़ 42 करोड़ रुपये और 39 करोड़ रुपये है। बल्क उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के मुख्य कारणों में उनकी खराब वित्तीय स्थिति तथा उनके अपने उपभोक्ताओं से उनकी ओर बकाया धन-राशि की वसूली न होगा शामिल है।

रानीखेत उप-मण्डल के कार्यभार में वृद्धि

9040. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत उप-मण्डल कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो एक नया उप-मण्डल न खोले जाने और उसकी प्रबंध व्यवस्था में कार्य-भार के अनुरूप वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि इस समय अतिरिक्त उप मंडलों का औचित्य नहीं बनता, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

9041. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए पहले कुछ आशय पत्र जारी किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा इन आशय पत्रों का सम्यक रूप से उपयोग किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम को वहां पर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कहने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु जारी किये गये विभिन्न आशय पत्रों में से तहसील और जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट-1 में लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना के वास्ते मै० कुमाऊं मण्डल विकास लिमिटेड को दिया गया आशय पत्र अभी वैध है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) संसाधनों संबंधी अड़चनों के कारण भारतीय सीमेंट निगम सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई नया सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण

9042. **श्री वरीश राहत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार, सुधार और आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रस्ताव है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) I. चालूवर्ष अर्थात् 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार की योजना इस प्रकार है :—

क्रम सं०	स्थान का नाम	विस्तार योजना (लाइनों की संख्या)
1.	कानपुर	5,000
2.	लखनऊ	1,600

1 2	3
3. वाराणसी	1,200
4. आगरा	300
5. मेरठ	6,000
6. बरेली	600
7. गोरखपुर	300
8. नोएडा	600
9. मुरादाबाद	900
10. मुज्जफरनगर	300
11. सुल्तानपुर	120
12. पौड़ी	200
13. मेन्ट टाउन	100
14. खुर्जा	120
15. संभल	120
16. फतेहपुर	100
17. ऊरई	40
18. जगदीशपुर	50

ऊपर दिए विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान 50 छोटे स्वचल एक्सचेंज-25 लाइनों की क्षमता की 30 यूनिटें तथा 50 लाइनों की 20 यूनिटें स्थापित करने की भी योजना है।

II. चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओ में सुधार लाने और आधुनिक बनाने की योजाएं इस प्रकार है :—

1. आगरा और लखनऊ में डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है ।
2. माऊनाथ भंजन, बांदा, फतेहपुर सुल्तानपुर, पौड़ी तथा ओरई में मैनुअल स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल बनाने की योजना है। मऊनाथ भंजन स्थित एक्सचेंजों को देश में निर्मित उपस्कर से स्वचल बनाने की योजना है तथा शेष 5 स्थानों के विद्यमान एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करके स्वचल बनाया जाएगा जिसके लिए उपस्कर जापान से आयातित किए जा रहे हैं।
3. नैनी और इलाहाबाद के बीच जंक्शन 60 चैनल माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करके प्रदान करने की योजना है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश में जिला औद्योगिक केन्द्र

9043. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनके पास अपने भवन हैं और जहां उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध होते हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे भी जिला उद्योग केन्द्र हैं जिन्होंने अपने जिलों में विकास केन्द्रों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में चल रहे विकास केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में जिन जिला उद्योग केन्द्रों के पास अपने भवन नहीं हैं उनके भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने तथा उन्हें क्या सहायता देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 54 जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। उद्यमिगों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं जहां तक सम्भव है जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी सूचना की मॉनीटरिंग नहीं की जाती ।

(घ) गैर-आवर्ती व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा 1985-86 से 4 लाख रुपए प्रति जिला उद्योग केन्द्र निश्चित की गई है ।

[अनुवाद]

आयात नीति को उदार बनाने के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कम क्रयादेशों की प्राप्ति

9044. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि आयात नीति को उदार बनाने के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड और उपक्रम विद्युत उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी-भारी मशीनों का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास विद्युत उत्पादन उपकरणों के क्रयादेश काफी कम होते जा रहे हैं ;

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास इस समय कितने उपकरणों के लिए

क्रयादेश हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा और इसकी तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया ; और

(घ) क्रयादेशों में हुई इस कमी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) 31-3-1986 को प्राप्त निश्चित क्रयादेशों में आधार पर सातवीं योजना के लिए बी०एच०ई० एल० की क्षमता उपयोगिता थर्मल सेटों के लिए 50% तथा हाइड्रो सेटों के लिए 32% होगी। नये विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए संसाधनों में अड़चन कम क्रयादेश स्थिति का मुख्य कारण है। फिर भी, 1986-87 के लिए थर्मल सेटों के निर्माण की क्षमता उपयोगिता अनुमानत: 80% तथा हाइड्रो सेटों की 33% है ; ये आंकड़े पिछले दो वर्षों की क्षमता उपयोगिता की तुलना में बेहतर हैं।

स्वदेशी क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना सरकार की नीति है । केवल चयनात्मक तथा गुणों के आधार पर आयात की अनुमति दी जाती है जो सम्पूर्ण परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

उद्जन (हाइड्रोजन) ऊर्जा प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं

9045. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने उद्जन (हाइड्रोजन) ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में परियोजनाएं प्रायोजित की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) सौर ऊर्जा पर आधारित उद्जन (हाइड्रोजन) का उत्पादन द्रवधातु और पारम्परिक द्रवईंधन के लिए, हाइड्रोजन का संग्रह उसका ईंधन विकल्प के रूप में उपयोग, हाइड्रोजन ऊर्जा की तकनीकी सलहाकार समिति की सहायता से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा एक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कागज मिलों का बन्द होना

9046. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक कागज मिलें बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कागज मिलो के नाम क्या हैं ;

(ग) इन कागज मिलों के रूग्ण होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मिलों को सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) कुछ पेपर इकाइयों ने समस्यायों में उलझी होने की शिकायत की है लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि ये इकाइयां बन्द होने की स्थिति में है। प्राप्त सूचना के अनुसार 3 बड़ी पेपर मिलें और 22 छोटी पेपर मिलें इस समय बन्द पड़ी हुई हैं। इनके बन्द होने के कारणों में कच्ची सामग्री और वित्तीय समस्याएं, प्रबन्धकीय अक्षमता, संयंत्रों और मशीनों का पुराना होना, बिजली की कमी, श्रमिक समस्याएं आदि शामिल हैं। उत्पादन बढ़ाने और जीव्यता में सुधार करने के लिए कागज उद्योग को निम्नलिखित राहतें और रियायतें दी गई हैं :—

1. लुगदी, रद्दी कागज और लकड़ी के चिप्स का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर और सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

2. बुड लॉग का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर कर दिया गया है और रियायती सीमा शुल्क लगाया गया है।

3. खोई से बनाए जाने वाली लुगदी के कम से कम 75 प्रतिशत वजन से बनाए जाने वाले लिखाई और छपाई के कागज को उत्पाद-शुल्क की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है।

4. अपराम्परागत कच्ची सामग्री का उपयोग करके कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए रियायती द रों पर उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है।

5. उत्तरोत्तर स्लैबों के लिए वृद्धि शील आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने की सुविधा 1-4-1986 से लघु कागज मिलों के लिए भी दे दो गई है।

6. इस उद्योग को समग्र लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर गत्ते /स्ट्रा के गत्ते सहित सभी किस्मों के कागज और कागज ग्रेड लुगदी का उत्पादन करने की ढील दे दी गई है।

7. कृषि अवशिष्टों, रद्दी और खोई से लिखाई, छपाई और रैपिंग पेपर का उत्पादन करने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

8. दिनांक 1-4-79 और 31-3-87 के दौरान चालू होने वाली नई इकाइयों को पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार, हरियाणा और कर्नाटक में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

9047. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य उन राज्यों में से एक है जहां बिजली का सबसे कम उत्पादन होता है

और बिहार में वर्ष 1985-86 के दौरान केवल 260.2 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जबकि उसकी आवश्यकता 360 करोड़ यूनिट थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों में बिजली उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए सरकार ने कोई कारगर कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन राज्यों में बिजली की आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार में विद्युत का उत्पादन 3325 मिलियन यूनिट था तथा आवश्यकता 4315 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) बिहार और हरियाणा में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना शामिल किया गया है । चूंकि कर्नाटक मुख्यत: एक जल विद्युत प्रणाली है, विद्युत की उपलब्धता जल-विद्युत जलाशयों के अपवाह क्षेत्रों में सामान्य मानसून पर निर्भर करती है । उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से, जहां तक सम्भव होता है, अधिकतम सहायता भी दी जा रही है ।

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक स्थिति में सुधार लाने के लिए हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं, बशर्ते निधियां उपलब्ध होंगी ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विधिक सेवा संबंधी विधान

9048. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय विधिक सेवा संबंधी विधान पुरःस्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या विधिक सहायता स्कीम को कानूनी आधार दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो विधान के अन्तर्गत क्या-क्या आना चाहिए । समिति ने इस विषय में अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है । सरकार समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्, इस बारे में विनिश्चय करेगी ।

अखबारी कागज के मूल्यों की पुनरीक्षा हेतु अखबारी कागज के निर्माताओं से अभ्यावेदन

9049. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के निर्माताओं ने आदानों की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज के मूल्यों की पुनरीक्षा करने तथा एक युक्तिसंगत मूल्य वृद्धि फार्मूला बनाने हेतु सरकार से अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) गत वर्ष स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादकों ने अखबारी कागज के उनके कारखाने से निकलते समय के मूल्य की इस आधार पर समीक्षा करने के लिए अभ्यावेदन दिया था कि कच्चे माल और अन्य निविशिष्टयों की लागत बढ़ जाने के कारण उनके उत्पादन की लागत बढ़ गई है। कारखाने से निकलते समय के उनके मूल्य बढ़ाने के लिए स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादकों के दावों की जांच औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो से करायी गई थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादकों को 31-12-85 से अपने कारखाने से निकलते समय के मूल्यों को बढ़ाने की अनुमति दे दी है। स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य और अधिक बढ़ाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में अनियमित अंतरालों में पर्याप्त वृद्धि होने से बचने के लिए स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादकों ने सुझाव दिया है कि एक ऐसा उतार चढाव संबंधी फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए जो कच्चे माल रसायन कोयला बिजली और श्रमिकों संबंधी निविष्टि की लागत की परिसीमाओं से सहबद्ध हो। इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम विचार नहीं किया गया है।

लघु उद्योगों संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

9050. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**

डा० बी० एल० शैलेश :

श्री के० प्रधानी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु एककों संबंधी कार्यकारी दल ने इंस्पेक्टरों द्वारा लघु एककों के निरीक्षणों में कमी करने के संबध में अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण दी गई हैं ।

(ग) कार्यकारी दल की रिपोर्ट की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है ।

विवरण

कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. लघु एककों द्वारा अनुभव किया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर केवल इंस्पेक्टर के व्यवहार और दृष्टिकोण के कारण विकास की कोई भी नीति विनियमनकारी प्रकार की बनाई जाती है। लघु उद्यमियों के साथ इंस्पेक्टरों के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें केवल अपराधी और कानून तोड़ने वाले समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि अधिक मानवीय दृष्णिकोण अपनाकर उपयुक्त रूप से रिकार्ड रखने मे उनकी सहायता करनी चाहिए ।

इसलिए दल ने सिफारिश की है कि इंस्पेक्टरों द्वारा लघु उद्यमियों को परेशान करने के बजाय रिकार्ड और रजिस्टर के रख-रखाव में उन्हें सहायता देने के उद्देश्य से राज्य और केंद्रीय स्तर पर इंसपेक्टरों के लिए उपयुक्त नवीकरण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं ।

इंस्पेक्टर को सही रिकार्ड रखने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए ऐसी स्थिति में उसे सौंपे गए क्षेत्र में आबंटित एककों की संख्या नियंत्रणीय होनी चाहिए ।

2. इंस्पेक्टरों की गला घोंटू पकड़ को, उन्हें दिए गए असीमित अधिकारों को वापस लेकर कम करने की आवश्यकता है । इंस्पेक्टरों के अनुसार, यदि कोई एकक कानून का उलंघन करता है तो ऐसे मामलों को शिकायत एकक (ग्रीवांस सेल) जैसे स्वतंत्र निकाय को देना चाहिए जहां दोनों पार्टियों की सुनवाई की जाए और उस पर निर्णय किया जा सके । इस निकाय की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख या किसी अन्य वरिष्ट अधिकारी द्वारा की जाए जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व भी हो । इससे इंस्पेक्टरों के असीमित अधिकार समाप्त हो जाएंगे और विभाग, लघु उद्यमी/एकक के विरुद्ध केवल उसके इंस्पेक्टर के प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई न कर सकेगा । ऐसे मामलों में, जहां उद्यमी कानून की धाराओं से अपरिचित हो और ऐसी गलती पहली बार की गई हो, यथासम्भव उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए । ऐसे उपायों से भ्रष्टाचार दूर होगा ।

3. परेशानी और भ्रष्टाचार से बचने के लिए विभाग के प्रमुख को इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण करने के बारे में एकक को पहले बता देना चाहिए ।

4. उद्योगों से संबंधित लगभग 45 अधिनियम हैं और एक एकक में औसतन विभिन्न विभागों में लगभग 30-40 इंस्पेक्टर आते हैं । एक एकक में एक दिन में औसतन एक से अधिक इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आते हैं । उद्यमी का कीमती समय इंस्पेक्टर की मांगे पूरी करने में लग जाता है और उद्यमी को एकक का विकास करने के लिए योजना बनाने का समय ही नहीं मिलता । कार्यकारी दल ने अनुभव किया कि अधिनियम से संबंधित मांगों का पता लगाने और फार्मों की

संख्या को कम करने के लिए अधिनियमों और नियमों का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। कार्यकारी दल ने महसूस किया कि इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को बाद में प्रस्तुत की जायेगी। लेकिन कार्यकारी दल ने अनुभव किया कि इस प्रकार का व्यापक कार्य आरम्भ करने के लिए दल को कानून और राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों) से दल के सदस्यों के रूप में विशेषज्ञ सेवाएं और दल के अन्दर ही कोई अन्य सहायता, यदि कोई आवश्यक हो, तो लेनी चाहिए।

5. किन्तु, दल ने अनुभव किया कि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत इंस्पेक्टरों द्वारा निरीक्षणों की संख्या और विवरणियों की बहुत अधिक संख्या को, विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एक ही प्रकार की कुछ धाराओं को एक साथ मिलाकार कम से कम किया जा सकता है।

6. विभाग, एक विशेष एकक को वर्ष में एक बार, विभाग के प्रमुख से इंस्पेक्टर के निरीक्षण की तारीख और समय तथा इंस्पेक्टर के अध्ययन के लिए अपेक्षित रिकार्ड का उल्लेख करते हुए निरीक्षण के प्रयोजन और निरीक्षण की तारीख के बारे में एक महीने पहले नोटिस देकर, इंस्पेक्टर भेज सकता है।

7. चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए अनेक इंस्पेक्टर अर्थात् रेंज इंस्पेक्टर, सतर्कता, महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा पार्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा और फिर सतर्कता आदि निरीक्षण के लिए जाते हैं इसलिए दोहरे निरक्षण से बचने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से इंस्पेक्टरों का जाना कम करने की आवश्यकता है।

8. अधिकांश लघु एककों (अर्थात् 97 प्रतिशत एकक) की कुल बिक्री कम है क्योंकि संयंत्र और मशीनों में निवेश 2 लाख रु० से कम है, इसलिये टेरिफ वाली वस्तुओं को ध्यान में रखे बिना लघु एककों के लिये उत्पाद-शुल्क छूट की सीमा 50 लाख रु० निर्धारित की जानी चाहिये। दल ने अनुभव किया कि इन एककों से राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली राशि प्रशासनिक खर्चों से काफी कम होगी अतः ऐसे एकक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजन से मुक्त किये जाने चाहिये। इस प्रकार के उपाय उस श्रेणी के लघु एककों को अत्यधिक सहायता पहुंचाएंगे जिसमें कानून और अधिनियमों की धाराओं की अधिक जानकारी न रखने वाले कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ व्यक्ति होते हैं।

9. दल ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कार्यविधि सरल बनाई जाये और एकक को बिक्री-कर की तरह शुल्क बैंक में जमा करने की अनुमति दी जाए और वर्ष में एक बार मूल्यांकन किया जाये।

10. चूंकि प्रदूषण नियंत्रण एक व्यापक विषय है और प्रत्येक उद्योग के लिए विभिन्न उपाय हैं इसलिये दल ने अनुभव किया है कि इस प्रयोजन के लिये एक अलग समिति का गठन किया जाये जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधि के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित्त-मंत्रालय, विधि मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि भी हों।

11. दल ने बैंकिंग संस्थाओं के इंस्पेक्टरों/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी विचार किया। दल का विचार था कि इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया जायेगा और उपयुक्त सिफारिशें की जाएगी। बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को दल से सम्बद्ध किया जायेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भातीय इंजीनियरों के स्थान पर विदेशी समुद्रीय इंजीनियरों की नियुक्ति करना

9051. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्यापे ट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अपैल, 1986 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें विशेष रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वेदेशी प्रतिभा की पूर्ण उपेक्षा किए जाने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे इंजीनियर विशेष कर समुद्रीय इंजीनियर बहुत अधिक सक्षम है और उनकी बहुत मांग भी है तथा वे विकसित देशों में रोजगार पर लगे हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी इंजीनियरों को प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशियों को कोई खरीद आर्डर नहीं दिया जाता है। तथापि इस समय मैरीन इंजीनियरों के रूप में बहुत कम संख्या में प्रवासियों की सेवाओं को प्रयोग में लाया जा रहा है। चूंकि ओ० एस० वी० चालन देश में एक नवजात उद्योग है; और इस क्षेत्र में भारतीय मालिकों को कुछ और अधिक अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है।

'सुजुकी मोटर्स लिमिटेड' द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी साधारण अंश पूंजी बढ़ाये जाने ही मांग

9052. **श्री कृष्ण सिंह :**
श्रीमती गीता मुकर्जी :
श्री मानिक रेड्डी :
डा० जी० विजय रामाराव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड की सहयोगी जापानी कम्पनी सुजुकी मोटर्स लि० ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी साधारण अंश पूंजी बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी वास्तविक मांग क्या ज ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आयात सम्बन्धी उदार नीति का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन पर प्रभाव

9053. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौद्योगिक और पूंजीगत वस्तुओं के आयात सहित हाल में आयात सम्बन्धी उदार नीति अपनाये जाने के परिणास्वरुप सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को दिये जाने वाले क्यादेश कम होते हैं और प्रौद्योगिकी तथा भारी मशीनों के आयात की मांग बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है और इनमें से किन उपक्रमों पर इसका कुप्रभाव अधिक पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रवृति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आयात की अनुमति सामान्यतः केवल प्रयोक्ताओं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक मांगों को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रस्तावों तथा स्वदेशी विनिर्माताओं की क्षसता को ध्यान में रखने के बाद ही दी जाती है। सरकारी उद्यम विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त क्या देशों की स्थिति में वृद्धि का रूख दिखलाई पड़ता है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजीगत माल-उत्पादन-क्षेत्र में 1986-87 में काफी वृद्धि होने का अनुमान है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र सहित पूंजीगत माल सम्बन्धी उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिए विभिन्न सदुपाय अपनाने एवं प्रयास शुरु किये गये हैं ।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा पोलिएस्टर फिलामेंट, धागा उद्योग की लागतों के संबंध में जांच

9054. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा पोलिएस्टर फिलामेंट, धागा उद्योग की लागत के संबंध में जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के मुख्य उद्देश्य क्या थे ; और

(ग) जांच संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उत्पादों के उचित विक्रय मूल्य निश्चित करने की दृष्टि से औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को पोलिस्टर फिलामेंट यार्न उद्योग का लागत अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

(ग) लागत अध्ययन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

मारुति कार की बिक्री का निलम्बन और उनके मूल्य में वृद्धि

90*5. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग के पास 15 करोड़ रुपये मूल्य का स्टाक जमा हो गया है और कुछ महीनों से बिक्री निलम्बित है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जापानी पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि और उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण उस कार की लागत में और वृद्धि होने की संभावना है ;

(घ) क्या मारुति उद्योग ने इस संबंध में सरकार से कोई अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बजट प्रस्तावों के पश्चात अपने वाहनों के मूल्य निर्धारण तक मारुति उद्योग लिमिटेड ने मार्च, 1986 में कुछ दिनों के लिये वाहनों की बिक्री रोक दी थी।

(ग) से (ङ) वाहनों का मूल्य निर्धारण एक वाणिज्यिक मामला है जिसका निर्णय मारुति उद्योग लिमिटेड के निदेशक-मण्डल द्वारा किया जाता है। वित्तीय शुल्कों में वृद्धि का परिणामी प्रभाव वाहनों के मूल्यों पर अवश्य पड़ता है। छोटी ईंधनक्षम कारों के उत्पादन-शुल्क पर पुनर्विचार करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र में तैयार वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के मानदण्ड

9056. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च के महीने में नई दिल्ली में लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि सरकारी क्षेत्र में तैयार की गई वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए लागत के निर्धारण और नियंत्रण की व्यापक नीति के साथ सुनिश्चित मानदण्ड स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित न किये जाते रहें, जिससे सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अक्षमता पर पर्दा पड़ता रहे ;

(ख) यदि हां, तो इस क्या सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय दिनांक 17 से 19 मार्च, 1986 तक नई दिल्ली में सरकारी उद्यम कार्यालय के सहयोग से भारतीय लागत एवं निर्माण लेखापाल संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी से है। इस गोष्ठी में भिन्न-भिन्न वक्ताओं/भाग लेने वालों द्वारा विभिन्न विचार/सुझाव दिये गये थे, जिनमें यह सुझाव भी शामिल है कि सरकारी क्षेत्र में निर्मित माल के मूल्यों के निर्धारण के लिये सुस्पष्ट प्रतिमान होने चाहिये।

(ख) और (ग) सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिये मूल्य-निर्धारण नीति के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

नई बम्बई क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

9057. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और नई बम्बई क्षेत्र के बीच टेलीफोन सेवा इतनी खराब है कि लोगों को नम्बर मिलाने के लिए प्रायः ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि नई बम्बई क्षेत्र के टेलीफोन केन्द्रों में उपकरण अत्याधिक पुराने और ग्रामीण किस्म के हैं ;

(ग) क्या सरकार वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ करेगी ; और

(घ) यदि ऐसी कोई योजना बनाई गई है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) न्यू बम्बई क्षेत्र तथा बम्बई के बीच टेलीकोन संचार संतोषजनक है। केबल पनवेल, सालोजा और उरान के उपभोक्ताओं को इस समय बम्बई की काल करने के लिए मैनुअल ट्रंक सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। तुर्भी वाले कालम के एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही एस० टी० डी० सेवा संतोषजनक है।

(ख) न्यू बम्बई क्षेत्र के एक्सचेंज बहुत पुराने नही हैं। एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(एक) तुर्भी सेन्टा कोंटा ग्रासबार एक्सचेंज।
(दो) कालमबोली इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।
(तीन) राबाले
(चार) तालोजा } स्टोजर एक्सचेंज
(पांच) पनवल
(छः) उरान मैनुअल एक्सचेंज।

(ग) पुनर्स्थापन के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज शामिल करने के प्रस्ताव का कार्य चल रहा है। राबाल, पनवेल, नहवा, सेवा, डिगोडा और उरान एक्सचेंजों को वर्ष 1988-90 में टुबें-II द्वारा बदला जाएगा।

(घ) कालंबोली स्थित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज क्षेत्र में तालोजा क्षेत्र को शामिल करने तथा उरान एक्सचेंज के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला दिए जाने पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

एकस्व अधिकारों संबंधी पेरिस सम्मेलन (पेरिस कन्वेन्शन आफ पेटेन्ट राइट्स)

9058. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एकस्व अधिकारों संबंधी पेरिस सम्मेलन का (पेरिस कन्वेशन आन पेटेन्ट राइट्स) सदस्य बनने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पेरिस सम्मेलन का प्रशासन वर्ल्ड इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी ओर्गेनाइजेशन (वीपो) द्वारा किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संगठन प्रणाली की पन्द्रह विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। पहली जनवरी 1986 की स्थिति के अनुसार सभी प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक विचार-धाराओं के 97 देश इस सम्मेलन (कन्वेंशन) के सदस्य हैं। पेरिस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वीपी द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। भारत इस पेरिस सम्मेलन का सदस्य बने अथवा नहीं इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं जबकि कुछ अन्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी के विचारो पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

केरल में मद्य-निर्माणशालाओं के लिए लाइसेंस

9059. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मद्यसार का निर्माण करने के लिए लाइसेंस न दिए जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में जानकारी मिली है कि केरल सरकार ने तीन मद्य-निर्माणशालाओं के लिए लाइसेंस दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नवम्बर, 1975 में सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें अल्कोहलिक पेयों के आसवन तथा मद्यचरण के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख मामलों को छोड़कर अतिरिक्त क्षमता के सृजन अथवा वर्तमान क्षमता के विकास पर प्रतिबंध लगाया गया था। महानिदेशक तकनीकी विकास तथा उद्योगों के

राज्य निदेशकों से भी यह अपेक्षा की गई थी कि वे अल्कोहलिक पेयों के उत्पादन के लिए किसी एकक का पंजीकरण न करे।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने कोई आसवन लाइसेंस जारी नहीं किये हैं।

केरल में औद्योगिक परियोजनाएं

9060. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत केरल में चल रही परियोजनाओं का, उनके नाम, स्थान, कुल अनुमानित लागत तथा वर्तमान स्थिति सहित, ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत केरल में कोई नया उद्योग, प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एच० एम० टी० का कलमश्शेरी, केरल एक मशीनी औजार तथा मुद्रण मशीन एकक है। 1985-86 में इसका उत्पादन 2737 लाख रुपये का था। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक निर्माणकारी सहायक कम्पनी अर्थात् मेसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड मेवल्डोर, जिला कोट्टायम में है। 1985-86 में इसने बिक्री योग्य 78634 मी० टन अखबारी कागज का उत्पादन किया । इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का एकक पालघाट, केरल में है, जो कन्ट्रोल वाल्व तथा सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है। 1985-86 में इसका उत्पादन 1102 लाख रुपये का था।

(ख) सरकारी उद्यम विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र में इस समय केरल में किसी नई परियोजना को स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

केरल में नए सार्वजनिक टेलीफोन लगाना और डाकघर खोलना

9061. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में वर्ष 1986-87 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने और डाक-घर खोलने का विचार है ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने उप-डाकघरों को वर्गोन्नत करने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1986-87 के दौरान केरल में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर औचित्यता एवं व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं।

पदों के सृजन पर लगी रोक को मद्देनजर रखते हुए 1986-87 के लिए नए डाकघर खोलने और दर्जा बढ़ाने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली और आजमगढ़ के बीच तार और टेलीफोन का सीधा सम्पर्क

9062. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बीच तार तथा टेलीफोन का सीधा सम्पर्क नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो स्थानों के बीच तार तथा टेलीफोन का सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और दिल्ली के बीच सीधी तार और टेलीफोन व्यवस्था नहीं है।

(ख) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दिल्ली और आजमगढ़ के बीच सीधी तार सर्किट और ट्रंक सर्किट का औचित्य नहीं बनता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

9063. **श्री राज कुमार राय** : क्या विधी और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त न्यायालय में 10 वर्षों से, 5 वर्षों से और 3 वर्षों से लम्बित पड़े मुकदमों की संख्या अलग-अलग कितनी है ;

(ग) इन लंबित पड़े मुकदमों के शीघ्रतापूर्वक निपटारे के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता है ; और

(घ) कब तक ये नियुक्तियां किए जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1-5-1986 को इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में 47 न्यायधींश पदासीन थे।

(ख) 30-6-85 को लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित थी :—

लंबित मामलों की संख्या

3 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक
1,23,221	58,176	7,402

(ग) और (घ) किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यकता, संस्थित किए गए और लम्बित मामलों की संख्या को और विशेष समयावधि के भीतर उनके निपटाये जाने की आवश्यकता को मानक अंकगणितीय मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा मामलों के निपटाए जाने के मानदंड का प्रयोग करते हुए, ध्यान में रखते हुए, तथा राज्य सरकार की वित्तीय, भौतिक और अन्य मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाती है।

1-5-86 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 60 स्वीकृत पदों में से 13 पद रिक्त थे। अपर न्यायाधीशों के दो नए पदों के सृजन के लिए सिद्धांततः सहमति हो गई है। रिक्त पदों के भरे जाने का विषय सरकार के ध्यान में है। यह बताना संभव नहीं है कि ये पद कब तक भर लिए जायेंगे।

[अनुवाद]

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों को घर पहुंचाने (होम डिलीवरी) की प्रणाली

9064. **डा० बी० एल० शंकेश :**
श्री जनक राज गुप्त :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया में होम डिलीवरी" आफ गैस सिलेण्डर में एण्ड शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या गैस वितरकों को जो कि पहले ही एक सिलेंडर की सप्लाई पर कमीशन के जरिए भारी मुनाफा कमा रहे हैं नियंत्रित करने और उन्हें इस समय चल रही प्रणाली को विफल न करने देने तथा प्रयोक्ताओं को परेशान न करने देने हेतु कोई कार्रवाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) हालांकि ऐसा समाचार सरकार की नजर में आया है, फिर भी एल० पी० जी० रिफिलों की होम डिलीवरी प्रणाली को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । रिफिलों की सप्लाई की भुगतान करो और ले जाओ प्रणाली एक प्रायोगिक स्कीम है और यह कुछ ही स्थानों पर लागू है तथा यह उपभोक्ताओं के लिए एच्छिक है। एल० पी० जी० वितरकों के काम की तेल विपणन कम्पनियों के निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार

9065. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने की विस्तार परियोजना का व्यवहार्यता का प्रतिवेदन 1982 में प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि साधनों की कमी के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका था ;

(ग) क्या हल्दिया पत्तन पर दूसरी तेल जैटी का निर्माण हो जाने से तेल शोधक कारखाने को बम्बई हाई से प्राप्त अशोधित तेल और आयातित अशोधित तेल काफी मात्रा में उपलब्ध होगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बदली हुई परिस्थितियों में इसके विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सम्भाव्यता रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) विभिन्न तकनीकी आर्थिक दृष्टि से बरौनी रिफाइनरी के विस्तार को आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ग) और (घ) दूसरी तेल की जैटी तथा हल्दिया पतन से भविष्य में अधिक तेल का आवागमन होगा ।

(ङ) सातवीं योजना में बरौनी रिफाइनरी के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए कार्य आदेश

9066. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन के प्रत्येक एक्सचेंज में क्षेत्रवार विभिन्न आवेदनों पर जारी कार्य आदेशों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन तारीखों तक के थे ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रयोक्ताओं को जारी किए गए कार्य आदेशों में से निष्पादित न किए जाने की संख्या दिन प्रतिदिन अत्याधिक बढ़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निष्पादन की गति को तेज करने और भावी प्रयोक्ताओं को आगे आदेश जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(क) 1-4-1986 को क्षेत्रवार लम्बित कार्य आदेश का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्र	श्रेणी			
	ओवाईटी	विशेष	सामान्य	योग
शहर	187	97	2649	2933
सेंट्रल	265	507	369	1141
दक्षिण	283	488	2092	2863
उत्तर	58	169 (269)	667	994
हावड़ा	28	97	169	304

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों की तारीखें दर्शाने वाला विवरण।

एक्सचेंज	श्रेणी		
	ओवाईटी	गैर-ओवाईटी विशेष	गैर-ओवाईटी सामान्य
नगर			
22, 23, 25/26/27	ओपन	ओपन	ओपन
सेंट्रल			
21, 24	30-6-85	30-6-85	30-6-85
29	30-12-85	31-12-85	30-6-85
31/32/33/34	ओपन	ओपन	13-4-82
43/44	17-1-85	13-11-84	23-10-81
दक्षिण			
41/42/46	31-3-86	ओपन	27-5-81
45/49	31-3-86	ओपन	26-10-79
47/48	31-7-84	31-5-84	14-5-82
72	16-9-85	31-9-85	30-9-85
77	ओपन	ओपन	31-12-85
619/615/914/611	ओपन	ओपन	ओपन
उत्तर			
35/36	"	"	27-3-82

1	2	3	4
37	ओपन	ओपन	22-3-85
52	"	31-5-85	28-4-82
57	20-12-84	8-10-82	14-1-75
बी०एच०टी०(भाटपाड़ा)	28-2-86	28-2-86	28-2-86
617	24-5-78	16-8-79	27-8-79
कल्याणी	9-6-83	20-3-83	1-4-81
54/55	ओपन	ओपन	ओपन
58/53(बैरकपुर)	ओपन	ओपन	ओपन
हाबड़ा			
64	31-1-86	31-1-86	31-1-86
66	31-3-85	12-5-80	25-7-70
67	30-6-85	5-5-81	31-1-74
69	31-7-85	22-1-81	20-6-66
सी०एन०एस० (चिनसुराह)	31-7-84	22-1-81	30-7-84
टी०बी०एन० (त्रिवेणी)	20-12-84	20-12-84	20-12-84
सी०एन०डी० (चंदन नगर)	31-6-86	31-1-86	19-1-86
62/610/612	ओपन	ओपन	ओपन

औद्योगिक नीति की पुनरीक्षा

9067 **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में औद्योगिक उदारीकरण के कारण उत्पन्न नियमित निवेश की विकृत स्वरूप में सुधार करने के लिए औद्योगिक नीति की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन सहित संपूर्ण क्षमता सीमा में किए जाने वाले परिवर्तनों तथा बड़ी कंपनियों को व्यापक समूहन (ब्रांड बैन्डिंग) नीति का लाभ उठाने की अनुमति देने के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हाल ही में औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति और पद्धति में किए गए उदारीकरणों से निगमित निवेश का स्वरूप विकृत नहीं हुआ है। वास्तव में, ये 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के छूट के उपबन्धों के अनुरूप ही है। फिर भी, नीति और पद्धति को और उदार तथा सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) विभिन्न उद्योगों के संबंध में न्यूनतम आर्थिक क्षमता पर विचार किया जा रहा है और यह आशा है कि इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के पश्चात् इसकी घोषणा की जाएगी। इस संबंध में पद्धतियों को सरल बनाने के लिए हाल ही में कम्पनी-कार्य विभाग ने दो अधिसूचनाएं जारी की हैं ताकि एम०आर०टी०पी० कम्पनियां व्यापक-समूहन (ब्रांड-बैंडिंग की नीति से लाभ उठा सकें।

मंगलौर में संयुक्त क्षेत्र में "मल्टीफ्यूल बायलर" ताप बिजली परियोजना

9068. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर में संयुक्त क्षेत्र में "मल्टीफ्यूल बायलर" ताप बिजली परियोजना की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे शीघ्र मंजूरी देने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) कर्नाटक विद्युत निगम ने मंगलौर में एक बहुधन बायलर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की थी। स्कीम के लिए आवश्यक निवेश यथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अपेक्षित स्वीकृतियां यथा पर्यावरण दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात इस स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनैक्शनों के आबंटन में प्राथमिकता

9069. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनैक्शनों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा बंगलौर में डीजल जेनरेटर स्थापित करने के लिए मंजूरी

9070. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा 120 मेगावाट का डीजल जेनरेटर स्थापित करने के लिए मंजूरी देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कर्नाटक में विद्युत की अत्याधिक कमी को देखते हुए सरकार का शीघ्र मंजूरी देने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्कीम में बंगलौर में 120 मेगावाट क्षमता के गैस टरबाईन स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। तरल ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण निवेश संबंधी स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

कर्नाटक विद्युत निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल जेनरेटरों की स्थापना

9071. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कर्नाटक विद्युत निगम द्वारा राज्य के चार ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल जेनरेटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने किन-किन स्थानों की सिफारिश की है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) मैसर्ज कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित स्कीम में चार स्थानों नामशः कोलार, बिदर, जमाखण्डी तथा इन्दी में डीजल जनरेटिंग सैट स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। तरल ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण अभी निवेश संबंधी स्वीकृति नहीं दी गई है।

डीफू में शाखा डाकघर की इमारत का निर्माण

9072. **श्री बीरेन सिंह एंगती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीफू शाखा डाकघर की इमारत का निर्माम कार्य आरम्भ हो गया है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ख) क्या कार्यभार जनसंख्या और इसके पहाड़ी जिला मुख्यालय होने का ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार डीफू शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिपहु उप-डाकघर के भवन का निर्माण कार्य दिसंबर, 1985 में शुरू किया गया था तथा ऐसी संभावना है कि यह कार्य फरवरी, 1987 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) जी नहीं। नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण, इस समय उप-डाकघरों का प्रधान डाकघरों मे बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की कटौती

9073. **श्री टी० बशीर :**
डा०जी० विजय रामा राव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय बिजली में कटौती की जा रही है ;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में बिजली में कितने प्रतिशत कटौती की जा रही है और यह कटौती कितने समय तक चलती रहेगी ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवारी करने का विचार है ;

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) विद्युत कटौतियां प्रतिबन्ध मांग को उपलब्धता के अन्दर सीमित रखने के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए, इनमें सकय-समय पर घट-बढ़ होती रहती है। सातवीं योजना के अन्त तक विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्तमान विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्ध विवरण में दिए गए संलग्न हैं।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाए किए जा रहे हैं, जैसे अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना, इत्यादि।

विवरण

विद्युत कटौतियां का ब्यौरा (अप्रैल, 1986—15-4-1985 तक)

ऊर्जा कटौती		मांग कटौती
1		3
उत्तरी क्षेत्र		
चण्डीगढ़	—	1700 बजे से 2100 बजे के बीच उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध।
दिल्ली	—	—वही—
हरियाणा	—	सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 100% मांग तथा सामान्य उद्योगों पर 1800 बजे से 2100 बजे के बीच प्रतिबन्ध।

1		2
हिमाचल प्रदेश	—	उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध (1800 बजे से 2200 बजे तक)
जम्मू और कश्मीर	—	सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 20 घंटे प्रतिदिन सप्लाई।
राजस्थान	5 दिन के लिए 50% से 80%	सामान्य उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध (1800 बजे से 2200 बजे तक)
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्यबिजली बोर्ड द्वारा सप्लाई की जा रही विद्युत के बराबर अथवा उससे अधिक कैप्टिव विद्युत उत्पादन वाले उद्योगों पर 100%।	(1) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सप्लाई की जा रही विद्युत के बराबर अथवा उससे अधिक कैप्टिव विद्युत उत्पादन वाले उद्योगों पर 100%। (2) विनियमित करने के उपाय व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध।
पश्चिम क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	—	100 के० वी० ए० से अधिक की संविदा मांग वाले उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं पर 10%
महाराष्ट्र	—	उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं पर 10% से 5%।
दक्षिण क्षेत्र		
कर्नाटक	25 से 85%	70% से 20%
तमिलनाडु	15 से 40%	15% से 40%
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा		भारी तथा विद्युत का गहन उपयोग करने वाले उद्योगों पर 75%।
पश्चिम बंगाल	5-30%	5%

[हिन्दी]

कोयले का विकल्प

9074. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का कितना भंडार है ;

(ख) कोयले की खपत की रफ्तार को देखते हुए देश में कोयले के भंडार कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार ने कोयले के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जून, 1985 तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, भारत में 0.5 मीटर एवं उससे अधिक मोटाई की तथा 1200 मीटर की गहराई तक स्थित सीमों में 1,55,901.18 बिलियन टन का कोयला भंडार है। इस समय यह भंडार काफी अधिक समझा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार नए एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, औद्योगिक उत्पादन एवं उपयोग का एक विशद् कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, टाइडल (ज्वार-भाटा ऊर्जा), भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की विभिन्न पद्धतियां तथा साधन जैसे सौर कुकर, सौर वाटर हीटर, सौर टिम्बर किल्न, फोटोवोल्टेइक पद्धति, बायोगैस संयंत्र—देश में विकसित किए गए हैं तथा विभिन्न उपायों द्वारा उन्हें लोकप्रिय बनाया जा रहा है। जल-विद्युत; और आणविक बिजली के विकास से भी कोयले के उपयोग में कमी आएगी।

राजस्थान में तेल की खोज

9075. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (जोधपुर में प्रकाशित) राजस्थान पत्रिका के दिनांक 17 अप्रैल, 1986 के अंक में "राजस्थान में 15 करोड़ मीट्रिक टन तेल व गैस के भण्डार" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अमेरिका से डंजर्ट हाइड्रोसिक रिग आयात करने का निर्णय किया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संविदा के अधीन आयल इंडिया लिमिटेड राजस्थान में भूकंपीय सर्वेक्षण कर रही है तथा 31-3-1986 तक 5513 लाइन कि० मी० तक का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आयल इंडिया लिमिटेड चार्टर हायर की व्यावहारिकता पर अलग से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

इंजीनियरी सामान, रसायनोंऔर फार्मास्युटिकल्स आदि के उत्पादन में वृद्धि

9076. **श्री सी० माधव रेड्डी** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में इंजीनियरी सामान, रसायनों, फार्मास्युटिकल्स के उत्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि उनके लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हुई है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1985-86 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और इंजीनियरिंग, रसायनों और भेषजों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में चुने हुए उद्योगों के उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) योजना आयोग के अनुसार, 1986-87 के लिए विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पादन लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

1985-86 के दौरान चुने हुए उद्योगों के लक्ष्य और उत्पादन

क्रम सं०	उद्योग	गणना की इकाई	1985-86 लक्ष्य (1965-86)	1985-86 उत्पादन (अप्रैल-जनवरी
1	2	3	4	5
	इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग :			
1.	स्टील कास्टिंग	हजार मी० टन	100	77.2
2.	स्टील फोर्जिंग	"	190	135.1
3.	मशीन के औजार	करोड़ रुपये	375	232.8
4.	धातुकर्मीय मशीनें	"	64	70.5
5.	सीमेंट मशीनें	"	60	81 6

1 2	3	4	5
6. रसायन और भेषज मशीनें	करोड़ रुपए	200	138.2
7. चीनी मशीनें	"	55	35.6
8. कागज और लुग्दी मशीनें	"	26	15.5
9. बॉयलर	"	550	462.5
10. ट्रांसफार्मर	एम०के०वी०ए०	26	21.48
11. वैद्युत मोटरें	एम०एच०पी०	7.0	4.08
12. अर्थमूविंग उपकरण	संख्या	2200	1433
13. रोड रोलर	संख्या	300	215
14. कृषि ट्रेक्टर	हजार संख्या	100	65.7
15. रेलवे वैगन	"	12.5	7.89
16. वाणिज्यक वाहन	हजार संख्या	110	84.3
17. सवारी कारें	"	95	73.8
18. जीपें	"	30	23.6
19. स्कूटर, मोटर साइकिलें और मोपेडें	"	1075	1012.3
20 साइकिलें (संगठित क्षेत्र)	मिलियन संख्या	5	4.59
21. बॉल और रोलर बीयरिंगें	"	57	47.84
22. टाइपराइटर	हजार संख्या	135	101.58
23. सिलाई की मशीनें	"	380	242.29
24. ए०सी०आर०/ए०ए०जी०	हजार मी० टन	60	48.46
25. शुष्क सेल	मिलियन संख्या	1240	1001.16
26. स्टोरेज बेटरियां	"	2.2	1.84

1	2	3	4	5
27.	फ्लोरोसेंट ट्यूबें	दस लाख संख्या	43	34.73
28.	घरेलू रेफ्रीजरेटर	हजार संख्या	660	5 2.65
29.	वेल्डिंग इलेक्ट्रॉड	एम०आर०एम०	715	593.4
30.	बिजली के पंखे	दस लाख संख्या	5.1	4.26
	रसायन			
1.	कास्टिक सोडा	हजार मी० टन	700	607.3
2.	सोडा एश	"	934	694.2
3.	कैल्सियम कार्बाइड	"	140	57.6
4.	औद्योगिक ऑक्सीजन	एम०सी०एम०	140	115.8
5.	नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक	हजार मी० टन	4415	3535.6
6.	फारस्फेटिक उर्वरक	हजार मी० टन	1319	1160.1
7.	डी० डी० टी०	"	8.5	4.41
8.	मेलाथियन	"	6.0	3.47
9.	एल०डी०पोलीथिलीन	"	110	83.7
10.	एच०डी०पोलीथिलीन	"	37	30.3
11.	पोलिएस्ट्रिन	"	16	14.4
12.	केप्रोलेक्टम	"	18	15.7
13.	विस्कोस फिलामेंट यार्न	"	40	35.2
14.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	"	110	77
15.	अवस्क विस्कोस टायर कोर्ड	"	10	6.2
16.	नायलोन फिलामेंट यार्न	"	30	32.8
17.	नायलोन टायर कोर्ड	हजार मी० टन	26	20.9
18.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर	"	40	35.7
19.	पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न	"	30	56.7
20.	साबुन	"	250	307.6
21.	संश्लिष्ट प्रक्षालक	"	300	165.2

1	2	3		4
भेषज :				
1. पेनिसिलिन	एम०एम०यू०	—		181.3
2. स्ट्रेपटोमाइसिन	मी० टन	—		158.8
3. क्लोरामफीनीकोल	"	—		71.7
4. सल्फा ड्रग्स	"	—		1172.2
5. विटामिन "ए"	एम०एम०यू०	—		52.4

चिकित्सकों के दायित्व के बारे में चिकित्सा बीमा

9077. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सकों के दायित्व के बारे में चिकित्सा बीमा करने की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं । चिकित्सकों के दायित्व को पूरा करने के लिए चिकित्सा बीमा का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सुविधाएं

9078. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई रेलवे लाइनों सहित परिवहन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा छठी और सातवीं योजनाओं में प्रत्येक राज्यों/क्षेत्रों के लिए ऐसी नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जिनको शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की गई है और योजना आयोग और परिवहन मंत्रालय की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार छठी योजना में की गई शुरू उन चालू परियोजनाओं शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता और बल देने का है जिससे उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक आधार-भूत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकें ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) "उद्योग रहित जिलों" के चुने हुए विकास केन्द्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत गमन मार्ग बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। औद्योगिक विकास सहित सभी सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा नई रेल लाईनें बिछायी जाती हैं।

दूर संचार में उपग्रह का प्रयोग

9079. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में विशेषकर देश में भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन्सैट बी और अन्य प्रस्तावित उपग्रहों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की सुविधाओं के योजनाबद्ध विस्तार को कार्यान्वयन करने के लिए मंजूर की गई ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। भौगोलिक दृष्टि से दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनसेट-1-बी और प्रस्तावित इनसेट-1 सी का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(ख) सातवीं योजना में स्थिर और परिवहनीय सहित लगभग 80 अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) दूरवर्ती, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के निम्नलिखित स्थानों में 1987 के दौरान 18 भू-केन्द्र चालू करने की योजना है।

1. डोडा	जम्मू व कश्मीर राज्य
2. राजौरी	
3. पुंछ	
4. कारगिल	
5. फूलबनी	उड़ीसा राज्य
6. केलांग	हिमाचल प्रदेश
7. काल्पा	
8. जेरो	अरुणाचल प्रदेश
9. दिपोरेक्सो	
10. सेप्पा	
11. आनिनी	

12. जैसलमेर — राजस्थान
13. श्रीनगर (गढ़वाल)
14. जोशीमठ
15. उत्तर काशी — उत्तर प्रदेश
16. कैम्बेल बे
17. दिगलीपुर
18. मायाबन्दर — अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(ii) 1986-87 में 10 परिवहनीय भू-केन्द्र चालू करने की योजना है।

(iii) उत्तर पूर्व क्षेत्र में 1987-89 के दौरान उत्तरोत्तर 26 भूकेन्द्र चालू करने की योजना है।

(vi) सातवीं योजना के शेष वर्षों में अन्य भू केन्द्र चालू करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के विस्फोट के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

9080. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड जैसी मुख्य राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत कक्ष स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश से कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उन शिकायतों का स्वरूप किस प्रकार का है ;

(ग) आंध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस सिलिंडरों के विस्फोट में हुई जानमाल की क्षति के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) आंध्र प्रदेश में सिलेंडरों के विस्फोट के कारण हुई मौतों के लिए इस समय कितना मुआवजा दिया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के कस्टमर सर्विस सेल उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के ऐसे सेल प्रत्येक क्षेत्र मे मण्डलीय कार्यालयों में हैं।

(ख) 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश स्थित विपणन कम्पनियों के कस्टमर सर्विस सेल को कुल 433 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, ये मुख्यतः निम्नलिखित आरोपों से संबंधित हैं :

(i) एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में विलम्ब

(ii) डिस्ट्रीब्यूटरों/डिलीवरीमैनों का अभद्र व्यवहार

(iii) अधिक प्रभार लेना ।

(iv) कम वजन के एल० पी० जी० सिलिण्डर

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सहित देश में सभी एल० पी० जी० के डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक दुर्घटना के लिए 10 लाख रुपयों का तीसरी पार्टी बीमा करायें। एल० पी० जी० से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण दावों पर बीमा कम्पनियों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के माध्यम से विकासशील देशों को भारतीय सहायता

9081. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनीडो) के प्रमुख ने हाल ही की भारत यात्रा के दौरान यह विचार व्यक्त किया था कि भारत अन्य विकासशील देशों को औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु सहायता दे सकता है ;

(ख) यदि हां, तो "यूनीडो" के माध्यम से कितने देश भारतीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत कितने देशों को उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विकासशील (तीसरे विश्व) देशों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा संयुक्त उद्यमों के प्रति उदार दृष्टिकोण और प्रोत्साहन देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विशेष अनुरोध के प्राप्त होने पर उद्योगों का संवर्धन/विकास करने के लिए विकासशील देशों को द्विपक्षी आधार पर और यूनिडो के माध्यम से सहायता देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं ।

(घ) भारतीय कम्पनियों से प्राप्त होने वाले संयुक्त उद्यम प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

मद्रास विजयवाड़ा-हैदराबाद राजमार्ग के पेट्रोल पम्पों पर डीजल की कमी

9082. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास विजयवाड़ा और विजयवाड़ा-हैदराबाद राजमार्गों पर पड़ने वाले पेट्रोल पम्पों पर गर्मियों के मौसम में अकसर डीजल नहीं होता है जिसके कारण वाहन वालों को अत्यंत कठिनाई होती है ; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और गर्मी के मौसम में इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) मद्रास और विजयवाड़ा और विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच राज मार्गों पर स्थित फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्दों की एच० एस० डी० उपलब्धता की स्थिति युक्तिसंगत सन्तोषजनक है । तथापि, कुछ फुटकर बिक्री केन्द्रों पर उत्पाद अभाव के छुट-पुट मामले मई और जून 1985 के दौरान ध्यान में आये थे जो विशाखापतनम और मद्रास स्थित शोधनशालाओं में उत्पन्न कुछ समस्याओं के कारण थे । इन फुटकर बिक्री केन्द्रों में उत्पाद की उपलब्धता इस ग्रीष्म मौसम में अच्छी हो जाने की सम्भावना है और तेल उद्योग को इस वर्ष के दौरान किसी प्रकार की समस्या के उत्पन्न होने का कोई पूर्वानुमान नहीं है ।

उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना

9083. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्य सरकारों को उपभोक्ता, उत्पादक और व्यापारी के मध्य छुटपुट विवादों को हल करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय स्थापित करने की बाबत निदेश देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उपभोक्ता न्यायालय स्थापित करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आदर्श प्रारूप विधि पर विचार कर रही है । आदर्श प्रारूप विधि में, अन्य बातों के साथ-साथ; उपभोक्ता विवादों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे के लिए एक न्यायिककल्प तंत्र के रूप में उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच की स्थापना के लिए उपबंध है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मारुति कार का नया माडल निकालना :

9084. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार का वर्तमान मांडज निकाले जाने के लगभग तीन वर्ष के अन्तर ही में, मई, 1986 से मारुति कार का नया मॉडल निकालने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अगले दस अथवा उससे अधिक वर्षों तक आमंत्रित

जापानी हिस्से-पुर्जों (नए माडल के 75 प्रतिशत और वर्तमान माडल कारों के सभी आमंत्रित पुर्जों) के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, जैसा कि 30 मार्च, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ग) इससे जापान को कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार मई, 1986 से मारुति-800 कार के मॉडल को अद्यतन बनाने का है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) नये माडल को शुरू करने के फलस्वरूप मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1986-87 के दौरान हिस्से-पुर्जों के आयात पर 6-7 मिलियन अमरीकी डालरों के अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाया है। नया मॉडल अधिक ईंधनक्षम होगा और इसके परिणामस्वरूप ईंधन में बचत होगी।

ग्रामीण निर्धन लोगों के प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई

9085. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों के तेजी से समाप्त होने के कारण ईंधन की लकड़ी की कमी को देखते हुए ग्रामीण निर्धन लोगों को मिट्टी का तेल आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) सरकार ने मिट्टी के तेल पर प्रतिवर्ष कितनी राजसहायता दी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) तेल विपणन कम्पनियां यह सुनिश्चित करने के लिए देखती है कि राज्य सरकार द्वारा फुटकर विक्रताओं को किये गये आबंटन के अनुसार उनके थोक विक्रताओं द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के फुटकर विक्रेताओं को उत्पाद की सप्लाई की गई है ।

(2) ब्लाक/तालुक/तहसील मुख्यालयों में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर मिट्टी के तेल की डीलरशिपें स्थापित करना ।

(3) दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सप्लाई के लिए तालुका मिट्टी तेल डिपुओं का खोला जाना ।

(4) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि ऐसी वितरण-प्रणाली

निर्धारित की जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि ग्रामीण आबादी को प्रकाश और कुकिंग प्रयोजन के लिए मिट्टी का तेल मिल रहा है ।

(ख) यह 500 करोड़ रुपये की सीमा तक है ।

मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

9086. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1983 में अब तक सभी श्रेणीयों के अन्तर्गत कितनी खाना पकाने की गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं ;

(ख) वर्ष 1983 में अब तक श्रेणी वार उन एजेंसियों को खाना पकाने की गैस के कितने नये कनेक्शन और खाली सिलेंडरों के स्थान पर भरे सिलेंडर प्रदान किये गये हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1983 से अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों कों खाना पकाने की गैस की एजसियां रद्द की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल उद्योग ने 1-1-1983 से 1-3-1986 तक की अवधि में मध्य प्रदेश में सभी श्रेणियों के वास्ते 77 एल०पी०जी० वितरणशिपें दी हैं ।

(ख) स्थान की दृष्टि से वितरणशिपों के लिए निर्धारित रिफलों की अधिकतम मासिक सीमा तथा वितरकों के पास उपलब्ध सुविधाओं तथा आवेदकों की प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए तेल विपणन कम्पनियों ने 1-1-1983 से 1-3-1986 के दौरान मध्य प्रदेश में भाग (क) में उल्लिखित 55 वितरणशिपों सहित वितरकों के द्वारा कुल 3.51 लाख नए कनेक्शन जारी किए गए ।

(ग) और (घ) 1-1-83 के दौरान अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को दी गई एल०पी०-जी० वितरणशिप इस लिए समाप्त की गई क्यों कि वह अनधिकृत एल०पी०जी० कनेक्शन देने में लगा हुआ था तथा संबंधित तेल कम्पनी के उपकरणों का दुरुपयोग कर रहा था ।

उड़ीसा में गोबर गैस संयंत्र

9087. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को गोबर गैस संयंत्र बनाने का कार्य सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में गत वर्षों के दौरान जिला-वार किसना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और तत्सम्बन्धी उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्ट मिली है कि घटिया सामग्री की सप्लाई और दोषपूर्ण निर्माण के कारण अधिकतर गोबर गैस संयंत्र खराब हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सीमा के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में से बायो-गैस योजना एक है। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बायो-गैस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों में से एक है।

(ख) उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों के जिला-वार ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को घटिया सामग्री और त्रुटि पूर्ण निर्माण के कारण गैस संयंत्र के बंद होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग ने स्वयं ही बिहार, महाराष्ट्र और तामिलनाडु के 14 चुने हुए जिलों में 13,219 बायो-गैस संयंत्रों का संगणना सर्वेक्षण किया जिससे यह पता चलता है कि दोषपूर्ण निर्माण सहित विभिन्न कारणों से लगभग 2,804 संयंत्र बंद पड़े थे। 1985-86 के दौरान अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने कई उपाय किए हैं जिनमें प्रौद्योगिकी में सुधार करना, प्रयोगकर्ताओं राजगीरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, वेनों, किटो मोंबाइल वेनों की मरम्मत और रखरखाव करना और मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करना आदि, शामिल हैं। अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग अपनी मॉनीटरिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ बना रहा है। भारत सरकार ने 3 मोबाइल मरम्मत एककों की स्थापना के लिए 7.5 लाख रु० स्वीकृत किए हैं।

पन-विद्युत ऊर्जा के संबंध में भारत और स्विटजरलैंड के बीच विचार-विमर्श

9088. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में स्विटरलैण्ड के लिए शिष्टमंडल की भारत यात्रा के दौरान यह कहा गया था कि राष्ट्रीय पन-विद्युत निगम के साथ पन-विद्युत ऊर्जा की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए इस वर्ष अप्रैल के मध्य में स्विटरजरलंण्ड की कम्पनियों के प्रतिनिधियों के भारत आने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी-ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) भारत का दौरा करने वाली स्विस कम्पनियों का जल-विद्युत परियोजनाओं की सम्भावनाओं के संबंध में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ विचार-विमर्श करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्विस कम्पनियों के एक दल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना का दौरा किया था।

संतुलित क्षेत्रीय विकास और औद्योगिकरण के लिए कदम

9089. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास और द्रुत औद्योगिकरण के लिए सरकार का क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी से प्रौद्योगिकी विकास का अभाव और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब अब भी बाधक बना हुआ है ; और

(ग) देश में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने और एक समान विकास करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) क्षेत्रीय असतुलनों को दूर करने और पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकीकरण की दृष्टि से, सरकार अखिल भारतीय वित्तीय ऋणदायी संस्थानों के माध्यम से रियायती वित्त, अचल पूंजी पर सीधे ही राजसहायता, औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति में प्राथमिकता, कर सम्बन्धी रियायतें, मूल/सीमांत (मार्जिन) धनराशि, ब्याज, राजसहायता आदि के रूप में कई प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। प्रत्येक "उद्योग रहित जिले" में एक या दो चुने हुए विकास केन्द्रों में अवस्थापना सम्बन्धी विकास करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए 1-4-83 से एक योजना भी लागू की गई है। देश में समग्रतः तेजी से औद्योगिकीकरण करने की दृष्टि से भी औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति और प्रक्रियाओं और विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों को उदार बनाने तथा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के प्रावधान से सम्बन्धित उद्योगों के तेजी से विकास के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं। इनमें उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना सीमा विस्तार करना, क्षमता का पुनर्पृष्ठांकन करना, कुछ किस्म के विदेशी सहयोगी सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, विदेशी सहयोग करारों की अभिलेखबद्ध करने की प्रक्रिया को समाप्त करना शामिल है।

असम में उपलब्ध गैस के संबंध में कार्य दल के प्रस्ताव

9090 **श्री के० वी० शंकर गौड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था और उसने पता लगाया है कि उपरि असम के तेल क्षेत्रों से मुफ्त गैस प्राप्त होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल ने अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है और इसके विस्तार पर कितना व्यय होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और

(ख) जी, नहीं, फिर भी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अरुणाचल असम के गैस क्षेत्रों से मुक्त गैस प्राप्त करने की संभावना का अनुमान लगाया है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार आंयल इंडिया लिमिटेड का अनुमान है कि पूर्ण रूप से विकसित होने पर इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 2.50 मिलियन घन मी० मुक्त गैस का उत्पादन किया जा सकता है। तथा मुक्त गैस के भंडारों के विकास की लागत लगभग 100 करोड़ रुपये होगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि अनुमानों के अनुमोदनों की तारीख से इसे 6 से 7 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को गेस के उत्पादन तथा परिवहन की लागत और खपत के तरीकों को ध्यान में रखते हुए असम में मुक्त गैस के उत्पादन की संभावना तथा इस उपयोग का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करना

9091. **श्री बे० बी० शंकर गौड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3160 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र द्वारा कुछ कितना मेगावाट की ताप बिजली इकाइयों को आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की की जायेंगी ; और

(घ) वर्ष 1986-87 में कुछ कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 1986-87 के दौरात, लगभग 3396 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू किए जाने जा प्रस्ताव है।

(ख) 1986-87 के दौरान चालू की जाने वाली 2192 मेगावाट की ताप-विद्युत क्षमता में से 1190 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 1002 मेगावाट राज्य क्षेत्र में होगी।

(ग) 1986-87 के दौरान चालू की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1986-87 के दौरान चालू की गई विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी वर्ष के पूरा होने पर प्राप्त होगी।

विवरण

1986-87 के दौरान चालू करने के लिए पता लगाए गए यूनिट

क्रम संख्या	परियोजना का नाम तथा यूनिट संख्या	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	ताप विद्युत		
1.	पानीपत	यूनिट-4 हरियाणा	110

1	2	3		4
2.	अनपारा "क"	यूनिट-2	उत्तर प्रदेश	210
3.	डेसू गैस टर्बाइन	यूनिट-1	दिल्ली	30
4.	—वही—	यूनिट-2	—वही—	30
5.	—वही—	यूनिट-3	—वही—	30
6.	—वही—	यूनिट-4	—वही—	30
7.	—वही—	यूनिट-5	—वही—	30
8.	—वही—	यूनिट-6	—वही—	30
9.	सिंगरौली चरण-2	यूनिट-6	रा०ता०वि० निगम	500
		उप जोड़ (ताप विद्युत)		1000
	जल विद्युत			
10.	पश्चिमी यमुना नहर (फेज-क)	यूनिट-2	हरियाणा	8
11.	—वही— (फेज-ख)	यूनिट-3	—वही—	8
12.	—वही— (फेज-ख)	यूनिट-4	—वही—	8
13.	आन्ध्र	यूनिट-1	हिमाचल प्रदेश	5.65
14.	—वही—	यूनिट-2	—वही—	5.65
15.	—वही—	यूनिट-3	—वही—	5.65
16.	रोंगटोंग	यूनिट-1	—वही—	0.5
17.	—वही—	यूनिट-2	—वही—	0.5
18.	—वही—	यूनिट-3	—वही—	0.5
19.	—वही—	यूनिट-4	—वही—	0.5
20.	सतकनाल	यूनिट-1	जम्मू व कश्मीर	2
21.	—वही—	यूनिट-2	—वही—	2
22.	अनूपगढ़ (फेज-1)	यूनिट-1	—राजस्थान	1.5
23.	—वही—	यूनिट-2	—वही—	1.5
24.	—वही—	यूनिट-3	—वही—	1.5
25.	अनूपगढ़ (फेज-2)	यूनिट-4	—वही—	1.5
26.	—वही—	यूनिट-5	—वही—	1.5

27. अनूपगढ़ (फेज-2)	यूनिट-6	राजस्थान	1.5
28. सलाल	यूनिट-1	रा०ज०वि० निगम	115
29. —वही—	यूनिट-2	—वही—	115
30. —वही—	यूनिट-3	—वही—	115
	उप जोड़ (जल-विद्युत)		400.95
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)		1400.95

पश्चिमी क्षेत्र

ताप विद्युत

31. बानकदोरी	यूनिट-5	गुजरात	210
	उप जोड़ (ताप-विद्युत)		210

जल विद्युत

32. उकई बांयां तट नहर	यूनिट-1	गुजरात	2.5
33. —वही—	यूनिट-2	—वही—	2.5
34. तिल्लारी	युनिट-1	महाराष्ट्र	60
35. भीरा टेल रेस	यूनिट-1	—वही—	40
36. बैतरना बांध टो	यूनिट-1	—हवी—	.5
37. पेंच	यूनिट-2	म०प्र०व० महाराष्ट्र	80
	उप जोड़ (जल विद्युत)		186.5
	जोड़ (पश्चिमची क्षेत्र)		396.5

दक्षिण क्षेत्र

ताप विद्युत

38. मैत्तूर चरण-1	यूनिट-1	तमिलनाडू	210
39. नेवेली दूसरा मन कट		ने०लि० कार्पोरेशन (केन्द्रीय)	210
	उप जोड़ (ताप विद्युत)		420

1	2	3	4
	विद्युत जल		
40.	श्रीसैलम	यूनिट-5	आंध्र प्रदेश 110
41.	—वही —	यूनिट-7	—वही— 110
42.	पोचमपैड	यूनिट-1	—वही— 9
43.	इदुक्की चरण-2	यूनिट-3	केरल 130
44.	इदमलयार	यूनिट-2	—वही— 37.5
45.	लोअर मैत्तूर	यूनिट-5	तमिल नाडू 15
46.	—वही —	यूनिट-6	—वही— 15
		उप जोड़ (जल विद्युत)	426.5
		जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	846.5
		पूर्वी क्षेत्र	
	ताप विद्युत		
47.	फरक्का	यूनिट-2	रा०ता०वि० निगम 210
48.	—वही—	यूनिट-3	—वही— 210
49.	गैस टर्बाइन	यूनिट-1	दा०घा०नि० 30
50.	—वही—	यूनिट-2	—वही— 30
		उप जोड़ (ताप विद्युत)	480
	जल विद्युत		
51.	अपर कोलाब	यूनिट-1	उड़ीसा 80
		उप जोड़ (जल विद्युत)	80
		(जोड़ पूर्वी क्षेत्र)	560
		उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
	ताप विद्युत		
52.	बोंगईगांव	यूनिट-4	असम 60

1	2	3	4
53.	लकवा गैस टर्बाइन	यूनिट-4 असम	15
54.	बारामूरा गैस टर्बाइन	यूनिट-2 त्रिपुरा	5
55.	डीजल केन्द्र	यूनिट-1 मणिपुर	1
56.	—वही—	यूनिट-2 —वही—	1
		उप-जोड़ (ताप-विद्युत)	82
	ताप विद्युत		
57.	कोपिली	यूनिट-1 उत्तर पूर्वी परिषद्	50
58.	—वही—	यूनिट-2 —वही—	50
59.	महारानी	यूनिट-1 त्रिपुरा	0.5
60.	—वही—	यूनिट-2 —वही—	0.5
		उप-जोड़ (जल विद्युत)	101
		जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	183
		जोड़ (अखिल-भारत) (पात विद्युत)	2192
		(जल विद्युत)	1164.95
			3386.95

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1986-87 के दौरान निम्नलिखित मिनी/माइक्रो जल-विद्युत क्षमता जोड़े जाने की आशा है।

उत्तरी क्षेत्र	3.1 मेगावाट
पूर्वी क्षेत्र	2.2 मेगावाट
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4.0 मेगावाट
जोड़	9.35 मेगावाट
कुल जोड़	3396.30 मेगावाट

कागज उद्योग को पुनरूज्जीवित करना

9092. **श्री वी०पी० शंकर गौड़ा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया कागज उद्योग को इसे पुनरूज्जीवित करने के प्रयास करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1985 में क्षमता का उपयोग जो 1974 में 89 प्रतिशत था, कम होकर 60 प्रतिशत रह गया;

(ग) यदि हां, तो क्या उद्योग से इसमें सुधार करने वाले वर्षों में इसे 75 से 80 प्रतिशत तक, बढ़ाने के लिए कहा गया है;

(घ) कागज उद्योग द्वारा अब तक क्षमता का कम उपयोग किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) इसके क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(च) क्या कागज उद्योग में सुधार करने के लिए किसी ठोस फार्मूले का सुझाव दिया गया है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (छ) 1974 में कागज उद्योग का क्षमता उपयोग लगभग 83 था जो हाल ही के वर्षों में धीरे-धीरे कम हुआ है और यह 1985 में लगभग 63.85% था । उद्योग के लिए 75% क्षमता उपयोग की दर को प्राप्त करना सम्भव समझा गया है । हाल ही के वर्षों में उद्योग की कम क्षमता उपयोग के प्रमुख कारण ये हैं :—मुख्यतः लघु कागज मिलों जिन्हें अपना उत्पादन अभी स्थिर करना है के माध्यम से तेजी से क्षमता की प्राप्ति ; कुछ बड़ी/छोटी मिलों का बन्द होना ; कच्चे माल, बिजली और कोयले की कमी, परिचालन संबंधी बाधाएं, संयंत्र और मशीनों में असंतुलन कच्चे माल की लागत में वृद्धि, अपरम्परागत कच्चे माल आदि के लिए लघु कागज मिलों द्वारा अधिष्ठापित पुरानी कागज मशीनों को अपनाने में तकनीकी समस्याएं । पिछले कुछ समय में को उद्योग विभिन्न राहतें और रियायतें प्रदान की गई हैं ताकि वह अपने उत्पादन में वृद्धि कर सके और अपनी आर्थिक जीव्यता में सुधारकर सके । पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 1-1-81 में 16.56 लाख मी०टन से बढ़कर 1-1-86 को 26.55 लाख मी०ट० हो गई है और उत्पादन जो 1980 में 11.12 लाख मी०टन० था 1985 में बढ़कर 15 लाख मी०टन० (अनुमानित) हो गया है । सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है जो कागज उद्योग को प्रभावित करने वाले वित्तीय पहलुओं की जांच करेगी और उद्योग के दीर्घकालीन विकास के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगी ।

कोयला उद्योग में श्रमिक द्वारा सांकेतिक हड़ताल

9093. **श्री के० वी० शंकर गौड़ा :**
श्री अमर राय प्रधान :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग में 7 लाख श्रमिक ने 9 अप्रैल, 1986 को सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा हड़ताल करने के मुख्य करण क्या थे ;

(ग) इस सांकेतिक हड़ताल के कारण उत्पादन का कुल कितना नुकसान हुआ ;

(घ) क्या सरकार ने कोयल श्रमिकों की लगलग सभी मांगों को मान लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अन्य कौन सी मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दिनांक 9-4-1986 को कोयला उद्योग में अनुमानतः 4.70 लाख कामगार हड़ताल पर रहे । परन्तु इस संख्या में सामान्यतया अनुपस्थित रहने वाले कामगारों की संख्या तथा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए उपस्थित कामगार शामिल नहीं हैं।

(ख) हड़ताल का आयोजन एक 11-सूत्री मांग-पत्र के समर्थन में किया गया था । हम मांगें अनुबंध में दी गई हैं ।

(ग) उत्पादन में कुल हानि काफी अधिक अर्थात् 4.50 लाख टन तक हो सकती है ।

(घ) और (ङ) यह मांगें, उनके कार्यान्वयन की स्थिति और/या उन पर टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

1. यह वचन तुरन्त फिर पूरे किए जाएं तो प्रबंध मंडल ने कुछ मुद्दों के संबंध में एकतरफा वापिस ले लिए हैं, जैसे सेवाकाल में ही मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को तथा स्थायी रूप से अपंग हो गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देना, आदि ।

   टिप्पणी : इस सम्बन्ध में सभी कोयला कम्पनियों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई है तथा खंड 9.4.2 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

2. राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अनुसार जिन कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया गया हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाएं, जैसे—आवास सुविधाएं पीने के पानी की व्यवस्था, शिक्षा सुविधाएं चिकित्सा लाभ और सुरक्षा के उपाय ।

टिप्पणी : कल्याण उपायों को कार्यान्वित करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में समझौते की शर्तों को कार्यान्वित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अनुसार सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

टिप्पणी : यह प्रावधान असांविधानिक माना गया है और इसे इस्पात उद्योग तक में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

4. कोयला खनिकों के लिए पेन्शन योजना तुरन्त तैयार की जाए।

टिप्पणी : कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की एक संयुक्त समिति समाज सुरक्षा योजना पर विचार कर रही है और जब तक इस प्रकार की योजना बनाई और स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा इस मांग को कार्यान्वित किया जा सके। कोयला उद्योग की द्विपक्षीय समिति-III की सामाजिक सुरक्षा योजना समिति की 18 फरवरी, 1986 को बैठक हुई और इस बैठक में सम्बन्धित ऐक्चुअरी द्वारा प्रस्तुत योजना के मसौदे पर विचार विचार किया गया। इस बारे में अगली कार्रवाई के लिए यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी टिप्पणियां लिखित रूप में भेजना मंजूर कर लिया है।

5. सारे कोयला उद्योग के लिए एकरूप स्थायी आदेश तैयार किए जाएं।

टिप्पणी : कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की स्थायी आदेश समिति अपनी सिफारिशें तैयार कर चुकी है और इस सम्बन्ध में अगली कार्रवाई की जा रही है।

6. केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार आनुतोषिक के भुगतान की ऊपरी सीमा रु० 36,000 से बढ़ाकर रू० 50,000 की जाए।

टिप्पणी : जो लोग आनुतोषिक भुगतान अधिनियम की परिधि में नहीं आते उनके लिए ऊपरी सीमा पहले ही बढ़ाकर रु० 50,000 कर दी गई है। इसी प्रकार उन लोगों के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है जो आनुतोषिक भुगतान अधिनियम की परिधि में आते हैं।

7. कोयला कामगरों को बोनस के भुगतान की ऊपरी सीमा समाप्त कर दी जाए।

टिप्पणी : ऊपरी सीमा पहले ही रु० 1600 से बढ़ाकर रु० 2500 की जा चुकी है और भुगतान भी किया जा चुका है। ऊपरी सीमा को समाप्त करना सरकार की आम नीति का एक मुद्दा है। इसलिए कोयला उद्योग के सम्बन्ध में अलग से कोई निशेष विर्णय नहीं लिया जा सकता।

8. स्थायी और लगातार चलने वाले कामों के लिए ठेका प्रणाली समाप्त की जाए।

टिप्पणी : कोयला उद्योग में सभी मुख्य कार्य अब विभागीय कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं और अन्य कामों को भी विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराने का भी चरणबद्ध कार्यक्रम है। परन्तु इस सम्बन्ध में विभागीकरण की गति को ऐसा रखना आवश्यक है जिससे पहले ही विभागीकृत काम सही रूप से समेकित हो जाएं और उनका आधार सुदृढ़ हो जाए। नहीं होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा होनी है और इसके व्यापक प्रभाव आदि को समझना जरूरी है।

10. कोयला कामगरों के खिलाफ सभी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई वापस ली जाए, जैसे आठ दिन की मजदूरी की मनमानी कटौती, सेवा का धारणाधिकार समाप्त करना और सेवा में व्यवधान डालना।

टिप्पणी : कोई मनमानी कटौती नहीं की जाती और इस मांग में यह बात गलत कही गई है। ऐसी कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में की जाती है जिन पर मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 9(2) की व्यवस्था लागू हो जाती है।

11. कोयला खनिजों के लिए प्रोत्साहन योजना तुरन्त तैयार की जाए।

टिप्पणी : यह काम संयुक्त रूप से किया जाना है।

आंध्र प्रदेश में गुंटुर जिले के मचरेला गांव में रामकृष्ण सीमेंट फैक्टरी से प्रदूषण

9094. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुंटुर जिले के मचरेला गांव में राज्य सरकार के सुझाव देने पर भी रामकृष्ण सीमेंट फैक्टरी के प्रबंधकों द्वारा दो इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपोटेटरों को न लगने के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि लगाए गए इलैक्ट्रस्टेटिक प्रेसिपोटेटर नियमित रूप से कार्य न करने के कारण मचरेला के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त फैक्टरी में प्रदूषण विरोधी अनिवार्य उपकरण लगाने में असफल प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मचरेला स्थित मै० के०सी०पी० लिमिटेड (रामकृष्ण सीमेंट फैक्टरी) के सीमेंट संयंत्र, जिसने

1958 में उत्पादन आरम्भ किया था, ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित मानदंडों के अनुसार धूल इकट्ठी करने वाली विभिन्न उपकरण लगा लिए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योगों द्वारा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मार्ग निर्देश

9095. **श्री बो० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु विभिन्न उद्योगों के लिए व्यापक मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं कि विभिन्न उद्योग प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करें। नई औद्योगिक क्षमताओं की स्थापना करने के वास्ते जो आशय-पत्र जारी किए जाते हैं उनमें एक शर्त यह सुनिश्चित करने हेतु अवश्य रखी जाती है कि उपक्रम द्वारा वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तुष्टि के अनुसार पर्याप्त उपाय किए जाएं। "खतरनाक प्रक्रिया" वाले रसायनिक, औषध एवं भेज उद्योगों को औद्योगिक स्वीकृति देते समय एक अतिरिक्त शर्त भी यह सुनिश्चित करने के वास्ते रखी जाती है कि परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व संयंत्र में सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाएं। अत्यधिक प्रदूषणकारी 20 उद्योगों के संबंध में उपक्रम को दिए जाने वाले आशय-पत्र में निम्नलिखित कठोर शर्तें भी रखी जाती हैं :—

(1) राज्य उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि करें कि सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना का स्थल अनुमोदित कर दिया गया है ;

(2) उद्यमी राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों का यह वचन दे कि वह प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के वास्ते उचित उपकरण लगाएगा तथा निर्धारित उपाय करेगा ;

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणित करे कि प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा स्थापित उपकरण अथवा स्थापना हेतु प्रस्तावित उपकरण आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त एवं समुचित हैं।

आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में केवल तभी परिवर्तित किया जाता है जब निर्धारित शर्तें सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरी हो जाती है।

इन उपायों के माध्यम से सरकार को यह सुनिश्चित करने में सुविधा हुई है कि पर्यावरणीय

प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योग पर्याप्त और समुचित प्रदूषण-नियंत्रक उपकरणों की स्थापना करें और प्राकृतिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को निरुत्साहित किया जा सके।

आंध्र प्रदेश के मध्य तटवर्ती क्षेत्र में सिगरेट कारखाने की स्थापना

9096. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र में पैदा होने वाले उच्च किस्म के तम्बाकू के उपयोग हेतु वहा सरकारी क्षेत्र में एक सिगरेट कारखाना खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी और इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस के पिन टाइप के रेगुलेटरों वाले सिलेन्डरों के बारे में शिकायतें

9097. **जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस स्क्रू टाइप रेगुलेटरों की तुलना में नई पिन प्रणाली के रेगुलेटर वाले सिलेन्डर किस प्रकार बेहतर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नये डिजाइन के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं कि ये दोषपूर्ण हैं, इसमें पिन प्लास्टिक के ढांचे में लगाया गया है, इसे बार-बार बदलना पड़ता है और यह खतरनाक और असुरक्षित हैं ;

(ग) सिलेन्डरों के डिजाइन में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या किसी अवस्था पर विशेषज्ञों और प्रयोगकर्त्ताओं की सलाह ली गयी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) एल०पी०जी० सिलिन्डरों पर लगे "एफ" किस्म के स्क्रू से चलने वाले वाल्वों के मुकाबले एल०पी०जी० सिलिंडरों में स्वयं बन्द होने वाले स्प्रिंग लगे वाल्वों की नई पिन प्रणाली अधिक सुरक्षित और इस्तेमाल करने में सरल है।

(ख) आरम्भ में जब पिन किस्म की प्रणाली लागू की गई थी, डिजाइन में त्रुटि की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तब से वाल्वों के डिजाइन में सुधार और मानकीकरण किया गया है जो कि कोसान तेकनोव, डेनमार्क से आयातित तकनीक पर आधारित है।

(ग) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की सिफारिशों के अनुसरण में सुरक्षा के विचार से "एफ" किस्म की प्रणाली के स्थान पर पिन किस्म की प्रणाली लाई गई है।

(घ) और (ङ) एल०पी०जी० उपकरणों के मानकीकरण पर विशेषज्ञ एककों तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारतीय मानक संस्थान (आई०एस०आई०) अनुसन्धान और विकास संगठन निर्माताओं आदि से परामर्श लिया गया था।

यूनियन कारबाइड के यूनिट

9098. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कारबाइड द्वारा भारत में कितने यूनिट चलाए जा रहे हैं ;

(ख) यूनियन कारबाइड द्वारा इन यूनिटों में बनायी जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में यूनियन कारबाइड द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान यूनियन कारबाइड ने कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया और यह निर्यात किस देश किन-किन देशों को किया जा रहा है ; और

(ङ) उपयुक्त अवधि के दौरान यूनियन कारबाइड द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) 25 दिसम्बर, 1984 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी की भोपाल कलकत्ता, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास, श्रीनगर थाना और विशाखापट्टनम में विनिर्माणकर्ता यूनिट हैं।

कम्पनी सामग्रियों की निम्नलिखित श्रेणियों का निर्माण करती है जैसे बैटरी फ्लसलाइट केस कार्बन इण्डस्ट्रीयल कार्बन इलेक्ट्रोड्स और आकृति फोटो एन्ग्रेबर प्लेट्स/प्रिंटिंग के लिए स्ट्रप्स सेटेलाइट कास्टिंग हाईफेसिंग और ट्यूब रोड्स इलेक्ट्रोलेटिक मैंगनीज डाइआक्साइड, केमिकल्स, पोलीथीलीन, मिक्र आधारित पेस्टीसाइड्स और समुद्री उत्पाद। 1983 और 1984 वर्षों के दौरान, कम्पनी के निर्यात का एफ०ओ०बी० मूल्य क्रमशः 737.18 लाख रु० और 468.25 रु० था। कम्पनी ने क्रमशः 1983 और 1984 वर्षों के दौरान नेपाल को भी 30.56 लाख रु० और 100.38 लाख रु० का निर्यात किया था। देशवार विवरणों का वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है इसलिए उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1983 और 1984 वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा आयातों का सी०आई०एफ० मूल्य क्रमशः 22,23.23 लाख रु० और 21,03.99 लाख रु० था ।

सातवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन

9099. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस कार्य के लिए कुल कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की गई है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता जोड़ने की संकल्पना है । सातवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए किए गए आबंटन में विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 21,300 करोड़ रुपए शामिल है ।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस पर आधारित संयुक्त साइकित विद्युत केन्द्रों के लिए 485 मिलियन अमरीका डालर विश्व बैंक से सहायता उपलब्ध होगी । विदेशी सहायता के लिए कुछ अन्य परियोजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना ।

(2) संयंत्र सुधार/नवीकरण कार्यक्रम के जरिए विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करना ।

(3) पारेषण और वितरण हानियों को कम करना ।

(4) ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाना ।

(5) फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण ।

पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए मार्ग-निर्देश

9100. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु क्या नीति निधारित की गई है ;

(ख) क्या इस कार्य की देख-रेख के लिए कोई एजेंसी है ;

(ग) क्या इस संबंध में सभी तेल निगमों के लिए कोई समान नीति है अथवा प्रत्येक तेल निगम के लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल उद्योग पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र तभी खोलता है जब उस क्षेत्र में मांग संभाव्यता हो तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो इसमें मात्रा और दूरी का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट खुदरा बिक्री केन्द्र को तेल उद्योग द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार अपनी विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। डीलरशिपों को अलाट करने का तरीका उम्मीदवारों की वह पात्रता और उपयुक्तता होती है जो कि विज्ञापन देकर मूल्यांकन करने तथा तेल चयन बोर्डों द्वारा इनका चयन किए जाने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सभी तेल विपणन कम्पनियों खुदरा बिक्री डीलरशिपों के लिए यह नीति लागू होती है।

(घ) और (ङ) देश में खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल), एस०के०ओ०, एल०डी०ओ० डीलरशिपों तथा एल०पी०जी० की वितरणशिपों को निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अलाट किया जाता है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए नीचे लिखे अनुसार आरक्षण किया गया है :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25%
(2) बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक	25%
(3) रक्षा श्रेणी	7 1/2%
(4) शारीरिक रूप से विकलांग	7-1/2%
(5) स्वतंत्रता सेनानी	5%
(6) अन्य	30%

बम्बई में नमक विभाग की भूमि का सरकारी आवास समितियों को आबंटन

9101. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में नमक विभाग की भूमि के कुछ प्लाट सहकारी आवास समितियों को आबंटित किए हैं ;

(ख) ये आबंटन किन शर्तों पर किए गए हैं ;

(ग) क्या ऐसी भूमि के आबंटन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये आबंटन किस आधार पर किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जी, हां । बम्बई में अभी तक निम्नलिखित चार समितियों को भूमि पट्टे पर दी गई है :—

(1) श्री नवयुवक हरिजन उत्थापन मल्टी यूनिट इन्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ।

(2) ग्रेटर बॉम्बे सॉल्ट डिपार्टमेंटल को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ।

(3) ग्रेटर बॉम्बे साल्ट डिपार्टमेंट को;आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ।

(4) साईकृपा चतुर्थ श्रेणी साल्ट डिपार्टमेंटल को-आपरेटिव सोसाइटी (प्रस्तावित) ।

इनमें से, तीन समितियां नमक के कामगरों द्वारा बनाई गई थी और एक समिति कमजोर वर्गों द्वारा बनायी गई है । यह भूमि गृह निर्माण हेतु 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी बशर्ते कि बाजार मूल्य और पट्टे की मामूली राशि का भुगतान कर दिया जाए ।

नमक के निर्माण के लिए प्रयोग की गई भूमि

9102. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक के निर्माण के लिए प्रयोग की गई भूमि केन्द्रीय सरकार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नमक निर्माण लाइसेंस वापस लिये जाने पर नमक के लिए प्रयोग की गई भूमि पुनः सरकार के नियन्त्रण में चली जाती है ;

(ग) महाराष्ट्र में नमक निर्माण लाइसेंसों के रद्द किए जाने के बाद कितने एकड़ भूमि के नियन्त्रण में पुनः वापस आ गई ;

(घ) क्या उक्त भूमि का निपटान करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नमक के निर्माण के लिए प्रयोग की गई भूमि का पर्याप्त हिस्सा केन्द्रीय सरकार का है ।

(ख) जी हां । केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि उसके पास पुनः वापस चली जाती है ।

(ग) वर्ष 1981 से 652 एकड़ और 6 गण्ठा नमक की भूमि का भारत सरकार द्वारा फिर से अधिग्रहण किया गया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित भूमि में से 103 एकड़ और 5 गण्ठा

नमक की भूमि 20 वर्ष के पट्टे पर नमक के उत्पादकों को पुनः सौंप दी गई हैं। 43 एकड़ और 21 गण्ठा भूमि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अन्तरित कर दी गई है। इसी प्रकार, 37 एकड़ और 4 गण्ठा भूमि राज्य सरकार को उसके विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व को भूतपूर्व लाइसेंसधारियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दायर की गई रिटयाचिकाओं द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण शेष भूमि को नमक के निर्माण के लिए पुनः नहीं सौंपा जा सका।

विद्युत केन्द्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग

9103. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन केन्द्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया है ;

(ख) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की दृष्टि से ऐसे प्रयास का वास्तविक परिणाम क्या होगा ; और

(ग) ऐसे प्रयास को आशापूर्ण परिणामों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम की शुरूआत की गई है, इस स्कीम के अन्तर्गत 32 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया गया है। नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के पूरा हो जाने पर स्कीम के अन्तर्गत शामिल केन्द्रों के सम्बन्ध में औसत संयंत्र भार अनुपात लगभग 7% बढ़ जाने की आशा है। बिजली बोर्ड-वार/संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात संयंत्र भार अनुपात में बोर्ड-वार प्रत्याशित सुधार (नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए केन्द्रों के बारे में)

बोर्ड/कारपोरेशन	संयंत्र भार अनुपात में प्रत्याशित सुधार (%)
1	2
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र)	7.5%
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	4.0%

1	2
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	10.0%
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	5.0%
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	8.0%
गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	5.0%
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	5;0%
महाराष्ट राज्य बिजली बोर्ड	5.0%
आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	8.0%
तमिल नाडु राज्य बिजली बोर्ड	5.0%
नेवेली	2,0%
उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	10.0%
दामोदर घाटी निगम	4.0%
बिहार राज्य बिलली बोर्ड	7.0%
पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	8.0%

[हिन्दी]

पंजाब में परिवहन चालकों द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों से गैस की चोरी

9104. **श्री त्रिलोचन सिंह तुर :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोक्ताओं ने हाल ही में शिकायतें की हैं कि चण्डीगढ़ क्षेत्र में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों में गैस के स्थान पर पानी भर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर 1085 से 1986 के दौरान इंयिडन ऑयल कारपोरेशन को चण्डीगढ़ के कुछ उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए एल० पी० जी० सिलिंडरों में पानी होने की असामान्य फिनोमिन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन 4 महीनों में प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4,73 74 तथा 168 थीं ।

(ग) कारपोरेशन के मुख्य परिवहन ठेकेदार के फ्लीट में से एक उप-ठेकेदार को हटाने और तीन वाहनों को काली सूची में रखने के अतिरिक्त आई० ओ० सी० द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है।

पंजाब में डाकघरों को बन्द किया जाना

9105. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अनेक स्थानों पर डाकघरों को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्गा शहर में भी डाकघरों को बंद करने का निर्णय किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार डाकघरों को बन्द करने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। पंजाब में किसी भी डाकघर को बन्द नहीं किया गया है तथापि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार डाकघरों का कार्यभार, लागत और आय की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जिन डाकघरों में पर्याप्त कार्य नहीं है या जो घाटे पर चल रहे हैं, उन्हें संभवतः बन्द भी किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं। इस समय उक्त डाकघर को बंद करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) में स्पष्ट की गई स्थिति पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की भांति पंजाब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त संख्या में डाकघर स्थापित किए गए हैं। फिर भी नियमित आधार पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डाकघरों में निपटाए जाने वाले कार्य तथा कार्यकरण के वित्तीय परिणामों के सम्बन्ध में निर्धारित मानदंड संतोषजनक ढंग से पूरे होते हैं। इस प्रक्रिया में यह अपरिहार्य है कि कुछ डाकघरों को बन्द भी किया जा सकता है, ऐसा मामूली पैमाने पर होगा और इससे वहां की जनता को उपलब्ध डाक सेवाओं पर संभवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

लोक अदालतों के द्वारा न्यायालयों के कार्य-भार में कमी

9106. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

श्री पी० आर० पुरुषोत्तमन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अदालतों के कार्यभार में कमी करने में लोक अदालतें कहां तक सफल हुई हैं ;

(ख) लोक अदालतों को कितने सिविल और कितने दाण्डिक मुकदमें समझौते तथा परिनिर्धारण के लिऐ भेजे गए ; और

(ग) लोक अदालतों के समक्ष शहरों और ग्रामों से कितने मुकदमें लाए गए ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता संबंधी कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) लोक अदालतें, न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में सहायक हुई हैं । तथापि, न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में लोक अदालतों को कितनी सफलता मिली है, यह अभी बताना संभव नहीं है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में आयोजित लोक अदालतों में लगभग 1,21,30 मामलों का निपटान किया गया है ।

(ग) लोक अदालतों के समक्ष शहरों और ग्रामों से लाए गए मामलों के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े, उक्त समिति के पास उपलब्ध नहीं है ।

पेट्रोल पम्पों में पेट्रोल भरने में कदाचारों की जांच

9107. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री त्रिलोक सिंह तुर :

श्री पी० एम० सईद :

प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल भरने के कार्यों की आकस्मिक जांचों से पता चला है कि पेट्रोल मीटरों को बड़े पैमाने पर चालाकी से खराब करके रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल पम्पों की जांच की है । और बड़े पैमाने पर पेट्रोल मीटरों को चलाकी से खराब किया हुआ पाया गया है ;

(घ) क्या सरकार का सभी पेट्रोल पम्पों की आवधिक आकस्मिक जांच करवाने की एक प्रणाली तैयार करवाने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के बॉट और माप विंग दिल्ली द्वारा अप्रैल 1986 के प्रथम सप्ताह में आयोजित विशेष जांच अभियान के दौरान 113 पेट्रोल/डीजल स्टेशनों की जांच की गई और उनमे से 35 स्टेशन ऐसे थे जो 5 लीटर के तौल में 20 मि० लि० से 150 मि० लि० तक कम डिलीवरी देते हुए पाए गए।

इन दोषियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन के बॉट और माप विंग द्वारा कानूनी कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ग) से (ङ) तेल उद्योग ने 1982 में फुटकर बिक्री केन्द्रों में विपणन अनुशासन पर मार्ग-दर्शी सिद्धांत तैयार किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फुटकर बिक्री केन्द्रों पर नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, उत्पादों के किस्म नियंत्रण, डिस्पेंसिंग यूनिटों की जांच और उनका माप-तौल करने और दोषी फुटकर बिक्री केन्द्रों/वितरकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई सम्बन्धी उपायों से सम्बन्धित मामले पर की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।

फुटकर बिक्री केन्द्रों पर नियमित और आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कम डिलीवरों के कुछ मामले ध्यान में आए थे। ऐसी यूनिटों को दी जाने वाली सप्लाई निलम्बित की गई और इन्हें राज्य बॉट और माप विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई, जैसे यूनिटों का पुनः व्यासमापन आदि, करने के बाद ही दुबारा सप्लाई दी गई थी।

मारुति सहित कारों के निर्यात की सम्भावनाएं

9108. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित मारुति कारों और अन्य ब्रांडों की कारों का निर्माण देश की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) क्या अन्य देशों को कारों का निर्यात करने की कोई सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो देश में कारों के कुल कितने निर्माण के बारे में ब्यौरा क्या है और कितनी संख्या में कारों का निर्यात किया जा सकता है ; और

(घ) क्या अन्य देशों को कारों का निर्यात करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव अथवा पेशकश है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में यात्री कारों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) 1985-86 में कारों का कुल उत्पादन लगभग 103 हजार हुआ है। मारुति उद्योग लिमिटेड को पूर्वी यूरोप तथा पड़ौसी देशों को कुछ हजार कारें निर्यात करने की आशा है।

ब्रिटेन के सहयोग से कोयला खनन में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के प्रयोग को प्रारम्भ करना

9109. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के सहयोग से कोला खनन में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के प्रयोग को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, कितने पूंजीनिवेश की आवश्यकता है तथा परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ; और

(ग) इस संबंध में की जा रही सहयोग व्यवस्था की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की जे० के० नगर भूमिगत कोयला खान में यू० के० सहयोग से कोयला खनन में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इलैक्ट्रानिक उपकरण लगने से आशा है कि उत्पादकता बढ़ेगी, सुरक्षा बेहतर होगी और व्यवस्था भी बेहतर होगी। यह इलैक्ट्रोनिकीकरण परियोजना वर्ष 1988 में पूरा होने की आशा है। यू० के० के साथ करार की शर्तों को अन्तिम रूप देना बाकी है।

जलने की घटनाओं की रोकथाम के उपाय

9110. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलने की घटनाओं को रोकने के लिए अनार, राकेटों और फिरकी जिनके कारण दिवाली के अवसर पर आग जलने की घटनायें होती है, निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने केवल अग्नि रोधी कपड़े के टैन्ट बनाने और पंडालों से बाहर निकलने के बहुत से मार्ग रखने हेतु कानून बनाने और बसों और रेलगाडियों के डिब्बों में मिट्टी का तेल पटाखे आदि जैसे जलशील पदार्थों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : इस समय अनार, रोकेट, और फिरकी के निर्माण पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अनार जैसे आतिशबाजियों के उपयोक्ताओं को निवारक अभ्युपाय के रूप में समाचार पत्रों तथा डिब्बों (कार्टनस) तथा वस्तुओं पर मुद्रित सावधानियों के माध्यम से इन आतिशबाजियों को सुरक्षित चलाने के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ।

किराए पर यात्रियों को ले जपने वाले वाहनों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना पेट्रोलियम विनियमावली 1976 के नियम 86 और विस्फेटक विनियमावली 1982 के नियम 35 के अन्तर्गत वर्जित है।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा सलाहकारों की नियुक्ति

9111. **श्री केशव राव पारधी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण में चिकित्सा सलाहकारों अथवा चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद हैं;

(ख) क्या अन्य सरकारी नियुक्तिकों की भांति इन पदों पर नियुक्ति हेतु कोई विशिष्ट अर्हता, अनुभव और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवा निवृत्त व्यक्ति ऐसी नियुक्तियों के पात्र हैं और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० एक नया संगठन है और यह अपने संगठनात्मक ढांचे और चिकित्सा सेवा सहित विभिन्न विभागों के लिए जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं को अन्तिम रूप देने में लगी हुई है । अभी तक कोई चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया है ; तथापि गेल में 6 जनवरी 1986 से एक चिकित्सा परामर्शदाता अंशकाल के आधार पर नियुक्त किया गया है ताकि कम्पनी में चिकित्सा सुविधायें आयोजित करने में सहायता प्राप्त हो सके ।

बिहार के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिये मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाना

9112. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मिट्टी तेल की न्यूनतम मासिक आवश्यकता 40 हजार मीट्रिक टन है, जबकि इस समय उसे प्रति मास केवल 28.5 हजार मीट्रिक टन का ही आबंटन किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने मिट्टी के तेल के अपने कोटे में वृद्धि करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए माथुर समिति के समक्ष पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार के ग्रामीण तथा पिछले क्षेत्रों के लोगों को मिट्टी के तेल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस माह बिहार के मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) बिहार सहित विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान

चार महीने के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर लगाया जाता है तथा उसके अनुसार आबंटन किया जाता है । इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, बवण्डर, एल० पी०जी०/साफ्ट कोक की कमी आदि जैसी विशेष स्थितियों में से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आधार पर आबंटन भी किया जाता है । पिछली सर्दियों की अवधि अर्थात् नवम्बर, 1985 से फरवरी 1986 तथा वर्तमान गर्मियों के ब्लाक अर्थात मार्च, 1986 से जून, 1986 के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्रमशः 7 1/2 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि देकर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया/किया गया आबंटन सही मांग को पूरा करने लिए पर्याप्त समझा गया । वर्ष 1985 के पहले छः महीनों के मुकाबले वर्ष 1986 के पहले छः महीनों के लिए बिहार को किये गए मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मी० टन)

महीना	1985 में किया गया कुल आबंटन	1986 में किया गया कुल आबंटन
जनवरी	27,000	28,500
फरवरी	27,000	29,500
मार्च	25,570	28,000
अप्रैल	25,570	28,000
मई	25,070	26,290
जून	25,070	26,290

(ख) बिहार सरकार ने माथुर आयोग को अपनी कुल 40,000 मी० टन की मासिक आवश्यकता के बारे में सूचित किया था ।

(ग) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अपर्याप्तता के संबंध में यथा-कदा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । चूंकि राज्य को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा का वितरण और नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है इसलिए राज्यों के विभिन्न स्थानों में उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण कार्य को सुचारु बनाने के वास्ते उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में कही गई नीति के अनुसार बढ़ी हुई दर से बिहार को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है । 1986 की बाकी अवधि के लिए आबंटन उपर्युक्त नीति के अनुसार ही किया जाएगा ।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा फालतू पुर्जों के लिए तकनीकी जानकारी की सप्लाई

9113. डा० जी० विजय रामाराव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मोटर वाहनों के फालतू पुर्जों के निर्माताओं द्वारा योजना आयोग

के सदस्य (उद्योग) को की गई इस शिकायत की जानकारी है कि मारुति के फालतू पुर्जों के बारे में उन्हें अपेक्षित तकनीकी जानकारी नहीं दी जा रही है ; जैसाकि 14 अप्रैल, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने उक्त समाचार को देखा है । कम्पनी ने बताया है कि वह उपकरण निर्माताओं को सभी सम्भव सहायता दे रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन

9114. **श्री कान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वास्तविक विद्युत उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1985-86 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के लिए कुछ विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 1,70,000 मिलियन यूनिट था जिसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि 1,70,045 मिलियन यूनिट थी ।

विवरण

1985-86 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

राज्य प्रणाली का नाम	कुल वास्तविक विद्युत उत्पादन (आंकड़े मिलियन यूनिट में)
1	2
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	10568
दिल्ली	4695
जम्मू व कश्मीर	870
हिमाचल प्रदेश	1247
हरियाणा	1206

1	2
राजस्थान	3326
पंजाब	5763
उत्तर प्रदेश	18567
गुजरात	12934
महाराष्ट्र	28560
मध्य प्रदेश	15903
आंध्र प्रदेश	16299
कर्नाटक	7519
केरल	5358
तमिल नाडू	14308
बिहार	3325
उड़ीसा	3475
पश्चिम बंगाल	7885
दामोदर घाटी निगम	6464
सिक्किम	30
असम	842
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा	1001
अखिल भारत	170045

उड़ीसा में अपर इन्दिरावती पन बिजली परियोजना का चालू किया जाना

9115. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपर इन्दिरावती पन बिजली परियोजना को चालू करने के लिए प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना की लागत में संशोधन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो लागत में नवीनतम-प्राकलन क्या है और अन्तिम संशोधन कब किया गया ; और

(घ) उस परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने परियोजना मई, 1978 में स्वीकृत की थी तथा

इसकी अनुमानित लागत 208·14 करोड़ रुपए है। राज्य प्राधिकारियों ने परियोजना के संशोधित लागत अनुमान अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित 4 बांधों में से, 3 बांधों के लिए ठेके दिए गए हैंतथा चौथे बांध के लिए निविदा संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 18 डाइकों में से 7 डाइकों पर तथा लिंक चैनल पर निर्माण कार्य चल रहा है। बिजली घरों का खुदाई कार्य भी चल रहा है तथा विद्युत उत्पादन सेटों के लिए भी आर्डर दे दिये गए हैं। राज्य सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार परियोजना की समुचित मानीटरिंग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि विलम्ब न हो।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

9116. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण नियत द्वारा सारे भारत में कार्यान्वित की जा रही अनेक परियोजनाओं में सही समय पर निर्णय लेने में लापरवाही और सीमेन्ट तथा अन्य सामग्री की दोषपूर्ण सप्लाई के कारण काफी विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) यह सही नहीं है कि समस्त भारत में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में विलम्ब राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा उपयुक्त समय पर निर्णय लेने में लापरवाही करने के कारण हो रहा है। तथापि, कुछ परियोजनाओं में कई कारणों से विलम्ब हो जाता है जैसे :—दरों के निर्धारण, डिजाइनों ड्राइंगों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब से निर्णय लिया जाना, पर्यावरण/वन-संबंधी स्वीकृति, कार्य के संबंध में आने वाले गतिरोध आदि के कारण कार्य-स्थलों को उपलब्ध कराने में विलम्ब होना और निवेशों की कम सप्लाई होना।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें ऊर्जा मंत्री, विद्युत विभाग में सचिव तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर समीक्षाओं द्वारा परियोजनाओं की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करना शामिल है। कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली, पर्ट एण्ड बार चार्ट आदि जैसे आधुनिक मानीटरिंग साधनों का उपयोग करें। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ भी सम्पर्क रखा जाता है ताकि उनकी ओर से निर्णय शीघ्र लिए जाएं।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में पेट्रोल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट

9117. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को

पेट्रोल पम्प के लाइसेंस दिए गए हैं जिन्हें मिट्टी के तेल के डिपो के लाइसेंस भी दिए गए हैं ;

(ख) क्या कुछ ऐसे व्यक्ति पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा संचालित मिट्टी के तेल के डिपो उनके पेट्रोल पम्प के नजदीक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पेट्रोल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट कर रहे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में दो डीलरों के पास एम०एस०/एच०एस०डी० और मिट्टी के तेल दोनों की ही डीलरशिपें हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में तेल कम्पनियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में पेट्रोल पम्प खोलना

9118. श्री हरिहर सोरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में अब तक कितने पेट्रोल पम्प खोले गए हैं ;

(ख) क्या उस जिले में छठी पंचवर्षीय योजना में खोले गए कुछ पेट्रोल पम्प बन्द कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्योंझर जिले में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल उद्योग ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में 19 फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की स्थापना की है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित दो स्थानों के फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र उनके डीलरों की वित्तीय समस्याओं के कारण निष्क्रिय हो गए हैं :—

1. सिनकेरानी
2. क्योंझरगढ़

(घ) एक फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए चयन के पूर्ववर्ती अंश के रूप में उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया है।

मोटर वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस

9119. **श्री पी०एम० सईद :**
श्री पी०आर० कुमारमंगलम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपने वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में "कम्प्रेस्ड" प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारम्भ कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष उपकरण का आविष्कार किया गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किये गए प्रयोग सफल रहे हैं ;

(घ) क्या इस प्रौद्योगिकी का मोटर वाहन निर्माताओं को अन्तरण किया जा सकता है ; और

(ङ) इससे पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में वाहन चालन लागत में कितनी कमी आएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) आयातित डुएल इंधन परिवर्तन किट के प्रयोग से ओ०एन०जी०सी० ने पेट्रोल से चलने वाली पारंपरिक जीप में परिवर्तन करके कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस या पेट्रोल से चलने वाला बनाया है। इसका परीक्षण चल रहा है तथा अभी तक वाणिज्यिक प्रयोग स्तर तक नहीं पहुंचा है ।

लुधियाना स्थित एल०पी०जी० एजेंटों द्वारा खाना पकाने की गैस के रिसने वाले सिलेण्डरों को अस्वीकार करना

9120. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से लुधियाना को भेजे गए गैस के रिसते हुए सिलैण्डरों की बहुत अधिक संख्या में लेने से इन्कार कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग रहित जिलों में उद्योगों के विकास के लिए आबंटन

9121. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश में उद्योग रहित (श्रेणी क) जिलों में

उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की जाएगी ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केरल को कितनी धनराशि दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों/"उद्योग रहित जिलों" के विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रोत्साहन योजनाओं अर्थात् "उद्योग रहित जिलों" मे अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में बजट प्रावधान राज्य-वार अथवा जिला-वार नहीं किए जाते । जब कभी विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से दावे प्राप्त होते हैं तो धनराशि जारी की जाती है ।

केरल के इडुक्की जिले में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

9122. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल के इडुक्की जिले में कई टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

1. मुरिक्कासेरी
2. सरियानेल्ली
3. वन्नापुरम

इस प्रयोजन के लिए लगभग 11 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

1985-86 में चेलाचुवाडु और अरीकूझा में 9 लाइनों की क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले गये हैं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश की गई साधारण शेयर पूंजी

9123. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी साधारण शेयर पूंजी लगी हुई थी ;

(ख) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में साधारण शेयरों के रूप में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 31-3-1986 तक निजी क्षेत्र में साम्य पूंजी और विदेशी निवेश के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। 31-3-1985 तक गतिविधि के अनुसार ब्यौरे को सम्मिलित करते हुये, निगमित क्षेत्र की प्रदत्त पूंजी के आंकड़ों की कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्य और प्रशासन पर 29वीं वार्षिक रिपोर्ट में समीक्षा की गई है, जो 11-3-1986 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

तेल की खोज/तेल के भंडारों के उपयोग के लिए विदेशी फर्मों के साथ करार

9124. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समुद्री क्षेत्र में तेल की खोज अथवा तेल के भंडारों के उपयोग के लिए विदेशी फर्मों के साथ कोई करार किए गए हैं ;

(ख) क्या किसी ऐसे करार के अन्तर्गत तेल की खोज अथवा उत्पादन का कोई कार्य इस समय प्रगति पर है ;

(ग) तेल की खोज की लागत और तेल के हिस्से में भागीदारी तथा उत्पादित गैस और विदेशी फर्मों के लिए कर-व्यवस्था के बारे में इन करारों की मूल शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या भावी करारों के लिए कोई मानक करार प्रारूप तैयार किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें

9125. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम की सीमा अथवा अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर सरकारी अथवा गैर-सरकारी कितने टेलीफोन हैं ;

(ख) इन टेलीफोनों पर प्रतिवर्ष की जानी कालों की औसत संख्या क्या है ; और

(ग) एक वर्ष में औसतन कितने समय तक ये टेलीफोन खराब रखते हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में चालू टेलीफोन लाइनों की संख्या लगभग 3,52,924 हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता 300 लाइनों

से कम है। 300 लाइनों तक के एक्सचेंजों में की गई स्थानीय कालों को मीटर नहीं किया जाता है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चालू टेलीफोन लाइनों में औसत व्यवधान अवधि 3.2 घंटे प्रति दोष हैं।

गंगटोक को सिक्किम में जिला मुख्यालयों से "माइक्रोवेव" द्वारा जोड़ा जाना

9126. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की राजधानी गंगटोक को राज्य के जिला मुख्यालयों से "माइक्रोवेव" सम्पर्क द्वारा जोड़े जाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक चालू होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार किसी अन्य संपर्क प्रणाली पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगतोक के साथ उसके 3 जिला मुख्यालयों अर्थात् नामची, गैलसिंह और मनगन को जोड़ने के लिए 3 यू०एच०एफ० प्रणालियों की मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग) इन तीन प्रणालियों को सम्भवतः 1988-89 के दौरान चालू करने का अस्थाई लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि वर्ष के दौरान विभिन्न स्थलों पर भूमि उपलब्ध हो।

(घ) सरकार इस समय किसी अन्य लिंग प्रणाली पर विचार नहीं कर रही है।

सिक्किम में खादी और ग्रामोद्योग

9127. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में खादी और ग्रामोद्योग शुरू करने और इसके विकास की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ऐसे उद्योगों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) सिक्किम में 1984-85 के दौरान उद्योगवार उत्पादन और रोजगार।

क्र० सं०	उद्योग का नाम	उत्पादन (लाख रु०)	रोजगार
	खादी		
	सूती, ऊनी और रेशम	4.07	*
	ग्रामोद्योग		
1.	खाद्यानों और दालों का परिष्करण	1.70	*
2.	ग्रमीण चमड़ा	0.35	*
3.	हस्तनिर्मित कागज	1.13	*
4.	मधुमक्खी पालन	0.53	*
5.	बढ़ईगिरी और लुहारगिरी	3.76	*
6.	गोबर गैस	0.45	—
7.	बांस और बेंत	3.50	*

* = 500 से कम

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के विकास के लिए सिक्किम राज्य को वर्ष 1980-81 से 1984-85 में किया गया वितरण।

(लाख रु०)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग		योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1980-81	0.07	—	0.09	0.54	0.16	0.54
1681-82	—	—	0.30	—	0.30	—
1982-83	0.63	—	2.28	3.63	2.91	3.63
1983-84	—	—	—	—	—	—
1984-85	—	—	0.58	1.99	0.58	1.99
योग	0.70	—	3.25	6.19	3.95	6.16

सातवीं योजना अवधि के दौरान सिक्किम में खादी और ग्रामोद्योग के विकास कार्यक्रमों के लिए 13 लाख रु० आबटन का प्रस्ताव किया है जिसमें खादी के लिए 4.00 लाख रु० और ग्रामोद्योगों के लिए 9.00 लाख रु० है।

हैदराबाद में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एकक का विस्तार

9128. **श्री सी० सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कंपनी की सातवीं पंचवर्षीय योजना में बी० एच० ई० एल०, हैदराबाद में गैस टरबाईनों का निर्माण करने के लिए 10 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

आंध्र प्रदेश में उत्पाद डिजाइन और विकास के लिए एक फील्ड स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव

9129. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री एस० पलाकोंड्रायुडु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से सहायता के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में राजामुन्दरी में उत्पाद डिजाइन और विकास के लिए एक फील्ड स्टेशन और सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी नहीं। राजामुन्दरी में उत्पाद डिजाइन और विकास तथा सेवा केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु यह प्रस्ताव यू० एन० डी० पी० से सहायता के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के अनुसंधान और विश्लेषण का विकास

9030. **श्री सी० सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड के अनुसंधान विश्लेषण विभाग को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आई० डी० पी० एल० के पास अपने हैदराबाद एकक में पहले से ही एक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखबारी कागज के अतिरिक्त उत्पादन के लिए स्वीकृति

9131. **श्री आनन्द सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 6.36 लाख टन अतिरिक्त अखबारी कागज उत्पादन क्षमता की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए खोले जाने वाले एककों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और इन पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 2.80 लाख मी० टन की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के अलावा अखबारी कागज बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र स्वीकृत करके 6,13,500 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है, जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अखबारी कागज के उत्पादन के लिए स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता	अचल परिसम्पतियों अर्थात् भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनों में अनुमानित निवेश (रुपयों में)
1	2	3	4
1. मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि०	तहसील दुरहानपुर जिला पूर्वी निमार, मध्य प्रदेश	अखबारी कागज 9.000 मी०टन प्रति वर्ष	3267
2. मै० सैंचुरी पल्प लि०	नैनीताल, उ० प्र०	अखबारी कागज 20000 मी० टन प्रति वर्ष	7000 लाख (अखबारी कागज रेयन ग्रेड लुग्दी और कल्चर के लिए निवेश सहित)

1	2	3	4
3. श्री वी० हनुमंथा राव हैदराबाद	धोटलावाल्लेर विजयवाड़ा, जि० कृष्णा (आ०प्र०)	अखबारी कागज 40,000 मी० टन प्रति वर्ष	2720 लाख
4. श्री सर्वरयालु, एस० वी० पी० वी० वी० एण्ड ऐसोसिएट्स	तह० मसुलिपटनम जि० कृष्णा (आ० प्र०)	अखबारी कागज 80,000 मी० टन प्रति वर्ष	5570 लाख
5. मै० कर्नाटक न्यूजप्रिंट मैन्यु-फैक्चरिंग कंपनी लि० बंगलौर	नन्जानगुद जिला मैसूर	अखबारी कागज 30,000 मी० टन प्रति वर्ष	2275 लाख
6. मैसर्स केरल स्टेट इंड०डेव० कार० त्रिवेंद्रम	जिला त्रिचूर, केरल	अखबारी कागज 40,000 मी० टन प्रति वर्ष	3550 लाख
7. मै० हिन्दुस्तान, इलेक्ट्रो ग्रेफा-इट लि०, नई दिल्ली	जिला नरसीपुर या होशंगाबाद या सिधी (म० प्र०)	अखबारी कागज 60,000 मी० टन प्रति वर्ष	5880 लाख
8. मै० तिरुपति म्यूजप्रिंट लि०, नई दिल्ली	तह० चम्पा जि० बिलासपुर (म० प्र०)	अखबारी कागज 79,000 मी० टन प्रति वर्ष	5950 लाख
9. श्री कुलीन पी० मशकई, यू० एस० ए० द्वारा महेश कोठारी एण्ड कं०, बम्बई	तह० चिपुलोन जि० रत्नागिरि महाराष्ट्र	अखबारी कागज 40,500 मी० टन प्रति वर्ष	4820.5 लाख
10. मै० एस० वी० मंघनानी एण्ड संस, बम्बई	जि० रत्नागिरि महाराष्ट्र	अखबारी कागज 40,000 मी० टन प्रति वर्ष	2970 लाख
11. मै० दि स्टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार० ऑफ महाराष्ट्र लि०, बम्बई	जिला परभनी महाराष्ट्र	अखबारी कागज 50,000 मी० टन प्रति वर्ष	15532 लाख (इसमें और छपाई के कागज पर किया जाने वाला नि वेश सम्मलित है)

1	2	3	4
12. डा० डी० के० मिश्र एसेक्स, ब्रिटेन	तह० पारदीप जिला कटक उड़ीसा	अखबारी कागज 50,000 मी० टन प्रति वर्ष	4465
13. श्री जी शाह लॉस एन्जलेस कैलीफोर्निया (सं० रा० अमेरिका)	तह० वैलोर जिला उत्तरी अर्कोट तमिलनाडु	अखबारी कागज 45,000 मी० टन प्रति वर्ष	1602 लाख
14. मै० सोलार पेपर मिल्स लि० मायलापुर, मद्रास	तह० पोन्नेरी जिला चिंगलेपुट तमिलनाडु	अखबारी कागज और मैगजिन पेपर 30,000 मी० टन प्रति वर्ष	1100 लाख

सरकारी और गैर-सरकारी एककों द्वारा दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

9132. **श्री चिन्तामणि जैना :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने एकक दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) इन दूरसंचार उपकरणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये मांगें पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इनकी मांग पूरी करने हेतु देश में ऐसे उपकरण बनाने वाले और अधिक एकक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग, स्थापित किए जाने वाले ऐसे एककों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के छः एकक दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं । निजी क्षेत्र के किसी भी एकक ने इनका निर्माण शुरू नहीं किया है ।

(ख) ये एकक असैनिक और सैन्य कार्यों के लिए स्विचिंग, पारेषण और अन्तःस्थ उपस्करों का निर्माण कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) सातवीं योजना काल में, आशा है स्वदेश में बनने वाले कुल उपस्कर इस

काल की मांग के अनुरूप रहेंगे। यह मांग दूरसंचार विभाग के लिए आबंटित 4010 करोड़ रुपयों के समतुल्य होगी। कुछ नए उपस्करों के उत्पादन की क्षमताएं पहली बार स्थापित की जा रही हैं और प्रारम्भिक वर्षों की आवश्यकता की पूर्ति आयातित उपस्करों द्वारा की जाएगी इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के एककों को प्रयोक्ताओं के लिए अन्तस्थ उपस्कर के निर्माण के लिए अनुमति दी गई है।

(ङ) नीचे बताए अनेक एककों की औद्योगिक मंजूरी दी गई है :—

	स्विचिंग	पारेषण	अन्तस्थ
एक) सार्वजनिक क्षेत्र	9	12	20
दो) निजी क्षेत्र	—	—	86

खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में निर्मित सामान का निर्यात

9133. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से सामान का निर्माण किया जाता है जिनका विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है और उन देशों के नाम क्या हैं ;और

(ख) इन मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्रस्ताव है कि खादी तथा ग्रामोद्योग वस्तुओं का उत्पादन, जो छठी योजना में 964.68 करोड़ रुपये था, बढ़ा कर सातवीं योजना के अन्त तक 1570 करोड़ रुपये किया जाए। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 540 करोड़ रुपये के परिव्यय का निर्धारण किया है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के नाम

वस्तु का नाम	देश का नाम जिसे निर्यात होता है
1	2
1. कोल्हापुरी चप्पलें, जूते	इटली, फ्रांस
2. सूती खादी	जापान।
3. पापड़	अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व के देश
4. बेंत और बांस की वस्तुए	ब्रिटेन।
5. हस्तनिर्मित कागज जैसे कि ड्राइंग का कागज और रंगीन कार्ड	अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, जापान। आस्ट्रेलिया

1	2
6. फाइबर टेबल मैट	अमेरिका, जापान, पश्चिम यूरोपीय देश
7. झाड़ू के लिए खजूर की पत्तेदार टहनियां	आस्ट्रेलिया, बेल्जियन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन एफ० आर० पी०, हांगकांग, इटली, जापान, केन्या, कोरिया, मलेशिया, माल्दीव, नेपाल, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, कतार, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिट्रेन, अमेरिका, यमन, तांजानिया।
8. ब्रश बनाने के लिए खजूर के रेशे	आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, इजिप्त, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन, एफ०आर०पी०, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, लिबिया, मलेशिया मालटा, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैण्ड, पोलैंड, पुर्तगाल, रूमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका।
9. खजूर के पत्तों की टोकरी	आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, इथितोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन अमेरिका।
10. ताड़ गुड 11. ताड़ की चीनी	सिंगापुर, श्रीलंका सिंगापुर, श्रीलंका } नाममात्र

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी उपक्रमों में निवेश

9134. **डा० ए० के पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन का निवेश कर रखा है,

(ख) इस निवेश से निविष्ट राशि के कितने प्रतिशत मूल्य की वित्तीय आस्तियों का प्रतिवर्ष निर्माण हो रहा है;

(ग) यदि यह राशि गैर-सरकारी उद्यमियों को दी गई होती, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस निवेश पर किस दर पर ब्याज वसूल किया जाता ; और

(घ) क्या सरकार मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस और उर्वरकों आदि जैसी वस्तुओं पर कर लगा कर अधिक राजस्व एकत्र करने की वरीयता देती है या सरकारी उपक्रमों से इतनी आय प्राप्त होना सुनिश्चित करेगी जितनी कि बैंक उस राशि पर ब्याज के रूप से वसूल करते हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-3-1985 को 221 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लगी पूंजी 42,811 करोड़ रुपए की थी जैसाकि 27-2-1986 को सभा पटल पर रखे गए "लोक उद्यम सर्वेक्षण" 1984-85 में दिया गया है। राज्य सरकार के उपक्रम, केन्द्रीय सरकार के विचार-क्षेत्र में नहीं आते हैं और इसलिए राज्य सरकार के उद्यमों में लगी पूंजी सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लगी पूंजी पर प्रतिलाभ से है। लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत इस प्रकार था :—

1984-85	—	12.74%
1983-84	—	11.94%
1983-84	—	11.94%
1982-83	—	13.06%

(ग) बैंकों द्वारा दिए गए आवधिक ऋणों पर ब्याज की दरें समय-समय पर भिन्न-भिन्न रही हैं। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों के लिए वर्तमान वार्षिक दरें 12.5 प्रतिशत तथा अन्य में स्थित एककों के लिए 14 प्रतिशत हैं।

(ग) सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाया जाये, ताकि वे अधिकाधिक आन्तरिक संसाधन पैदा कर सकें।

"डायोक्सिन" के उत्पादन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे

9135. **श्री हन्नान मोल्लाह**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्यतः कीटनाशक दवा उद्योग द्वारा उत्पादित डायोक्सिन रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ;

(ख) यह रसायन किन-किन स्थानों पर फैंका जाता है ;

(ग) इस रासायनिक अपशिष्ट को नष्ट करने अथवा इसको सुरक्षित स्थान पर फैंके जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या इसे फैंकने के लिए किए गए अपर्याप्त उपायों के कारण "डायोक्सिन" भूमि में पानी के साथ मिल जाती है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ;

(छ) क्या इस घातक रासायनिक अपशिष्ट को आमतौर पर आबादी वाले क्षेत्रों में फैंका जा रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) डिआक्सिन एक ऐसी अपदर्व्यता है जो 2, 4, 5, टी, एक हर्बीसाइड के उत्पादन के लिए अपेक्षित मध्यवर्ती अर्थात्

2, 4, 5—ट्राइक्लोरोफिनोल, के निर्माण में रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। 2, 4, 5-टी की कीटनाशी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाती। इस समय भारत में 2,4,5-टी-का कोई उत्पादन नहीं होता।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बिजली विभाग में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या में होना

9136. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का बिजली विभाग पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के बिना कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या प्रशासन ने इस मामले को केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार में पदों के सृजन द्वारा बिजली विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव 26.4.86 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अंडमान और निकोबार प्रशासन से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

स्वदेशी सोडा ऐश की ऊंची कीमतें

9137. **श्री रेणुपदादास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि सोडा ऐश की कमी के समय, उसका आयात किए जाने के बावजूद, स्वदेशी सोडा एश निर्माताओं द्वारा इसकी बढ़ाई गई कीमतों में कमी नहीं की गई है ; और

(ख) सरकार ने इस बात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि आयातित सोडा ऐश सट्टेबाजी का माध्यम न बने ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) स्वदेशी निर्माताओं के सोड़ा ऐश का मूल्य विभिन्न निवेशों की घरेलू लागत पर निर्भर करता है। तथापि देश में खुदरा मूल्यों ने ह्रास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दर्शायी है।

(ख) मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सोडा ऐश पर, आयात शुल्क की सरकार निरन्तर निगरानी रखती है। शुल्क संरचना का अंश शोधन इस ढंग से किया जाता है कि सोडा ऐश की अवतरित लागत लगभग स्वदेशी मूल्य के अनुरूप हो।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आंध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश

9138. **श्री एस० फ्लाकोंड्रयुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उद्योग तथा अस्पताल स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों से वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए और आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों और अस्पताल स्थापित करने के लिए कितने अनिवासी भारतीयों को आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(च) क्या सरकार के पास कुछ आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ङ) यदि हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) आंध्र प्रदेश में उद्योगों और अस्पतालों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1984 और 1985 में आंध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने हेतु जारी किए गए आशय पत्र/अनुमति पत्र/औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के पंजीकरणों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए आशय पत्र/अनुमति पत्र/ औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के पंजीकरण
1984	20	%
1985	41	19

उद्यमियों को जारी किए गये आशय पत्रों के ब्यौरे इंडियन इन्वेस्टमैंट सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मंथली न्यूजलैटर में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अस्पताल की स्थापना करने के लिए किसी भी आशय पत्र की आवश्यकता नहीं है । तथापि, भारत सरकार से अनुमोदन/

स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है जहां अस्पताल अथवा उन्नत निदानपरक केन्द्र की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीय निवेश की (देश-प्रत्यावर्तन अधिकार) अस्पताल/उन्नत निदान-परक केन्द्र के लिए इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक के लिए आवश्यकता है। 74 प्रतिशत वाली योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों के निवेश आमंत्रित करने हेतु वर्ष 1985 में आन्ध्र प्रदेश में अस्पताल स्थापित करने के लिए केवल एक प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त 61 आवेदन पत्रों में से, फोटोवोल्टिक सैल्स, मोड्यूल्स आदि के निर्माण के लिए वर्ष 1985 के अन्त तक प्राप्त केवल एक आवेदन ही प्रस्ताव की व्यापक जांच हेतु लम्बित पड़ा है।

(च) उपर्युक्त 26 स्वीकृतियों के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं में स्थायी परि-सम्पत्तियों में कुल निवेश और उसमें अनिवासी भारतीयों का निवेश क्रमशः 55.69 करोड़ रु० और 8.49 करोड़ रु० होने की आशा है। इसके अलावा उपर्युक्त अस्पताल की परियोजना के तदनुरूप आंकड़े 17.18 करोड़ रु० और 2.22 करोड़ रु० है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसे देर से भी दिया है तो भी यह स्थगन का मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, भारतीय कपास निगम एक माह से कपास नहीं खरीद रहा है। कृपया उन्हें कपास खरीदने का निर्देश दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों नहीं बोलने देते ? एक व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य कर रहा रहा है। आप यह अनावश्यक ही कर रहे हैं। मैं जो भी उचित बात है उसे सुनूंगा। यह बहुत खराब आदत है। आप इसे क्यों पाल रहे हैं ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान*)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आपको अनुमति दूं तो आप कहिए। यह करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स कर्मचारियों का दमन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ? सरकार और प्रबन्ध को इसे करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया हमें एक-एक करके बोलने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं असंगत बातों की अनुमति कैसे दे सकता हूं ? अनुमति नहीं है।

व्यवधान*

1.203 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1986-87 के बजट प्राक्कलन, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2626/86]

(3) दामोदर घाटी नियम अधिनियम, 1984 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1986-87 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०-2627/86]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1984 85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्र-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2628/86]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के संबंध में विधि आयोग का 110वां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० आर० भारद्वाज) : मैं, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के संबंध में विधि आयोग के 110वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-2636/86]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1986 ; नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र

सभा-पटल पर रखता हूं : -

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क्क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 196 (अ), जो अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडेचेरी, मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स मऊनाथ भंजन, मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर तथा मैसर्स रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स रायबरेली के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी०-2637/86]

(दो) का०आ० 205(अ), जो 23 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डा० पाल लोहमन (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी०-2638/86]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की उपधारा (6) के अन्तर्गत कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 16 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 21(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय मे रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी०2638/86]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2640/86]

(ख) (एक) ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2645/86]

(5) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के निष्पादन से सम्बन्धित 1 जनवरी, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी०-2646/86]

(6) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2647/86]

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : श्री आर० के जयचन्द्र सिंह की ओर से, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 918क की उपधारा (1) के अन्तर्गत

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2648/86

12.05 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले : (अकोला) मैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 19 मार्च और 23 अप्रैल, 1986 को हुई बैठकों की कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[—जारी]

[अनुवाद]

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा किए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विभिन्न विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सभा-पटल पर रखता हूं :

सातवीं लोक-सभा

(1) विवरण संख्या 19—ग्यारहवां सत्र, 1983

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2629/86]

(2) विवरण संख्या 11—पन्द्रहवां सत्र, 1984

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2930/86]

आठवीं लोक-सभा

(3) विवरण संख्या 8—पहला सत्र, 1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2631/86]

(4) विवरण संख्या 8—दूसरा सत्र, 1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2632/86]

(5) विवरण संख्या 5,—तीसरा सत्र,1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2633/86]

(6) विवरण संख्या 4—चौथा सत्र, 1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2634/86]

(7) विवरण संख्या 1—पांचवां सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2635/86]

———

रेल अभिसमय समिति

चौथा तथा पांचवा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : मैं रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन(हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) "रेल पथ विस्तार कार्यक्रम" के बारे में रेल अभिसमय समिति (1980) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(दो) रेल विद्युतीकरण संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

———

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सामान्य समस्याएं नहीं सुन सकता हूं। मैं सभा में इस प्रकार की बातें नहीं चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने सूचना भी दी है; तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। आसमान तो नहीं गिर रहा है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं । आप मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए अवश्य कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय बहरे नहीं हैं । आपने जो कुछ भी कहा है, वह सही है ।

अच्छा तो, श्री पुजारी जी ।

12.07 म० प०

विधेयक

(एक) अनुसंधान और विकास उपस्कर विधेयक**

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विकसित औद्योगिकी के व्यापारिक प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए अनुकूलन के लिए आयात की गई प्रौद्योगिकी के लिए, किए जाने वाले सभी संदायों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए अनुकूलन के लिए आयात की गई प्रौद्योगिकी के लिये, किये जाने वाले सभी संदायों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके अनुषंगी विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया ।

**दिनांक 6-5-1986 के भारत के साधारण राजपत्र, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरः स्थापित* करता हूं ।

(दो) आयकर (संशोधन) विधेयक**

अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हू ।

12.08 म० प०

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्न लिखित प्रस्ताव करता हूं :—

कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "सैंतीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "1985" अंक के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने] वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

**दिनांक 6-5-1981 के भारत के असाधारणा राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

अधिनियमम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में "छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवें प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: अब हम राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

1. कि पृष्ठ 1, में "छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० आर० भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहां अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्या है, प्रोफैसर साहेब।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है।

(व्यवधान)

12.08 म०प०

तत्पश्चात् प्रो० मधुदंडवते तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हिन्दुस्तान टाइम्स के कर्मचारियों की हड़ताल···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय आप मंत्री महोदय से क्यों नहीं मिलते और उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। आप उनसे जो चाहे कह सकते हैं। आप व्यर्थ में ही सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनसे कहिये वे आपके मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, वकीलों द्वारा हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने के लिए जो हड़ताल हो रही है, उससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : विदेशों में यह गलत धारणा व्याप्त है कि चूंकि मामला बिरला से सम्बद्ध है, इसलिये लोकसभा कुछ नहीं कर पायेगी।

अध्यक्ष महोदय: बिरला का कोई प्रश्न नहीं है। टाटा बिरला, अथवा सिंघानियां का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। मेरा संबंध केवल मेरे अपने नियमों से है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां हैं। आज उनसे कह सकते हैं? वह आपकी अवश्य सुनेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इससे आपका क्या मतलब है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : हर रोज आप सदस्यों की बातें सुनते हैं, आज क्यों नहीं सुन रहे हैं···क्योंकि इसका संबंध बिरला से है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा संबंध केवल सभा के कार्य से है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं। इसके बारे में जो कुछ पता है, वह मंत्री महोदय को पता है।

श्री भागवत झा आजाद : आप मंत्री महोदय से पूछिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे नहीं कह सकता हूं। जी नहीं, उनसे कहने का काम मेरा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : आप हर रोज सदस्यों की बात सुनते हैं। आज क्यों नहीं सुन रहे हैं ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे लिखकर दे सकते हैं, तो मैं तथ्यों को मंगाऊंगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं मंत्री महोदय को ही लिख सकता हूं। आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दे सकता हूं। यह ऐसा मामला नहीं है। जिस पर स्थगन प्रस्ताक रखा जाये। आप मुझे धौंस नहीं दे सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हर रोज प्रश्न काल के बाद, आप हमारी बात सुनते हैं; किन्तु आज क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुन सकता। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं केवल नियमों का पालन करता हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसका संबंध किससे है। मेरे लिए, इससे यह अधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) आपको मुझे लिखकर देना होगा। मैं लिख सकता हूं। मैं आपकी भावना को लिखित रूप में प्रेषित कर सकता हूं किन्तु इस मामले में स्थगन का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : किन्तु क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हू। यह मेरा निर्णय है। मैं गलत भी हो सकता हूं। किन्तु इस मामले में स्थगन प्रस्ताव उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान) हमें क्या करना होगा ? महोदय, इस बात पर ध्यान दीजिये कि इस मामले में हमें क्या करना है। इस बात का गुप-चुप यह गूढार्थ अंदाजा मत लगाइए

कि इस मामले का संबंध बिरला की संस्था है अथवा इसी प्रकार की किसी संस्था से है मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि इसका संबंध किससे है। मुझे केवल अपने नियमों की चिन्ता है।(व्यवधान)

जी नहीं, जी नहीं मैं नहीं, दे सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आप मंत्री महोदय से पूछिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं पूछ सकता। आप ही क्यों नहीं अपने मंत्री को लिखते हैं ? यदि आप इतने ही नाराज हैं ; तो आप ही उनको लिख सकते हैं। वह आपके मंत्री है। आप उन पर दबाव डालें। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपकी उग्रता का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आप स्वयं पर ही नियंत्रण रखें।

श्री भागवत झा आजाद : मैं एक मिनट में समझाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; मैं उन्हें नहीं कह सकता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। देखिये, यदि पहले मैंन ऐसा किया है, तो मैं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैं मंत्री को कुछ करने के लिए नहीं कह सकता हूं। मैं नहीं करता। यदि आप मुझे लिख कर देंगे तो मैं उन्हें लिख भेजूंगा। हां। मैं किसी संकोच के बिना उन्हें लिखूंगा। मैंने सदा ऐसा किया है, और सदा ऐसा करता रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य से नहीं जरा भर भी नहीं डगमगाऊंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करता हूं। मुझे अपने पर विश्वास है। मैं अपने विवेक से काम लेता हूं। मैं नियमों का पालन करता हूं चाहे यह कुछ भी हों। बस।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि आप अपने विवेक मे मेरा भर भी नहीं टलेंगे, हम आप से निवेदन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दीजिये। यदि आप मुझे लिखकर देंगे, मैं मंत्री को लिख सकता हूं। यही मैं कर सकता हूं। मैं उन्हें कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : आप उन्हें कल कुछ कहने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कीजिए। आप मुझे दीजिए। मैं दे दूंगा। इतना तो मैं कर सकता हूं। इस प्रकार नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। हमारा आप से यह निवेदन है : कृपया आप सरकार से कल यह पूछिए, कि बिरला क्यों सैकड़ों गरीब कर्मचारियों का शोषण करता है···

अध्यक्ष महोदय : श्री आजाद, आप को याद होगा कि आज पहली बार हड़ताल नहीं हुई है। कई बार हड़ताल हुई है। कल टाटा मिल में हुई है। परसों कहीं और। पटसन मिलों और अन्य मिलों में भी हुई। हम इन सभी हड़तालों का सामना करते रहे हैं। किन्तु, मैं लोगों

में अन्तर नहीं करता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं आप के द्वारा दिए गए मार्गदर्शनों के अनुसार करता हूं ; और मैं ऐसा करता रहूंगा चाहे कोई भी हो कितना बड़ा क्यों न हो, क्योंकि मैं केवल ईश्वर और अन्तरात्मा की परवाह करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है, महोदय।

श्री पी० कुलवगईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय एक मिनट मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) श्रीलंका के मामले के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति में आप ने हमें यह आश्वासन दिया कि आप यह मामला नियम 193 के अन्तर्गत उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास समय कहां है ? हमने विदेश मंत्रालय की मांगों के अन्तर्गत इस पर चर्चा की थी। हमने इस पर चर्चा की। अब समय नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : क्या, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं समय पैदा कर सकता हूं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : कम से कम ध्यानाकर्षण की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई संकोच नहीं। (व्यवधान) मुझे कोई चीज अग्रेषित करने में अभी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं नहीं करूंगा जो मुझे यह सभा कहेगी और मैंने सदा इसी का साथ दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसके लिए समय निकालने की बात है।

श्री भगवत झा आजाद : कृपया ऐसा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसवराज बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं आपको लिखकर के दे रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जितेन्द्र प्रसाद हड़ताल के सम्बन्ध में जो कुछ कह रहे थे मुझे उसके साथ पूरी सहानुभूति है। लोग अब 43 दिन से भटक रहे हैं, और उच्च न्यायालय भी बन्द है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : इलाहाबाद में ही नहीं, बरेली, आगरा और उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में भी।

अध्यक्ष महोदय : हम कैसे लोग हैं ? हम यह परवाह भी नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है। वह प्रत्येक चीज को जोर जबरदस्ती चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, हमारा इसी विषय पर एक कालिंग अटैंशन नोटिस आपके पास विचाराधीन है, आप उसे एक्सैप्ट कर लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह जोर जबरदस्ती नहीं है ? ग्रामों के गरीब लोग सुनवाई के लिए निर्धारित दिनों पर आ जाते हैं और खाली हाथ वापस लौटत हैं। इस संसार का क्या होगा, मुझे मालूम नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : यह भारी समस्या है। (व्यवधान) इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है, चाहे वह ग्रामों से हो या दिल्ली में रहता हो, चाहे वह बिरला हो अथवा इलाहाबाद के लोग।

अध्यक्ष महोदय : यदि बल प्रयोग करके ही चलना था तो हर स्थान उच्च न्यायालय होगा, संसद होगा, मैं कैसे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद यदि आप मुझ से मेरे निजी विचार पूछेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेस पर उन्हीं लोगों का प्रभुत्व है जिनके पास धन है। नहीं है क्या ? यह प्रेस के हाथों में क्यों नहीं है ? यदि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, यदि भूम की सीमा निर्धारित की जा सकती है, क्या हमने इस देश में किसी और व्यक्ति पर कोई सीमा निर्धारित की है ? किसी सम्पादक बेचारे, पत्रकार बेचारे के नाम आरोप-पत्र लगाया जा सकता है और उसको बाहर किया जा सकता है यदि वह अपने ढंग से लिखता है ; इस प्रकार का एकाधिकार है ; आप इस एकाधिकार के विरुद्ध क्यों नहीं लड़ सकते हैं और इन सब बेकार बातों को मिटा दें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी का मैं समर्थन करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री शरत देव (केन्द्रपाडा) : आप जो कुछ कहते हैं, क्या यह सरकार का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से कहता हूँ ; सरकार की ओर से नहीं ; मैं एक मानव के रूप में न कि अध्यक्ष के रूप में कहता हूँ।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : हम सीधे आप से नहीं पूछ रहे हैं। किन्तु आप एक मिनट के लिए सदस्यों की बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे मंत्री से पूछिए. इसमें कोई समस्या नहीं हैं ; यह काम उचित ढंग से कीजिए।

(व्यवधान)

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

[अनुवाद]

(एक) त्रिवेन्द्रम स्थित दूरदर्शन केन्द्र से मलयालम में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये केरल में सभी दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट)** : महोदय, यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व केरल के विभिन्न

*मूलत: मलयालय में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भागों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थपित किए गए थे परन्तु त्रिवेन्द्रम के अलावा किसी केन्द्र से मलयालम भाषा में कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय जनता केवल दूरदर्शन के माध्यम का तभी पूरा-पूरा लाभ उठा सकती है जबकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्थानीय भाषा में भी कार्यक्रमों हों उदाहरणतः पालघाट का दूरदर्शन केन्द्र केवल दिल्ली के कार्यक्रम रिले करता है और इसमें त्रिवेन्द्रम से मलयालम भाषा में कार्यक्रम रिले करने की व्यवस्था नहीं है। यही हाल अन्य केन्द्रों कर भी है। ऐसी भाषा जो स्थानीय लोगों द्वारा नहीं समझी जाती है और ऐसे कार्यक्रम जो अपरिचित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दर्शाते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रमों को नीरस बनाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य में सभी रिले केन्द्रों में इस प्रकार के संयंत्र लगाए जाएं जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं के भी कार्यक्रम रिले किये जा सकें। जनता की मूल सांस्कृतिक आवश्यकता केवल वित्तीय कठिनाइयों के आधार पर पूरा न करना उचित नहीं है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि त्रिवेन्द्रम दूर दर्शन केन्द्र से मलयालम भाषा में कार्यक्रम रिले करने के लिए केरल के सभी दूरदर्शन केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध करायें।

(दो) बंगलौर और नील मंगला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरी सड़क के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता

श्री जी० बसवराज (टुमकुर) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 बंगलौर नीलमंगला के बीच केवल एक दोहरी सड़क है। प्रतिदिन कम से कम पांच से दस दुर्घटनाएं होती हैं, जिनसे अनेक अमूल्य जीवन नष्ट हो जाते हैं। अतः टुमकुर और नीलमंगला के बीच इस राजमार्ग को शीघ्र एक दोहरी सड़क में बदल देना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज मार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर विश्राम गृह बनाए जाएं। टुमकुर और होनावर के बीच राजमार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। ऐसा करने से कर्नाटक के हजारों लोग कारवार और अन्य स्थानों को जा सकते हैं। इससे सामान की ढुलाई में भी सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरी सड़क में परिवर्तित करने में आवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

(तीन) तिरोरी तुमसार रोड यात्री गाड़ी को भंडारा टाउन तक बढ़ाने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में चन्द्रपुर गोंदिया, बालाघाट, जबलपुर शहरों को जोड़ने वाली नेरोगेज रेलवे लाइन है। यह रेलवे लाइन शहरों को तो जोड़ती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र से जाती है जहा पर जंगल है। और आदिवासी लोग रहते हैं लोहा, अभ्रक और मैंगनीज की खानें हैं। यह नेरोगेज लाइन सौ वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इंजन और डिब्बे भी बेकार हो चुके हैं। पिछले दो-तीन साल पहले पुलिया ढह जाने से पूरी ट्रेन नदी में गिर गई। लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय के रेलवे मंत्री ने वहां मौके पर आश्वासन भी दिया कि सातवीं योजना में हम इसे ब्राडगेज में अवश्य बदल देंगे किन्तु इस सम्बन्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उसी तरह तीरोड़ी तुमसर रोड जो पैसेंजरट्रेन चलती है वह भण्डारा टाउन तक चलाने वास्ते काफी दिनों से मांग है। भण्डारा टाउन होते हुए रेलवे लाइन जवाहर नगर तक गई हुई है। जो डिब्बे और इंजन तिरोड़ी से आकर तुमसर रोड में खाली पड़े रहते हैं वही भण्डारा रोड होते हुए भण्डारा टाउन तक चलाए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मेनेजर ने तथा माननीय रेलवे मंत्री जी ने भण्डारा टाउन तक गाड़ी चलाए जाने का आश्वासन भी दिया था।

मेरा रेल मंत्रीजी से निवेदन है कि तीरोड़ी तुमसर रोड पेसेंजर भण्डारा टाउन तक चलाए जाने वास्ते तुरन्त आदेश देने की कृपा कर और चन्द्रपुर गोंदिया, जबलपुर नेरोगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज में बदलने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में दैतारी में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता

**श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : भारत सरकार को छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में दैतारी में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। संयंत्र के लिए स्थान कटक, ढेनकेनाल और क्योंझर जिलों की सीमाओं पर एक स्थान पर भूमि के प्लाट का चयन किया गया। किन्तु यह अत्यन्त दुःख की बात है कि यह प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं जैसे मजदूर, पानी तथा कच्चा माल प्रस्तावित संयंत्र स्थान के निकट सहज ही उपलब्ध हैं। उड़ीसा सरकार ने भूमि अभिग्रहण के मामले में अच्छी प्रगति की है और पहले ही प्रारम्भिक कार्यों पर 9 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। किन्तु, इस्पात संयंत्र अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।

जैसा आपको मालूम है उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है और प्रत्येक वर्ष उस राज्य में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। यदि इस्पात संयंत्र स्थापित होगा तो बेरोजगार युवा उस संयंत्र में नियुक्त हो सकेंगे।

इस्पात संयंत्र की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब के कारण उड़ीसा की जनता में गम्भीर असंतुष्टि की भावना है। अतः उड़ीसा राज्य और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि दैतारी में शीघ्र इस्पात संयंत्र स्थापित करें।

[हिन्दी]

**श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बिड़ला वगैरह का गुस्सा आप बैरागी पर से कब उतारेंगे ? कितनी देर में हंस देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपके हुकुम की अवहेलना नहीं की जा सकती।

** मूलतः उड़िया में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(पांच) पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

श्री बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

"पर्वतीय क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम के कारण विकास कार्यों में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। बहुत सारी ऐसी सड़कें जो काफी बन चुकी हैं कुल वन भूमि के कारण रुक गई हैं। यही बात पीने के पानी, विद्युतीकरण, औद्योगिक, शैक्षिक संस्थाओं व चिकित्सालयों आदि पर लागू होती हैं। इससे विकास कार्य की गति बहुत धीमी हो गई है।

देहरादून जिले में लोहखण्डी-अटाल, दूधली-नवादा आदि सड़कें टिहरी में गूलर-गजा व कोट-अखोड़ा आदि मार्ग तथा उत्तर-काशी में भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपया व्यय हो चुका है, लेकिन कुछ वन भूमि आने के कारण रुकी हुई हैं।

इस सम्बन्ध में केन्द्र व प्रदेश सरकार को एक तर्कसंगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिसमें पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के साथ विकास भी सम्भव हो। क्योंकि सरकार की नीति है कि ग्रामों को सड़कों से जोड़ना है एवं विद्युतीकरण करके, पेयजल की व्यवस्था करके, शिक्षा और स्वास्थ्य की संस्थाएं खोलकर उन्हें बुनियादी सुविधाएं देना है।

यह आवश्यक है कि इन सड़कों आदि के विकास कार्यों की, जो रुके हुए हैं, अनुमति दी जाए। जिस भाग में जंगल पड़ता है वहां थोड़ा-बहुत परिवर्तन सड़क के बारे में किया जा सकता है। साथ-साथ कई गुना मात्रा में वृक्ष लगाने का प्रावधान किया जा सकता है और भूमि संरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। वन विभाग स्वयं वनों के अंदर सड़क बनाता है और ऐसी सड़कें हैं जिसका प्रयोग उन गांवों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, जो वनों के बीच में ही स्थित हैं। इस क्षेत्र की बहुत सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं जैसे टिहरी-डैम, लखवाड़-व्यासी आदि भी इन्हीं कारणों से रुकी हुई हैं। इन योजनाओं में भूमि संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे प्रावधान कर के इन्हें अनुमति शीघ्र दी जानी चाहिए। ताकि पर्वतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान विकसित हो सकें।"

(छ) उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की सप्लाई शीघ्र करवाने के लिए एल०पी०जी० के सिलेंडरों के कोटे की सीमा एक हजार सिलेंडर प्रति डीलर करने की मांग

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन विषय इस प्रकार उठा रहा हूं :—

"गत दिनों घरेलू गैस उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडरों के स्थान पर गैस भरे सिलेंडर देने के कार्य में लगे हुए दुकानदारों ने हड़ताल की थी।

12.23 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हड़ताल करने के पीछे उनकी अन्य मांगों के साथ एक प्रमुख मांग यह थी कि होम डिलीवरी समाप्त की जाए। होम डिलवरी समाप्त करने से आम उपभोक्ताओं को जो कठिनाई होगी वह

अनुभव की जा सकती है। सरकार जब कोई भी कार्य करती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आम आदमी को अधिक से अधिक सहूलियत दी जाए और इसीलिए गैस भरती सिलेंडर उपभोक्ताओं को देने के लिए स्थान-स्थान पर दुकानदरों को नियुक्त कर यह व्यवस्था की गई थी और आज स्थिति यह आ गई है कि दुकानदार उसी व्यवस्था को ही समाप्त करने के लिए हड़ताल कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि वह सरकार के उस उद्देश्य को ही समाप्त करना चाहता है। मैं इन दुकानदारों की कठिनाइयों को समझ सकता हूं। इनके पास दस-दस, पंद्रह-पंद्रह हजार तक गैस कनैक्शन हैं इन उपभोक्ताओं को एक माह के समय में खाली गैस सिलेंडरों के स्थान पर भरे गैस सिलेण्डर देने होते हैं। अपने सीमित साधनों से यह उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं कर सकते और यही कारण है कि सारे देश में भरे सिलेण्डर उपभोक्ताओं को देरी से मिलते हैं। ऐसी शिकायत आम आती रहती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक दुकानदार को एक हजार गैस कनैक्शन दिए जाएं जिससे वह उपभोक्ता की भी ठीक प्रकार से सहायता कर सकेगा और दूसरे अन्य कई बेरोजगार लोगों को काम भी मिल सकेगा और सरकार का भी आम आदमी को सहूलियत देने का उद्देश्य पूरा होता रहेगा।"

[अनुवाद]

(सात) चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को राजस्थान में हरसौली रेलवे स्टेशन पर रोकने की मांग

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, दिल्ली अहमदाबाद मीटर गेज रेल लाइन पर हरसौली एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित है। हरसौली व्यापारिक शहर है। हरसौली से कोट-कासिम और हरसौली से मन्डावर तथा बेहोर तक नियमित यात्री बस सेवाएं हैं। हरसौली स्टेशन बुकिंग आफिस पर यात्रियों की वृद्धि बहुत अधिक है। हरसौली से जयपुर जाने वाले यात्रियों को एक बजे से रात के 12 बजे तक कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। और शाम को 3 बजे के बाद दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार हरसौली से जयपुर जाने वाले तथा दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र के, जिसमें कम से कम एक सौ गांव हैं लोगों की मांग है कि चेतक एक्सप्रेस को हरसौली रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के लिए रोका जाए। मैं महसूस करता हूं कि मांग पूरी तरह से न्यायसंगत है।

इसलिए मैं परिवहन मंत्री जी से चेतक एक्सप्रेस को हरसौली रेलवे स्टेशन पर केवल दो मिनट रोकने के आदेश देने के लिए आग्रह करता हूं।

(आठ) महानगरों से केरल के लिए सीधी रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : महोदय, ग्रीष्म मौसम के आने तथा छुट्टियों के शुरू होने पर रेलवे को भारी भीड़ के साथ सहयोग देना होगा। आरक्षण प्राप्त करने की समस्या

हमेशा की तरह बरकरार है । यह विशेष रूप से केरल जाने वाली रेलों में होता है, विशेष रूप से केरल जाने वाली रेलगाड़ियों के साथ ऐसा हैं । इस मौसम के दौरान बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और उत्तर के प्रमुख शहरों में काम करने वालों केरल के लोग अपने मूल स्थान जाते हैं । किसी को अपनी यात्रा की योजना बनानी होती है और कई महीने अग्रिम में टिकिट का आरक्षण कराना होता है तथा कभी-कभी उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है । इस प्रकार की अनिश्चितता में कोई भी अपने परिवार के साथ लम्बी यात्रा नहीं कर सकता है । इस स्थिति से भ्रष्टाचार होता है तथा सरकार इसे दूर करने में सफल नहीं हो सकी है ।

महानगरीय शहरों से केरल तक सीधी रेलों की संख्या में वृद्धि करके यह समस्या हल हो सकती है । इस समय बम्बई से केरल के लिए केवल एक सीधी रेलगाड़ी है । लोगों की निरन्तर यह मांग है कि इस मार्ग पर जयन्ती जनता जैसी एक और गाड़ी शुरू की जाये जो बम्बई और केरल के बीच चलती है । केरल के बाहर सबसे अधिक मलयाली लोग बम्बई में रहते हैं ही और इसलिए बम्बई में उनका आरक्षण आदि के बारे में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो बहुत गम्भीर है । इसी तरह दिल्ली से केरल के बीच तीन रेलगाड़ियां होने के बावजूद लोगों को इसी समस्या का सामना करना पड़ता है । अतः दक्षिण जाने वाले यात्रियों की गंभीर कठिनाइयों को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बम्बई से केरल के बीच एक और सीधी रेलगाड़ी चलाये तथा दिल्ली और केरल के बीच चलने वाली गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाये । यह भी अनुरोध है कि गर्मी के दिनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाई जाये ताकि-यात्रियों की भारी भीड़ कम हो और यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिले ।

12.27 म०प०

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प

और

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी के लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 और 13 साथ-साथ लेंगे । इस विषय के लिए आबंटित समय एक घंटे का है । श्री श्रीराममूर्ति भट्टम से मेरा अनुरोध है कि वह अपना संकल्प प्रस्तुत करें तथा उस विषय पर बोलें ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए आपने केवल एक घंटे का समय दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उसका निर्णय किया गया था । आप सभी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं और आप लोगों ने निर्णय किया है । अब इस समय आप यह नहीं कह सकते हैं ।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक है। यह एक पहलू है। दूसरे, कल ही तो इसे पुरःस्थापित किया गया था···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। आप अपनी सीट लें।

डा० दत्ता सामंत : कल मध्याह्न पश्चात 12.30 बजे ही इसे पुरःस्थापित किया गया था आपने केवल एक दिन का समय दिया है। हमने इस पर संशोधन भी दिए है। इसे केवल कल ही सदन में पुरःस्थापित किया गया था और आज सुबह संशोधन दिए गए थे। उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। कल हमने 3 बजे तक काम किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल केवल शिक्षा नीति थी परन्तु आज आप दो और विधेयक लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटा है और आप इसे एक घंटे में कर सकते हैं।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, जब तक आप छूट नहीं देते हैं, तब तक नियमों के अन्तर्गत दो दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। कल सदन ने 3 बजे तक काम किया···(**व्यवधान**) इस प्रकार का अ प नोटिस क्यों दिया जाना चाहिए ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इसके लिए समय दिया जाना जाना चाहिए ···(**व्यवधान**)। आप इसे कल तक के लिये स्थगित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने संशोधनों को परिचालित किया है जो आपने दिये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें अभी तक परिचालित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें परिचालित किया जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं परन्तु सदस्यों को अभी भी संशोधनों को देने के लिये, विधेयक में सुधार करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, मद संख्या 10 को भी आज पुरःस्थापित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही पूरी हो चुकी है। हमने मद संख्या 12 और 13 ली हैं न कि मद संख्या 10।

श्री भद्दम श्री राममूर्ति (विशाखापटनम) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूं :—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अप्रैल, 1986 को प्रख्यापित स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्ध को केन्द्रीय

सरकार ने वर्ष 1978 में अपने हाथ में लिया था। अतः 1978 से 1985 के बीच—7 वर्षों की अवधि के दौरान—सरकार इन कपड़ा मिलों को चलाने की जिम्मेदारी लिये हुए है। सरकार ने रूग्ण एककों की स्थिति सुधारने के लिए काफी रुपया खर्च किया है जिसके प्रबन्ध को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। यह बताया गया था कि भारी राशि खर्च की गई थी। यह नहीं बताया गया है कि कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है यहां कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। केवल यह बताया गया है कि बताए गई उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने की दृष्टि से बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च की गई है। क्या मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य की घोषणा के साथ-साथ इन पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है? क्या सरकार द्वारा इन रूग्ण मिलों का दायित्व लिए जाने के बाद वे अर्थक्षम हो गई है? यह प्रश्न का दूसरा मुद्दा है।

महोदय, यह बताया गया है कि सरकार आगे 37 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बाद वह राशि है जो उद्योग को चलाने के लिए पूरी तरह आवश्यक है। यह बहुत भारी निवेश है। महोदय, शुरू में कुल देयताओं को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सका। आयुक्त को मामले में विचार करना पड़ा और इन रूग्ण कपड़ा मिलों की देयताओं की कुल राशि निर्धारित करते समय उसके कुछ आंकड़े निष्कर्ष स्वरूप निकाले। इससे उत्पन्न कुल देयताओं को उन्होंने एक अनुमान लगाया जो 15 करोड़ रुपये तक का है और जो इन मिलों को मुआवजा दिया जाएगा वह 24 करोड़ रुपए है। कुल राशि 15 करोड़ रुपये आती है और उसका मतलब यह है लगभग 39 करोड़ या 40 करोड़ के लगभग आती है। और अब इसके अलावा, कपड़े धागे आदि के निर्माण; उत्पादन और वितरण की उपलब्ध सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने के प्रयोजन से आगे निवेश करना आवश्यक है। वह राशि 37 करोड़ रुपए आती है। अतः इन रूग्ण कपड़ा मिलों के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण में बहुत भारी राशि लगती है। इतनी अधिक राशि लगाने के बाद क्या हम आशा कर सकते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार आएगा, उनके कार्य में सुधार आयेगा। वे कठिनाइयों में मुक्त होंगी तथा सामान्य रूप से काम करेंगी। इस बारे में कोई आशा नहीं है; शुरू की अवधि में जब तक ये निवेश पूरी तरह से नहीं किए जाते हैं उपक्रम घाटे में जा सकते हैं जिसकी क्षति केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जा सकती है। वित्तीय ज्ञापन में यह बताया गया है। अब, इन मिलों में इतना अधिक पैसा खर्च करने के बावजूद वे भविष्य में भी हानि में चलती रहेंगी। यह कितने वर्षों तक होगा इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए, आज यह स्थिति है। सरकार द्वारा रूग्ण मिलों को निकट भविष्य में उनमें कोई सुधार न होने की संभावना के साथ हाथ में लिया जा रहा है। सरकार के प्रबंध के अन्तर्गत मिलें फिर से रूग्ण होती हैं और तब उन्हें क्या होता है? क्या सरकार खर्चा उठाती है? क्या वे इन उद्योगों को केवल निजी एकाधिकार गृहों को भुगतान करने या कोई अन्य बड़े उद्देश्य की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं क्या इन उद्योगों के कार्य या स्थिति को सुधारना उनके लिए सम्भव होगा? यह चर्चा का विषय है। जिस तरह से मंत्री जी ने हमें स्थिति बताई है इससे हमें किसी भी तरह की आशा नहीं है।

मिलों की देयताओं को समाप्त करने का आदेश 19 अप्रैल ,1986 को खतम होने जा रहा है। 19 अप्रैल को देयताएं समाप्त करने वाला आदेश निर्धारित किया गया था। उसी दिन 19 अप्रैल को उन्होंने अध्यादेश प्राख्यापित किया था। किस प्रकार से सरकार इतने वर्षों तक चुप बैठी रही है। गत सात वर्षों से यह उनके अपने प्रबन्ध के अंतर्गत रही हैं। वास्तविक रूप से वे स्थिति को जानते हैं। देयताएं समाप्त कर दी गयी थीं। देयताओं को समाप्त करने का आदेश 19 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। मौजूदा कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस स्थिति को अच्छी तरह जानते हुए भी यह किस प्रकार से है कि सरकार हमेशा उदासीन रही है और आखरी क्षण में अचानक जागी है और इस अध्यादेश का सहारा लिया है वह भी इस समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है।

हो सकता है सदन ऐसा निर्णय दे कि यदि एक सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा तो यह अनियमित नहीं है। तब भी इसमें औचित्य का प्रश्न रहता है। कानूनी रूप से ऐसा करना सही है। इससे उन्हें बार-बार ऐसा करने का, जबकि संसद भी अधिवेशन में हो, अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

आप एक और दिलचस्प पहलू देखें। जैसा कि मैंने पहले कहा है, दायित्वों से मुक्त करने वाला आदेश 19 अप्रैल को समाप्त हो गया और इसके बाद 30 अप्रैल को मंत्रालय का पत्र महा-सचिव के पास पहुंचा जिसमें इस संबंध में एक विधान बनाने के अपने इरादे के बारे में बताया गया था। 19 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल, 1986 को पत्र मिला। अतः सब जगह सुस्ती है। प्रशासन बिल्कुल काम नहीं करता। किसी को इस मामले की परवाह नहीं है। अतः मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वे इसे स्वीकृत बात मानकर चलते हैं। वे अक्सर ही अध्यादेश प्रख्यापित करके सदन को अनदेखा करते हैं। बार में इस प्रक्रिया को विनियमित करने के विधान बनाते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं आवछनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अप्रैल, 1986 को प्रख्यापित स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 5) का निम्नुमोदन करती है।"

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): मैं अध्यादेश के बारे में माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा है कि 19 अप्रैल अन्तिम तिथि थी और इस मामले की अनेक पहलुओं से जांच की जानी थी तथा इसकी अनेक कमियों को दूर किया जाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब इसमें कोई समस्या नहीं है और इसलिये यह अध्यादेश लाना आवश्यक था।

वास्तव में हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था किन्तु हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि

समय कम था और यदि यह अध्यादेश न लाया जाता तो देयताओं से मुक्ति समाप्त हो जाती जिसके परिणामस्वरूप अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो जाती । देयताओं से मुक्ति की समाप्ति से हमारे लिये समस्या उत्पन्न हो जाती ।

अध्यादेश जारी करने के फौरन बाद, हमें यह मामला संसदीय कार्य मंत्री को भेजना पड़ा ताकि इस-विधेयक के लिए कोई समय निकाला जा सके और जैसे ही हमें संसदीय कार्य मंत्री से संकेत मिला कि इस विधेयक के लिए उपयुक्त समय दिया जा सकेगा, हमने तत्काल कार्यवाही की और एक पत्र जारी किया । पत्र को भेजने में देर करने का कोई इरादा नहीं था और न ही कोई सुस्ती बरती गई। हम केवल इस विधेयक के लिए समय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे।

जहां तक मुख्य प्रयोजन का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मजदूरों के हितों का मामला है । ये मिले 8 वर्षों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबंध के अधीन काम कर रही थी और हम इनके आधुनिकीकरण पर धन लगाने की स्थिति में नहीं थे । केवल नकद घाटे को पूरा किया गया और और यह राशि लगभग 35 करोड़ रुपये थी ।

माननीय सदस्य की बात के जवाब में संक्षेप में मुझे यह कहना है···(व्यवधान) कर्मचारियों की संख्या 14000 से कुछ अधिक है ।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : पिछले 8 वर्षों के दौरान इन मिलों में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : आधुनिकीकरण पर कोई खर्च नहीं किया गया था । जैसा कि मैंने पहले कहा, मिलों का प्रबन्ध ही सरकार के हाथ में था, स्वामित्व नहीं । जब तक मिलें सरकारी सम्पत्ति न हों, हम उनके आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं कर सकते केवल नकद घाटा हुआ है ।

डा० वसा सामंत : मालिक कौन है ?

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : स्वदेशी काटन मिल्स की मिलों को जीवनक्षम बनाने के लिए बहुत बड़ी राशि इन पर लगाई गई । में उद्देश्यों तथा कारणों के वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : ये मिलें चूंकि सरकार की सम्पत्ति नहीं थी, इसलिए इनके आधुनिकीकरण पर कोई धन नहीं खर्च किया गया । केवल नकद घाटे को ही पूरा किया गया है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं* :—

"कि कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण

*राष्ट्र पति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन के लिए, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कुछ उपक्रमों का अर्जन और अंतरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने की नीति को प्रभावी करने के लिए और उससे सम्बद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"कि कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित-साधन के लिए, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कुछ उपक्रमों का अर्जन और अंतरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण हेतु इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इन छह मिलों का, जिनका अब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, प्रबन्ध 1978 में अपने सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। इससे पूर्व इन छह मिलों के मजदूरों में बहुत रोष था। स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के कर्मचारियों ने जबरदस्त संघर्ष किया और जहां तक मुझे याद है वर्ष 1972 में काफी खून-खराबा और पुलिस की गोली से 3 मजदूर मारे भी गए। तब इन मिलों का प्रबन्ध जयपुरिया लोगों से अपने हाथ में लिया गया और 1978 से इसकी अवधि बढ़ाई जा रही थी। एक बार मैंने भी नियम 377 के अधीन मामलों के अन्तर्गत इन छह मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई थी। इन मिलों के अधिग्रहण का समय बार-बार बढ़ाया जा रहा था। इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा की जायेगी तथा इन्हें जीवनक्षम बनाने के लिए इनके आधुनिकीकरण हेतु धन भी उपलब्ध होगा। किन्तु सरकार द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आधुनिकीकरण से रोजगार क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दो वर्ष पूर्व मैं स्वयं स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर गया तो वहां के मजदूरों ने शिकायत की कि पहले वाले मालिक जयपुरिया ने मजदूरों की भविष्य निधि की राशि उनके खाते में जमा नहीं करवाई तथा इन मिलों का प्रबंध सरकारी हाथ में लिए जाने के बाद कुछ मजदूरों को वापिस काम पर नहीं लिया गया। मेरा अनुरोध है कि सरकार राष्ट्रीय करण के बाद उन मजदूरों को भी वापिस ले ले जिन्हें पहले वाले प्रबन्धकों ने निकाल दिया था।

पहले वाले प्रबन्धकों को 24 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह लज्जाजनक है। उन्हें 24 करोड़ रुपए क्यों दिये जाएं।

श्री वसुदेव आचार्य : आप ऐसे प्रबन्धकों को क्षतिपूर्ति क्यों दे रहे हैं जिन्होंने धन लूटा है और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राशि का गलत इस्तेमाल किया है। अतः आप इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दें। किंतु प्रबंध को कोई क्षतिपूर्ति न दें। केवल एक रुपया क्षतिपूर्ति के तौर पर दे दें। वही पर्याप्त है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अब उनका मूल अधिकार नहीं है। (व्यवधान) 14000 मजदूर हैं। हम वहां केवल 14 सदस्य बैठे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ और मिलें भी हैं जिनका प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है जैसे कि श्रीरामपुर में श्री दुर्गा काटन मिल्स। मैंने मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कई बार अनुरोध किया है तथा कई पत्र भी लिखे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया इन मिलों का भी राष्ट्रीयकरण करें जिनका प्रबंध पहले ही सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है—और मजदूरों के तथा राष्ट्र के हित में सारे वस्त्र उद्योग तथा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

कॉटन तथा टैक्सटाइल उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन का 10 प्रतिशत है। 32 लाख व्यक्ति (व्यवधान) सूती कपड़ा उत्पादन में लगे हुए हैं और 75 लाख हथकरघा क्षेत्र में तथा इन उद्योगों पर 6 करोड़ लोगों की आजीविका निर्भर है। ये उद्योग लगभग 100 करोड़ मूल्य के धागे तथा फैब्रिक्स का निर्यात करते हैं जो कि भारत के कुल निर्यात का 20 प्रतिशत हैं।

इन व्यापारिक घरानों ने जो इस उद्योग पर नियन्त्रण रखते हैं नियोजित ढंग से उस बात का प्रयत्न किया है 1951 से मिल में कपड़ों का उत्पादन बढ़ने न पाये जिसके परिणाम-स्वरूप यह हुआ कि देश में कपड़े का कुल जितना उत्पादन होता है, उसमें मिल क्षेत्र का हिस्सा घटकर केवल 30 प्रतिशत रह गया है और शेष 40 प्रतिशत भाग विद्युत करघा क्षेत्र का तथा 30 प्रतिशत भाग हथ करघा क्षेत्र का रहता है।

1974 और 1981 के दौरान उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने बावजूद ऐसा हुआ है। आई० डी० बी० आई० ने पूरे क्षेत्र में रियायती ब्याज की दर पर 581.25 करोड़ रुपयाऋण स्वीकृत किया था।

लाभ के भूखे मिल मालिक कम उत्पादन कर तथा कपड़ों का मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने की बात सोचते हैं। 1978 में एक मीटर कपड़े का औसत मूल्य 5.56 रुपये था जबकि प्रति व्यक्ति की खरीद की मात्रा 11.60 मीटर थी। 1961 में प्रति मीटर का मूल्य बढ़कर 8.12 रुपये तक हो गया था और उस समय प्रति व्यक्ति कपड़े की खरीद घटकर 9.40 मीटर रह गई थी।

कपड़े को सस्ता करने तथा देश में कपड़े की खपत बढ़ाने के बजाये भारत सरकार मिल मालिकों को कपड़े का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी। मुख्यतः इस कारण से ही कपड़े का स्वदेशी बाजार हल्का पड़ गया।

अब तक तीन कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं और एक लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। और अधिक कपड़ा मिल बंद होने की स्थिति में है। इसलिये आपको इस उद्योग को जो बहुत ही चिन्ता-जनक स्थिति में हैं, बचाना चाहिये, आपकी नयी कपड़ा नीति इस वस्त्र उद्योग को नहीं बचा पायेगी। नयी कपड़ा नीति बड़े मिल मालिकों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, न कि छोटे-छोटे मालिकों और निश्चित रूप से कपड़ा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर। इस वस्त्र उद्योग को बचाने के लिये आपको इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना होगा तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबंध को और अधिक कुशल बनाना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं स्वदेशी ग्रुप आफ कॉटन मिल्स का राष्ट्रीयकरण किये जाने का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड का अभिग्रहण किया गया है उसके बिल के समर्थन में मैं अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा, इस विधेयक के माध्यम से जो मैनेजमेंट हमारी भारत सरकार ने 6 काटन मिल्स का 1978 में अधिग्रहण कर लिया था उसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है और सभी मिलों को नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत लाकर सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों के अनुसार वही प्राथमिकतायें और सेवा शर्तें चाहे वह मजदूरों के हित में हों, चाहे उस मिल का उत्पादन बढ़ाने की तरफ हों या उनको माडर्नाइज करने की तरफ हों यह सब करने का एक सराहनीय प्रयास हुआ है। इस बात को सभी जानते हैं कि जब सन् 1978 में इसके मैनेजमेन्ट को शासन ने अपने हाथ में लिया था तब वहां के मजदूरों में असंतोष था। वहां की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी थी और वहां पर उत्पादन भी किसी प्रकार नहीं हो पा रहा था। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके मैनेजमेंट का अधिग्रहण किया गया। 1980 के बाद लगातार इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए, मजदूरों की सुविधायें बढ़ाने के लिए और उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन उन मिलों में हो सके इसके लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किए। जब वह अवधि 19 अप्रैल को पूरी हो रही थी, तभी आर्डिनेंस के माध्यम से उस कम्पनी का अधिग्रहण किया गया। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि जिन मिलों के आधुनिकीकरण या जिन मिलों को सुचारु रूप से चलाने में सरकार ने इतने दिनों से दिलचस्पी ली, इस एक्ट के माध्यम से पूरी व्यवस्था को नए सिरे से विचार करके, उनकी पूरी लायबिलिटीज और एसैट्स का अधिग्रहण किया गया। ऐसा करने में निश्चित रूप से सरकार के ऊपर अधिक आर्थिक व्यय करीब 24-25 करोड़ रुपए का आया होगा, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। उसमें कोई अन्य कठिनाई सामने नजर नहीं आती है। यदि मिलों को ठीक करने में या, कपड़े का

उत्पादन बढ़ाने में, मजदूरों को सुविधायें देने में और राष्ट्रहित में यदि 24-25 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होता है, उसमें सभी एसैट्स और मिलों का अधिग्रहण होकर सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कार्य करते हैं, तो इन मिलों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ टैक्सटाइल मिल्स का अधिग्रहण 1983 में किया और यदि इन मिलों का अधिग्रहण नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत ला दिया है, तो आज आवश्यकता है कि इनके मैनेजमेंट को सक्षम बनाया जाए और प्रोफैशनल्स लोगों को इसका मैनेजमेंट दिया जाए, ताकि एक अच्छे उपक्रम की तरह सुचारु रूप से उसका संचालन कर सके। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में स्वदेशी कपड़े को बनाने की और अच्छे किस्म के कपड़े को बनाने की काफी गुंजाइश है, लेकिन हम आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत किसम के कपड़े की पूर्ति सरकार के माध्यम से या उन मिलों के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, जितनी कि उन ग्रमीण जनों को आवश्यकता है। यदि हम तुलना करें, तो आज हम शहर और गांव में काफी अन्तर पायेंगे। आज हमने पोलिस्टर, टैरिकॉट,-टैरालीन या अच्छे उन्नत किस्म के कपड़े विकसित कर लिए हैं और उनका प्रयोग शहरीं क्षेत्रों में अच्छे और व्यापक रूप से हो रहा है। लेकिन गावों में आज भी वह पतला और बारीक किस्म का कपड़ा प्रयोग किया जा रहा हैं, जो वे पिछले 50-60 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इस बारे में कहना चाहूंगा कि हमने नई किस्म की टैक्नालांजी विकसित की है, हमारा उत्पादन भी वहां बढ़ा है। हमने नए किस्म के कपड़े को बढ़ाने की तरफ प्राथमिता दी है, तो उसके मूल्य को भी और उसकी क्वालिटी को भी कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है। एक कोशिश हमें यह भी करनी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में इस कपड़े का प्रयोग हो सके और कई वर्षों से कपड़ा चला आ रहा है, वह रिप्लेस हो सके। इस नरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां आपने इन मिलों का अधिग्रहण करके नई रूपरेखा प्रस्तुत की है, वहीं हमें इन मिलों के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जहां कपास का उत्पादन होता है, वहां कपास पैदा करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन वह समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस देश में काफी तादाद में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। यदि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या नई व्यवस्था के अनुसार तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके अन्तर्गत जो हमारी स्पीनिंग मिल्स है, जो नई टैक्सटाइल मिल्स हैं, उन्हें खोलकर उसका प्रयोग राष्ट्र के उत्थान में करें।

आखिर मैं, में एक बात मैनेजमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। इस बारे में फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के मैनेजमेंट को चार या पांच भागों में क्षेत्रीय आधार पर या अलग लिमिटेड कम्पनी बनाकर काम को करें तो उसमें निश्चित रूप से मैनेजमेंट की कैपेसिटीमें सुधार होगा। हम अच्छा संचालन उन मिलों मेंकर पायेंगे और अच्छा उत्पादन देश को दे पायेंगे। इन मिलों को प्रोफैशनल्स लाइन्स पर चलाकर हम उसको लाभकारी उपक्रम भी बना सकते हैं।

अन्त में मैं बिल का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि ठीक समय पर औरआवश्यक

संशोधनों के साथ और आवश्यक उपनियमों और बन्धनों के साथ यह बिल सदन में लाया गया है और इससे मैनेजमेंट में सुधार होगा और स्वदेशी काटन मिल्स के अन्तर्गत जो 6 मिलें काम कर रही हैं, उनके कामकाज में भी सुधार होगा। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

1 00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प

और

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री थम्पन थामस। केवल पांच मिनट, कृपया। और भी अनेक सदस्य हैं, जो बोलना चाहते हैं।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं इस विधेयक स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य गैर-सरकारी सम्पत्ती का अर्जन करना है। किन्तु माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले कितना अधिक सुप्रबंध था और किस प्रकार सरकार को विवश होकर औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत उसका अर्जन करना पड़ा है। आमतौर पर एक कपड़ा मिल के लिये औद्योगिक (विकास और विनियमन) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऐसा करना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह अनुसूचीगत कारखाना नहीं होता। इस कार्य को सार्वजनिक महत्व के आधार पर किया जा सकता है। मेरे विचार से सार्वजनिक महत्व को इसके आधार स्वरूप इस्तेमाल किया जा सकता है अथवा यह आधार इसलिए भी बन चुका है क्योंकि इस कम्पनी ने सार्वजनिक संस्थानों से बहुत सारा धन प्राप्त किया था और उस धन को कारखाने के विकास के लिए कम्पनी के हित में व्यय नहीं किया गया। उस धन का दुरुपयोग किया गया। इसीलिये, उसके संदर्भ में सरकार को विवश होकर औद्योगिक (विकास और विनियमन) अध्यादेश के क्षेत्राधिकार का सहारा लेना पड़ा।

अतः इस विधेयक से यह बात प्रकाश में आती है कि निजी कम्पनियां सरकारी धन का दुरुपयोग कर किस प्रकार धन कमा रही हैं । यह स्थिति देश के अधिकांश निजी उद्यमों की है। किसी न किसी तरह ये निजी उद्यम सरकारी संस्थानों से धन लेकर अपने कारखानों पर व्यय करते हैं आमतौरपर वे उस धन को अपने निजी प्रयोजनों के लिये व्यय करते हैं। अन्ततोगत्वा वे कारखाने को रुग्ण बना देते हैं और सरकार को विवश होकर उसका अधिग्रहण करना पड़ता है । अतः इसदृष्टि कोण को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और मेरा सुझाव है कि चूंकि कम्पनी के प्रबंधकों ने सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग किया है और चूंकि इसे सार्वजनिक हित में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अध्यादेश के क्षेत्राधिकार का आश्रय लेना पड़ा है, इसलिए कम्पनी को किसी भी प्रकार का मुआवजा अदा नहीं किया जाना चाहिये । इसका अधिग्रहण मुआवजा दिये बिना किया जाये ताकि सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग करने वाले अन्य लोगों को सबक मिल सके ।

इसी के संदर्भ में अध्यादेश के प्रख्यापन के बारे में मैं एक अन्य पहलू के बारे में कहना चाहता हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल, 1986 में एक अध्यादेश लागू था। इस देश में प्रशासन अथवा पालिका का यही रवैया रहा है । संसद का सत्र चालू रहते हुए भी अध्यादेश जारी किये जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्य सरकारों में कार्यपालिका की यह आम प्रक्रिया रही है कि विधान मंडल के समक्ष मामले को रखे बिना या तो वे अध्यादेश बनाते रहते हैं अथवा उनको पहले अध्यादेश का पुनः प्रख्यापित करते रहते हैं । मुझे इस रवैये के बारे में अच्छी तरह से पता है क्योंकि मेरे राज्य में 203 अध्यादेश पारित किये गये हैं । यह संविधान के साथ धोखा-धड़ी है । हम इस देश की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और लोकतान्त्रिक प्रणाली के अनुसार इन मामलों के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए और इस प्रक्रिया में हमें भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जनता के प्रतिनिधियों के विचार सुने जाने चाहिये । ऐसा करने के बजाये प्रशासन अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करता रहता है ।

अन्ततोगत्वा, किसी कम्पनी को चलाने के लिए लिये औद्योगिक (विकास और विनियमन) आध्यादेश में पांच वर्ष की अवधि दी गई है और इस अवधि में अधिकतम 8 वर्षों के तक बढ़ाय जा सकता था । किन्तु उन आठ वर्षों के बाद पुनः एक अध्यादेश लाया गया और अब एक विधेयका लाया जा रहा है । आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के अध्यादेश नहीं लाये जाने चाहिये और इस प्रकार अध्यादेश पुनः प्रख्यापित नहीं किये जाने चाहिये ।

इसके अलावा, महोदय, यह सिद्ध हो चुका है कि वस्त्र नीति असफल रही है । श्रमिक को लूटा गया है । उनकी ग्रेच्युटी अदा नहीं की गयी, और उनकी भविष्य निधि भी अदा नहीं की गई है । विभिन्न प्रकार की जो उनकी बकाया राशियां हैं, उन्हें अदा नही किया गया है और निधियों का कुप्रबंध किया गया है । इस संबंध में प्रबंधकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया है । नयी कपड़ा नीति के अनुसार, आप कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करना चाहते

हैं। किन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि श्रमिकों का अहित करते हुए आधुनिकीकरण नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरे, यह पता होना चाहिये कि कम्पनी को 24 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। किन्तु मेरा सुझाव है कि वह रुपया कम्पनी को नहीं दिया जाना चाहिये जिससे अन्य कम्पनियों को इसका संबल मिल सके। कुप्रबंध के कारण, जब कभी भी कोई कम्पनी रुग्ण बनाई जाये तब सरकार की यह साहस दिखाना चाहिये कि इन कम्पनियों को किसी भी प्रकार का मुआवजा दिये बिना ही अधिग्रहण किया जाये। आपको धन्यवाद।

*श्री आर० अण्णामल्ली (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से मैं स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के राष्ट्रीयकरण से संबंधित विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

केन्द्रीय सरकार ने कामगारों के हित में स्वदेशी काटन टेक्सटाइल मिल्स की छः कपड़ा मिलों का प्रबंध कार्य अप्रैल 1978 को अपने हाथ में ले लिया। 8 साल बाद इस विधेयक के माध्यम से इन 6 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इस उपाय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले प्रबंध वर्ग ने इन 6 मिलों का पोषण करके उन्हें रुग्ण बना दिया था। इस विधेयक में 24.32 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का उपबंध है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मुआवजे के तौर पर 24.32 करोड़ रुपए का भुगतान करने से सरकार के पास इन मिलों में पूंजी निवेश करने के लिए धनराशी नहीं रहेगी। सरकार को 57 करोड़ रुपए की और जरूरत होगी ताकि स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। इन हालातों में मेरा सुझाव है कि तत्कालीन प्रबंध वर्ग को कोई मुआवजा न दिया जाए।

अगर भूतपूर्व प्रबंधक वर्ग को मुआवजा दिया जाएगा तो मेरी मांग है कि कामगारों के भविष्य निधि खातों में से प्रबंधक वर्ग की ओर बकाया राशि को घटाया जाए। इसी तरह भूतपूर्व प्रबंधक वर्ग की ओर करों की बकाया राशी को भी मुआवजे की धनराशी में से घटाया जाए।

जो कपड़ा उद्योगपति अपनी उन्नति के लिए कपड़ा यूनिटों का शोषण करने से नहीं हिचकिचाए, उन्होंने अब नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत विद्युत करघा क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिए कि नई कपड़ा नीति से कई हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। करोड़ से भी अधिक हथकरघा बुनकर विनाश की स्थिति में पहुंच गए हैं। तमिलनाडु सरकार केन्द्र सरकार के ध्यान में तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों के समक्ष पेश आने वाले गंभीर संकट को लाई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री डा०एम०जी०आर० ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक तथा अन्य मंचों के माध्यम से भी विद्युत करघा के कारण हथकरघा बुनकरों को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है। कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराता है। हम हथकरघा उद्योग को समाप्त नहीं कर सकते। मेरी मांग है कि नई वस्त्र नीति में इस तरह

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

संशोधन किया जाए कि हथकरघा उद्योग को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके। माननीय कपड़ा मंत्री को करोड़ों हथकरघा बुनकरों के हित में इस पर विचार करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की एक समान नीति होनी चाहिए। मेरे विचार से यह जरूरी नहीं है कि सरकार पहले ऐसी रूग्ण यूनिटों का प्रबंध-ग्रहण करे और कुछ साल बाद सारी यूनिट का अर्जन कर ले। इससे प्रबंध उद्योग में सामान्यीकरण की प्रक्रिया में देरी होती है। उदाहरण के लिए पिछले दो सालों से भी अधिक समय से कोयम्बटूर में, रामकृष्ण मिल्स, वसंत मिल्स, जनार्दन मिल्स और भवानी मिल्स बंद पड़ी हैं। इससे कपड़ा मिल के हजारों कामगार भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। मिल कामगारों के परिवार भुखमरी की हालत में हैं और वे अपने रोते हुए बच्चों को दूध नहीं दे सकते। उदारता की प्रतिभूति और गरीबी दूर करने के सिद्धान्त में अडिग आस्था रखने वाले हमारे माननीय प्रधान मंत्री को कोयम्बटूर में इन चार मिलों का प्रबंध-ग्रहण करने का आदेश देना चाहिए ताकि हजारों कामगारों को विनाश से बचाया जा सके।

समाप्त करने से पूर्व में एक बार फिर सुझाव देना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग के हित में नई कपड़ा नीति में सुधार किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल की आवश्यकता इसलिए है कि जो टेक्सटाल मिल्स में काम करने वाले मजदूर हैं उनको स्थायित्व मिला है, उसके लिए स्वागत है। परन्तु साथ ही कई प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमारे सामने खड़े होंगे। पहला यह है कि जितने पूंजीपति हैं जिन्होंने आज से 50, 80 या 100 साल पहले कारखाने खड़े किए मजदूरों ने खून-पसीना एक किया और करोड़ों रुपये इन्होंने कमाए और उसको कोई इनकम नहीं दी। इन पूंजीपतियों ने उनके कपड़े झटका कर उनको बाहर कर दिया··· हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। बल्कि सरकार बिल्कुल निस्सहाय होकर देख रही है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। उलटे, उनको 44.32 करोड़ रुपया हम कम्पैन्सेशन के रूप में देते हैं, यह देखने के लिए के कि उनके क्रैडिटर्स को कुछ पैसा मिलना चाहिए। मगर, मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिलों के मालिक और इन क्रैडिटर्स, दोनों ने मिलकर ही मिल की ऐसी हालत बनाई है कि आज मिल सिक होने लग गई। इन लोगों ने उधार पर 25-25 या 30-30 परसैंट पर पैसा देकर, रॉ-मैटीरियल सप्लाई किया है। आज आप फिर उन क्रैडिटर्स को पैसा देते हैं जब कि उससे कई गुना पैसा ये लोग मिल से पहले ही खा गए हैं। इसलिए अब उनको और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सीधे एक नियम बनाइये कि आप जिस किसी भी सिक मिल को टेक-ओवर करें, उसे टोकन के तौर पर एक रुपया दें। आपको इसी तरह मिल टेक-ओवर करनी चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है।···(**व्यवधान**)···आप भले ही इनको चान्दी का एक सिक्का दे दिया करें। ये मिल सिक क्यों

हुई, क्योंकि उसमें मिस-मैनेजमैंट था और करप्शन था। अब आप एन०टी०सी० में इसे ले रहे हैं, लेनिक मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपको सावधानीपूर्वक कदम उठाना होगा। हर जगह आपको अच्छे कुशल, ईमानदार और योग्य आदमी रखने होंगे, माल खरीदने के वक्त आपको पूरा ध्यान रखना होगा ताकि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो सके। जिस तरह से अब तक इसके अधिकारियों ने अपनी जेबें गरम कीं, यदि अब भी वहीं काम चालू रहा तो ये मिलें हमेशा सिक बनी रहेंगी और वे कभी ऊपर नहीं आ सकती। आपको इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना होगा। इसमें अक्सर चोरियां होती हैं, इसलिए आपको वाच एण्ड वार्ड को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि वहां से लाखों रुपये का माल बाहर चला जाता है। आप इसके लिए एक सैन्ट्रल एजेन्सी तैयार कीजिए ताकि एक कीला भी मिल से बाहर न जा सके। आपकी कई स्कीमें हैं, पैकेज स्कीमें हैं, उसमें आप सब करेंगे, मगर जब तक आप मैनेजमैंट में अच्छे लोगों का कैडर तैयार नहीं करेंगे, ईमानदार और योग्य लोगों को नहीं रखेंगे, योग्य अनुभवी परचेज मैनेजमेंट को नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक आपके स्टोर्स में, माल को बेचने और खरीदने में बेईमानी होने की सम्भावनाएं हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, वे माल को सस्ता दे सकते हैं और आपके माल को लुटाया जा सकता है। इन सबबातों को ध्यान में रखते हुए आप एन०टी०सी० को मजबूत बनाइये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरी ओर भी आपको नजर रखनी होगी। आज इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति टाटा माना जाता है, उसने परसों 3 तारीख को नागपुर स्थित इम्प्रैस मिल को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जब कि सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी थी। आज इन उद्योगतियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। नागपुर में वह 12 साल पुरानी मिल थी, जिसे जमशेदजी टाटा ने वहां स्थापित किया था और आज वहां हजारों करोड़ रुपये का एम्पायर खड़ा हो गया था लेकिन उतनी ही बेशर्मी के साथ उसे बंद कर दिया गया और उसके 7 हजार मजदूरों को सड़कों पर फेंक दिया गया, उनकी कोई परवाह नहीं की। उनको दो महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। सरकार को और मंत्री जी को उसको तरफ तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बिल में ऐसा प्रावधान करें ताकि ये उद्योगपति अपनी मनमानी न कर सकें। ये क्या करते हैं कि अपने पर्सनल असैट्स खड़े कर देते हैं। बिल में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जब कोई मिल अधिगृहीत की जाए तो उसके साथ में उनके डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रौपर्टी को भी सरकार अटैच करके अपने नियंत्रण में ले ले। तभी इन लोगों को अच्छी नसीहत मिल सकेगी। यदि आप का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाएगा तो ये लोग मजा मार कर चले जाते हैं, अपना कोई दूसरा उद्योग खड़ा कर लेते हैं, उससे करोड़ों रुपया कमाते हैं और जिन मजदूरों ने उसको सुदृढ़ बनाने में दिन-रात मेहनत की, वर्षों काम किया, उन मजदूरों को सड़कों पर निस्सहाय हालत में छोड़ दिया जाता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से नागपुर में इम्प्रैस मिल की स्थिति हुई है, उसके लिए टाटा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आज सरकार टाटा के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी है, हमें बड़ी शर्म आती है। उसकी क्या जरूरत हैं। सरकार उसे कितने करोड़ रुपया देती है। यदि उसे और पैसे की आवश्यकता है तो वह हमसे

उतना पैसा ले, कर्जा ले। यदि उसके बावजूद भी टाटा अकड़ कर बोलता है कि मैं मिल को चालू नहीं करूंगा, जो कुछ आपको करना है, कर लीजिए, सब में पालकीवाला को लेकर बात करने के लिए आता है, आज हमारे देश में उद्योगपतियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, आज उन सब को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। मैं 5 आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इम्प्रैस मिल के 7 हजार मजदूरों के लगभग 50 हजार प्राणी सड़कों पर पर आ गए हैं। अब आपकी जवाबदारी है कि आप उनकी कुछ व्यवस्था करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं स्वदेशी कॉटन मिल्स के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं, इसलिए मैं, इस पर बोलता नहीं चाहता। पर मैं कुछ और मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। महोदय, अभी-अभी यहां कॉटन मिल के प्रबंध-ग्रहण का प्रश्न उठाया गया था। यह प्रक्रिया जारी है। पहले हम प्रबंध ग्रहण करेंगे। कुछ साल बीतने के बाद भारी हानि होती है। उसके बाद लोग सरकार से कहते हैं तो आप राष्ट्रीयकरण कर देते हैं लेकिन हानि का सिलसिला जारी रहता है। आशा है हमारे मंत्री इस सिलसिले को समाप्त कर देंगे। ऐसा कैसे किया जाए? वह अच्छी तरह जानते हैं कि इन मिलों का प्रबंध अच्छी तरह चला सकने वाले विशेषज्ञों को जो कि इन मिलों के पूर्णकालिक चैयरमैन हो सकते हैं जिनका इन मिलों को बचाने में हित हो सकता है और जिनमें कुछ राष्ट्रीय भावना भी हो, अगर इन राष्ट्रीयकृत मिलों के निदेशक मंडल में उन्हें नहीं रखा गया तो भगवान भी इन मिलों को नहीं बचा सकता। वे राष्ट्रीय राजकोष से हमेशा पैसा निकालते रहेंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए।

पिछले वक्त 'एक्सप्रैस मिल्स' के बारे में कहना चाहते थे। मैं हार्दिक रूप से उनका स्वागत करता हूं। हजारों कामगार सड़कों पर आ गए हैं। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने टाटा के साथ नरमी से काम नहीं लिया। वह टाटा के प्रति सख्त रुख अपना सकते हैं। कुछ अन्य मंत्री टाटा के प्रति नरम थे जिसके कारण कोई परिणाम नहीं निकलता। मुझे बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि टाटा मिलों को बंद नहीं करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि मिलें बंद न हों और खुली रहें। इसके बावजूद अगर वे मिलों को बन्द करने के लिए कहें.....

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : वे तो मिलों को बन्द कर चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : आशा है सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। अगर आप चाहें तो इनका प्रबंध ग्रहण कर सकते हैं पर कामगरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिलें प्रबन्ध वर्ग द्वारा बन्द की जाती हैं पर धन तो कामगारों द्वारा ही पैदा किया जाता है। इसके बाद प्रबन्धक वर्ग इस पैसे को वह उसी प्रकार लूटता है जैसे कि हम गन्ने का रस चूस कर उसे फेंक देते हैं। (व्यवधान) प्रबन्धक वर्ग को भी कामगारों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्यथा, हमारे जैसे लोगों का यहां बैठने का क्या फायदा है?

हावड़ा स्थित सेंट्रल काटन मिल के बारे में हम मंत्री जी से मिल चुके हैं। धमकी दी जाती है कि इस काटन मिल को बन्द कर दिया जाएगा। उन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया है।

इस सम्बन्ध में, मैं उनका साथ दूंगा कि यह मिल बन्द न हो । उन्हें देखना चाहिए कि इसका राष्ट्रीयकरण हो । इस मिल को चलाया जा सकता है बशर्ते कि प्रबन्धक वर्ग विशेषज्ञ हो । मन्त्री महोदय ने बताया था कि विशेषज्ञ प्रबन्धक वर्ग का मिलना मुश्किल है क्योंकि निजी क्षेत्र अधिक पैसा देता है और हमें वही लोग मिलते हैं जो काम पूरा नहीं कर सकते ।

मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से यह आपके अन्तर्गत नहीं आता पर अप्रत्यक्ष रूप से यह आपके अंतर्गत हैं । अब बिरला की नागदा ग्वालियर रेयन मिल को लीजिए । वहां 21 मार्च, 1986 से हड़ताल चल रही है । श्री के० के० पोतदार के पास बहुत सी मिलें हैं जो नागदा ग्वालियर रेयन द्वारा तैयार किए गए तंतु धागे से कपड़ा तैयार करती है । उनका कहना है कि अगर ये मिलें नहीं खुलीं तो इस तंतु धागे से कपड़ा तैयार करने वाले 18 कारखाने बन्द हो जाएंगे । उन्होंने स्वयं कहा था कि इस हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराके फैक्टरी को खोला जाना चाहिए । अन्यथा नागदा में तैयार किए जाने वाले 10,000 टन तंतु का आयात करना पड़ेगा । इसके लिए काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी । वैसे भी निर्यात-आयात व्यापार में काफी घाटा हो रहा है । मन्त्री जी को इस पर विचार करना चाहिए ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं पर मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यक्षेत्र के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित किया जाए । आप इस काम को थोड़ा-थोड़ा करके पूरा नहीं कर सकते अन्यथा कपड़ा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विद्वान मित्रों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसके आगे बहुत जोड़ने के लिए मेरे पास नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस मिल का अधिग्रहण किया जा रहा है, इस बात को देखने की जरूरत है कि अधिग्रहण के बाद उसका जो टाप मैनेजमैंट है वह बहुधा अपने पुराने स्वामियों के साथ किसी न किसी प्रकार की साझेदारी रखता है, जिसको मानसिक भी कह सकते हैं और आर्थिक भी कह सकते हैं । उसमें वह लिप्त रहता है । यही कारण है कि जितनी मिलें अधिग्रहण के बाद एन० टी० सी० के पास रही हैं, उसमें पुराने मैनेजमैंट को न बदलने के कारण उनमें से बहुत सारी मिलें आज भी घाटे में चल रही हैं ।

जहां आपने इस विधेयक के जरिए उसके कर्मचारियों को लेने के संकल्प को दोहराया है, वहां आपने इस बात को देखें कि जो पुराने ऐसे प्रबन्धक हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस मिल को बनाया है, ताकि सरकार को इस बात के लिए फोर्स किया जा सके, दबाव डाला जा सके कि वह इसका अधिग्रहण करे, उस मिले हुए मैनेजमैंट को आप निकालकर बाहर करें ।

जैसा मेरे मित्र श्री पुरोहित जी ने कहा है, देखने में यह आता है कि एक कम्पनी जब खड़ी की जाती है तो उसमें अधिकांश पैसा सरकार का लगा हुआ होता है, मिल मालिक उससे

जितना भी अधिकतम उसकी क्षमता होती है, उसका उपयोग करने और लाभ लेने के बाद मिल को सिक डिक्लेयर कर देते हैं और सरकार को उस मिल को अधिग्रहीत करना पड़ता है। इस लिए कि उसमें लगे हुए कर्मचारियों के प्रति हमारा सोशल ओबलीगेशन जो है, उसको हम पूरा कर सकें।

मिल मालिक अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि सरकार को अपने सोशल ओबलीगेशन को पूरा करने के लिए इस मिल को अधिग्रहीत करना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वह मिल तो सिक हो जाता है, लेकिन जो मिल मालिक होता है, उसमें कोई सिकनैस डेवलप नहीं होती, उसका पैसा दिन-रात बढ़ता जाता है। वह एक मिल को सिक डिक्लेयर करता है और उसके साथ दो-तीन और नई कम्पनियां, उद्योग स्थापित कर लेता है। वह जो हमारा फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे पैसा लेकर अपनी फार्चून को, भाग्य को बढ़ाता जाता है और दूसरी तरफ सरकार के और समाज के ऊपर बर्डन बढ़ाता जाता है।

मिल को अधिग्रहण के पश्चात इस बात को देखने की जरूरत है कि जहां मैनेजमैंट के फाल्ट के कारण मिल सिक हुआ है, वहां ऐसे मैनेजमैंट को, मिल को कम-से कम मुआवजा देना चाहिए।

बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि टोकन एमाउन्ट दिया जाए। मैं जानता हूं कि यह करना आपके लिए मुश्किल काम होगा लेकिन जो फाल्ट मैनेजमैंट का है, उसने जो पैसा कहां से निकालकर बाहर दूसरी जगह लगाया है, जो प्रूव हो सकता है, कम-से-कम उस एमाउन्ट को उसको दिए जाने वाले कम्पैसेशन में से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे मालिक को हतोत्साहित किया जा सके, इस प्रकार की प्रवृत्ति को और बढ़ावा न मिले।

मेरे मित्रों ने इधर से कहा कि आर्डिनेन्स लाने की जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूं कि यह कहकर उन्होंने एक परम्परा का निर्वाह किया है। यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आर्डिनेन्स लाया गया हो, आर्डिनेन्स लाकर मजदूरों के हित में गवर्नमेंट ने काम किया है। इससे सरकार की तत्परता जाहिर होती है कि सरकार इस विषय को इतना अहम मानती थी, राष्ट्रीय हित में भी और मजदूरों के हित में भी। प्रापर लेजिस्लेशन के द्वारा इसमें टाइम ज्यादा लग सकता था, इसलिए सरकार ने इस मैथड के द्वारा इस आवश्यकता को पूरा किया है जिसकी बहुत जरूरत थी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि एन० टी० सी० जिस पर हमारा बहुत बड़ा स्टेक जुड़ा हुआ है, उसके कार्यकलापों में सुधार करने की जरूरत है, उसके मैनेजमैंट में जहां कमियां है, जहां खामियां है ; उनको सुधारने की जरूरत है और एन०टी०सी० का जो सोशल ओबलीगेशन है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

श्री लंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्वदेशी मिल के बारे के मैंने 10 अप्रैल को मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी थी। वर्कर्स की जो यूनियन मेरे पास आई थी, उसने जो मुझे बताया कि क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, उसका विवरण

मैंने मन्त्री जी को चिट्ठी में लिखा था, उसका एक्नालेजमैंट भी मुझे मिला है। मैं मैनेजमैंट के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो मजदूरों के पैसे उन्हें देने हैं, वह नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही किस प्रकार का नुक्सान वहां हो रहा है, वह बताना चाहता हूं।

मेरे पास एक सैम्पल का कपड़ा है, इसे आप देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में नियम 377 में भी इसी अप्रैल में बात उठाई थी। वहां पर 25 हजार मीटर कपड़ा एक दिन में खराब हो गया। मैनेजमैंट को इसके बारे में बताने के बावजूद भी उन्होंने किसी किस्म की परवाह नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि किसी मिल को टेक-ओवर करने के 5 साल के बाद भी अगर उसमें सुधार न आये तो नेशनलाइजेशन की तरफ जो आप जा रहे हैं, यह स्वागत-योग्य नहीं है। जितने भी मिलों को हमने नेशनलाइज किया है, उनके बारे में एक बार हमें सोचना चाहिए।

हमारे वारंगल जिले में एक बहुत बड़ा मिल है, उसमें 7 हजार मजदूर काम करते हैं। मैंने इसी सदन में 25 अप्रैल को एक प्रश्न पूछा था कि वहां कितना लास हुआ है। मुझे जवाब में बताया गया कि 1974-75 से लेकर जनवरी, 1980 तक 17.47 करोड़ रुपये का लास हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है, मैनेजमैंट में क्या कमिया है और इनको सुधारने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं ? इसके बारे में मैंने कई पत्र लिखे। उसकी जांच के लिए आफिसर्स आते हैं लेकिन वह हमे बुलाते नहीं हैं। इसके बारे में पेपर्स में आता है, जिस वक्त कम्पलेंट किया, वहां पर सूत और रंग व कपड़ा चोरी हो रहा था। इसके बारे में मैंने 4 पेजेज का पत्र लिखा लेकिन उनका जवाब यही आता है कि आपके पत्र में कोई सही बात नहीं है, समने जांच कराई है, उसमें कुछ नहीं है।

मैं कहना चाहता हू कि मैंने एक संसद-सदस्य होने के नाते, एक रिस्पौंसेबल पर्सन होने के नाते जिस वक्त चिट्ठी लिखी थी तो जांच पड़ताल के वक्त हमें बुलाना चाहिए था। मैं वहां गवाह पेश करता कि किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, मैं बता सकता था। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस सदन में एक कालिंग अटैंशन लाने के उद्देश्य से मैं एक महीने पहले वहां गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि पेपरों में आ रहा है कि इस मिल को बन्द करने वाले हैं। इस तरह से 7 हजार वर्कर्स रोड पर गिर जायेंगे, अन-एम्पलाय हो जायेंगे। 1974 में इसे नेशनलाइज किया गया है अपनी सरकार का मिल है तो क्या कारण है मैं वहां जाकर पूछूं। मुझे कहा गया कि आप आइये। मैं वहां गया तो मेरे जाने के बाद उनका क्या समाधान था ? वहां का मैनेजर वहांपर नहीं था। प्रोडक्शन मैनेजर मौजूद थे। मैंने पूछा कि कोयम्बटूर से जो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी आई, उसकी रिपोर्ट क्या है ? उन्होंने जवाब दिया कि आपको फोन पर बता देंगे, अभी हमारे मैनेजर यहां नहीं हैं, वह लाक करके गए हैं। वह कोई सीक्रेट डाक्यूमैंट नहीं था उनको बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे सक्सेना साहब के आने के बाद आपकों बता देंगे। वह सक्सेना साहब मेरे दिल्ली आने के बाद पत्र लिखते हैं कि आपको क्या चाहिए। मैंने मार्च में पत्र लिखा था कि पेपरों में पढ़ रहे हैं कि मिल क्लोज होने वाला है, इसके क्या कारण हैं। आपको किस प्रकार की सहायता सैंट्रल गवर्नमैंट से चाहिए, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और एक्सपर्ट

कमेटी की रिपोर्ट क्या है। इसके बारे में मार्च में मैंने चिट्ठी लिखी, और अप्रैल में उनके पास गया। वहां से मेरे आने के बाद वह मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मुझे बताइए। आप जिस वक्त वारंगल आते हैं, मुझे फोन कीजिए, मैं आऊंगा या मेरे पास आप आइये, तब आपको पूरा विवरण बताऊंगा, लिखकर किसी प्रकार का जवाब मैं नहीं दे सकता। वह पत्र मैं आपको दिखा सकता हूं। आप यह नहीं पूछते हैं कि इसके क्या कारण हैं, किस प्रकार की सहायता चाहते हैं और क्यों लॉसिज हो रहे हैं। यह सात हजार वर्कर्रों का सवाल है। इस कारण आप इस बारे में अवश्य विचार करें।

माननीय मंत्री जी ने अपने 25 अप्रैल के क्वश्चन के जवाब में कहा था कि—

[अनुवाद]

"वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि जहां एकक अर्थसक्ष हो सकते हैं वहां चयनात्मक आधुनिकीकरण किया जाएगा। तथापि, जो एकक अर्थक्षम बनाने के योग्य नहीं हैं, उन एककों को बार-बार कार्यरत रखने का तात्पर्य होगा दुलर्भ संसाधनों को निरन्तर नष्ट करना और ऐसे एकक अथवा उनके भागों को बन्द करना पड़ेगा ताकि कोई और नुकसान न हो। तथापि, किसी मिल के बन्द होने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।"

[हिन्दी]

मैं वारंगल की काटन मिल के बारे में पूछना चाहता हूं कि वह क्यों घाटे में जा रही है जबकि उसके बाजू में ही कपास की मार्किट है और वहां कई गुना कपास का उत्पादन होता है।

अगर उस मिल के पास में ही तीन किस्म का कपास मिलता है तो वह कपास आदिलाबाद गुंटुर आदि से लाने की क्या जरूरत है। आज परचेजिंग में घपला है। जब हम लोकल मार्किट में जाते हैं तो हमें इन सब चीजों का पता चलता है। इसलिए मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ अवश्य जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए। आप बहुत बार इस मामले को उठा चुके हैं, अब समाप्त करिए। आप पहली बार इसे नहीं उठा रहे हैं। आप इसे शून्य काल में भी उठा रहे थे। समय बहुत कम है इसलिए मैं आपको इसी बात को दोहराने की अनुमति नहीं दे सकता। इस मामले को आप बहुत बार उठा चुके हैं। आपने मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है यही काफी है। अगर आप विषय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनस्टार्ड क्वश्चन है जिसको मैंने पढ़कर सुनाया। इससे पूर्व 3·7 के अधीन सूचना का मुझे जवाब नहीं मिला है। इसी वजह से यह सब बातें मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। आज आपकी एक-एक यूनिट बंद होती जा रही है। आप उन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम विशेष रूप से स्वदेशी काटन मिल पर चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो.....

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलत नहीं किया जा रहा है।...

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा स्वदेशी काटन मिल्स विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से जो आपकी मंशा है कि इन काटन मिल्स को बरकरार रखा जाये, वह उसी के अनुरूप है। अगर आप यह विधेयक नहीं लाते तो यह काटन मिल्स आपके हाथ से निकल जाती।

कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने ग्रामीण इलाकों में बैंकों का जाल बिछाकर गरीबों का उद्धार किया। आज हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत आबादी देहातों में निवास करती है जो कि अपनी मांगों के लिये नारा नहीं लगा सकती है और पैसे के अभाव में किसी नेता के पास फरियाद नहीं कर सकती है। इसलिए इन लोगों के उत्थान के लिए इन टेक्सटाइल मिलों का विस्तार देहातों में किया जाए।

हमारे गोपालगंज क्षेत्र में दुर्गा टेक्सटाइल मिल है जो कि बरसों से बंद पड़ी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने इसके बारे में अनेकों बार लिखा, परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। चाहे कोई भी उद्योग हो या कोई भी धंधा हो उसमें आज निश्चित रूप से यह व्यवस्था बन चुकी है कि जिस मिल का करोड़ों का आयकर बकाया होता है, वह मिल तालाबंदी करके गायब हो जाती है। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि टाटा बिड़ला जैसे उद्योग एकाधिकार की राजनीति हिन्दुस्तान के इन उद्योगों पर न कर सकें।

मजदूरों की समस्याओं का जिक्र इसी सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने किया है और कहा कि फलां जगह इतनी लेबर बेकार पड़ी है, इतने मजदूरों को हटाया गया।

आज हर मिल मालिक इस चक्कर में है कि किसी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम की मशीनें लगाकर मजदूरों को बेकार करें। इसको भी आपको देखना होगा। अगर आप इस सम्बन्ध में कोई सोच-विचार नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान में क्रांति की ज्वाला भड़केगी और हिन्दुस्तान की लेबर यह सोचने के लिए मजबूर हो जायेगी कि हमने इतने दिनों तक काम किया, फिर भी हमें निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जितनी भी काटन मिल्स हैं उसमें सबसे अधिक हमारे मजदूर भाई कार्य पर लगे हुए हैं और उन मिलों के मालिक दिनोदिन उन उद्योगों को बंद कर रहे हैं। यह जो बीमारी इस देश में चल रही है इसको आपको रोकना होगा। आज आप जो सबसिडी, पैसा और दूसरी अन्य सुविधायें इन मिल मालिकों को देते हैं वह सारा पैसा खुद खा जाते हैं। वह अगर किसी तरह फैक्ट्री लगा लेते हैं तो पुराने उद्योग को बंद कर देते हैं। जब तक आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तब तक यह उद्योगपति इस देश का सारा पैसा खा जाएंगे। अगर आप कानून में ऐसा प्रावधान कर दें कि फलां उद्योग 15-20 साल तक चलाना होगा, इतने मजदूरों को इनवातव करना होगा, तभी हमें सफलता हासिल हो सकती है। आज आप सबसे अधिक उद्योग आदि खोलने के लिये पैसा फाइनांस करते हैं, फिर भी यह उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। आज बड़े-बड़े मिल-मालिक एयरकंडीशन कारों में घूमते हैं और मजदूरों को खाने को भरपेट भोजन नहीं मिलता है।

मेरे क्षेत्र रतलाम में सजन कपड़ा मिल बंद पड़ी है। साढ़े चार हजार मजदूरों ने होली तक नहीं मनायी उनके घरों में चूल्हे तक नहीं जले। तो क्या हम इस देश के जो गरीब मजदूर हैं, उनको इन उद्योगतियों के हवाले कर दें? आज वे पूरी तरह से तुले हुए हैं कि हम जैसा चाहते हैं, सरकार वैसा कानून बनाए और हम जैसा चाहते हैं, वैसा पैसा दें। वे सारे के सारे कहीं बम्बई में बैठे हुए हैं, कहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहीं कलकत्ता में बैठे हुए हैं? वे गरीब लोग थे, जिन्होंने कमा-कमा करके इन उद्योगों को खड़ा किया है और आज वह किसी तरह से जिन्दा हैं। तो मैं चाहता हूं आप उनके खिलाफ कानून बनाएं और यह जो काटन मिल्स हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे इन सारी काटन मिलों को आप नेशनलाइज कर दें। आपका जो टैक्सटाइल कारपोरेशन है, उसमें एक अच्छी एजेन्सी कायम करिये। इस देश बहुत अच्छे लोग हैं। आप एक सिस्टम बनाएं और उनको ट्रेनिंग दें। उस ट्रेनिंग के जरिए वे उन मिलों को चलायेंगे। गरीब लोग आपसे और हमसे जो आशाये बांधे हुये हैं कि हमें उद्योग के द्वारा रोजगार मिलेगा। उनकी आशायें पूरी हों, यह कोशिश हमें करनी चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने मेरी भी एक मिल में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। उसके लिए मैं अपने भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप आइंदा भी उसी प्रकार से जो भी उद्योगपति उद्योग को बीमार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।

आपके पूर्व जो मंत्री यहां थे, उन्होंने कहा थाकि जो भी मैनेजमेंट इस तरीके से किसी भी इन्डस्ट्री को सिक बनाएगा, उसके खिलाफ हम प्रोसीक्यूशन को कार्यवाही करेंगे और उसको सख्त सजा देंगे। लेकिन अब तक आपने इस इकार का कोई कानून नहीं बनाया है, इस वजह से इन उद्योगपतियों की यह हिम्मत हो रही है कि बार-बार एसैट्स को ट्रांसफर करके उद्योग को बराबर सिक करते रहते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकाश की जो भी इन्डस्ट्रीज हैं, जिनको मैनेजमेंट सिक बना रहा है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें।

स्वदेशी कॉटन मिल की एक टैक्सटाइल मिल हमारे उदयपुर में भी है। जिसके ट्रेड यूनियन का मैं अध्यक्ष हूं। उसको भी आप ने नेशनलाइज किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने इस तरह की कार्यवाही करके हजारों मजदूरों को अनएम्पलायमेंट की भट्ठी में झोंके जाने से रोका है। मगर इसके साथ-साथ मैं यह भी आपसे निवेदन करूंगा कि उन लोगों के जो भी ड्यूज हैं, के उनको मिलने चाहिए। आपको टेकओवर किए आठ साल हो गए (व्यवधान) इस आठ साल के बाद अब आपने उसको नेशनलाइज किया है। नेशनलाइजेशन के बाद जितना पैसा इनको कीमत के रूप में या मुआवजे के रूप में देंगे, उनका क्या हक होगा, यह मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 24 करोड़ रुपया या 32 करोड़ रुपया आपने इन क्लाजेज के जरिए से बताया है कि इनको देंगे। एक जगह तो बताया है कि 24 करोड़ देंगे और दूसरी में बताया है कि 35-36 रुह देंगे और जो भी पैसा उनको देंगे उसका इन्टरैस्ट भी चार परसेंट का देंगे। इस प्रकार से पैसा लेने का उनको अधिकार नहीं है। सारा पैसा तो आपके कारपोरेशन और फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स का लगा हैं। ये सेठ लोग तो अपनी गांठ का एक पैसा भी नहीं लगाते और फिर एसेट्स खड़े कर लेने के बाद आप उसकी कीमत बराबर चुकाने की बात करते हैं और वह भी बीमार इन्डस्ट्रीज का। इस प्रकार का प्रावधान आपको करना चाहिए कि जो इन्डस्ट्री भी सिक बनाई जाती है, उनका किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उनको नेशनलाइज करने के बाद में वे सरकार के पास रहेंगी और उसकी एसेट्स बन जायेंगी।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूरों का जो भी बकाया है, चाहे वह प्राविडेंट फण्ड हो, चाहे ई०एस०आई० स्कीम के पैसे हों, चाहे बोनस या ग्रेच्युटी का पैसा हो जो भी उनके ड्यूज आउटस्टेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी चुकाया जाए, ताकि किसी भी मजदूर का बकाया न रहे। और किसी मजदूर के खिलाफ मैनेजमेन्ट भी वजह से अगर कोई ऐक्शन लिया गया है तो उसको रेक्टिफाई करके मजदूरों हक-हकूक के पूरी तरह से दिला दिये जायें यह मेरी प्रार्थना है। हमें आशा है मजदूरों के हित की रक्षा करते हुए आप इस तरह की इण्डस्ट्रीज को पनपाने की कोशिश करेंगे ताकि हजारों मजदूरों को काम-काज मिलता रहे और अनएम्पलायमेन्ट की समस्या उनके सामने खड़ी न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : यह एक स्वागत योग्य विधेयक है और मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे जैसे कल्याण कारी राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का राष्ट्रीय-

करण करना आवश्यक है क्यों कि सरकार श्रमिक वर्ग की सेवा के प्रति वचनबद्ध है और हमारे संविधान के भाग तीन और चार के अंतर्गत श्रमिक वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपबन्ध हैं। इसमें श्रमिकों की निर्वाह मजूरी मानवोचित दशाओं प्रबंध में मजदूरों के भाग लेने गरीब जनता की कानूनी सहायता, आदि की व्यवस्था है। समाजवादी लोकतन्त्र के देश में विकास के सामान्य कार्य में श्रमिक साझीदार हैं। इस उद्देश्य के लिए संयुक्त रूप से परामर्श होना चाहिए और जहां भी संभव हो श्रमिकों और तकनशनों को प्रबंध में शामिल किया जाना चाहिए।

पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार की नीति श्रमिकों के लिए खाद्य स्कूल, रोजगार कपड़े आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी थी जिससे वह स्वस्थ और कुशल बन सकें और तत्पश्चात अच्छी स्वस्थ्य सुविधाये प्राप्त हो सके और सामाजिक सुरक्षा की अधिक बेहतर शिक्षा अवसर तथा अधिक मनोरंजन सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। दूसरी सुरक्षा उसका स्वास्थ्य है और उसकी व्यावसायिक तथा अन्य आपदाओं से सुरक्षित रखना है। पत्श्चात यह आशा की जाती है कि प्रबन्धक श्रमिकों का ध्यान रखें।

यह पहली पंचवर्षीय योजना में भी थी किंतु आजकल भारतीय श्रमिक गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना एक संवैधानिक व्यवस्था है किंतु ऐसे कितने श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों को यह अधिकार मिलता है? भारतीय श्रमिकों की क्या स्थिति है? वे किस प्रकार रहते हैं? क्या उन्हें प्रबन्धकों से जीवन-निर्वाह मजदूरी मिलती है? स्वतन्त्रता के 38 वर्ष पश्चात भी सरकार ने इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

श्रम न्यायलयों में मामलों विशेषकर श्रमिकों के मामलों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था है। श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण भी तो हैं। हाल ही में सरकार अनुच्छेद 323 (क) और (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। उसी आधार पर शीघ्र श्रम प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। अब यदि किसी श्रमिक को सेवा से हटाया जाता है तो उसे श्रम निरीक्षक के पास जाना होता है और निरीक्षक अपनी सुविधा तथा इच्छा के अनुसार छः मास पश्चात् यह मामला सरकार को भेजता है और सरकार कई महीनों के पश्चात् इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा श्रम न्यायालय को निर्णय के लिए भेजती है। श्रमिक शीघ्र श्रम प्रशासनिक न्यायाधिकरण को क्यों नहीं जा सकता है? क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं? अतः श्रम मामलों के संबंध में सुनवाई का संबंध भी होना चाहिए और श्रमिक संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान होना चाहिए। श्रम प्रशासनिक न्यायाधिकरण शीघ्र स्थापित किये जाने चाहिए। संविधान में भी इसका उपबंध है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस मामले की जांच करे और इस औद्योगिक विवाद अधिनियम की लम्बी प्रक्रिया समाप्त करें। कल हमने मुस्लिम महिला तलाक विधेयक उनके हित के लिए पारित किया। किंतु श्रमिकों विशेषकर महिला श्रमिकों के विषय में आपके क्या विचार हैं? आपने मुसलमान महिलओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया है। महिल श्रमिकों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? उन्हें रात के समय भी उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर

किया जाता है। यह पद्धति समाप्त होनी चाहिए। लोकतान्त्रिक देश में, श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा करे।

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका संबंध 14 हजार श्रमिकों से है, और सरकार द्वारा घोषित उस उद्देश्य के कारण से नहीं जो विधेयक में दिया गया है, मैं पूरा नाम का वह भाग नहीं पढ़ता हूं जिसमें यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित सिद्धांतों की सुरक्षा करने तथा तत्संबंधी मामलों तथा अनुषंगी मामलों के लिए यह विधेयक लाया गया है। अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के उपलब्ध अनावश्यक रूप में वहां लाए गए हैं, जिनमें कहा गया है :

39(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों को सर्व-साधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हो।

यह स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी के कतिपय कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्धग्रहण और अर्जन के उद्देश्य हैं। स्पष्टीकरण यह दिया गया कि वास्तविक स्वामियों/मालिकों ने सारा लाभ लिया है, इकाइयां रुग्ण हो गई हैं और श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इस दृष्टि से 24 करोड़ और 32 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति देने का उपबंध न्यायसंगत नहीं है। यह इस कारण न्यायसंगत नहीं हैं क्योंकि वह इस स्थिति के स्वयं जिम्मेवार हैं क्योंकि यह उनके दोषों के कारण ही उत्पन्न हुई है। यदि उन्होंने उचित समय पर मशीन का रखरखाव किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल लाभ कमाया और इकाइयों को रुग्ण किया। अन्ततः सरकार को यह कम्पनी अपने अधिकार में लेनी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने संशोधनों पर अलग से बोलूंगा। मैं अपने अपवादों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० वसुधा सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय कानपुर, पांडिचेरी, नैनी, मऊनाथ-भंजन, उदयपुर और रायबरेली स्थित स्वदेशी काटन मिल्स की सभी छः मिलों में लगभग 14 हजार कर्मकार लगे हुए हैं। इन मिलों का प्रबन्ध 1978 में हाथ में लिया गया था। ये सरकार के नियंत्रण में हैं। अब सरकार इस विधेयक द्वारा स्वदेशी काटन मिल्स की सारी सम्पत्तियां अपने हाथ में लेकर इसको राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दे रही है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। पिछले 20 वर्षों में हमारे देश में लगभग 200 बड़ी रुग्ण मिलें हैं— छोटी मिलों को छोड़िए, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। इन मिलों में पिछले 20 वर्षों से लगभग 4 से 5 लाख कर्मकार काम कर रहे हैं। इम्प्रेस मिल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे सूत खरीदते समय और कपास बेचते समय लेखाओं की हेराफेरी का बहुत ही कटु अनुभव है। वह राशि को विविध

कार्यों में लगाते रहते हैं और इकाइयों को रुग्ण करते हैं और तत्पश्चात दूसरी इकाई आरम्भ करते हैं। चूंकि इसमें कर्मकारों का भी हाथ होता है, उन्हें समानुपाती लाभ नहीं मिलता है। वे इकाइयों का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं। गत 20 वर्षों में अधिक इकाइयां रुग्ण हो गई हैं। फिर संघों के नेता आते हैं। अन्त में सरकार इन इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करती है। उन्हें कुछ राशि मिल जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन मिलों को हाथ में लेने के संबंध में सरकार का क्या रवैया है। गत 20 वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा आई०डी०बी०आई० और दूसरे निगमों का 1500 करोड़ रुपया सभी उद्योगपतियों ने हड़प किया।

3.00 म०प०

समी का हाथ है। टाटा की दो-तीन स्वदेशी मिलें हैं। बंबई में बिडला है। सभी बड़े लोग तथा बड़े उद्योगपति हैं। आपके अपने आंकड़ों के अनुसार इनकी सम्पत्ति अब 28 करोड़ रुपये है। इन लोगों ने सारा धन हड़प किया है और सभी प्रकार की धोखाधड़ी की हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप इनको हाथ में लेने जा रहे हैं।

इम्प्रेस मिल के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इनकार किया है और उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि वह इसका प्रबंधग्रहण करने की अनुमति नहीं देंगे। एक ऋणदाता बम्बई उच्च न्यायालय में चला गया और दिवालिया होने की मांग की। टाटा वहां गया और कहा कि हम दिवालिया होना स्वीकार करते हैं। हमारी इस बात पर यहां चर्चा करना मूर्खता है। वह हर प्रकार की हेराफेरी करना जानते हैं। सभी चीजें दिवालिये में आ गयी हैं। आप केवल कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में बात करते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें उनकी देय राशि देंगे। आप मुझे ऐसा एक उदाहरण दीजिए कि आपने कर्मकारों को उनकी देय राशि दी हो। आप यहां मीठी भाषा बोलते हैं। यह ठीक नहीं है कि श्रमिक वर्ग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार का संकट जारी रहे। आप का पैसा रुका पड़ा है और यह सारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है। किन्तु सरकार सो रही है। मैं सरकार को दोष देता हूं क्योंकि वह सुनना नहीं चाहती।

पिछले अधिवेशन में रुग्ण उद्योगों को हाथ में लिए जाने के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। छः मास बीत गए हैं। क्या आपने बोर्ड का गठन किया है? यदि आपने उस बोर्ड का गठन किया होता तो आप 20 लाख रुपये नहीं देते। आपने ये यूनिट अपने अधिकार में ले लिए होते। आपने निदेशक बदल डाले हैं। आपने टाटा समेत नियोक्ताओं को धमकी दी है कि आप उनकी कुछ सम्पत्ति का अन्तरण कर देंगे। किंतु, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है।

अब आप कर्मचारियों को कितना पैसा दे रहे हैं? प्रबंध के लिए यह पहले ही उनके पास है। अब वह अर्जित कर रही हैं? नकद भुगतान 24.32 लाख रुपये है। हम प्रबंध हाथ में लेने के लिए 70,000 रुपये तक और 10 हजार रुपये की और सम्पत्ति प्रति वर्ष अर्जित कर रहे हैं। 70 हजार रुपये और सम्पत्ति अर्जित करने के लिए हैं। इस पर 8.11 हजार रुपये ब्याज होगा। किन्तु, आप उस व्यक्ति को बकाया रकम तथा धन दे रहे हैं जिसने खुले तौर पर धोखा किया था।

मैं श्री जयपुरिया को नहीं जानता हूँ, क्योंकि वह बम्बई में नहीं है। वह 20-30 उद्योगों को और रखकर करोड़पति बन गया होगा। इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। आप प्रबंधकों को ऐसी राशि मत दीजिए।

मेरे दो-तीन और मुद्दे हैं। एक रुग्ण औद्योगिक इकाई विधेयक को लागू करना, निदेशकों को बदलना तथा सम्पति का अन्तरण करना। मैं ये सुझाव दे रहा हूं।

आप मजदूरों को क्या दे रहे हैं? आप इन एककों को ले रहे हैं और आप कहते हैं कि आज से आप दायित्व ले रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। आप उस व्यक्ति के दायित्व से नहीं बच सकते जिसे काम करना होता है। पिछले 30 वर्षों से 14000 मजदूर काम करते आ रहे हैं। आप एकक को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप अब कहते हैं कि यह आपका पैसा है तटा आप उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

अब जो कुछ भी पैसा है उसे मजदूर प्राप्त नहीं कर सकता है तथा अपने विवादों का आई० डी० ए० द्वारा समाधान नहीं करा सकता है। वे देशी के सांविधिक अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आप मजदूरों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? कपड़ा मिलों में लगभग 2 लाख मजदूर हैं। बम्बई में आपने अनेक मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है उनमें लगभग 20 हजार मजदूर थे। राष्ट्रीयकरण करने के बाद से आप उनके पिछले देय, इनकी भविष्य निधि तथा अन्य राशियों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह उचित समय है कि सरकार इसे काग्नी-जेबिल अपराध बनाने के लिए सामने आए। आपको इन लोगों को जेल में बन्द कर देना चाहिए। वास्तव में वे शासन कर रहे हैं और आप नहीं। हम इस सदन में केवल चर्चा कर रहे हैं। परन्तु हमने यह सब पिछले डेढ़ वर्ष में देखा है। अतः तकनीकी रूप से हम राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर सकते हैं; परन्तु वास्तव में सरकार कपड़ा निगम के राष्ट्रीयकरण में भारी धनराशि व्यर्थ कर रही है। आप 25 मिलों को बर्बाद कर रहे हैं। विगत वर्ष में आपने सात चैयरमेनों को हटाया है, आपने अपने प्रबंधकों को हटाया है, अपने अपने कर्मचारियों को निकाला है।

बम्बई की राष्ट्रीयकृत मिलों में वे अपने ठेकेदारों को न कि नियमित श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं। वे राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी वे बहुत अधिक पैसा बना रहे हैं। अब आप एन०टी०सी० को अपने हाथ में ले रहे हैं। सरकार का एन०टी०सी० मिलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे देश के गरीब श्रमिक वर्ग को परेशानी होगी। इसलिए, मैं सरकार को दोष देता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश बी० पाटिल (सांगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब टैक्सटाइल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बम्बई की 13 मिलों का नैशनेलाइजेशन किया था। बम्बई में दो लाख वर्कर्स इस व्यवसाय में काम करते हैं और

यह इस देश की पाइनियरिंग इंडस्ट्री है। बम्बई में जो दो लाख वर्कर्स काम करते थे, उनमें से 1 लाख वर्कर्स को ही काम मिला और एक लाख वर्कर्स को काम नहीं मिला। एक चीज यह बताना चाहता हूं कि सन् 1890 से ये मिलें चालू हैं और ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी मिलें होने से हम बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले सकते हैं और उनसे ज्यादा प्रोफिट एक्सट्रैक्ट करना पासीबिल नहीं है। ये मिल जो भी सरकार ले रही है, इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मार्किट वैल्यू ज्यादा है। मार्किट वैल्यू ज्यादा होने की वजह से सरकार को मिल लेने में कोई नुकसान नहीं है। विदेशों से पुरानी मशीन मंगाई जाती थीं और स्टाल की जाती थी। उन पुरानी मशीनों को बैकवर्ड नेशंस को भेज सकत हैं अ ौर यहां पर नयी मशीनें लगा सकते हैं। मिल बन्द होने की वजह से बम्बई में एक लाख वर्कर्स मिल में काम करने से वंचित हैं। सरकार को मिल ले लेनी चाहिए और रिन्युवेट करना चाहिए। बहुत सारा पैसा वर्कर्स का जैसे प्रोविडेण्ट फण्ड का अभी बकाया पड़ा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में प्रोड्यूसर्स फारमर्स कोआपरेटिव अच्छी तरह से काम कर रही है। इसका जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं व सहकारिता आन्दोलन के फारमर्स हैं, इनकी कोआरेटिव सोसायटी बना दें जो इनके मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। उसके जरिए ही इस मिल को चलाना चाहिए। वह अच्छी तरह चलेगी तथा मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। जो सिक यूनिट हैं वे और सिक होती जा रही हैं इसलिए वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स और फारमर्स के जरिए कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे नागपुर में एक एम्प्रेस मिल है जो कि बंद पड़ी यह है। टाटा की भारत में पहली इन्डस्ट्री है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि साथ हजार मजदूरों का सवाल है। यह कोशिश होनी चाहिए कि यह अच्छी तरह से चलती रहे। इसमें ज्यादातर वर्कर्स कांग्रेसी वर्कर्स हैं जो सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन दत्ता सामन्त जैसे लोग अच्छी तरह से सलूक नहीं करते हैं लेकिन हमारे वर्कर्स सरकार को सहयोग देते हैं इसलिए सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमेशा के लिए बम्बई में एक लोकल कमेटी बना दी जाए जो डे-टू-डे मैनेजमेंट के कामों पर ध्यान दे और मिल में सुधार लाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है। इनमें से कई लोगों ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिसके लिए मैं वास्तव में उनका धन्यवाद करता हूं।

सभी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है तथा इसकी प्रशंसा की है। यह बहुत अच्छा संकेत है जो बताता है कि इन रूग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करने को सरकार के निर्णय की प्रत्येक सदस्य ने प्रशंसा की है। वास्तविक रूप से मजदूरों के हित की रक्षा की जाएगी और वे एन०टी०सी० की अन्य इकाइयों के मजदूरों के समकक्ष होंगे। इन लोगों को एन०टी०सी० के अन्य मजदूरों की तरह सुविधाएं, स्टेट्स तथा मजदूरी मिलेगी।

महोदय, इन मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता और कहां तक उनका आधुनिकीकरण

करने की आवश्यकता है का विस्तार से मूल्यांकन करना जरूरी है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज इनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है और इसे निश्चित रूप से किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आधुनिकीकरण इस तरह से किया जाए कि मजदूरों को कम से कम विस्थापन करना पड़े परन्तु मुझे विश्वास है कि डा० सामंत मुझसे अधिक अच्छा जानते हैं कि आधुनिकीकरण में कुछ विस्थापन करना पड़ता है। परन्तु मैं फिर कहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे फिर एन०टी०सी० मिलों में जहां कहीं आधुनिकीकरण किया जाता है वहां कम से कम विस्थापन हो। इस समय, इन मजदूरों को वापिस लेना संभव नहीं होगा जिन्हें उस समय नहीं लिया गया था जबकि मिलों के प्रबंध को 8 वर्ष पहले हाथ में लिया गया था क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन बताता है कि मिल में 3000 से अधिक मजदूर फालतू थे और हम यह आशा लेकर चल रहे हैं कि जैसे-जैसे लोग सेवानिवृत्त होंगे उन्हें खपा लिया जाएगा। इनके मालिकों को अधिक क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद में मजदूरों की देय राशि इसके अन्दर आती है। इसी तरह अधिग्रहण से पहले और बाद में लिए गए सुरक्षित बैंक ऋण इसके बाद आते हैं। इसके बाद अधिग्रहण के बाद की सांविधिक देय और व्यापार ऋणों को मुआवजे के भुगतान के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो दावों के आधार पर ये भुगतान करेगा।

मैं अधिकतर माननीय सदस्यों के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि कपड़ा उद्योग उस स्थिति में है। परन्तु यह तथ्य है कि इसे उद्देश्य से किया गया था क्योंकि माननीय सदस्य श्री दत्ता ने बताया है कि कपड़ा उद्योग में आधुनिकीकरण के नाम पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं परन्तु उस सीमा तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया है और इसलिए हमने वस्त्र आयुक्त कार्यालय में निगरानी एजेंसी स्थापित की है जो उन मिलों के आधुनिकीकरण के निष्पादन की निगरानी करेगी जो मोडल एजेंसी से ऋण लेते हैं और यह एजेंसी इस प्रकार के मिलों के लिए पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो नोडल एजेंसी की राय में पुनर्वास सुविधाओं के दिए जाने के बाद मुनाफे पर चलाए जा सकेंगे। महोदय, सरकार के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह सभी कपड़ा मिलों को अपने हाल में लें और राष्ट्रीयकरण करे क्योंकि यह बहुत विशाल काम है और सरकार के लिये ऐसा करना संभव नहीं होगा इसके अलावा, कपड़ा नीति में सुस्पष्ट बताया गया है कि सरकार भविष्य में किसी रुग्ण उद्योग को अपने हाथ में नहीं लेगी क्योंकि हम इन रुग्ण मिलों को बहाल करने के लिए दवाखाने की तरह काम करना नहीं चाहते। यदि वे रुग्णता का कोई संकेत देते हैं तो नोडल एजेंसी उसकी जांच करेगी और यदि यह पता चलता है पुनर्वास सुविधायें दिये जाने से उनको बहाल किया जा सकता है तो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। परन्तु यदि यह पाया जाता है कि पुनर्वास सुविधाएं देने से कोई लाभ नहीं होगा और उन्हें लाभ पर नहीं चलाया जा सकता है तो उन्हें बन्द करने की अनुमति देने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहेगी। लेकिन बन्द करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, केन्द्र सरकार की नहीं।

डा० दत्ता सामंत : बम्बई में सेंचुरी मिलों जैसी अच्छी मिले हैं। वे उन्हें भी रुग्ण बनाएंगे और आप उन्हें अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। यह पहले से ही 50% है।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने कपड़ा नीति में स्पष्ट कर दिया है कि हम और कोई रुग्ण मिलें लेने नहीं जा रहे हैं। अब हमारा निर्यात निःसंदेह बढ़ रहा है ; मैं बताना चाहता हूं कि देश के कुल निर्यात में कपड़े का हिस्सा 20% है। देश में कपड़े के कुल उत्पादन में से 15% कपड़ा निर्यात किया जाता है। मैं महसूस करता हूं कि इस प्रतिशत को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एन०टी०सी० में और सुधार की आवश्यकता है तथा एन०टी०सी० के फर्म में सुधार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, हमने एन०टी० सी० के कार्यकरण की पुनरीक्षा के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है और यह समिति सुझाव देगी कि इसके कार्यकरण में आगे क्या सुधार किया जा सकता है तथा यह कैसे अधिक मुनाफा कमा सकता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एन०टी०सी० के पास 103 राष्ट्रीयकृत मिलें हैंऔर इन मिलों का मूल्य ह्रास लगभग 36 करोड़ रुपए वार्षिक है। जबकि पूरी सातवीं योजना के लिए मुझे आधुनिकीकरण के लिए केवल 117 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि में से मैंने लगभग 70 करोड़ रुपये बायलरों को बदलने तथा अन्य सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख दिये हैं। कृपया मुझे बताएं कि शेष 40 करोड़ रुपए से मुझे क्या करना चाहिए।

यह सही है कि संगठित क्षेत्र में लगभग 13 लाख लोग और बिजलीकरघा क्षेत्र में 40 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। बिजली करघा अन्य बहुत किस्म के वस्त्रों का उत्पादन करता है। हथकरघा में 100 लाख लोग काम कर रहे हैं। निःसंदेह इन सभी लोगों पर ध्यान देना होगा। देश में कुल कपड़े उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक बिजलीकरघा उत्पादन करता है, हथकरघा लगभग 30 प्रतिशत का उत्पादन करता है और संगठित क्षेत्र 30 प्रतिशत से कम का उत्पादन करता है। 1974 में इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य कारण कुप्रबंध तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करना था।

मैंने आधुनिकीकरण को अत्यावश्यकता को स्पष्ट किया है परन्तु जैसा कि मैंने कहा आधुनिकीकरण चयनात्मक आधार पर किया जाना होगा ताकि कुछ मिलों को इस तरह से आधुनिकृत किया जा सके, ताकि हत विशेष रूप से एन०टी०सी०, अधिक निर्यात कर सकें। एन०टी०सी० लगभग 40 करोड़ रुपए के वस्त्रों का निर्यात करती है। और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने बिसकोस उत्पादन करने वाली मिल के बारे में उल्लेख किया मैंने यह मामला पहले से ही मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ उठाया है और उनसे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उसकी सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया है और मुझे पूरा विश्वास नहीं है और मुझे अनौपचारिक रूप से सूचना मिली है कि हड़ताल समाप्त हो गई है तथा मुझे विश्वास है कि अब नियमित रूप से बिसकोस की सप्लाई शुरू हो जाएगी।

जैसा मैंने पहले बताया है सारे वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है।

मैं इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है तथा हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने श्रम, श्रम अदालतों तथा न्यायाधिकरणों के बारे में जो विभिन्न मसले बताये हैं. मेरे विचार से श्रम मंत्रालय को इनबातों पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उसी का कार्यक्षेत्र है।

'बोम्बे मिल' को श्रमिकों के हित में ही अधिग्रहण किया गया था तथा इसका उद्देश्य कपड़े की आपूर्ति को बराबर बनाये रखना भी था, क्योंकि मुझे मालूम है, दो वर्षों तक जब मिल में हड़ताल थी तो कपड़े की आपूर्ति में दिक्कत पैदा हो गई थी। वास्तव में हथकरघों तथा विद्युतकरघों से लोगों को मदद मिली। अन्यथा, उन्हें कपड़े की उपलब्धता न होने से अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ता।

डा० वत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : परन्तु अभी भी 65,000 श्रमिक बेकार हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : जब मिलों के वे अनुभाग काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उन श्रमिकों को कैसे काम पर लगा सकता हूं ?

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 13 मिलों में 20 से 25 हजार श्रमिक बेकार पड़े हैं। आपने मिलों का अधिग्रहण उन्हें नौकरी देने के लिये किया था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम प्रबंधक इसे युक्तिसंगत बनाने के बहाने उन्हें अभी भी नौकरी नहीं दे रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : उन मिलों में युक्तिसंगत कार्य या आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। परन्तु कुछ ऐसे अनुभाग हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उन्हें कार्यशील भी नहीं बनया जा सकता तथा मुझे यह कहते हुये खेद है कि उन अनुभागों में किसी भी श्रमिक को नहीं लगाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के पीछे जो इस सिद्धांत को दृष्टिगत रखा गया है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है अतः मूलभूत धारणा पर आपत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है मुद्दा सिर्फ यह है कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, उनपर मंत्री जी द्वारा गौर किये जाने की आवश्यकता है तथा सच तो यह है कि कार्यकरण और कृत्यों में सुधार किए बिना पिछले सात आठ वर्षों से उद्योग प्रबन्धन जिस तरह कार्य कर रहा है, इन पर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। मैंने सिर्फ यही मुद्दा उठाया है तथा मैं अभी भी समझता हूं कि मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए तथा वहां कार्यरत श्रमिका सेवा शर्तों में सुधार करने के वास्ते कुछ न कुछ करने के लिए भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं। मुझे यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अप्रैल, 1986 को प्रख्यापित स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन के लिए, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कुछ उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 6 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड-7

केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अन्तरित आस्तियों के मूल्य के लिये उस निगम द्वारा अंशों का पुरोधारण

जी० डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. पृष्ठ 5, पंक्ति 17,—
   'मूल्य' से पूर्व 'वही'
   अंत:स्थापित किया जाये।

2. पृष्ठ 5, पंक्ति 29,—
   आस्तियों को, के पश्चात "13 अप्रैल, 1978 को" अंत: स्थापित किया जाए।

महोदय, मेरे संशोधन संख्या 1 तथा 2 एक ही मुद्दे से संबंधित है। कम्पनी की परिसम्पत्ति तथा प्रबंधन का अधिग्रहण किये जाने के कारण उस कम्पनी को मुआवजा देने के संबंध में

है। महोदय, यह बताया गया है कि 24.32 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि परिसम्पत्ति का जो खरीद मूल्य है वह मुआवजे की राशि होनी चाहिये। जब मैं विधेयक पर बोल रहा था तो मैंने कहा था कम्पनी को मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिये। मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है उसके मुताबिक हम कम्पनी की लागत (बुक वेल्यू) कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि इसमें वर्षों से काम लाई जा रही मशीनों की कीमत अवमूल्यन के कारण नगण्य हो जायेगी। अतः इसलिये मैंने कहा था कि इसकी खाता बही में दर्शायी कीमत दी जानी चाहिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि धारा 8 में इसका उल्लेख किया जा चुका है। इसके बाद मैंने इसे पढ़ा भी है तथा यह बताया है कि क्षति-पूर्ति की रकम जो कि निर्धारित की गयी थी क्या विभिन्न श्रेणियों के लिये के धन के आबंटन को प्राथमिकता दी जाए जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1 तथा 2 का सदन में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 तथा 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 12, डा० दत्ता सामंत क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

डा० दत्ता सामंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये —7 (क) रुग्ण ईकाई (मिल) के विस्तृत कार्यकरण का अध्ययन करने के पश्चात यदि केन्द्रीय सरकार को रुग्ण ईकाई को चलाने अथवा कर्मकारों के उपदान, भविष्य निधि इत्यादि का भुगतान करने के लिये अधिक धनराशि की आवश्यकता है तो एक अन्य मिल या कम्पनी, जिसमें स्वदेशी मिल ग्रुप के निदेशक भागीदार हों, की आस्तियों को अंतरित करने के लिये यह ऐसे उपाय करें।" (12)

इस सदन में यह काफी बार कहा जा चुका है कि अधिग्रहण करने के एवज में आप इसे 24 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह रकम 26 करोड़ रुपये होगी जिसमें पिछले आठ वर्षों का बकाया ब्याज भी शामिल होगा। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रबन्धक समुदाय/ग्रुप की ओर भी कई ईकाईयां एवं परिसम्पत्तियां हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन ईकाईयों को धन देने की बजाय इनकी कुछ परिसम्पत्तियां इन्हें दे दी जाएं। जब तक इस तरह के उपाय नहीं किये जाते हमारे देश में रुग्णता की बीमारी बढ़ती जायेगी क्योंकि इन अर्थव्यवस्था संबंधी धोखों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही है। अतः कम से कम परिसम्पत्ति का स्थानांतरण

ही कर दिया जाए क्योंकि ईकाईयां रुग्ण होती जा रही हैं। उनकी परिसम्पत्तियां अन्य ईकाईयों के मुकाबले बढ़ रही हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : जिन कम्पनियों का अधिग्रहण या राष्ट्रीकरण नहीं किया गया है उनकी परिसम्पत्तियों का स्थानांतरण करना असम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 12 को सदन में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8—रकम का संदाय

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 26 के पश्चात अंतस्थापित किया जाये—

"या फिर 13 अप्रैल, 1978 को टैक्सटाइल उपक्रमों की बही खाता कीमत, जो भी कम हो।" (3)

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं क्षतिपूर्ति की रकम बही खाते में लिखे मूल्य के हिसाब से होनी चाहिये। मेरे विचारानुसार, बहीखाते का मूल्य नगण्य होना चाहिये परन्तु बही खाते की कीमत मालिकों द्वारा हेरा-फेरी की जाती है। अतः मेरा कहना है कि "कपड़ा उपक्रमों के परिसम्पत्तियों की बही खाता कीमत या फिर जो भी की कम हो" 'जो भी कीमत कम हो' से अभिप्राय है या तो 74.32 करोड़ रुपये या फिर बही खाता मूल्य जो भी कम हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार को यह बात स्वीकार होगी।

जिस कम्पनी का अधिग्रहण किया गया है उसे कुछ भी देने की मंशा नहीं है और वह उनको देय नहीं है क्योंकि पहले ही सरकार 15 करोड़ रुपए तक का घाटा उठा चुकी है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सभी रुग्ण एककों का इष्टतम उपयोग करने के लिए सरकार को 37 करोड़ रुपए तक का पूंजीनिवेश करना होगा। इसका अर्थ है कि सरकार को 37 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करना होगा तथा इसे 15 करोड़ रुपए तक घाटा हुआ है। एन०टी०सी० को निकट भविष्य में कम से कम और 4 से 6 वर्षों तक घाटा उठाने की संभावना है। यह समझा जाता है कि एकक पुराने हैं और जब तक उनका इष्टतम उपयोग नहीं किया जाता तब तक वे लाभ में नहीं चलेंगे अथवा वे घाटे में चलेंगे। अगर एकक घाटे में चलते हैं तो कम्पनी के मालिकों को अथवा प्रोप्राइटरों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मुआवजे पर पहला चार्ज होगा श्रमिकों का अधिग्रहण करने से पूर्व तथा बाद का हिस्सा; तथा वित्तीय संस्थानों को देय राशि जो उन्होंने अधिग्रहण से पूर्व तथा बाद में दी। इस मुआवजे के विरुद्ध ये चार्ज होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9—अतिरिक्त रकमों का संदाय

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : जी हां, महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 31,—

"दस हजार रुपए" के स्थान पर "एक रुपया" प्रतिस्थापित किया जाए। किया जाए। (4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 37,—

"दस हजार रुपए" के स्थान पर "एक रुपया" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यदि दायित्व खंड 8 तथा खंड 9 के उपखंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो ऐसे दायित्व टैक्सटाइल उपक्रमों के मूल स्वत्वधारियों को अन्तरित हो जायेंगे।" (6)

संशोधन संख्या 4 और 5 की एक ही मंशा है। इसमें कम्पनी को मुआवजा दिया गया है, क्योंकि कतिपय संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, और प्रबन्ध का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रबन्ध द्वारा जानबूझकर गलती करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यह जानबूझकर गलती की गयी हैं, और इस जानबूझकर की गयी गलती के लिए उन्हें लाभान्वित नहीं किया जाना चाहिए। मुआवजा 10,000 रुपए की दर से दिया जा रहा है ; परन्तु मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि नाममात्र एक रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अब संशोधन संख्या 6 के सम्बन्ध में; यह अपने आप में स्पष्ट है। जैसा मैंने पहले बताया, गर देनदारी है तो कम्पनी को लाभान्वित नहीं किया जाना चाहिए। अगर देनदारी अधिक हैं । सरकार को देनदारी वहन नहीं करनी चाहिए। देनदारी को मूल स्वत्वधारियों को अन्तरित जानी चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : ये स्वीकार्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत की गयी संशोधन संख्याओं 4,5 और सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्यायें 4,5 और 6 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

ाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

न महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिया गए।

ा 12—टेक्सटाइल उपक्रमों के कर्मचारियों का बना रहना

य : श्री पाटिल और डा० दत्ता सामंत: क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत

' : जी, हां, महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं :

ृ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

मिक नियोजन के निबन्धन तथा शर्तों में ऐसे परिवर्तनों के कारण ृत नहीं होगा।" (2)

(दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कम्पनी का अधिग्रहण करने के बाद यदि कोई श्रमिक सेवा निवृत होता है या होते हैं अथवा नौकरी छोड़ता है या छोड़ते हैं तो सेवा निवृत होने के समय उसे उपदान पेंशन देने तथा अन्य ऐसे मामलों का दायित्व निगम पर होगा।" (13)

यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ; और आप उस दिन से जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। ये सभी मिलें 25 या 30 वर्षों से काम कर रही हैं ; और वहां पर भविष्य निधि और उपदान का सवाल है। यहां तक कि बम्बई के राष्ट्रीयकृत मिलों में, उन श्रमिकों को सेवा निवृत हो गए हैं अथवा मर गए हैं उनका उपदान नहीं दिया गया है। आप 24 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन आप यह छोटी सी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अध्याय 5 को सभी धाराओं में हर स्थान पर आपने जिम्मेदारी उस तारीख से ली है जिस तारीख से उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। परन्तु उनमें गत 10, 15 और 20 वर्षों से काम करने वाले 14000 श्रमिक हैं। उनके ट्रर्मिनल ड्यूज जैसे भविष्य निधि और उपदान के सम्बन्ध में क्या इस प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार करना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ?

इसमें सिर्फ थोड़ी सी राशि की बात है। इसीलिए मैंने यह एक छोटा सा संशोधन दिया है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है।

मेरी बात यह है कोई व्यक्ति 2 वर्ष बाद या 10, 15 या 20 वर्षों बाद सेवा-निवृत होगा। उसी के अनुसार देयता होगी। लेकिन जब वह सेवा-निवृत होता है तो धन नहीं दिया जाता है। उपदान अधिनियम के अनुसार, पांच वर्षों तक वे उपदान के लिए हकदार नहीं होते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति पाँच वर्ष के अन्दर सेवा-निवृत होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसे एक नयी भर्ती के रूप में स्वीकार करते हैं। यह बड़ा संकट है जिसके कारण हजारों श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण के बाद नुकसान हो रहा है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से इसे स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी राशि का सवाल है।

श्री खुर्शीद आलम खां : खंड 12(1) और 25(1) में पहले ही किए गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को आवश्यक नहीं समझा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, अब श्री पाटिल के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० दत्ता सामंत द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा के मत-दान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गयातथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13—भविष्य निधि तथा अन्य निधियां

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० बी० पाटिल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी नहीं ।

डा० दत्ता सामंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 45 से 47 का लोप किया जाए । (14)

मिल तथा 14000 श्रमिकों का प्रबन्ध अधिग्रहण करने के बाद भविष्य निधि, उपदान और अन्य कल्याणकारी कार्यों के रूप में जो भी धन वहां है जो नियोक्ताओं के पास पड़ा है, उन्हें हाथ न लगाया जाए ; यह श्रमिकों का धन है । 32 की धारा 2 के अनुसार आप कहते हैं कि जो भी धन वहां पर है, जो श्रमिकों का है, वह राष्ट्रीय कपड़ा निगम की संपत्ति होगी और वह विचार करेगा कि इसको कैसे वापिस करना है । एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं ;

इस समय जो धन मिल तथा मालिकों के पास पड़ा है, यह निगम की संपत्ति बन जाएगी और यह इसका वितरण निगम की मर्जी से होगा । क्या आप मुझे एक भी एकक बता सकते हैं जो अभी तक बन्द किया गया हो ? श्रमिकों की बकाया राशि भी वहां 20 वर्षों से पड़ी है । इस पर आप श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी की बात करते हैं । आप श्रमिकों का धन क्यों हड़प रहे हैं ? जो भी पैसा प्रबन्ध के पास पड़ा है, उस पैसे को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए । इस संशोधन को सरकार द्वारा स्वीकार करने के लिए यह उपयुक्त समय है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : एन० टी० सी० अथवा सरकार अधिग्रहण से पूर्व और अधिग्रहण के बाद की जिम्मेदारी ले रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० दत्ता सामन्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 14 से 26

उपाध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 से 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 14 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 27-शास्तियां

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 12,—

"दो" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाय—(9)

पृष्ठ 11, पंक्ति 13,—

"दस हजार" के स्थान पर "पच्चीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाय । (10)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के अभाव में इस प्रकार का दंड दो वर्षों के कठोर कारवास और दस हजार रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगा ।" (11)

आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में शास्तियां हैं जो पृष्ठ 10 पर धारा 27 (ख) और (ग) में इस प्रकार हैं :

"टेक्सटाइल उपक्रम की भाग रूप किसी संपत्ति का कब्जा सदीव अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा ; या

.....नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को या उस कारपोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में जानबूझकर विचटित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ;"

इन सभी आर्थिक अपराधों के साथ बहुत ही सख्ती से निपटना चाहिए और सरकार का इस समय मूड तथा रुख इस तरफ नहीं है। अतः मैंने सुझाव दिया है कि कानून में स्वयं न्यूनतम सजा का उपबन्ध होना चाहिए। जहां तक कारावास का सम्बन्ध है, यह दो वर्ष का होना चाहिए; जहां तक जुर्माने का सवाल है, यह 10,000 रुपए होना चाहिए। जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, मेरा मतलब जुर्माने से है, अमीर लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। परन्तु जहां तक कारावास का सम्बन्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव करता हूं कि न्यूनतम कारावास 2 वर्ष का होना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : एक जैसे अपराधों में सजा की एकसमानता होनी चाहिए और यहां भी इस बात को लागू किया गया है। अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डी०बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9,10 और 11 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 9,10 और 11 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 33 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र: प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : सरकार ने गत समय में देश के अन्य भागों में अन्य कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करते समय जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। यह कानपुर का मामला है। इस संदर्भ में मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब बम्बई में 13 मिलों का अधिग्रहण किया गया था तो आपने स्वयं कहा था कि इन मिलों को

अधिग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। परन्तु दुर्भाग्य से आज दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी बम्बई शहर में इन मिलों के लगभग 22000 श्रमिक अभी भी बेरोजगार हैं।

जब राष्ट्रीय वस्त्र निगम के समक्ष प्रतिवेदन रखा गया तो उन्होंने कहा कि वस्त्र मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय के बीच उचित समन्वय नहीं है।

आई० डी० बी० आई० और अन्य वित्तीय संस्थान, जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, इन मिलों को ऋण नहीं देतीं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पिछली गलतियों से सबक ले। जब कभी वह किसी मिल का अधिग्रहण करते हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए उस मिल को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

जहां तक बम्बई में अधिग्रहीत की गई मिलों का सम्बन्ध है, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उन्हें म.रा.ष्ट्र सरकार, आई०डी०बी०आई०, स्टेट बैंक और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलानी चाहिए ताकि श्रमिकों को कम से कम सेवा-निवृति के समय दी जाने वाली राशि का तो तुरन्त भुगतान किया जाए।

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के साथ पहले ही एक बैठक कर चुके हैं। जल्दी ही हम दूसरी बैठक करने जा रहे हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी संकल्प

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 2 मई, 1986 को सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 2 मई, 1986 को सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

अब संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। श्री सैफुद्दीन चौधरी—अनुपस्थित; श्री सोमनाथ चटर्जी—अनुपस्थित।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि सरकार शिक्षा में सुधार के बारे में बड़े पैमाने पर एक महत्वांकाक्षी योजना प्रारम्भ कर रही है। मैं कुछ अपने विचार रखना चहता जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

इनका लक्ष्य है निरक्षरता का उन्मूलन या संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देने के लिए शिक्षा में समानता लाना और सरकार को इस लक्ष्य को पूरा करना है। इस स्थिति में मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षित व्यक्ति से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो पढ़ना-लिखना जानता है और अपने हस्ताक्षर कर सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40वें वर्षों के बाद, क्या हम शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा नहीं बदल सकते? क्या मात्र हस्ताक्षर कर लेने से और कुछ पढ़ या लिख लेने से ही व्यक्ति को शिक्षित कहा जा सकता है? उस व्यक्ति को शिक्षित कहा जाना चाहिए जिसमें विशेष योग्यता हो। यदि इस स्तर को माना जाए तो देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों में आंकलित संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक होगी। सवाल यह नहीं है कि देश में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। सवाल यह है कि देश में कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं।

3.47 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

हम इस तथ्य को नहीं भुला सकते कि इस शताब्दी के अन्त तक स्कूलों, उच्च विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालय के बहुतायत में होने के बावजूद हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित व्यक्ति होंगे। समस्या के इतनी बड़ी होने पर, सरकार किस तरह इस समस्या का समाधान करेगी? मानव संसाधन मन्त्रालय के पास सामान्यतः वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

हमें देखना होगा कि नई शिक्षा नीति में क्या नया है। क्या उसमें कुछ नवीनता है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो अब तक पहले नियुक्त किसी भी शिक्षा आयोग द्वारा नहीं कहा गया? मुझे इसमें कुछ नवीनता नजर नहीं आती सिवाए इसके कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया था और अब सरकार महसूस करती है कि कुछ क्षेत्रों में स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैं यह तो नहीं कहता कि नई नीति पुरानी नीति जैसी ही है। इसे पुरानी कहा जा सकता है किंतु इसे कहने का तरीका नया है। शिक्षा नीति सम्बन्धी नवीनतम दस्तावेज में कई प्रस्ताव हैं। यह उनके नेक इरादों का सूत्र है किंतु इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि यह लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और उनके लिए धन की क्या व्यवस्था की गई है तथा इसके अंतर्गत कितने छात्रों को शिक्षा दी जाएगी, आदि। प्रलेख में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी जैसे मामलों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सम्पर्क भाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सम्पर्क भाषा क्या है। इसी तरह दस्तावेज प्रलेख में उल्लेख है कि उच्च शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए। मुझे आशा थी कि इसी

उल्लेख किया जाएगा कि किन-किन क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा पर ऐसा नहीं किया गया है। स्कूल छोड़ने वालों की समस्या को हल करने का सवाल जब उठता है तो आपको देश में बाल श्रम की समस्या का भी जरूर समाधान करना चाहिए, इसलिए आपको शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध वांछित लक्ष्यों और जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ना होगा। महोदय, हमें पिछले अनुभव हैं। विगत में बनाई गई नीतियां और विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों पर धूल चढ़ रही है। आशा है अब प्रस्तावित शिक्षा सुधार के साथ भी ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे शिक्षा मन्त्री की विश्वसनीयता, योग्यता और क्षमता पर सन्देह है। वस्तुतः मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें काफी अनुभव है और उनमें पर्याप्त योग्यता है और उन्होंने विगत में शिक्षा के कार्य-भार को बखूबी अंजाम दिया है। इसलिए मैं इस कारण से इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। महोदय, शिक्षा के मामले में मूलतः यह वित्तीय दिक्कतों का सवाल है। शिक्षा सुधार के लिए इस महत्वकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बजट के अन्तर्गत आवंटित धनराशि बहुत कम है। केन्द्रीय बजट में शिक्षा पर व्यय कम होता जा रहा है। केन्द्रीय बजट में पहली योजना अवधि से लेकर सातवीं योजना अवधि तक यह प्रतिशत 7.2% से घटकर 1.3% रह गया है। शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि इस समय कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 3% के बजाय 6% होना चाहिए। महोदय निर्धारित लक्ष्य से व्यय का वास्तविक स्तर कम हो रहा है। प्रलेख में भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। महोदय, स्वयं प्रलेख में उल्लिखित है। इसके अनुसार :

> "निर्धारित लक्ष्य से पूंजी निवेश का वास्तविक स्तर कम होने के कारण यह महत्वपूर्ण है कि इस नीति के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम के लिए धनराशि जुटाने के लिए अधिक दृढ़ता से काम लिया जाये।"

महोदय, अधिक दृढ़ता कौन दिखाएगा ? सरकार को निर्धारित नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धनराशि का पता लगाने के लिए अधिक दृढ़ता दिखानी होगी। देश को किए गए वायदे के परिणाम उन्हें दिखाने होंगे। सवाल यह है कि वे इसे कितना बेहतर ढंग से कर सकते हैं और कितना कर पाएंगे। वास्तविक वित्तीय जरूरतों का समय-समय पर पता लगाया गया है। मन्त्री जी ने एक जगह कहा था कि 1968 की नीति में जिस आंकड़े की सिफारिश की गई है धनराशि की उपलब्धता उससे अधिक बढ़ जाएगी। आशावादी दृष्टिकोण स्वागत योग्य होता है पर मुझे पक्का नहीं पता कि इस आशावादी दृष्टिकोण को परिस्थिति के किसी तथ्य से प्रमाणित किया गया है या नहीं। इस प्रलेख के पृष्ठ 29 पर उल्लिखित है कि :

> "शिक्षा पर पूंजी-निवेश न करने या पर्याप्त पूंजी-निवेश न करने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इसी तरह व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान की उपेक्षा करने की कीमत भी अस्वीकार्य है।"

इसके कारण भारतीय महिलाओं को जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

इसमें यही कहा गया है । कहा जाता है कि धनराशि उपलब्ध नहीं है । लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कहां से और किस तरह अपेक्षित धनराशि जुटाई जाएगी । पैरा 11.2 में उल्लिखित है कि :

> "चंदा इकट्ठा करके लाभ भोगी समुदाय को स्कूल की इमारतों के रख-रखाव तथा कुछ उपभोग्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए कहकर, उच्च स्तरीय शिक्षा पर फीस बढ़ाकर आदि के माध्यम से यथासंभव संसाधन जुटाए जाएंगे ।"

इस तरह वे पूरी तरह से चंदे पर निर्भर रहना चाहते हैं और जरूरतों को स्वयं पूरा करने में समर्थ हैं । स्वैच्छिक चंदों पर ही निर्भर रह कर कुछ काम नहीं किया जा सकता । मन्त्री जी ने पृष्ठ 5 पर कहा है कि :

> "सारे देश का दायित्व होगा कि वह शिक्षा में परिवर्तन आदि लाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए....."

क्या यह राष्ट्र की जिम्मेवारी है ? आमतौर पर सरकार धनराशि के लिये सार्वजनिक चंदों मानव प्रेमियों और विभिन्न अन्य निकायों से आशा रखती है । क्या मन्त्री जी के लिए सीमित धनराशि और मौजूदा व्यापक कार्यक्रम के वांछित लक्ष्य उस तरह प्राप्त कर पाना संभव है जिस तरह वह प्राप्त करना चाहते हैं ?

मैं उन नवोदय स्कूलों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हें सरकार शुरू करना चाहती है । उनका कहना है कि ये आदर्श स्कूल हैं । सरकार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए एक स्टैंडर्ड पैकेज प्रस्तुत करती है । उसमें यही कहा गया है । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । इस विचारधारा को स्वीकार करने के बाद सरकार पाठ्यक्रम तैयार करने का काम राज्य सरकारों पर क्यों नहीं छोड़ देती ? मार्गनिर्देश है और मूल विचारधारा निर्धारित हैं । राज्य सरकार इस नीति और विचारधारा को स्वीकार करती है तो क्या राज्यों के अपने पाठ्यक्रम नहीं, हो सकते जो राज्य के बुद्धिमान निवासियों, राज्य के लोगों की जरूरतों के प्रतिबिम्ब हों? इसलिए, यह काम राज्य को सौंपा जाना चाहिए (व्यवधान)

मेरा अंतिम अनुरोध यही है कि पाठ्यक्रम का प्रश्न राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । नवोदय स्कूलों में राज्य सरकारों का अपना पाठ्यक्रम होना चाहिए .....

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) : अर्थात् मूल कार्यक्रम के अलावा ।

श्री भद्दम श्रीराममूर्ति : वे मूल कार्यक्रम के बारे में सोच रहे हैं । मेरा सुझाव है कि स्वीकृत लक्ष्य हैं । निर्धारित विचारधारा है और राज्य सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है । आप इसके लिए राज्य सरकारों को स्वयं पाठ्यक्रम क्यों नहीं तैयार करने देते ? मेरा यह तर्क है । सरकार लोगों पर कुछ विचार और पद्धति थोपने पर विचार कर रही है । हम इसका विरोध करते हैं ।

हम देश में एकता तो जरूर चाहते है पर समरूपता नहीं । हमारी ताकत अनेकता में एकता में है । हम राष्ट्र की मुख्य धारा और अपनी प्राचीन संस्कृति से अलग-थलग होना नहीं चाहते ।

4,00 म० प०

लेकिन साथ ही हम उस केन्द्रीयकरण और थोपने के खिलाफ हैं जो हमारी पहलशक्ति, परिवर्तन और सृजन शक्ति का गला घोंट दे और उस पर नियंत्रण रखे। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि मूल कार्यक्रम के नाम पर सरकार कहीं विभिन्न राज्यो, के लिए समस्या न उत्पन्न कर दे। प्रजातांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखा जाना चाहिये। अन्तिम तौर पर तैयार शिक्षा नीति विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के दृष्टिकोण का सही प्रतिबिम्ब होनी चाहिए।

भारत राज्यों का संघ है और राज्य स्वायत्त हैं। इस स्वायतत्ता का आदर किया जाना चाहिए। पहले शिक्षा राज्य का विषय था। लेकिन अब केन्द्र इसे केन्द्र का विषय बनाना चाहती है। आपात्तकाल के दौरान इसे समवर्ती सूची मे शामिल किया गया था। हम चाहते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय हो और हम केन्द्र द्वारा इसे केन्द्र का विषय बनाने का विरोध करते हैं। इस मुद्दे पर मैं इस समय विशेष जोर देना चाहता हूं।

सरकार जल संसाधन प्रबंध को केन्द्र के क्षेत्राधिकार में लाना चाहती है। सरकार का विचार राज्य की शक्तियों को अधिक से अधिक हड़पने का है। सरकारिया आयोग केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस स्तर पर राज्य सरकार की शक्तियों पर केन्द्र सरसरकार द्वारा अतिक्रमण करने पर विचार करना अस्वाभाविक है।

मन्त्री जी ने 1968 की शिक्षा नीति का उल्लेख किया है। मैं इसके एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार को त्रिभाषा फार्मूले को अपनाकर सक्रिय रूप से लागू करना चाहिए जिसके अन्तर्गत आधुनिक भाषाओं का अध्ययन विशेषत: हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा भाषा का अध्ययन करना होता है। 1968 की सामान्य भाषा नीति को हिन्दी और गैर-हिन्दी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। क्या ऐसा लागू किया जा रहा है? क्या इसे लागू किया गया है? भारत में इसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया है। अभी भी इसे सक्रियता से लागू करने की जरूरत है। त्रिभाषा फार्मूले का अतिक्रमण करते हुए राज्यों पर क्षेत्रीय भाषा के अलावा किसी और भाषा को थोपने का सवाल ही उत्पन्न नही हो सकता।

माननीय मन्त्री ने विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया है। मैं अलग-अलग राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जरूरी है कि सरकार बच्चों को स्कूल भेजने की कुछ व्यवस्था करे। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को शिक्षा देने से समानता बढ़ेगी। उन्हें इसके अवसर दिए जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि महिलाओं को कशीदाकारी, चित्रकारी, संगीत और यहां तक कि स्काऊटिंग और राष्ट्रीय कैडेट कोर, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कारते, टाईपिंग, आशुलिपि और इसी तरह के अन्य पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंग होने चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों को बागवानी, वृक्षारोपण, बढ़ईगिरी, राजगिरी और विभिन्न अन्य शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें इन सबकी शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके लिए जरूरी है कि वे इन्हें सीखें और जीविका कमाएं। निसंदेह कुछ आदर्श स्कूलों की स्थापना

जिला मुख्यालयों में की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ मेधावी छात्रों को चुनकर सरकारी खर्च पर ख्याति प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो इन भाग्यहीन वर्गों के छात्रों को विकास के कुछ अवसर मिलेंगे।

जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध है, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वैदिक विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और ललित कला तथा संगीत विश्वविद्यालय होने चाहिए। सरकार को इन पर विचार करना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश शिक्षा-सुधार के मामले में शुरू से अंग्रेजी रहा है। वहां एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। सार्वजनिक विश्वविद्यालय की धारणा का विकास आरम्भ में आन्ध्र प्रदेश में ही विकसित हुआ है। अब इसे केन्द्र ने अपना लिया है और इसका विस्तार देश के विभिन्न अन्य भागों में किया जा सकता है।

इसी तरह आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की शुरूआत की गई थी। महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। वर्तमान मानव संसाधन मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने स्वयं आन्ध्र प्रदेश में देश में अपने तरह की पहला जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इस तरह शिक्षा-सुधार के लिए आन्ध्र प्रदेश को शुरू से जाना जाता रहा है और इस समय यह शिक्षा-सुधार के मामले में अग्रणी है।

दृश्य श्रव्य शिक्षा को मन्जूरी दे दी गई है और सरकार ने एक लाख वीडियो सेट की खरीद का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार से अनुरोध है कि वह सीमा शुल्क आदि से छूट दे।

सरकार ने स्वास्थ्य की देखरेख का कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्राइमरी स्कूल के स्तर पर किया जाएगा।

एक और पहलू जिसका उल्लेख करनें की जरूरत है वह है महाविद्यालय स्तर की शिक्षा। एक शिक्षा आयोग आयोग का गठन किया जा रहा है जो नौकरशाही से शैक्षिक प्रशासन का कार्य अपने हाथ में ले लेगा।

कालेज के अध्यापकों के लिए एक सेवा आयोग बनाने पर विचार किया गया है। यह यह अध्यापकों की भर्ती करने का काम करेगा। इस तरह से आन्ध्र प्रदेश में नवीन परिवर्तन लाए जा रहे हैं और केन्द्र सरकार को इन पर विचार करना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में प्रतिभावान और योग्य छात्रों के लिए गुरूकुल पद्धति और तपोवन पद्धति के आधार पर आवासीय विद्यालय और कालेज खुलने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में शिक्षा पर 800 करोड़ रुपए, जोकि राज्य से प्राप्त होने वाले राजस्व का 40% है, खर्च किए जा रहे हैं।

अब मैं स्कूलों और कालेजों में स्तर के बनाए रखने के बारे में कुछ कहूंगा। अध्यापकों

के स्तर पर अधिक जोर दिया गया है। अध्यापकों को सेवाकाल के दौरान व्यापक रूप से और निरन्तर प्रशिक्षण दिए जाना चाहिए। मात्र शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। उनमें पढ़ाने की निपुणता भी होनी चाहिए। कालेज या विद्यालय में पर्याप्त ज्ञान वाले अध्यापकों का होना आवश्यक है। अय: प्रतिभावान अध्यापकों को आकृष्ट करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? अध्यापकों में असंतोष होना ही शिक्षा के बिगड़ते हुए वातावरण के लिए जिम्मेदार है। जो अध्यापक हमेशा नारेबाजी करता रहे वह किसी संस्था में टिक कर नहीं रह सकता। अध्यापकों की सेवा-शर्तों में पर्याप्त और संतोषजनक सुधार किए जाने चाहिए और प्रतिभावान अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए। अब मैं छात्रों और वर्तमान स्थिति के बारे में कहूंगा। किसी उद्योग में कच्चा माल सप्लाई किया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद उसे तैयार माल के रूप में निकाला जाता है। विद्यालयों और कालेजों में 10-15 वर्षों तक निरन्तर पढ़ने और प्रशिक्षण लेने के बाद, छात्रों की शिक्षा का स्तर घटिया ही होता है। वे न तो माता-पिता को और न ही आप लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं। इसलिए कहां गड़बड़ है और सरकार को अनिश्चितता का मुकाबला किस तरह करना है। छात्रों के स्तर में कैसे सुधार लाना होगा?

हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर कक्षाओं में बैठे 70% से अधिक छात्र मानसिक रूप से वहां अनुपस्थित ही होते हैं। लगभग 150 कालेजों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 62% छात्रों की पढ़ाई में रुचि पहले 15 मिनट तक ही रहती है और उनमें से कुछ को तो यह भी नहीं पता होता कि अध्यापक कौनसा विषय पढ़ा रहा है। छात्रों का मानसिक रूप से अनुपस्थित होने का क्या कारण है? यह इस कारण से है कि छात्र समझते हैं कि उनके मानसिक रूप से जागरूक होने का उनके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। उनके चेहरे पर निराशा, गुस्से और चिंता के भाव नजर आते हैं। बड़ों को उनके नैतिक पतन, नैतिक स्तर के पतन और यहां तक कि शिक्षा के गिरते हुए स्तर की चिंता रहती है। इसलिए क्या आप छात्रों के मन में आशा और विश्वास की किरण जगा सकते हैं जिससे उनका भविष्य अच्छा बने जीवन में स्थिरता आए। यदि ऐसा किया जाए तो हम अपने छात्रों को बेहतर बना सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : कि संकल्प में,—

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

निम्नलिखित उपांतरों के साथ अनुमोदन करती है :—

(1) पैरा 1.2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"1.2क यद्यपि ज्ञान का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है तथापि हमारे देश के दो-तिहाई लोग, अर्थात् 47 करोड़ लोग चिन्ताजनक रूप से निरक्षर हैं। औचित्य की दृष्टि से और तकनीकी-वैज्ञानिक क्रान्ति के साथ-साथ आगे बढ़ते रहने के लिए यह अनिवार्य है कि निरक्षरता का उन्मूलन अनिवार्य तथा मास प्रारम्भिक शिक्षा

द्वार किया जाना चाहिये। वर्तमान नीति इस लक्ष्य को 1990 तक प्राप्त करने के लिए स्वयं को निर्देशित करती है।" (1)

पैरा 3.2, पंक्ति 3,—

"इस लक्ष्य को" के पश्चात् "वर्ष 19 0 तक" अन्तःस्थापित किया जाये। (2)

पैरा 3.3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"3. 3क राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में अधिकल्पित है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी दूसरी भाषा उच्च प्राथमिकता स्तर पर तथा तीसरी भाषा हाई स्कूल स्तर पर आरम्भ की जायेगी। छात्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से चुनी गई ये भाषाएं हिन्दी और अंग्रेजी अथवा उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी है, के लिए कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी। देश के किसी भाग पर कोई विशेष भाषा थोपी नहीं जायेगी। (3)

पैरा 3.4 —

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"यह कोर पाठ्यचर्या राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित लोगों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर तय की जायेगी।" (4)

पैरा 3,11—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"तथापि मुक्त और सुदूर विद्या औपचारिक शिक्षा का स्थानापन्न नहीं होनी चाहिए और नहीं हो सकता। (5)

पैरा 4.3 के स्थान पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत "प्रस्तुतीकरण" के पैरा 3.5 रखा जाए। (6)

पैरा 4.7—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"सभी शैक्षणिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के ठीक अनुरूप चलाये जायेंगे।" (7)

पैरा 5.5—

"(1) के पश्चात् वर्ष 1990 तक" अंतःस्थापित किया जाये। (8)

पैरा 5.7, —

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"वर्ष 1990 तक आवास के प्रत्येक क्षेत्र में अभी आवश्यक सुविधाओं सहित प्राथमिक स्कूलों के लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य होगा।" (9)

पैरा 5.8 के पश्चात निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाये—

"5.8क तथापि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की औपचारिक शिक्षा के स्थानापन्न के रूप में नहीं समझा जा सकता। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अनुपूरक सहायक प्रयास होंगे।" (10)

पैरा 5.12 पंक्ति, 7—

"सुनिश्चित किया जा सके" के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"इस लक्ष्य के लिए मध्याह्न भोजना, नि:शुल्क वर्दियां, पुस्तकें और लेखन सामग्री, छोटे बच्चे आदि की देखभाल करने वाली छात्राओं के लिए फ्रेश जैसे पर्याप्त रूप धनपोषित समर्थन कार्यक्रम सुनिश्चित किये जायेंगे।" (11)

पैरा 5.15, पंक्ति 3,—

"पूरे अवसर होंगे" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"इन स्कूलों के स्थापना आवास के सभी स्थानों पर सभी आवश्यक सुविधाओं सहित प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को नुकसान पहुंचा कर नहीं की जायेगी।" (12)

पैरा 5.15 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

"5.15क अंतिम उद्देश्य यह होगा कि शताब्दी के अंत तक देश के सभी स्कूलों को नवोदय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाये, जहां शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होगी तथा उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल स्तरों पर स्वैच्छिक आधार पर अन्य भाषाएं आरम्भ की जायेंगी।" (13)

पैरा 5.23—

"युक्त हो जायें" के पश्चात "ऋण तथा बजारों में पहुंच की व्यवस्था करके स्वत: रोजगार की गारण्टी देने के लिए उपाय किये जायेंगे।"(14)

पैरा 5.24,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"पिरामिड के आधार के अभिकल्पित विस्तार के साथ-साथ शीर्ष का तदनुसार विस्तार भी किया जायेगा। इस आशय के लिए पर्याप्त रूप से धनपोषित कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे।" (15)

पैरा 5.8,—

अंत में निम्नलिखित किया जाए—

"यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती जायेगी कि ऐसे उपायों का शैक्षणिक स्तरों के मानकीकरण अथवा बढ़ती हुई असमानताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।" (16)

पैरा 5.30 का लोप किया जाये। (17)

पैरा 5.31,—

"न्यूनतम सुविधाओं के लिये व्यवस्था की जाएगी और प्रवेश विद्यालय की ग्रहण क्षमता के अनुसार किया जायेगा।" का लोप किया जाये। (18)

पैरा 5.37 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"5.37क तथापि मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली उच्च औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। इसका प्रयोग उनके द्वारा किया जाना अभिकल्पित है जो रोजगार में है अथवा अन्यथा लाभ प्रद रूप से कार्यरत है किन्तु अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार करना और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।" (19)

पैरा क 41 लोप का किया जाये। (20)

पैरा 6.5,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"न केवल अनिवार्यतः नवोदय विद्यालय में ही।" (21)

पैरा 6.10—

अंत में निम्नलिखित जोड़ जाये—

"तथा ऋण जैसी सभी सुविधागों और संरक्षित बाजारों की व्यवस्था की जाएगी।" (22)

पैरा 6.20,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ जाये—

"तथापि ऐसी संस्थाएं सरकार की नियंत्रण में होंगी और वुल्क तथा वेतन ढांचा सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के अनुरूप होगा।" (23)

पैरा 7.2,—

"सभी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और सभी छात्रों" को पढ़ना होगा का लोप किया जाये। (24)

पैरा 7.3,—

खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"(ङ) शिक्षा के पश्चात् रोजगार की गारण्टी देकर छात्रों में विश्वास जगाना और असुरक्षा तथा उद्देश्य की कमी को दूर करना।" (25)

पैरा 9.6 का लोप किया जाये : (26)

पैरा 10.1,—

खण्ड (ग) में,—

"एजेंसियों" के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये —

छात्र संघ, अध्यापक संघ अध्यापकेतर कर्मचारी संघ।" (27)

पैरा 10.4,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये —

"अब से केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य बजट का 30 प्रतिशत आवंटन शिक्षा के लिये किया जायेगा।" (28)

पैरा 11.2,—

"शिक्षा के उच्च स्तरों पर शुल्क बढ़ाकर" का लोप किया जाये। (2)

पैरा 12.2 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे—

"12.3 यह केवल सभी के लिये शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति से ही संभव है।" (30)

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : सभापति जी, आज हम नई शिक्षा नीति पर बहस करनेजा रहे हैं। इस बहस की क्या आवश्यकता पड़ी जिससे कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बहस के बाद आगे आने वाले 5-10 सालों के लिए हम निश्चित रूप से एक नीति निर्धारित करेंगे जिस पर चलकर हम शिक्षा को नई दिशा दे सकेंगे, शिक्षा को आगे ले जा सकेंगे। इस नीति-पत्र के पेराग्राफ 1.2 में जो कुछ कहा गया है, मैं समझता हूं कि वही इसका मूलमन्त्र है, वही इसका सार है। इसमें कहा गया गया है कि :

"भारत आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जब एक ऐसे प्रबल प्रयास की जरूरत है जो अपने साधनों का भरपूर इस्तेमाल करके जनता के हर वर्ग को फायदा पहुंचाये।"

इस वाक्य में आर्थिक और तकनीकी लिहाज से जिस मुकाम पर पहुंचने की बात कही गई है, हम उस तक आर्थिक दृष्टि से पूर्णरूपेण पहुंच गए हों या परन्तु भोजन के मामले में, खाद्य-उत्पादन के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर जरूर हो गये हैं। जहां तक परमाणु तकनीक का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर और सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां तक अंतरिक्ष विज्ञान का सवाल है, उसमें भी हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं और आज भारत साइंस और टैक्नोलौजीकल मैनपावर के मामले में इतना विकसित हो चुका है कि उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी हमारी कुछ कमजोरियां हैं, जिनका हमें आत्म-विवेचन करना है। उस आत्म-विवेचना के लिए हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम भाषण में कहा था कि पंजाब की समस्या के समाधान के बाद, हम जिस दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे, वह शिक्षा का विषय होगा। हम शिक्षा को एक नया रूप देंगे और एक नई नीति निर्धारित करेंगे।

आज हमारे समाने जो शिक्षा नीति है, वह किसी एक-दो अधिकारी के द्वारा बैठकर नहीं बनाई गई है बल्कि 1980 से लगातार चिन्तन और मनन करने के पश्चात्, न जाने कितने सैकड़ों

और हजारों लोगों ने, अलग-अगल और सम्मिलित रूप में इस विषय पर चर्चा करने के बाद, तैयार किया है। उन्होंने अपने-अपने सुझाव दिए और उन तमाम सुझावों को समेकित रूप में, कन्सौलीडेटिड रूप में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है और तब यह प्रारूप हमारे सामने आया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस रूप में लाने के बाद, जब इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा था तो हमारे नेताओं ने और खासकर शिक्षा मंत्री जी ने यह उचित समझा कि चूंकि शिक्षा का विषय पूरे राष्ट्र का विषय है, इसलिए कम से कम विशेषज्ञ लोगों और हरेक मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर ली जाए और शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार नेशनल डैवलपमैंट कौंसिल की मीटिंग में दो दिनों तक इस पर चर्चा हुई। उसमें हरेक मुख्य तथा अन्य लोगों से सलाह-मश्वरा करके कुछ संशोधन और किए गए और मैं समझता हूं कि आज हमारे सामने नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप आया है, वह काफी सुदृढ़ सुनियोजित संस्कारपूर्ण और प्रगतिशील रुप में हमारे सामने आया है और इस पर अमल करके हम आगे कदम बढ़ायेंगे और वह हमारी उपलब्धि होगी।

इस शिक्षा नीति के पृष्ठ संख्या 3 पर एक बात और कही गई है जिसके ऊपर मैं खुले दिल और दिमाग से कहूंगा और स्वीकार करना चाहूंगा, जिसको मंत्रालय ने स्वीकार है। उन्होंने कहा है कि "स्थिति यह है कि 1968 की शिक्षा नीति के मूल सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके क्योंकि न तो स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए और न ही वित्तीय एवं संगठन सम्बन्धी व्यवस्था हो सकी" स्पष्ट दायित्व, वित्तीय और सम्बन्धी व्यवस्था, इन तीन चीजों के बारे में हम कह रहे हैं कि हम इन्हें नहीं कर सके हैं। मैं कुछ अंश में सहमत हूं और कुछ अंश में सहमत नहीं हूं। अपनी तमाम खामियों के बावजूद अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भारत की शिक्षा ने भारत के विज्ञान ने हमको जिस मुकाम पर लाकर रखा है वह कम उपलब्धिपूर्ण नहीं है। हम अपनी कमजोरी, मैनेजमेंट की कमजोरी अगर हम देश के माथे पर डालेंगे, तो वह गुनाहपूर्ण काम होगा। उसको कम से कम मैं उन लोगों के माथे पर नहीं डालना चाहता हूं। यह तो हमारे मैनेजमेंट की कमजोरी है और उसको हम स्वीकार करते हैं और इसको हम कैसे कंसोलिडेट करेंगे, इसके सम्बन्ध में हमको बातें करनी चाहिएं। जिस किसी चीज में हम सुधार की आवश्यकता समझते हैं, तो किसका सुधार हो कैसे ही सुधार हो किस रूप में सुधार हो, इसके सम्बन्ध में हमें ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए।

आज इस देश स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या साढ़े सात लाख है अर्थात् जिनको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वे साढ़े सात लाख है, छात्रों की संख्या 13 करोड़ बीस लाख हो गई और एक्सपेंडीचर छः हजार करोड़ नांद प्लान का और एक हजार करोड़ प्लान का अर्थात् हम सालाना शिक्षा के ऊपर करीब-करीब सात हजार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और हमारे पास टीचर यानी शिक्षकदल संसाधन 38 लाख हैं। इन सबको हम बंद कर के रख देंगे और कोई नई चीज शुरूआत हम करने जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा सोचता है, तो वह गलत सोचता है। हमको पहले इसी को संगठित करना होगा, मजबूत करना होगा। अगर साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च कर के हम शिक्षा को दिशा नहीं दे सके और देश को दिशा नहीं दे सके, तो अगर हम चौदह करोड़ रुपया भी खर्च कर लें, तो भी देश को दिशा नहीं दे सकेंगे, यह मेरी मान्यता है।

हमारा कम साधनों का देश है। कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा देश स्वाभिमानी देश है। कम खाकर, आधी सम्मान की जिन्दगी जीने वाला देश है। सम्मान की जिन्दगी जीने वाला देश पैसे के लिए रो-रो कर अपनी शिक्षा को, गलत तरीके से दूसरे बहाव में नहीं ले जाएगा, यही मेरी मान्यता है।

आज स्थिति क्या है। बहुत से लोग शिक्षा के सम्बन्ध में मोटी-मोटी किताबें पढ़ते हैं। सभापति जी, मैं मोटी-मोटी किताबें और बड़े-बड़े लोगों के कोटेशन्स को नहीं पढ़ता हूं, मैं तो गांव-घर की बात, ग्रामीण लोगों से पूछता हूं—आज शिक्षा की स्थिति क्या है? वे लोग कहते हैं कि आज हमारी शिक्षा नीति क्या है और उसमें हम क्या सुधार करेंगे, इस सम्बन्ध में सात हजार करोड़ लगाइए या चौदह हजार करोड़ लगाइए, आप के लिए बराबर हैं, क्योंकि मेरे मन में एक बात आई कि मैं अपने क्षेत्र का दौरा करूं और उसमें गांव वालों से पूछूं कि हरेक मुद्दे के बारे में कि उनकी क्या राय है। शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने उनके सामने एक प्रश्नावली प्रस्तुत की। उस प्रश्नावली में मैंने उनसे पूछा था कि के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है, आपके गांव में प्राथमिक पाठशाला की क्या हालत है? बच्चों का पढ़ाई के सम्बन्ध में सुझाव दें, अगर आपके क्षेत्र में हाईस्कूल या कालेज है, तो उसी पर भी आप अपने विचार प्रकट करें, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में आपक क्या राय है? ग्यारह सौ गांवों को मैंने वह प्रश्नावली भेजी और अनुरोध किया कि आप इस प्रश्नावली का उत्तर भेजिए। उन्होंने जो उत्तर दिया, उनको देखकर थोड़ासा दिल और दिमाग दोनों घबरा रहे हैं। शिक्षा नीति एक तरफ है और जिस प्रकार के उत्तर आए हैं, वे दूसरी तरफ हैं। इनका मेल कैसे हो? केवल इनका मेल करवा दीजिए, शिक्षा में आमूल परिवर्तन भी हो जाएगा और, देश को एक नई दिशा भी दे देंगे, जिसजकी खामियां हमारे पास हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो पढ़ूं, नहीं तो उसके भाव ही मैं कह देना चाहता हूं। हर गांव से यह शिकायत आई है कि शिक्षा का स्तर नीचे है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा या अडल्ट एजूकेशन में पैसे लगाये जा रहे हैं वह निरर्थक हैं, जांत-पांत और इन-ब्रीडिंग इत्यादि का बढ़ावा हो गया है। मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं, अपनी इस शिक्षा की जो पालिसी आई है, प्रास्पैक्टिव पालिसी, उसी से उद्धत कर रहा हूं कि जो ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज और कालेजेज के एस०एस०सी०,पी०एच०डी, डि० लिट और दूसरी डिग्री वाले हैं, उनके बारे में डी०पी० यादव ने नहीं, इस सदन के किसी सदस्य ने नहीं, बल्कि शिक्षाविदों की एक कमेटी ने कहा है, वह सुन लीजिये—

[अनुवाद]

"विश्वविद्यालय तथा कालेज में जातिवाद, क्षेत्रीयवाद तथा आपसी भाई-भतीजावाद के लिए बदनाम होते जा रहे हैं।"

[हिन्दी]

सुशीला जी, इसको हटाने का उत्तरदायित्व बड़ी मजबूती के साथ आपको लेना होगा। बिना इसके हटाये हुए 7 हजार करोड़ के बदले, 14 हजार करोड़ या 21 हजार करोड़ आप लगा दीजिये, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मौलिक बातें निवेदन करने का अवसर आप मुझे दीजिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नयापन क्या है, इसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन कर दूं कुछ नयापन तो है । यह नयापन वह है कि 1968 की जो नेशनल एजूकेशन पालिसी है, उसमें 17 मुद्दे उठाये गये थे । उसके बदले इसमें करीब-करीब 50 ,55 मुद्दे ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से इन मुद्दों पर हमारी नजर जानी चाहिये, लेकिन इन मुद्दों में थोड़ा स्कोप आ गया है । यदि मैं कहूं हो सकता है कुछ लोग इसका मजाक उड़ायें, लेकिन वह आपके माथे का बहुत बड़ा भार बनने जा रहा है । यदि उसमें आप सुधार नहीं करेंगे तो 1968 की शिक्षा पालिसी में एक जगह था—

[अनुवाद]

"अल्प संख्यकों के अधिकारों की न सिर्फ रक्षा करने हेतु अपितु समित रूप से उनके शैक्षणिक हितों का विकास करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ।"

[हिन्दी]

इस मुद्दे को आप लाये और बढ़ाकर लाये, आपको धन्यवाद देते हैं । इसके साथ-साथ आपने सोचा कि केवल माइनौरिटीज ही नहीं, शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में भी शिक्षा में जब तक विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं की जायेगी, उसके लिये कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्लियामैंट नहीं देगी, तब तक काम हमारा नहीं चलेगा । इसलिये आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की शिक्षा विलाओं की समानता हेतु शिक्षा और विकलांग शिक्षा के सम्बन्ध में एक विस्तृत विस्तारपत्र दिया है, लेकिन धारा 340 के अन्तर्गत जिस बैकवर्ड का क्लासिफिकेशन 3 जगह किया गया था, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज संविधान, की धारा 340 को इस नई नीति को उपेक्षित कर, भारत के 40 प्रतिशत शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की उपेक्षा कर के आपने इस नीति को कोई पुष्ट रूप नहीं दिया है । मैं आपसे अपील करता हूं कि धारा 340 में अंकित सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग को अगर आप नहीं लायेंगे, तो 40 प्रतिशत का बोझा ढोकर, अगर आप सोच रहे हैं,

[अनुवाद]

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : ऐसा उसमें है ।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : अब हमारे उप-नेता ने कुछ बात कह दी तो मैं इतना ही सदन के पूर्व सदस्य और वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्य श्री बी०आर० भगत के एक भाषण को उद्धृत कर रहा हूं—

[अनुवाद]

अब मैं अनुच्छेद 340 को लेता हूं । अनुच्छेद 340 को क्यों बनाया गया ? अगर आप संविधान सभा के वाद-विवाद को देखें तो पायेंगे कि पिछड़ा वर्ग एक साधारण अभिव्यक्ति थी । और उस समय यह चर्चा हुई कि पिछड़े वर्गों का, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं, अवधारण किस प्रकार से किया जाए । ये तीन शब्द बाद

में बने। पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए अनुसूचित वर्गों के लोगों की पहचान करना आसान कार्य था क्योंकि उनमें एक समानता थी और वह भी छुआ-छूत की बीमारी। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति छुआ-छूत की बीमारी का शिकार था। इसलिए इनकी पहचान करना आसान कार्य था। अनुसूचित जनजाति एक अलग वर्ग है। अनुसूचित जनजाति के लोग एक ही स्थान पर रहते हैं। वे एक खास स्थान पर्वतीय क्षेत्र पर रहते थे। ये लोग क्रूर लोगों द्वारा किसी विशेष स्थान पर भेजे गए और उन्हें वहां पर बंद रखा गया। इसलिए इन लोगों की पहचान करना आसान कार्य था। प्रश्न यह उठा कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान किस प्रकार की जाए जो कि पिछड़े वर्गों की सामान्य श्रेणी के तीसरे भाग में आते हैं। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था की गयी। अगर आप संविधान सभा में संविधान के अन्दर डा० अम्बेदकर के भाषण एवं वाद-विवाद को देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस कार्य के लिए एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जिसका कार्य अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करना होगा।

[हिन्दी]

यह मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से, जो कुछ भी इसमें कहा गया है, स्पष्ट है। धारा 340 में अंकित लोगों के लिए भी आप विस्तारपूर्वक प्रावधान करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जान लीजिए कि आग सुलगती है तो थोड़ी देर लगती है, पीछे जब भभकती है तो बड़ी परेशानी होती है।

मैं वार्निंग दे देना चाहता हूं कि इस एजूकेशन पालिसी को लेकर एक बवन्डर फैलेगा और आप, हम सब लोग दोषी ठहराये जायेंगे कि हमने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा लम्बी तकरीर न करके इतना ही कहूंगा कि कुछ सुझाव के रूप में आपसे बातें करूं।

शिक्षा में जो दुर्गति हुई है, यह शिक्षाविदों की जादूगरी के कारण भी कुछ हुई है। यह जादूगरी क्या है—शब्दों का जंजाल। आजकल एक नया वर्ड निकला है—सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। एस० यू० पी० डब्लू०। इसका एक कोर्स करिकुलम है। इसका मतलब यह हुआ कि आज से पहले जो वर्क था वह सब अन-सोशल था। इस प्रकार से नामन-क्लेचर बनाकर केवल एक इन्स्टीट्यूशन को क्रीएट करना, उसमें पोस्ट क्रीएट करना, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ज्वायन्ट डायरेक्टर, क्रीएट करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस पर विस्तार से जब चर्चा करेंगे, वोकेशनल एजूकेशन पर जब चर्चा आयेगी तो मैं अपनी बात रखूंगा।

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक कैसे पढ़ावें, उसको कन्ट्रोल करने के लिए डिप्टी एजूकेशन आफिसर, डी० ई० ओ० किस प्रकार से काम करें, उसके ऊपर मिनिस्टर राज्य के हैं और अन्त में आपका उत्तरदायित्व होता है, मास्टर का उत्तरदायित्व होता है कि उसके नीचे रहने वाले लोग कैसे काम करें। और यह लीडरशिप आप पर निर्भर करती है कि हम इसको किस प्रकार से दिशा और दशा दे सकते हैं।

जिस प्रकार की आप चर्चा यहां कर रहे हैं, उसके साथ-साथ एक और लिस्ट इस देश के 38 लाख शिक्षकों के दिमाग में बढ़ रही है वह है चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट, रईस अहमद कमीशन की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति की जब तीनों बातें उठेंगी तो तीनों को पैरेलल चलाना होगा। फिर साधन की जब कमी होगी, ऐसा न हो कि केवल तनख्वाह वाला पार्ट एग्रीड हो जाये क्योंकि एजीटेशन हो रहा है और गैर-तनख्वाह वाला पार्ट, शिक्षा को मजबूत करने का, पढ़ने-पढ़ाने का, बिल्डिंग बनाने का, वह पार्ट अधूरा रह जाए। यह नहीं होना चाहिए।

इस बात को देखना चाहिए कि चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट और रईस अहमद कमीशन की रिपोर्ट और नई शिक्षा नीति, यह तीनों एक रूप, एक संग, एक रस के साथ आगे चले।

जैसा कि हमने पाया है कि राज्यों में शिक्षा पदाधिकारियों का नामाकरण अलग-अलग है जैसे बिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक कहलाते हैं, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और बेसिक शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं, कर्नाटक में डिप्टी डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन कहलाते हैं। इस प्रकार अलग-अलग राज्यों में अधिकारियों के अलग-अलग नाम है जिसके समन्वय में काफी कठिनाई आती है। हमें उनके नामाकरण में एक-रूपता लानी चाहिए, उसका एक पैनल बनाना चाहिए और वे अधिकारी केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के सम्पर्क में रहें। शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा विकसित एजुकेशन मैटिरियल उन्हें बराबर मिलता रहना चाहिए। इसके साथ-साथ वे केन्द्रीय शिक्षा विदों के संपर्क में रहें ताकि वे अपने अधीनस्थ शिक्षकों को उसी एकरूपता में ला सकें।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हनौरपुर) : माननीय सभापति महोदय मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 1986 का समर्थन करता हूं। यह बड़ी अच्छी बात है कि हम इस नीति पर ऐसे दिन पर चर्चा कर रहे हैं जोकि गुरू रबीन्द्र नाथ टैगौर और श्री मोतीलाल नेहरू का जन्मदिवस है। वे दो महान व्यक्ति हैं, एक तो महान शिक्षा शास्त्री तथा दूसरा एक महान नेता।

आजादी के समय से हमारे देश में भारत सरकार तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, जिसमें शिक्षा मन्त्रालय भी शामिल है, ने शिक्षा को समवर्ती विषय स्वीकार करके पहला कदमों उठाया है संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात, तीन जनवरी 1977 से शिक्षा समवर्ती विषय बन गया। किन्तु मन्त्रालय पीछे हट गया। शिक्षा के संबध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने का उत्तरदायित्व पूरा करने में सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। पहली बार सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों के राजनैतिक लोगों, अध्यापकों, शिक्षा विद के साथ सलाह-मशविरा करके संकोच त्यागकर साहस करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप लायी हैं। तथा निष्कर्ष निकालने के लिए सर्वसम्मति पर पहुंची हैं।

हमें इस बात की जानकारी है कि कुछ लोग इस देश में शिक्षा को समवर्ती सूची से निकालकर इसे राज्य की सूची में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभा ने जनता शासनकाल

के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में लाने के लिए एक संकल्प पारित किया था, हालांकि यह देश के हजारों अध्यापकों की इच्छा के विरुद्ध था। परन्तु राज्य सभा ने हमारी मदद की और मेरे विचार से यह इसके उच्च सभा होने का फायदा है। यहां पारित किए गए संकल्प को राज्य सभा ने अनुमोदित नहीं किया तथा उसके पश्चातआज तक भी शिक्षा समवर्ती सूची में हैं। यह देश के लिए अच्छा है।

पहली बार हमें मन्त्रालय से ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मानव संसाधन विकास मन्त्री का बेजोड़ व्यक्तित्व है। आन्ध्र प्रदेश में उन्हें शिक्षा मंत्री होने का अनुभव रहा है तथा केन्द्र में शिक्षा मंत्री हैं। वह वर्तमान स्थिति से अवगत हैं। वह अपने राज्य के मुख्य मन्त्री भी थे। भी उन्हें उसी कार्य को करने का अवसर मिला है। अतः उन्होंने इसे दोनों पहलुओं से देखा है। कह राज्य में शिक्षा मंत्री थे और वह इस समय केन्द्र में भी शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने उस दृष्टि से भी इस पर विचार किया है। हाल ही में उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल यूनेस्कों भी गया था। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जानकारी भी है। अतः जो कुछ ठोस चीज भी सामने आयी है।

एक महत्वपूर्ण बात है जिसे 'की नोट' कहा गया है तथा एक ही वाक्य है और मेरे विचार से सदन उस पर भली-भांति विचार करेगा। यह पृष्ठ 3, पैरा 2, 1.4 में दिया गया है :

"संक्षेप में वर्तमान में और भविष्य के लिए शिक्षा एक अद्वितीय निवेश है।" मेरे विचार में हमारे नीति दस्तावेज में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि शिक्षा न सिर्फ वर्तमान से ही संबंध रखती है अपितु भविष्य में भी इसका महत्व है।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा इस समस्या पर राष्ट्रीय विचार जानने के लिए इसे सर्वसम्मुख लाने के लिए वह बहुमुखी प्रशंसा के पात्र हैं। उनका कहना है कि जब तक हम शिक्षा को एक निवेश नहीं समझते, जब तक हम इसे उच्च महत्व नहीं देते तब तक कुछ नहीं होगा चाहे हम संकल्प पारित करें या किसी आयोग की नियुक्ति करे।

इस नीति दस्तादेज में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा गठन का प्रस्ताव है जो कि आजादी से पहले विद्यमान था परन्तु उसके बाद बन्द कर दिया गया। यह सही दिशा मे उठाया गया कदम है। इस दस्तावेज में पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किए जाने का प्रावधान भी है।

हमारे देश में पहली बार महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू एवं श्री भगत सिंह तथा अन्य बहुत से शहीदों के त्याग के बारे में स्कूलों में अध्ययन कराया जाएगा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा या कुछ और पुरानी समस्याओं या दूरगामी भविष्य की बात ही सिर्फ वहां पर नहीं पढ़ाई जायेंगी। ये भी पढ़ाई जायेंगी, परन्तु पहली बार नीति दस्तावेज में बताया गया है कि आजादी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को भी अध्ययन का विषय बनाया जायेगा तथा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। महोदय, इस मुद्दे पर भी मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

तीसरे, न्यूनतम राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम की धारणा की मैं सराहना करूंगा। हमारे यहां प्रादेशिक विविधताएं हैं। प्रादेशिक प्रतिभाओं, विभिन्न भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए हम पूरा अवसर देना चाहते हैं जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। हम देश में शांतिपूर्ण विकास चाहते हैं। परन्तु हम सम्पूर्ण देश में एक ही राष्ट्रीय सूत्र ढूंढ़ने के लिए लालायित हैं। इसमें प्रादेशिकता का पुट तो होगा ही परन्तु यह सूत्र कहीं किसी प्रकार टूटना नहीं चाहिए। अगर सूत्र एक ही है तो रेशे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर मनोहरता प्रदान कर सकते हैं। नागालैंड और केरल अपना रंग प्रदान कर सकता है। रपन्तु इसके साथ ही देश में एक राष्ट्रीय व्यापक धारा होनी चाहिए जिसमें इन सभी का अपना योगदान होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं विभिन्न अध्यायों में उल्लिखत विचारों की सराहना करता हूं।

संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया गया है। इस दस्तावेज में एक संकल्प किया गया है कि हमारी 6% सकल राष्ट्रीय उत्पाद भविष्य में शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। पुन: पहली बार 3% से बढ़ाकर इसे 6% किया जा रहा है। श्री कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ऐसा किया गया है।

1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख किया गया है। मन्त्रालय को इस सदन को यह बताना है कि किन कारणों से इस शिक्षा नीति को 18 वर्षों तक कार्यान्वित नहीं किया गया। भारत सरकार के नीति सम्बन्धी संकल्प में इस सभा द्वारा 24 जुलाई 1968 को स्वीकृत 17 मार्गदर्शक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय को किसने रोका।

उस समय राष्ट्रीय नीति की जांच के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। इन विचारों को ध्यान रखते हुए, मन्त्रालय को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या-क्या कठिनाइयां थीं, ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो।

श्रीमन्, मैं कुछ और मुद्दे रखना चाहता हूं। नीति दस्तावेज की एक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि जो कुछ पहले किया जा चुका है, उसको याद नही रखा गया। प्रो० यादव ने उचित ही अध्यापकों के आयोगों का उल्लेख किया है। इस दस्तावेज में अध्यापकों के राष्ट्रीय आयोगों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान सचिव, उस आयोग के सदस्य थे और विशेष सचिव भी सदस्य थे, इसी प्रकार अन्य भी कई सदस्य थे; लेकिन जब इस नीति दस्तावेज के बनाने की बात चली तो अध्यापकों के आयोगों को भुला दिया गया। यह कहना अत्यन्त विडम्बनापूर्ण है कि राष्ट्रीय आयोगों ने विभिन्न मदों पर दो बेहतर रिपोर्टें पेश की हैं। लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं या इस मामले पर सरकार की क्या नजरिया है।

प्रो० एन० जी रंगा : क्या आप एक अलग आयोग की मांग कर रहे हैं ?

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : नहीं, नहीं। मैं यह कह रहा था कि सरकार को अध्यापकों के आयोगों का भी उल्लेख करना चाहिए था और यह भी बताना चाहिए था कि सरकार का इस विषय के बारे में क्या विचार है। जब तक नीति निर्माण और उसके मूल्यांकन में प्रथम एजेंट के

रूप में अध्यापकों की भूमिका को महत्व नहीं दिया जाता, तब तक कुछ भी नहीं होने का, चाहे इसे यह सभा पारित करे या राज्य विधान मंडल। प्रत्येक चरण पर अध्यापकों की भूमिका अहम है और उनकी भूमिका की सराहना की जानी चाहिए और उनके ओहदे और वेतन-भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि आज के विश्व में ज्ञान की भरमार है, तथापि हमारी पुरातन परम्पराओं के अनुसार विद्यालयों और अध्यापकों की प्रेरणा के बिना जानकारी प्रदान करने से शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा।

श्रीमन्, इस दस्तावेज में भाषा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भाषा से देश में सृजनात्मक शक्तियां पैदा होती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह विवादस्पद है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : हो सकता है, यह विवादस्पद हो, लेकिन इसे हल करना चाहिए। इसमें मात्र इतना ही कहा गया है :—

"कि 1968 की नीति में दिए गए दिशानिदेश अभी भी वैध हैं।"

संविधान में देश की 15 भाषाओं को मान्यता दी गई है ; साहित्य अकादमी ने 22 को, आकाशवाणी ने 146 को और दूरदर्शन ने 23 भाषाओं को मान्यता प्रदान की हुई है।

क्या शिक्षा मंत्रालय को इनमें से किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहना ? यह इस बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। क्यों ?

श्रीमन्, इस देश की भाषाएं संस्कृति और शिक्षा में सक्रिय सेतु का कार्य करती हैं। मगर शिक्षा को अर्थपूर्ण होना है तो इसे संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, तभी यह विशिष्ट जनों और जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। क्या हुआ है ? हमारी जनता जड़ है ; वे अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी भाषा यहां स्वीकार्य नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है—केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या गैर-मान्यताप्राप्त दोनों के लिए। केन्द्रीय सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य बनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। तब उस क्षेत्र की भाषा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उन राज्यों की है।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाने और एक सेतु मुहैया करने के लिए, क्षेत्रीय भाषा, विशेषकर बच्चे की मातृ-भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में एक ठोस आधार के रूप में अवश्य ही स्वीकार करना होगा। इससे सभी क्षेत्रीय महत्वकांक्षाओं को उचित महत्व मिलेगा और देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रेसर होगा। सभी क्षेत्रीय भाषाओं और मातृ-भाषाओं के विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं और बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1978 में पिछला (चौथा) शिक्षा सर्वेक्षण हुआ था जिसके फलस्वरूप स्कूलों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अत: इस बारे में नया सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इस शिक्षा नीति का मूल्यांकन गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों जिन्हें कि इस दस्तावेज में भुला ही दिया गया है; और पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र में भी किया

जाना चाहिए। जैसा कि मैंने 1985 में सोफिया में हुए यूनेस्को महासभा में पाया कि कृष्ण और सुदामा जैसे पुराने जमाने में संदीपन आश्रम में पढ़ते थे और गौरव महसूस करते थे। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति भी निश्चय ही सफल होगी। महात्मा गांधी ने भारत में पुरातन शिक्षा प्रणाली को एक खूबसूरत पेड़ की संज्ञा दी है। महोदय स्कूलों का खोले जाना सही दिशा में दिमत्तापूर्ण कदम है इससे ग्रामीण स्कूलों मे उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। मैं शिक्षा मंत्री को नवोदय आन्दोलन चलाने और प्रौढ़ शिक्षा के लिए 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' चलाए जाने के लिए मुबारकवाद देता हूं।

श्रीमन्, हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा भविष्य का कार्यक्रम है, क्योंकि 1984 तक 28 विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार कर लिया था और अपने यहां पत्राचार कार्यक्रम आरम्भ कर दिए थे। 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय भविष्य के लिए एक भाषा की किरण है। इसका परिसर, कैम्पस, केरल और काश्मीर की अरुणाचल और हिमाचल की पहाड़ियों में स्थापित किया जाए।

श्रीमन्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हो रही है। वे आपको दूरदर्शन और उपग्रहों के माध्यम से शिक्षा सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं। अतः हमें इनका पूरा उपयोग करना चाहिए। मैं, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर देने की प्रशंसा करता हूं। लेकिन जब बालक भविष्य की ओर बढ़ रहा है तो उसे अपनी संस्कृति, भाषा पर भी गौरव होना चाहिए। उसकी मातृ-भाषा, संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहिए। उसे अपनी संस्कृति से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वह एक खुशबूदार पेड़ की तरह सभी ओर अपनी महक बिखेरे। हमारे स्कूलों, कालिजों को हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय को अच्छा दस्तावेज तैयार करने पर बधाई देता हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : श्रीमन्, मैं शिक्षा नीति के प्रारूप का स्वागत करता हूं। वाद-विवादों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस पर विचार किया गया और तब इसका यह स्वरूप हमारे सामने आया। अगर हम 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो यह उससे इन बातों में अलग है क्योंकि इसमें दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालयों और जैसे कि श्री डी० पी० यादव ने कहा है कि अपंगों, अनुसूचित जातियों और जनजातीय लोगों की शिक्षा पर बल दिया गया है।

मैं सरकार द्वारा दिए गए इस वचन का स्वागत करता हूं कि सरकार संविधान में दिए गए अपने इस वचन को पूरा कर देगी कि 1990 तक सभी को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी और और 1995 तक 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि इसके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अगर सरकार इतनी देर से इसको लागू करना चाहती है तो इसके लिये पहले से ही पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिग 1,850 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था, परन्तु एक अनुमान के अनुसार इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें 15,000 करोड़ रु० की आवश्यकता है।

इस प्रकार शिक्षा नीति से कितना कार्य किया जाएगा, इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है और प्राथमिक स्तर या शिक्षा का क्या कार्यक्षेत्र होगा, इस बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है।

श्री डी० पी० यादव ने पहले ही गांवों के स्कूलों की दशा के बारे में उल्लेख किया है। इसमें से अधिकांश के पास भवन भी नहीं हैं। 1.3 लाख से अधिक स्कूलों में एक ही अध्यापक है, जबकि शिक्षा नीति में कहा गया है कि सरकार प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था करेगी। जिनमें से एक महिला होगी। अधिक अध्यापक रखने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। हमें ये आश्वासन दिए गए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध हैं या नहीं।

मैं सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए उस कथन स्वागत करता हूं, जिसमें कहा गया था कि सरकार अब शिक्षा के लिए अधिक प्रावधान रखेगी। 1968 की नीति में जो 6% की सिफारिश की गई थी, उससे भी अधिक।

शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। यह बिकास का स्रोत है। अतः सरकार को चाहिए कि वे न केवल शिक्षा का ही इन्तजाम करे, बल्कि शिक्षा शास्त्र का स्तर भी बेहतर होना चाहिए। निरक्षरता को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए दूसरा विकल्प गैर-औपचारिक शिक्षा है। आंकड़ों के अनुसार-सातवीं पंचवर्षीय योजना में, गैर-औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 2.5 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। पूर्णतः निरक्षरता समाप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैंने अभी-अभी अपना भाषण आरम्भ किया है। जब भी आप पीठासीन होते हैं, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं, आप घंटी विषय पर देते हैं।

सभापति महोदय : 24 सदस्यों को इस बीच बोलना है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आपने प्रो० पराशर को 2-30 मिनट तक बोलने का अवसर दिया है।

श्री सभापति महोदय : आपकी ओर से प्रथम वक्ता थे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आपको शुरू ही से घंटी नहीं बजानी चाहिए।

यह केन्द्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, क्या तैयारी की गई है, और क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार के लिए गांवों में शिक्षा मुहैया करना सम्भव है। क्या आपके लिए शिक्षा के स्तर में सुधार लाना सम्भव है और अगर हां, किस कीमत पर? इन बातों को शिक्षा नीति के प्रारूप में बताया जाना चाहिए था।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर बोलूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में 1968 की नीति में

सिफारिश की गई है कि समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। प्रारूप नीति में कहा गया है कि देश के अधिकांश भागों में 10+2+3 प्रणाली स्वीकार कर ली गई है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या सभी राज्यों ने इसे स्वीकार किया है या नहीं; क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्रियों के सभी सम्मेलनों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस 10+2+3 प्रणाली पर कई बार चर्चा की है। वहां राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया है। मुदलियार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। कुछ राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है, जबकि अन्यों ने नहीं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां से माननीय मंत्री आए हैं, जूनियर और इन्टर कालेज, डिग्री और स्कूलों से अलग हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आज तक भी, सभी राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : प्रारूप नीति में कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है। +2 प्रणाली का क्या होगा ? क्या इसे स्कूल कहा जाएगा या जूनियर कालिज, क्योंकि इसे बताना बड़ा मुश्किल है। ऐसे डिग्री कालिज भी हैं, जिनमें इन्टर के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य में, ऐसे स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें डिग्री कालिज हैं जहां इन्टर की कलाएं भी लगाई जाती हैं। उन कालिजों को सघटक कालिज बनाया गया है। इन कालिजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिए जाते हैं। आप इन कालिजों को कैसे अलग कर सकते हैं ? आप उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे।

एक इन्टरमिडिएट परिषद् थी जिसे समाप्त कर दिया गया है। अब विहार राज्य सरकार ऐसी परिषद् का गठन करने पर विचार कर रही है और राज्य में इन्टर कालिज खोलने को बढ़ावा दे रही है। इससे +2 प्रणाली का क्या होगा ? उन्होंने पहले ही 28 ऐसे स्कूलों का चयन किया है जिनका दर्जा बढ़ाकर इन्टर स्तर का कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पुनः अलग से इन्टर कालिज स्थापित करेंगे तो इन स्कूलों का क्या होगा। इससे +2 प्रणाली का क्या होगा ?

जहां तक व्यावसायिक शिक्षा का संबंध है, आपने इस सीमा को स्वीकार किया है कि 1990 तक 10 प्रतिशत स्कूलों में ही इसे लागू किया जाएगा और 1995 में इसे बढ़ावा 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अगर हम व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ करते हैं तो इसके लिए पर्याप्त तैयारी करनी होती है। जिन स्कूलों को इस हेतु चयन किया गया वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः आपको आई० टी० आई० पर निर्भर रहना पड़ेगा। वर्तमान में वे ही इसका समाधान कर सकती हैं। और जो लोग जहां प्रशिक्षण लेंगे, उनको उद्योगों मे रोजगार दिलाया जाना चाहिए। क्योंकि उद्योगों को इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मकार उपलब्ध होते हैं, अतः उन पर उपकर लगाया जाना चाहिए, ताकि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

आपने अब अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उपकर वसूल करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। अब आपको उन उद्योगों पर भी उपकर लगाना चाहिए, जिन्होंने इन संस्थानों और व्यावसायिक स्कूलों से प्रशिक्षित कर्मकार उपलब्ध होते हैं। कृपया इसको स्पष्ट करें, क्योंकि आपके प्रारूप दास्तवेज में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। कोठारी आयोग ने भी इस बारे में

सिफारिश की थी । इस नीति प्रारूप में कहा गया है कि +2 प्रणाली स्कूल स्तर पर लागू की जाए ? लेकिन राज्य सरकारें आपके इस मत से सहमत नहीं हैं और कई राज्य इसे लागू नहीं कर रही हैं । लेकिन आपने कहा है कि कई राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है। कृपया इसको स्पष्ट कीजिए कि +2 प्रणाली का क्या होगा ? इन्टर कालिजों का क्या होगा ? मगर हाई स्कूलों के साथ +2 प्रणाली को सम्बद्ध किया जाता है, क्योंकि मैंने पाया है कि साथ ही साथ इन स्कूलों का स्तर बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ ही नए कालिज खोले जा रहे हैं और इसे डिग्री कालिज भी हैं जहां इन्टर कालिज भी हैं, आप इनको अलग कैसे करेंगे । नीति प्रारूप में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है ?

नीति प्रारूप को पढ़ने पर, ऐसा आभास होता है कि यह बहुत अच्छा है ।

किंतु, आप के सभी नीति निर्णय विफल हो जाते हैं क्योंकि ये कार्यान्वित नहीं होते हैं । आप कैसे इस नीति को कार्यान्वित नहीं होते हैं । आप कैसे इस नीति को कार्यान्वित करेंगे ? इस नीति को कौन कार्यान्वित करेगा ? यह बात आपको स्पष्ट करनी होगी ।

मैं जानता हूं कि आप जिला परिषद राज्य परिषद जैसी अनेक संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं और उनका कार्यभार संभाल कर क्रमशः माध्यमिक उच्च शिक्षा की जिला स्तर और राज्य स्तर पर योजना बनाएंगे और समन्वय करेंगे । किंतु इन संगठनों की रचना कैसे होगी ? आप इन्हें कहां स्थापित कर सकेंगे ? आप कैसे इनका प्रबन्ध करेंगे ? कुछ राज्यों ने माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया है । कुछ राज्यों ने माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है । आप कैसे ऐसा करेंगे ?

मैं मूल पाठ्य-चर्चा के निर्णय का स्वागत करता हूं । मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं कि आप मूल पाठ्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास पढ़ाएंगे । किंतु मैं इस बात पर बल दूंगा कि इसमें उन व्यक्तियों की जीवनियां भी शामिल होनी चाहिएं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन की बलि दे दी, क्योंकि महान व्यक्तियों के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन को महान बना सकते हैं । इससे उनमें सेवा तथा बलिदान की भावना जागृत होगी इसकी अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि आप शिक्षा की उपयोगिता की बात पर अधिक बल दे रहे हैं । कैसी उपयोगिता ? बहुत समय पूर्व श्री प्रकाश समिति ने नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह सिफारिश की थी । किन्तु अभी तक यह कार्यान्वित नहीं की गई है । मैं आशा करता हूं कि नए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करने का एक नया ढंग होगा और आप उन सभी निर्णयों को कार्यान्वित कर सकेंगे जो आप ने लिए हैं ।

अध्यापकों के संबंध में आपने नीति में उन्हें वेतन-मानों सेवा शर्तों, आदि में एकरूपता प्रदान करने के विषय में कहा है । मैं इसका स्वागत करता हूं । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में अध्यापकों से इस बात की आशा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाएं । किन्तु वे सेवा-शर्तों आदि के लिए लड़ते रहते हैं । यह दुखद: बात है । हमें कुछ ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिएं जिससे अध्यापकों को हड़ताल न करनी पड़े । रांची विश्वविद्यालय के

अध्यापक उपकुलपति को हटाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक प्रोफेसरों के पद बढ़ाने तथा अपनी सेवा-शर्तों के लिए आन्दोलन कर रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने कहा है कि अध्यापकों के संगठन को अध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक अचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय संहिता तैयार की जाएगी। अध्यापकों को भी चाहिए कि वे अपने दायित्वों तथा कर्त्तव्यों को पूरे करें। छोटी-सी बात के लिए उन्हें बाजारों में जुलूस नहीं निकालने चाहिएं। मैं अब भी कहता हूं कि सरकार को ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि उन्हें सेवा-शर्तों के सुधार आदि के लिए सड़क पर न आना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं प्रारूप नीति का स्वागत करता हूं।

डा० सुधीर राय (बर्दवान): आठ महीने अर्थात, अगस्त 1985 और मई, 1986 के बीच मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन दस्तावेज निकाले गए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे शिक्षा आयोजक निरन्तर अपने दृष्टिकोण को बदलते रहते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं कि वे किस प्रकार के निर्देश देंगे। और अन्त में हब ऐसी शिक्षा नीति स्वीकार कर रहे हैं जिसको अध्यापकों अथवा विद्यार्थियों अथवा सामान्य जनता के सामने नहीं रखा गया है। यह दस्तावेज भी हमें दो-तीन दिन पहले मिले हैं। अतः मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वाद-विवाद तथा चर्चा के लिए अतिरिक्त समय दें जिससे हम इस प्रणाली पर सहमत हों।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस बात का विचार करें कि क्या शिक्षा राज्य का विषय रहना चाहिए। संस्थापकों ने बहुत विचार-विमर्श तथा चर्चा के पश्चात् यह निर्णय किया है कि शिक्षा राज्य-सूची में रहें क्योंकि उप-महाद्वीप के आकार के, विशाल बहुराष्ट्रीय देश में जहां विभिन्न जातियां तथा उप-जातियां हैं हम प्रमुख पाठ्यचर्चा के नाम पर कैसे एक सामान्य समान पाठ्यक्रम थोप सकते हैं?

5.00 म० प०

इन जातियों की विभिन्न संस्कृतियां हैं, जीवन के विभिन्न ढंग, विभिन्न भाषाएं विभिन्न भौगोलिक पर्यावरण है। यदि किसी प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा आरम्भ की जानी है, तो राज्य सरकारें अध्यापकों, विश्वविद्यालयों से सलाह ली जानी चाहिए। राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए।

इतना ही नहीं, जब शिक्षा समवर्ती विषय बनाया गया तो केन्द्रीय सरकार ने अधिक राशि नहीं दी। कई बार निवेदन करने के बावजूद हम देखते हैं कि अभी तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोट्टायम के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और मिदनापुर के विद्यासागर विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की राशि नहीं दी है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा

के लिए बजट का 7.56 रखा गया किंतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शिक्षा के लिए बजट का केवल 2 प्रतिशत शिक्षा के लिए रखा गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिम्मेवारी की यह भावना दिखाई गई है। इतना ही नहीं हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही एक आदेश जारी किया है कि वह किसी भी समय किसी कालेज अथवा राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर सकता है।

इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन करने की व्यवस्था है। पहले ही हम देखते हैं कि राज्य विश्वविद्यालयों और कालिजों को दिल्ली में कार्य करने वाले शैक्षिक सम्राटों के सामने झुकना पड़ता है। और यदि हम एक नई शिक्षा सेवा का सृजन करते हैं तो शिक्षा संबंधी जागीरदारों का एक नया वर्ग सामने आएगा जो समस्त देश पर अपने निर्णय थोप देना चाहेगा। अतः हम इस विचार का विरोध करते हैं कि शिक्षा समवर्ती विषय रहना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। हमें प्रसन्ता है कि उन्होंने कहा है कि 1990 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार की ऐसी राजनीतिक इच्छा होती तो यह बहुत पहले हो गया होता क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने सरकार को ये निदेश दिए हैं कि संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि में चौदह वर्ष की आयु से कम सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 1950 के दौरान बी० जी० खरे समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना चाहिए राज्य सरकार को अपने बजट का 30 प्रतिशत तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का छः प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए खर्च करना चाहिए। किन्तु अब केन्द्रीय सरकार शिक्षा पर बजट के आबंटन का दो प्रतिशत भी खर्च नहीं करती है। अतः जैसाकि हमारे विद्वान मित्र श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने कहा है कि एक ऐसा दस्तावेज प्रकाशित किया जाना चाहिए कि इस दस्तावेज के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को किस प्रकार लागू किया जाए क्योंकि सिफारिशें तो होतीं हैं परन्तु ये कभी भी कार्यान्वित नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि यदि हमें वह मिल जाए जो हम चाहते हैं तो फिर कहना ही क्या। अतः मुझे विश्वास है कि प्रौढ़ शिक्षा का यह लक्ष्य 2000 ई० प० तक भी पूरा नहीं होगा। विश्व बैंक ने जब यह टिप्पणी की थी कि 21वीं शताब्दी के आरम्भ में इस देश में 50 करोड़ से अधिक अशिक्षित होंगे तो उसकी यह धारणा सही थी। क्योंकि सरकार को यह बात मान्य नहीं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों मूक व्यक्तियों में सामाजिक चेतना हो।

महोदय, हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश की थी जिसमें एक इलाके के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इस दस्तावेज में इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि अधिकतर स्कूल अकुशल अध्यापकों, घटिया प्रयोगशाला सामान, अपर्याप्त पुस्तकालय सुविधा आदि के कारण पीछे हैं। किन्तु इन शिक्षा संस्थाओं की सहायता करने के बदले वे नवोदय विद्यालय अथवा आदर्श स्कूल स्थापित कर रहे हैं जो केवल विशिष्ट और धनी लोगों की

आवश्यकताओं को पूरा करेंगे । उनसे देश की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी । वह केवल बहु-राष्ट्रिकों की जरूरतों को पूरा करेंगे जिन्हें प्रतिदिन बुलाया जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी और हिन्दी होगा और क्षेत्रीय भाषा बेचारी तीसरी भाषा होगी । किन्तु सभी शिक्षा दार्शनिकों और शिक्षा विशेषज्ञों और यहां तक कि कोठारी आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर केवल मातृ-भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए ।

श्री विपिन पाल दास : मैं उनकी बात को ठीक करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों पर इसकी सिफारिश नहीं की है । कृपया आप वह रिपोर्ट पढ़िए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवधान मत डालिए । मैंने सदस्य को अनुमति नहीं दी है । इसे रिकार्ड मत कीजिए ।

(व्यवधान)**

डा० सुधीर राय : मेरा विचार यह है कि क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए । प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल यही होनी चाहिए । अंग्रेजी माध्यमिक को स्तर पर आरंभ किया जाए । और सम्पर्क भाषा के नाम पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए । बल्कि हम मांग करते हैं कि सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए ताकि इनका विकास हो सके । सरकार का यह इरादा है कि यह नवोदय विद्यालय आदर्श स्कूल श्रेष्ठता के संस्थान और आई० आई० टी० स्थापित किए जाएं जिनके 80 प्रतिशत विद्यार्थी विदेशों में चले जाएंगे । किन्तु गरीब ग्रामीण लोग और नगरों में झुगी-झौंपड़ियों में रहने वालों को केवल दूर शिक्षा आदि मिलेगी । वास्तविक शिक्षा अध्यापकों द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि वास्तविक शिक्षा में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच और विद्यार्थियों की आपस में अन्तः क्रिया की आवश्यकता है । भारत में पहले ही 28 विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किए हुए हैं । किन्तु ये पत्राचार पाठ्यक्रम महत्वहीन बन कर रह गए हैं, क्योंकि इन विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता है । अतः हमारे तर्क यह हैं कि दूर शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय और गैर-औपचारिक स्कूल सहायक हो सकते हैं किन्तु ये नियमित औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकते हैं । हमारे यहां करोड़ों बेरोजगार स्नातक हैं । आपके दस्तावेज में लिखा है कि यह नियुक्ति के योग्य नहीं हैं । आप इन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त क्यों नहीं करते हैं ? किन्तु आप गरीबों और अल्पसुविधाएं लोगों के लिए केवल दूर शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय और औपचारिक स्कूलों आदि पर बल देते हैं । मैं और कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : क्या मैं बीच में

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बोल सकता हूं ? कुछ लोग कहते हैं कि वे अच्छे है; कुछ कहते हैं कि वे खराब हैं। किन्तु हम यह कभी नहीं कहते हैं कि वे उनका स्थान लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ओर से कम से कम एक आश्वासन तो आया।

डा० सुधीर राय : महोदय, हमने कभी भी तथाकथित स्वायत्तशासी कॉलिजों के प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया।

ऐसा इसलिए कि अगर प्रत्येक महाविद्यालय को स्वायत्तता दे दी जायें, प्रत्येक महाविद्यालय को डिग्री प्रदान करने की अनुमति दे दी जायें तो केवल कुछ ही महाविद्यालय, कुछ महानगरीय महाविद्यालय जैसे सेंट स्टीफन, प्रेजीडेन्सी कालेज और सेंट जेवियर कालेज ही मार्किट में चल पायेंगे। लेकिन दूर-दूर गांवों में 4000 महाविद्यालय हैं, जो जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। ये महाविद्यालय नहीं चल पायेंगे क्योंकि उनकी डिग्रियों का कोई महत्व नहीं होगा और छात्रों के साथ निश्चित ही भेदभाव किया जाएगा।

अत्यात्मिक शिक्षा के नाम पर हमें डर हैं कि सरकार धार्मिक रुढ़िवाद और अंधविश्वासों को बढ़ने का अवसर देगी। मैंने बहुत से सेमिनारों में हिस्सा लेने वालों को कहते हुए सुना है कि नैतिक शिक्षा को शुरू करने के लिए आप रामायण और महाभारत इत्यादि को पढ़ना आवश्यक क्यों नहीं कर देते। हमारे संविधान का अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। लेकिन हमें संदेह है कि नैतिक शिक्षा के नाम पर धार्मिक शिक्षायें दी जायेंगी।

एक प्रस्ताव है कि रोजगार को डिग्री से अलग कर दिया जाए। यह तो बल्कि सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करायें। यह सरकार का उत्तरदायित्व है। हमें डिग्री को रोजगार से अलग करने के प्रस्ताव के पीछे कोई औचित्य नजर नहीं आता।

इसके बाद मैं कहूंगा कि सभी शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रबन्ध होना चाहिए और अध्यापक, छात्र और गैर-अध्ययन कर्मचारियों को शिक्षा संस्थानों के प्रबन्ध में उनकी बात को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। यही नहीं बल्कि समुदाय के प्रतिनिधियों को भी फैसले करने की प्रक्रिया से मुख्य रूप में भाग लेना चाहिए। लेकिन, महोदय, राजनीति से अलग करने के नाम पर, आपको इन अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हम पहले दस्तावेज में राजनीति करण के बारे में कहा गया है। हमें गर्व है कि अध्यापकों में राजनीतिक ज्ञान है। एक लोकतंत्रीय देश में हमें अपने सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधियों के कारण जो बहुत ही स्वाग्रही, वाक्पटु, सचेत थे इस विश्वविद्यालय के कुलपति को त्याग पत्र देना पड़ा। अतः शिक्षा संस्थानों का लोकतांत्रिकीकरण जिसकी सिफारिश कोठारी समिति ने की है, शिक्षा मन्त्रालय को मानना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत में उच्चतर शिक्षा की अभी चरम सीमा नहीं पहुंची है।

लेकिन हम यह बात लार्ड कर्जन के समय से सुनते चले आ रहे हैं। मेरे पास कुछ तथ्य हैं। यहां तक कि नेपाल, श्रीलंका और अलजीरिया, केन्या, नाइजीरिया और इथोपिया जैसे बहुत से अफ्रीकी देश उच्चतर शिक्षा के लिए अधिक छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा नीति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक कि हम देश के सामाजिक आर्थिक परिवेश को फिर से गठित नहीं करते, जब तक हम आधार का पुनर्गठन नहीं करते। हम आधार का पुनर्गठन किए बिना ऊपरी ढांचे का पुनर्गठन कैसे कर सकते हैं? अतः आवश्यकता यह है कि काम की गारंटी दी जाए। वास्तविक भूमि सुधार कार्यक्रम होने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को मौलिक सुख-सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : अध्यक्ष जी, आज सदन के समाने 17 साल बाद ड्राफ्ट न्यू एजूकेशन पॉलिसी इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सन 1963 के बाद, अब हमारे युवा प्रधान मंत्री जी राजीव गांधी ने, लोगों को जो आश्वासन दिया था कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे, उस हिसाब से यह प्रस्ताव सदन ये पेश किया गया है। कई महीनों से इस पर पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है और मान्यवर मानव विकास संसाधन मंत्री आदरणीय नरसिंह राव जी ने देश के कोने-कोने में जाकर काफी सेमीनार किए और सम्मेलनों में हिस्सा लिया और इसमें काफी कष्ट उठाकर इन्होंने अनुभव किया और खुद ही जानते हैं कि देहात में क्या शिक्षा होनी चाहिए और शहरों में कैसी शिक्षा होनी चाहिए और आजकल जो शिक्षा नीति चल रही है, इसमें तो बिलकुल सुधार होने की आवश्यकता है। इसके कारण हैं—बेरोजगारी बढ़ रही हैं, लेकिन हम सोचते है और कहते हैं कि कारखाने चलाने के लिए या अच्छी खेती करने के लिए या शिक्षा देने के लिए हमारे पास अच्छे साधन अर्थात अच्छे आदमी नहीं हैं। जब हमारे लोगों को काम नहीं मिलता है, तो वे क्या करें और दूसरी तरफ हमारे यहां अच्छे स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं मिलते हैं। इस सब का मुख्य कारक यह है कि हमारी शिक्षा नीति में कहीं न कहीं कोई कमी है। इसलिए इसमें बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है। इस डाकुमेंट में जिस ढंग से स्वीकार किया गया है और इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"दी कामन स्कूल सिस्टम' जिसकी सिफारिश 1968 की में की गयी।

5.16 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

तो इस बारे में यह कहा गया है, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाए हैं और दूसरी बात यह है कि इस बारे में एक अच्छा जिक्र किया गया है कि हम इस शिक्षा नीति से क्या जानना चाहेंगे और इस शिक्षा नीति से हम कैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं—

[अनुवाद]

हमारे संविधान में निहित समाजवाद, धर्म-निपेक्षता तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों का प्रसार करना ।

[हिन्दी]

तो जो हमारे संविधान में प्रावधान है, देश के अंदर जो जाति-पाति का नारा लगा रहे हैं, गे जातियां मजबूत होने जा रही हैंऔर देश के हित के अलावा, अपना स्वार्थ और अपना हित सोचने की बात आगे बढ़ रही है और लोग सोचते हैं कि पहले हमारा स्वार्थ हो और बाद हो। इन सब चीजों को रोकने के लिए शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन करना जरूरी है कि उसके में देश का स्वार्थ माध्यम से ऐसी भावना लोगों में आएं कि हम गरीब की इज्जत कैसे करें, और पड़ौसी की इज्जत कैसे करें। इस बात की शिक्षा बच्चों में दी जानी चाहिए। गरीब और अमीर का अंतर बढ़ रहा है इसके कारण अलग-अलग क्लास पैदा हो रही हैं। इन क्लासों को कम से कम करके,और गरीब और अमीर के अन्तर को कम करके शोषण रहित समाज की व्यवस्था लानी चाहिए। प्रजातंत्र के लिए और सैकुलर समाजवाद के लिए एक नए तरीके से और एक नई शक्ति के साथ इसमें कुछ प्रावधान करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता चाहता हूं ।

मान्यवर मानव विकास संसाधन मंत्री जी, मेरे दिल में एक शक है कि पैंतीस साल के बाद भी आज तक हमें जिस रास्ते से चले आ रहे हैं उनके द्वारा हमें जितना आगे जाना चाहिए था, उतना हम आगे नहीं जा सके हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब तक ठीक चलता है और जैसे ही बच्चे कॉलेज में आते हैं वैसे ही कठिनाई पैदा होने लगती है और जब बच्चे कॉलेज से बाहर मैदान में आ जाते हैं, तो गतल बातें उन के दिमाग में आती हैं। कोई जातिवाद का नारा लगाते हैं, तो कोई समाजवाद की विघटनकारी शक्तियों का शिकार बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम तो नौकरी पाने और बेरोजगारी निटाने के लिए शिक्षा पाकर आए हैं, सैल्फ एम्पलायमेंट के लिए नहीं आए हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हैं। इसलिए हमें इसके द्वारा यह सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस बारे में हमें ध्यान देना जरूरी है ।

अभी कई ऐसी एजूकेशन संस्थाएं बन रही हैं जो देश की इंटिग्रिटी और नैशनल यूनिटी के खिलाफ काम करती हैं। जातिवाद के नाम से शिक्षा संस्थाएं चलती हैं। ये नहीं चलनी चाहिएं। इनमें सभी जातियों के लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए। इस प्रकार से जब तक हम बुनियादी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक देश में एकता आना बहुत मुश्किल होगा। हम हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए अलग-अलग ढंग की सोसायटी चलाएंगे, शिक्षा चलाएंगे, कॉलेज चलाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका नतीजा यही हो सकता है कि समाज एक न होने के कारण जुदा हो जाता है और समाज में प्रेम-भाव के स्थान पर कटुता पैदा होती है। हम समझते हैं कि वर्ग संघर्ष हो, लेकिन हिन्दुस्तान में अमीर और गरीब का संघर्ष नहीं लेकिन धर्म, जाति, प्रान्त के लिए संघर्ष हो रहा है। हमारी शिक्षा नीति का जब यह परिणाम हो रहा है, उसके फलस्वरूप हमें देखना पड़ रहा है तो इसमें बुनियादी परिवर्तन अब हम स्कूल कालेज में कर नहीं पायेंगे तो मेरे खयाल से ठीक नहीं होगा ।

मैं यह देख रहा हूं कि यह किताब बहुत अच्छी लिखी है। इसमें कमी हो सकती है, यह मैं मानता हूं, लेकिन इस पर अम्ल करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसके लिए हम धनराशि कहां से लायेंगे? समाजवाद के जो राष्ट्र होते हैं, अगर योरूप में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी बच्चे की जिम्मेदारी सरकार लेती है। यहां पर लिखा है कि जो हमारी ताकत है, बच्चे हैं, उनकी सब जिम्मेदारी सरकार लेना चाहती है। सरकार यह जिम्मेदारी लेना तो चाहती है, लेकिन सरकार के पास धनराशि नहीं है।

गवर्नमैंट के सारे डिपार्टमैंट ज्यादा धनराशि चाहते हैं लेकिन शिक्षा के लिए हम प्रोडक्टिविटी इंवेस्टमैंट चाहते हैं तो इसके लिए धनराशि ज्यादा देना आवश्यक है। क्योंकि वोकेशन एजूकेशन हो या टैक्नीकल एजूकेशन हो, एक अच्छी बात यहां कही गई है कि ऑल इण्डिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इण्डिया सैकेण्डरी एजूकेशन एण्ड हायर सैकेण्डरी एजूकेशन इंस्टीट्यूट, इन सबका को—आर्डिनेशन करके हायर एजूकेशन के लिए आगे कैसे बढ़ें। लेकिन शुरू से ही उसका ठीक से को-आर्डिनेशन करना चाहिए, इससे अच्छा काम होगा। कुछ कहते हैं कि यह सैंटर का सब्जैक्ट नहीं है, केन्द्र के अलावा यह राज्य सरकार को देना चाहिए। जब केन्द्र और राज्य को आप मानते हैं तो यह कान्करेंट सबजैक्ट बनता है और बनना जरूरी है और रहना ही चाहिए क्योंकि यह देश के हित में है। जब अलग-अलग राज्य अलग-अलग नीति कर दें, अलग राज्य रीजनल पार्टी के हिसाब से शिक्षा प्रणाली बना दें तो हम राष्ट्रीय एकात्मता कैसे बना सकते हैं? राष्ट्र का ध्यान कैसे दे सकते हैं?

जब हम इस पार्लियामैंट में आते हैं तो एकता की बात करते हैं, राज्य में जाते हैं तो राज्य की और जिले में जाते हैं तो जिले की और गांव में जाते हैं तो गांव की बात करते हैं। जब हम एक रहना चाहते हैं तो शिक्षा ही उसका माध्यम हो सकता है, इण्डस्ट्री या उद्योग उसका माध्यम नहीं हो सकता है। समाजवाद उसका माध्यम हो सकता है, लेकिन समाजवाद के लिए एक ही तरीका है, शिक्षा नीति उसके लिए आधार हो सकता है।

आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, अमेरिका, इंग्लैण्ड, रशिया, चाइना, कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति के कारण वह एक नहीं है। शिक्षा नीति के कारण ही वह देश अभिमानी है। वह लोग पहले देश का मान रखते हैं, देश की इज्जत करते हैं। आजकल इस शिक्षा प्रणाली का कारण प्रामाणिक बन भी रहा है और उसका थोड़ा बोनस भी मिल रहा है। इसीलिए जो काला धन पैदा करने वाले हैं, हम धर्म मानने वाले लोग हैं, काले धन को पाप मानने वाले हैं, लेकिन आज काला धन पैदा करने वाला पाप मानने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में शुरू से ही बचपन से ही कुछ न कुछ बड़ापन होना चाहिए, उनको यह शिक्षा मिलनी जरूरी है कि हमारी नीति यह है। क्योंकि हमारे पुराने मोरल वैल्यू आज ईरोड हो रहे हैं। इसका जिक्र भी आपने इस डाक्यूमैंट में किया है। इसलिए इसका जिक्र सिलेबस में होना चाहिए।

कुछ प्रदेश बोलेंगे कि हम यह नहीं चाहते हैं क्योंकि लोकल लैंगुएज में फार्मूला बनाकर उन्होंने रखा है। जब तक हम यह काम ठीक से पहले से शुरू नहीं करेंगे, वोकेशनल एजूकेशन के माध्यम का कोई सवाल नहीं है। वह तो लोकल लैंगुएज में भी हो सकता है। क्योंकि वोकेशनल

लैंगुएज या रि-स्ट्रक्चरिंग ऑफ दी कोर्सेज इन दी कालेज, यह तभी हो सकता है कि उसके लिए इम्पलायमैंट पोटैंशियल हो। वह उद्देश्य है, यह मैं मानता हूं। इस डाक्यूमेंट में मान लिया है कि 10+2+3 सभी राज्यों ने माना नहीं है। हम आगे 21वीं शताब्दी के लिए आगे जा रहे हैं और आप कोई टैक्नीकल बात की बात कर रहे हैं। जो प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, वह आगे चले जायेंगे और दूसरे राज्य पिछड़े रह जायेंगे जो भाषा का नाम लेकर शिक्षा नहीं चाहते, जो बुनियादी बात उठाकर कि इकनामी है, हमारा स्टेट का सबजैक्ट है, हम नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से वह गलती कर रहे हैं, वह, अपने स्टेट को पीछे लेकर जा रहे हैं। इसलिए भाषा का विवाद खड़ा करने से नुकसान होगा।

मैं उनसे विनती करूंगा कि आप देख लीजिए कि इक्कीसवीं शताब्दी आने वाली है और दुनिया के सब देश आगे बढ़ रहे हैं तो हम पीछे कैसे जा सकते हैं। जब दुनिया में शिक्षा नीति को प्रमुख स्थान दिया जाता है हमको भी उसे प्रमुख स्थान देना चाहिए। इसलिए ऐसे राज्यों को या केन्द्र शासित प्रदेशों को जो मुश्किया हैं, उनको मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके गलत बात मत कीजिए।

आज भाषा के नाम पर भी बहुत झगड़ा होता है। इसी झगड़े के कारण हम करीब 10 वर्ष पीछे रह गये हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी यही झगड़ा है कि पढ़ाई का माध्यम मराठी या अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। इन झगड़ों में न जाकर हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो और पिछड़ते चले जायेंगे।

हमने डाकुमेंट में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है, लेकिन उसका कंसीप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे कि आज 150 यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी यह नहीं खोली जानी चाहिए। गांवों में ऐसी यूनिवर्सिटियां खोलने के साथ-साथ इस बात का भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि शिक्षा अधिकारी अलग-अलग गांवों में जाकर और अलग-अलग फैमिली में जाकर उनकी कठिनाई, उनकी समस्या और उनकी जरूरतों की जानकारी लें और उनको सुलझायें। यह सभी बातें हम अपनी शिक्षी नीति में जोड़ दें तो अच्छा होगा।

इस डाकुमेंट में गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उनको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है क्योंकि वह विद्यार्थी मेरिट में नहीं आते हैं। आजकल काला धन खिलाकर मेरिट खरीदी जाती है। हमने यह भी देखा है कि जिन कमजोर वर्गों के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, उनके खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं और वह निर्णय भी मेरिट वालों के हक में होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि गरीब और ग्रामीण बच्चों को न्याय मिले तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। कानून बनाकर भी इनको न्याय मिल सकता है।

हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटिज खुली हुई है। इन यूनिवर्सिटियों में उद्योगों के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है जबकि हमें एग्रीकल्चर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कृषि विज्ञान केन्द्र चलाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एक योजना बनाकर किसानों को शिक्षित करे। ऐसा करने से ही हम कृषि के क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकते हैं।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 का समर्थन करता हूं। अब हम परिवर्तन की स्थिति में हैं—आर्थिक रूप से, शिक्षा और संस्कृति के तौर पर। देश को शिक्षा के माध्यम से अपनी दिशा में परिवर्तन करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी को नए निर्देश देने हैं। क्या हम देश की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं? मैं वास्तव में प्रधान मन्त्री के गतिशील नेतृत्व और सरकार का इस देश की दिशा में परिवर्तन करने के लिए लाए गए इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं। अपने प्रधान मन्त्री के गतिशील नेतृत्व में इस देश को नई दिशा दी जा रही है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच भेदभाव है। इससे दोनों के बीच गहरी खाई पैदा हो गयी है। एक शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है। अगर आप समाज के बुद्धिमान जैसे बड़े अधिकारियों, बड़े उद्योगपतियों, प्रसिद्ध वकीलों और इन जैसे सभी लोगों की तरफ देखें तो वे सभी शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। अगर आप श्रमिकों को देखें तो वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अतः काफी अन्तर है और यह शिक्षा के कारण और बढ़ता जा रहा है। क्या हम शिक्षा से इसे ठीक कर सकते हैं? इन सभी रोगों का विश्वव्यापी इलाज केवल शिक्षा है।

महोदय, हमारे देश में 5000 कालेज, 150 विश्वविद्यालय हैं और ये सब अभी गांवों में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं। गांव में ही कोई स्कूल नहीं है। वहां अगर स्कूल है तो अध्यापक नहीं है। अगर स्कूल और अध्यापक हैं तो छात्र नहीं हैं। संविधान के तहत, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है जिसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया है। स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। विशेषतौर पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े लोग तथा आदिवासियों को अनिवार्य रूप से दाखिला दिया जाना चाहिए। हम कोई कानून बना सकते हैं, उपबन्ध कर सकते हैं; लेकिन अमल बहुत महत्वपूर्ण है।

अभी तक बहुत से प्रगतिशील कानून बनाये गए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। बहुत कम हुआ है। इस नीति को अमल पर जोर देना चाहिए। मैं सरकार को एक बार फिर से बधाई देता हूं क्योंकि इसने सभी पहलुओं को लिया है, विशेषकर महिलाओं को इस ड्राफ्ट में उच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी भी समाज में अगर महिलायें शिक्षित हैं तो वह देश शिक्षित है। अगर महिलाएं अशिक्षित हैं तो वह देश पिछड़ जाता है और उसका विकास रुक जाता है। सरकार ने महिलाओं को उच्च प्राथमिकता देने में पर्याप्त ध्यान दिया है।

गांवों में किन्डरगार्टन स्कूलों की स्थापना करनी होगी। ड्राफ्ट में इसका उल्लेख है। लेकिन किन्डरगार्टन स्कूलों को कैसे शुरू किया जाएगा तथा उसकी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। शहरों में पैसा है तथा स्वैच्छिक संस्थायें हैं। वे अच्छा कार्य चला सकते हैं। लेकिन गांवों में केवल सरकार को ही आगे आकर इन स्कूलों को चलाना होगा। अतः प्रत्येक नागरिक को साधन सम्पन्न तथा उत्पादी बनाने के लिए किंडरगार्टन स्कूल मौलिक साधनों में से एक है।

हम शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं? इस समय केवल 6 प्रतिशत, वह भी, बढ़ाने के बाद। यह काफी नहीं है। अगर आप सोवियत संघ को लें तो वे शिक्षा पर 100 प्रतिशत से अधिक खर्च करते हैं। अत: उन्होंने प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बना दिया है। साक्षरता क्या है? शिक्षा का सिद्धांत क्या है? क्या यह सिर्फ पढ़ना और लिखना है? नहीं, यह जीवन को समझना तथा देश और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझना है तथा अच्छे नागरिक बनाना है। शिक्षा का यह उद्देश्य है।

हमारी शिक्षा प्रणाली स्नातक और स्नातकोत्तर तैयार करती है। लेकिन ये उत्पादक नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय क्लर्कों और अनुत्पादक पदों पर कार्य करने के। तकनीकी ज्ञान इनके पास नहीं है। हमारी व्यवस्था के दोषों में से यह एक दोष है। इस पर ध्यान दिया जाये।

तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। देश में तकनीकी शिक्षा की किस अनुपात में आवश्यकता है? इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अनुपात में, ग्रामीण क्षेत्र के अनुपात में तथा शहरी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इस पर ध्यान देना होगा।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध है, कम से कम 10 गाँवों के पीछे अथवा 10000 या 15000 जनसंख्या के पीछे एक स्कूल होना चाहिए। गांव में अगर कोई व्यक्ति ट्रेक्टर खरीदता है तो उसकी छोटी सी गड़बड़ी को ठीक करवाने के लिए उसे 20-30 किलोमीटर तक भागना पड़ता है। उसे नहीं मालूम कि क्या खराबी हो गई है। सिर्फ उसकी नासमझी की वजह से उसे छोटी सी मरम्मत के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उसका पूरी तरह से शोषण होता है। अत: तकनीकी शिक्षा जरूरी है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में।

कृषि क्षेत्र में हमारे केवल 23 विश्वविद्यालय हैं। 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से संबंधित है। हम अच्छे उत्दादन की कैसे आशा कर सकते हैं? अत: कृषि कालेज, कृषि डिप्लोमा, कृषि स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करना होगा क्योंकि यहीं पर हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता है।

उदाहरण के लिए पान खाते समय कई लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। इसलिए, तकनीकी शिक्षा बहुत आवश्यक है और पहले इस ग्रामीण जनता को दिया जाना चाहिए।

समानुपात से अधिक शहरों का विस्तार हो गया है। शहरों के साथ मेरा पक्षपात नहीं है, मेरा शहरी क्षेत्र के साथ पक्षपात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रामीणों के साथ पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। पिछले महीने जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था तो मैंने देखा कि पिछड़े गांव के एक स्कूल में पशुओं को बांधा गया था। बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। हालांकि इमारत वहां थी फिर भी कोई रखरखाव नहीं था और अध्यापक नहीं आते थे। राज्य सरकारों को गंभीर होना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि इस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अध्यापकों को पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।

महोदय, अध्यापक भी ट्यूशन तथा अन्य चीजों के द्वारा पैसा कमाने की स्पर्धा कर रहे हैं हैं क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे लाभदायक पेशों में भर्ती कराना चहते हैं जिसके परिणामस्वरूप गांव के लोग इस तरह की सुविधाओं से वंचित होते हैं। अमीर लोग ट्यूशन शुल्क दे सकते हैं जबकि गांव के लोग स्कूल का शुल्क भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए, अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अन्तर होगा।

लोकतन्त्र में बहुत अवसर होते हैं लेकिन अज्ञान के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। मैं एक पक्का उदाहरण दूंगा। विगत 35 वर्षों में इन नौकरियों को लेने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं था परन्तु जबकि आज वे प्रशिक्षित हो गए हैं, आरक्षण विरोधी आन्दोलन शुरू हो गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह अन्तर त्रुटिपूर्ण शिक्षा से आया है और इस त्रुटिपूर्ण शिक्षा ने साम्प्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रवाद को जन्म दिया है। असमान शिक्षा के कारण यह सब कुछ हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस०बी० सिदनाल : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। परीक्षाओं में नियमित रूप से नकल की जाती है और इसका प्रत्येक को पता है। इससे नकली व्यक्ति पैदा होते हैं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए भावी पीढ़ी को उचित अवसर प्रदान करना होगा। यदि हम नकल के माध्यम से नकली व्यक्तित्व को जन्म देंगे तो देश प्रगति नहीं करेगा। इसलिए, शिक्षा को बहुत गंभीर रूप से लिया जाना चाहिए।

***श्री के० बी० शंकरगौडा** (मांड्या) : उपाध्यक्षण महोदय, किसी भी प्रगतिशील देश में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा को प्रोत्साहन देना बहुत अनिवार्य है। विभिन्न क्षेत्रों में देश की सफलता छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा पर निर्भर करती है।

श्री नरसिंह राव को शिक्षा के क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी है और मुझे विश्वास है कि वह कन्नड़ भाषा समझते हैं। माननीय मन्त्री ने बहुत परिश्रम किया है और उन्होंने इस महान सदन को नई शिक्षा नीति पर बहुत अच्छा दस्तावेज पेश किया है। इस दस्तावेज के बारे में अपनी ओर से प्रशंसा व्यक्त करने में मुझे खुशी है। इस दस्तावेज में शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। विषयों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है बल्कि उन्हें संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है।

इस दस्तावेज में कई पहलू वास्तव में प्रशंसनीय है। इस दस्तावेज में कुछ कमियां भी हैं। यदि इन कमियों को दूर कर लिया जाता है तो मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देगी ? आज शिक्षा प्रणाली बदतर हो गई है और शिक्षा नीति शिक्षा के स्तर को उठाने में हमारी मदद करेगी।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आजादी के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति प्राप्त नहीं की गई है। मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिई गुणवत्ता धीरे-धीरे खराब हो गई है। पूरे राष्ट्र के लिए यह ठीक नहीं है। इसलिए, नई शिक्षा नीति, 1986 की आवश्यकता हुई। श्री नरसिंह राव विभिन्न क्षेत्रों में विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने शिक्षा नीति के इस विशाल दस्तावेज को लाने के लिए अपनी योग्यता का प्रयोग किया है।

दस्तावेज में 12 भाग हैं और भाग XII वास्तव में दिलचस्प है। यह बताता है कि भारत में शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचना स्पष्टनः कल्पना करना है फिर भी, हमारी परम्पराएं जो अधिकतर हमेशा बुद्धि से सम्बन्धित और आध्यात्मिक उपलब्धि देती है, उससे हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। दस्तावेज ने इसे बहुत स्पष्ट बताया है कि आध्यात्मिक और प्रणात्मक उपलब्धि शिक्षा प्रणाली का मुख्य भाग है और मुझे उस मामले के बारे में बहुत अधिक खुशी हुई है।

प्राथमिक शिक्षा की अवधि चार वर्ष थी और निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि भी चार वर्ष थी। इस दस्तावेज में यह व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक शिक्षा पांच वर्ष के लिए होगी तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। माननीय मन्त्री ने उच्च माध्यमिक स्कूलों से एक वर्ष ले लिया है। अब केवल दो वर्ष के लिए है। यह अधिक अच्छा होगा कि यदि उच्च माध्यमिक शिक्षा 3 वर्षों के लिए हो। उच्च माध्यमिक स्तर पर छोड़ने वालों की प्रतिशत बहुत अधिक है। इसलिए इसे तीन वर्षों की अवधि का होना चाहिए।

शिक्षा प्रदान करते समय हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा। यह कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है जिसकी आज हमारे देश को आवश्यकता है। युवाओं को अच्छे रहन-सहन की कला सीखनी चाहिए। व्यक्ति की मानव विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए समर्थ होना चाहिए और उसे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए और विश्व के लिए सीखना चाहिए। उसका ज्ञान पूरे जगत में शांति के लिए होना चाहिए। वह वास्तविक शिक्षा होगी। इसलिए दस्तावेज के अन्तिक भाग में आध्यत्मिक शिक्षा की विशेषताएं बताई गई हैं। हालांकि, इसको प्राप्त करना आसान काम नहीं है। यह तभी सम्भव होगा जब समाज के सभी वर्ग इसके लिए प्रयास करेंगे।

दूषित वातावरण में सभ्य व्यक्तित्व को लाना सम्भव नहीं है। अतः पूरे वातावरण को साफ करना होगा। राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। समाज के सभी अंगों को साफ होना चाहिए। केवल तभी हम नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 1968 में त्रिभाषा सिद्धान्त शुरू किया गया था। कुछ राज्यों ने इस सिद्धान्त का निष्ठा से पालन किया था और कुछ अन्यों ने इसका पालन नहीं किया था। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि त्रिभाषा सिद्धान्त को ग्रहण करने में कोई एक समानता नहीं थी। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल राज्य की भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। कुछ निहितार्थ लोग अभी भी अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी हो। यदि यह रवैया जारी रहता है तो हमारे देश के 5 लाख गांवों में बच्चों का भविष्य अन्धकार में होगा। उनका

जीवन बनावटी और बेकार होगा। इसलिए मैं बार-बार दोहराता हूं कि यदि केन्द्र को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कोई दिलचस्पी है तो सभी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का माध्यम केवल राज्य की भाषा होनी चाहिए। केवल तभी उस विशेष राज्य की भाषा का विकास होगा और लोगों का पत्राचार बहुत आसान होगा।

हमारे देश में, आने वाले समय में अंग्रेजी का उपयोग नहीं होना चाहिए। यह वास्तव में खेदजनक है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अभी तक अंग्रेजी हमारे साथ है। अंग्रेजी का एक विषय और एक भाषा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के माध्यम के रूप में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए।

हिन्दी हमारे देश की सहभाषा और राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। हिन्दी को सह भाषा बनाने के लिए देश के कुछ भागों में विरोध है। वे महसूस करते हैं कि यदि हिन्दी सहभाषा बनती है तो समान अवसर नहीं होंगे। यह केवल भारत के कुछ कट्टर लोगों के कारण हैं। वे दूसरों पर हिन्दी थोपना चाहते हैं। यह उचित रवैया नहीं है। यदि सुनिश्चित रवैया लिया जाता और आपसी सहमति होती तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश में हिन्दी को सहभाषा के रूप में रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। यह बात स्वर्गीय पण्डित जवाहारलाल नेहरू ने अपने "डिसकवरी आफ इण्डिया" में 'हिन्दु दी लिगुंआ फ्रेंका ऑफ इण्डिया' शीर्षक के अन्तर्गत बहुत सुस्पष्टरूप के व्यक्त किया है।

दस्तावेज नीति में कहा गया है कि एकता, अखण्डता आदि जैसे विचारों को मूल पाठ्यचर्या में शामिल किया जाएगा। सीखने के स्तर पर याद करना, तोते की रट को हटाया जाना चाहिए। छात्रों में उनके अन्दर छिपी हुई प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके सामर्थ्य को प्रकाश में लाना चाहिए। नम्य तत्वों के बारे में भी दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। राज्यों को 'लचीले तत्वों' के अन्तर्गत पाठ्यचर्या बनाने की आजादी दी जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से इन सभी बातों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं एक बार फिर अच्छी और आदर्श शिक्षा नीति की सराहना करता हूं।

महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने के लिए दिए गए समय के लिए मैं अपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी कैलण्डर के अनुसार आज महान गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है हालांकि बंगाल में हम इसे बंगाली कैलण्डर के अनुसार मानते हैं।

टैगोर की शिक्षा की संकल्पना को सही ढंग से विश्व भारती में प्रस्थापित किया गया है। आज, जबकि मैं इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं मैं इनकी शिक्षा की धारणा को याद करता हूं, शिक्षा जो सर्वव्यापी भाईचारा की भावना देशी शिक्षा जो भावी पीढ़ी के युवाओं के चरित्र का निर्माण करेगी, ताकि वे देश को एक यूनिट के रूप में देखें।

[हिन्दी]

"एक जाति, एक प्राण, एकता"—

[अनुवाद]

यह टैगोर का प्रसिद्ध उद्धृण है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप माननीय मंत्री ने सभा पटल पर रखा है वह बहुत अच्छा दस्तावेज है और हम सभी और भावी पीढ़ी के लिए जो भविष्य में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, सही समय पर आया है। हालांकि कुछ चीजों को सुधारना होगा फिर भी यह अच्छा दस्तावेज है।

मैं शिक्षा के पहलू पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं जिसे अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है। मैं केवल दो पहलुओं पर संक्षिप्त में बोलूंगा। पहला इन परिस्थितियों में देश में सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का विषय राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसे अधिक से अधिक वर्षों के लिए समवर्ती सूची में रखा जाए और यदि सम्भव हो तो इन्जीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में उच्च अध्ययन भारत सरकार के नियन्त्रण और निर्देशन में रखा जाना चाहिए। मैं यह सब इसलिए कहता हूं क्योंकि कई राज्यों में उच्च अध्ययन में बहुत अधिक राजनीति चलती है। इसलिए कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमारे देश की विकास की ओर के साथ-साथ भावी पीढ़ी के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वंचित हो जाते हैं।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मैं केवल एक पहलू पर बोलूंगा अर्थात् सरकार की खेलकूद की नीति। 'प्रारूप शिक्षा नीति' के पृष्ठ 13 पैरा 4.11 में आपने खेलकूद के बारे में कुछ मुख्य-मुख्य बातें बताई हैं। मैं बहुत विनम्रता माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि यह वह पहलू है जिस पर पिछले कई वर्षों से इस देश में किसी भी शिक्षा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम इसे आकस्मिक ढंग से लेते हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिसकी सहायता से हम मानव संसाधनों का अपने देश में विकास कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे युवक अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकेंगे।

लेकिन आज यह हो रहा है। प्रतिभा ढूंढने और उसे प्रशिक्षित करने का सबसे उत्तम समय, वह है जब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। चीन, सोवियत संघ और समाजवादी जर्मन जैसे देशों में इस स्तर पर प्रतिभाओं का चयन किया जाता है। भारत में प्राथमिक स्तर से छठी कक्षा तक जब जब बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से जिमनास्टिक और अन्य खेलों के लिए उपयुक्त होते हैं तब कोई भी संस्था उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। उनका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता ? क्योंकि अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चे खिलाड़ी बनने के लिए विश्वविद्यालयों, कालिजों या स्कूलों में जाएं। सभी मां-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनीयर, डाक्टर या महान् व्यक्ति बनें और नाम कमाएं। मैं अभिभावकों की भावनाओं से सहमत हूं। ये सभी अभिभावकों की सामान्य भावनाएं हैं। लेकिन अगर समग्र देश में यह भावना पैदा की जाती है कि खेलों में जाने से घाटा नहीं होगा, तब देश में इस दिशा में सोचने की प्रवृत्ति पैदा होगी। अत: मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो इस समस्या का समाधान करे। सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में योग और जिमनास्टिक सीखना अनिवार्य होना चाहिए और सरकार के पास देश में नई प्रतिभाओं की खोज के लिए एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए। हम खेलों के मामले में एक

कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें और भी कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। जब हम ओलम्पिक में जाते हैं तो वहां भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। हम हमेशा महसूस करते हैं कि हमारा एक बड़ा देश है। लेकिन वास्तविक युवा स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत छोटे हैं। यह खेद की बात है कि हम शर्म के मारे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते।

भारत में हर जगह नदियां हैं। लेकिन ओलम्पिक में तैराकी में भाग लेने के लिए हमारे यहां एक भी तैराक नहीं है। भारत में राजे-महाराजे हैं, लेकिन हम पटेबाजी में एक भी खिलाड़ी को नहीं भेजते हैं। भारत जनजातिय लोगों की महान् भूमि है। लेकिन हम भाला-फैंकने या तीरन्दाजी में एक भी प्रत्याशी नहीं भेजते हैं। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं सो यह निश्चय ही खेद का विषय है। अतः हमें शिक्षा नीति में इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय फैडरेशनें क्या कर रही हैं? बच्चे जब 18-19 वर्ष के युवा हो जाते हैं, वे तब उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन इससे कई वर्ष पूर्व ही उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम छोटी उम्र में ही उन्हें प्रशिक्षण नहीं देते। सुब्रतो कप और आर्मी के अलावा, स्कूल-स्तर खेल प्रतिभा का विकास कहीं नहीं किया जाता। फुटबाल के मामले में यही हाल है। हाकी, क्रिकेट और तैराकी का भी यही हाल है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि स्कूल खेल फैडरेशन और विश्वविद्यालय खेल निकायों का सभी राष्ट्रीय फैडरेशन से निश्चित समन्वय होना चाहिए। और सभी प्राथमिक और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को जिमनास्टिक और योग के बारे में निश्चित कार्यक्रम बनाने चाहिए। इसके बिना हम यह सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कराटे के बारे में क्या विचार है?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं कराटे के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं दो महत्त्वपूर्ण बातों के बारे में कह रहा हूं। एक तेज गेंदबाज, एक बेहतर हाकी खिलाड़ी या अच्छा फुटबाल खिलाड़ी बनाने के लिए आवश्यक है कि आप अच्छे जिमनास्ट भी हों। आज खेल जगत में यही नियम अपनाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि भारत जैसे विशाल देश में कोई भी अच्छा खेल-स्कूल नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, एक भी खेल स्कूल नहीं है। कोचिंग के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान है और लोग प्रशिक्षक बनने के लिए खेलों से संन्यास ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि गर्मी की छुट्टियों या अन्य छुट्टियों में खेलों को जानने, सीखने के लिए कोई खेल स्कूल है? यह सुविधा चीन और समाजवादी जर्मन में उपलब्ध है। आपको जानकर खुशी होगी कि बंगलादेश जैसे गरीब देश में भी ये सुविधाएं भारत में ये सुविएं उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः खेल के क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना बाकी है। हालांकि आपने केवल दो पैराग्राम तक ही अपने विचारों को सीमित रखा है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। अगर आवश्यक हो तो आप इस बारे अगले सत्र में विशेष संकल्प भी ला सकते हैं जिस पर विस्तार से चर्चा की जा सके। अगर इस लास ऐंजल्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके तो हम सियोल में भी नहीं कर सकेंगे लेकिन हमें वायदा करना चाहिए कि अन्य

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रारूप पर चर्चा में आज भाग ले रही हूं।

श्रीमन्, शिक्षा से व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। नई शिक्षा नीति में इसी सम्पूर्ण विकास के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अत: मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को नई शिक्षा नीति लागू करने पर बधाई देती हूं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव और शिक्षा राज्य मंत्री को नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने पर बधाई देती हूं। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस नई शिक्षा पर विचार-विमर्श हुआ था, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों ने अपने मूल्यवान सुझाव रखे थे। उन सुझावों के आधार पर इस माननीय सभा के समक्ष यह प्रारूप संकल्प प्रस्तुत किया गया है। नई शिक्षा नीति की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यकों, और विकलांगों, और महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा ;

(2) वर्ष 1990 तक सभी के लिए प्राथमिक स्तर तक और 1995 तक मिडिल स्तर तक शिक्षा प्रदान करने का संकल्प ;

(3) शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण ;

(3) अध्यापकों को प्रोत्साहन आदि।

स्वतन्त्रता संग्राम से ही देश में शिक्षा के प्रसार के बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है। महात्मा गांधी एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर समाज के लिए निरक्षरता को दूर करना आवश्यक मानते थे।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के विकासशील देशों के बारे में हाल ही में किए नए यूनेस्को के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और पापुआ, न्यू गिनी की तुलना में है। दुसरी ओर कोरिया, फिलीपीन्स, सामोया, सिंगापुर, वियतनाम और मालद्वीप में भी साक्षरता दर 80 प्रतिशत या इससे भी अधिक है।

हमारे यहां स्थिति खराब होती जा रही है। 1951 में प्रत्येक दो साक्षर व्यक्ति के पीछे एक निरक्षर था जबकि 1981 में यह स्थिति विपरीत हो गई। देश में प्रत्येक दो निरक्षरों के पीछे एक साक्षर व्यक्ति है। दिन-प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक सारे विश्व में निरक्षरों की जितनी संख्या है, उतने निरक्षर व्यक्ति हमारे देश में ही होंगे।

इसका मुख्य कारण अधिक जनसंख्या और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना है।

निरक्षरता की इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है कि 1990 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा और 1995 तक मिडिल स्कूल तक शिक्षा मुहैया की जाएगी। नीति का यह उद्देश्य सराहनीय है।

"सबके लिए शिक्षा"

नई शिक्षा नीति हमारे यहां असमानता दूर करने की कोशिश करेगी। महिलाओं की स्थिति में मूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा को एक एजेन्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनका निराकरण किया जा सके। इस हेतु महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। महिलाओं के उत्थान में नई शिक्षा प्रणाली एक सही भूमिका अदा करेगी।

6.00 म० प०

पुनः तैयार किए गए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं ओरियंटेशन, निर्णयकर्ताओं तथा प्रशासकों एवं शैक्षिक संस्थाओं को सक्रिय सहभागिता से यह नए मूल्यों के विकास में सहायक होगी। यह विश्वास एवं समाज इन्जीनियरी का कार्य होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में स्त्री अध्ययनों को प्रोत्साहन दियाजाएगा तथा महिलाओं की उन्नति के लिए सक्रिय कार्यक्रम आयोजित करने हेतु शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

महिलाओं की निरक्षरता दूर करने तथा उनके प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में जो बाधाएं हैं उन्हें विशेष सहायता सेवाओं, निर्धारित करके समय-लक्ष्य तथा प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था द्वारा दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी पर अधिक जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए लिंग-भेद को समाप्त करने तथा गैर-परम्परागत व्यवसायों और विद्यमान एवं भावी प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति अपनायी जाएगी।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरी उपलब्धि है।

प्राथमिक शिक्षा नई शिक्षा नीति का प्रमुख अंग है। शिक्षा बालकों पर केन्द्रित होगी। माध्यमिक शिक्षा छात्रों को विज्ञान, मानव विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान से अवगत कराएगी।

उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने तथा शिक्षा के प्रजातन्त्रीकरण के लिए खुला विश्वविद्यालय प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1985 में संस्थापित इन्दिरा गांधी खुले विश्वविद्यालय को मजबूत बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है किसी भी स्थान पर, किसी भी उम्र में तथा किसी भी साधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा।

नये ढंग के ग्रामीण विश्वविद्यालय को मजबूत किया जाएगा तथा शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जायेगा जिससे सतही आधार पर सूक्ष्म-आयोजना की चुनौती को स्वीकार किया जा सके तथा ग्राम्प क्षेत्रों का कायाकल्प हो सके। गांधीजी की मौलिक शिक्षा पर आधारित संस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सहायता दी जायेगी।

यद्यपि हमारे कालेज प्रति वर्ष फोर्ड गाड़ियों के उत्पादन की तरह बड़ी संख्या में स्नातक तैयार करते हैं तो भी हमारे जीवन में सच्ची सभ्यता का अभाव बना हुआ है, कहने को तो हमारे देश में एक सौ हजार स्कूल हैं लेकिन सच्चे अर्थों में एक दर्जन से अधिक लोग शिक्षित नहीं हैं।

शिक्षा की औपचारिक पद्धति तथा देश की सम्पन्न विविधतायुक्त सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच की दरार को पाटने की आवश्यकता है। आइन्स्टीन ने कहा था :

> "संसार की वर्तमान समस्याएं विज्ञान के नैतिकता के मुकाबले अधिक आगे निकल जाने के कारण है, जब नैतिकता विज्ञान से आगे निकल जाएगी तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी।"

महात्मा गांधी ने कहा कि सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा : "सच्ची शिक्षा में मानव व्यक्तित्व के सर्वोत्कृष्ट तत्व की खोज निहित है मानवता की पुस्तक से कौन पुस्तक अच्छी हो सकती है ?" इसलिए शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को उच्च स्थान दिया गया है क्योंकि ये हमारी ज्ञानार्जन प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।" शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर व आत्मा को प्रशिक्षित करती है बल्कि सम्पूर्ण मानव को भी प्रशिक्षित करती हैं यह मान्टेग्यू ने कहा।

नई शिक्षा नीति में कार्यानुभव को अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई है। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा "आराम हराम है।" कर्नाटक के महान सन्त बास वन्ना ने कहा "काया कामे कैलाश।" कार्य पूजा है। श्रम की महत्ता को बनाए रखने के लिए इस नीति में इस तथ्य पर उचित जोर दिया गया है।

हमारे देश का भविष्य कक्षाओं में निहित है। और इस भविष्य का निर्माता अध्यापक है। वह चरित्र का निर्माण करता है तथा नयी पीढ़ी को राह दिखाता है।

और शिक्षण के विषय में ? दुख की बात है कि उन्हें कम पारश्रमिक दिया जाता है जबकि सभी व्यवसायों में यह सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय है। जब तक किसी को विशेष लगाव नहीं होता इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। इसमें लगे अधिसंख्य पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए धन तथा यश की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन उन्हें मानवता के बीच सम्माननीय स्थान प्राप्त है। मैं अज्ञात शिक्षकों की प्रशंसा करता हूं। सेनापति को युद्ध जीतने की विजयश्री मिलती है लेकिन अज्ञात सैनिक ही इस युद्ध को जीतते हैं।

प्रसिद्ध शिक्षा विद् तो बाल विज्ञान की नयी प्रणाली का आविष्कार करते हैं लेकिन ये अज्ञात शिक्षक है जो इसे पढ़ाते हैं तथा युवकों का मार्ग निर्देशन करते हैं। वे गुमनामी में अपना जीवन जीते हैं और तगी में भी सन्तोष करना पड़ता है। उसके लिए कोई बिगुल नहीं बजते, कोई सवारी उसकी प्रतीक्षा नहीं करती तथा उसके लिए कोई स्वर्णिम सजावट नहीं की जाती। वह अज्ञान की

सीमाओं पर पहरा देता है तथा अज्ञान और जड़ता की खाइयों पर आक्रमण करता है। अपने कर्तव्य-पालन के लिए व्यग्र वह उन बुरी शक्तियों पर विजय पाने का यत्न करता है जो युवकों की शत्रु है। वह सोई हुई अनुभूतियों को जगाता है। वह सुस्त व्यक्ति को गतिशील बनाता है, जिज्ञासा जगाता है, तथा अस्थिर व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। वह अध्ययन में आनन्द प्राप्त करता है तथा बालक बालिकों के बीच अपने ज्ञान-कोष को बांटता है। वह ऐसे बहुत से ज्ञानद्वीप जलाता है जो आगामी वर्षों में स्वयं उसे आनन्द प्रदान करेंगे। वही उसका पारितोषक है।

ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन प्रेमसिक्त ज्ञान केवल सम्पर्क द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गणतंत्र में सुयोग्य नागरिक होकर जीने की कला अध्यापक के अलावा कोई नहीं जानता। प्रजातांत्रिक ढांचे में उसके अलावा कोई और सुयोग्य नहीं। वह "अपना राजा और मानवता का सेवक" है। अतीत में यह था :

गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु:
गुरुर्देवो महेश्वर:।
गुरु: साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरु वे नम:।

सच्चे अर्थों में आज भी वह ईश्वर तुल्य होना चाहिए। उसे एक मित्र, दार्शनिक तथा मार्ग-दर्शक होना चाहिए। जैसा कि कृष्णामूर्ति ने कहा है।

शिक्षा एक ऐसा मानक नहीं है जिस पर शिष्यों को चलना ही पड़े बल्कि एक प्रेरणा है जिसके प्रति उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अध्यापक को प्रेरणा तथा क्रान्ति-ज्वाला से परिपूर्ण होना चाहिए। वह सुनिश्चित उत्सुक तथा स्वामी हो न कि पराश्रित, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला तथा सत्यता से पूर्ण। शिक्षा व्यक्ति को आत्म सत्य का पता लगाने में सहायक होनी चाहिए।

यह जिम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर है।

इसलिए स्थानिक तथा कृत्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा योग्य अध्यापकों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली को पुनर्गठित करना होगा। हमारी नई शिक्षा नीति का यह अत्यंत प्रशंसनीय उद्देश्य है।

शिक्षा नीति का एक दूसरा प्रगतिशील कदम मूल्यांकन के सम्बन्ध में है।

लगभग अर्द्ध शताब्दी से परीक्षा भारतीय शिक्षा का सबसे बुरा पहलू माना जाता रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना है। हमारे देश की शैक्षिक संस्थाओं की परीक्षा पद्धति की आलोचना समाचार पत्रों में विभिन्न लेखों के द्वारा नित्य ही छप रही है। एफ बर्क का कहना है :

"कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं है, हमारे विद्यालय आयोग्य हैं, परीक्षण व्यवस्था गलत है तथा परीक्षाएं निरर्थक हैं।"

मूल्यांकन एक बृहत शब्द है। यह मूल्य निर्णायक मापक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है कि :

> "बालक की कक्षोन्नति का आधार न केवल वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए बल्कि समय-समय पर लिए गए परीक्षणों के परिणामों तथा विद्यालयों के रिकार्ड में दिखाई गयी प्रगति के आधार पर होना चाहिए।"

नई शिक्षा नीति ने इन समस्त पहलुओं पर विचार किया है और इस विषयों पर गम्भीर विचार करने के बाद शिक्षा पद्धित पर अधिक महत्व दिया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधारों के उद्देश्य हैं :

(i) चांस तथा सबजेक्टिविटी के तत्व को समाप्त करना।

(ii) रटने की आदत पर जोर न देना।

(iii) सतत और व्यासक मूल्यांकन।

(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया का अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा मां-बाप द्वारा प्रभाव पूर्ण उपयोग।

(v) परीक्षाओं के आयोजन में सुधार।

(vi) शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन।

(vii) माध्यमिक स्तर से सेमेस्टर प्रणाली का चरणबद्ध रूप में शुरू करना।

(viii) अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना।

शिक्षा नीति के राष्ट्रीय पाठ्य क्रम में भारतीय इतिहास तथा सांविधानिक सामग्री सहित 'कोर' पाठ्यक्रम शामिल होगा। इससे हमारी एकता और राष्ट्रीय अखण्डता मजबूत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीली भी होगी। इस नमनीयता पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यहां खतरे की सम्भावना है। लेकिन केन्द्र राज्यों को ऐसा कोई मार्ग अपनाने के लिए अमुमति नहीं देगा जो विद्यार्थियों का मस्तिष्क पूर्वाग्रहयुक्त बनाए। पाठ्य पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो विद्यार्थियों के बीच शत्रुता या घृणा पैदा करें। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में विपक्षी सदस्यों के मस्तिष्क में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है। विद्यार्थियों को एक विशेष भाषा पढ़ने के लिए बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई शिक्षा नीति के अन्तरगत स्थापित नवोदय विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित है। लेकिन हमें सावधानी बरतते हुए यह देखना होगा कि ये विद्यालय पब्लिक स्कूलों की तरह कुलीन लोगों के लिए न हो जाए। एक तरफ हम पब्लिक स्कूलों को खत्म करने के लिए चिल्ला रहे हैं जो कि दो प्रकार के नागरिक उत्पन्न करते हैं दूसरी ओर नव स्थापित ये नवोदय विद्यालय पैसे वालों के लिए न हो जाए। इसलिए इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी।

शिक्षा पर हम राष्ट्रीय आपका केवल 3 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इस शताब्दी के अन्त तक अशिक्षितों की संख्या 50 करोड़ के आस-पास हो जाएगी। इन पर खर्च की जाने वाली राशि बहुत ही कम है। यह समस्या की गम्भीरता को दर्शाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आवंटित किया जाता तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे उत्नति कर सकती है।

सातवीं योजना में शिक्षा के लिए 5000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। विकास अध्ययन संस्थान मद्रास में शिक्षा को धन उपलब्ध कराने पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के अनुसार योजनाविधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 21,000 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। इन समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए। आयोजन, उत्तम प्रबन्ध तथा राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित समता वादी समाज की स्थापना की इच्छा होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण ससाप्त करता हूं।

6.11. म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 मई, 1986/17 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।